केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए

पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए नियमावली

द्वारा प्रकाशित
>kj[k.M jkT; fof/kd lsok ikf/kdkj
न्याय सदन, ए.जी. ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392, फैक्स : 0651–2482397
ईमेल : jhalsaranchi@gmail.com वेबसाइट : www.jhalsa.org
यह पुस्तक झालसा के वेबसाईट www.jhalsa.org पर भी उपलब्ध है।

o"k 2017

पारा विधिक स्वयंसेवकों
के लिए
नियमावली

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

प्रस्तावना

"The persons involved in such awareness campaign are required to equip themselves with costitutional concepts, culture, philosophy, religion, scriptual commands and injunctions, the mandate of the law as engrafted under the Act and above all the development of modern science....

The people involved in the awareness campaigns should have boldness and courage. There should not be any iota of confusion or perplexity in their thought or action."

Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra
Judge, Supreme Court of India
(excerpts from order dated 16-9-2014 passed in Voluntary health Association of Punjab Vs Union of India)

उपरोक्त कालजयी बातें ही, इस नियमावली को तैयार करने में, हमारे लिए प्रेरणास्त्रोत रहे हैं। पारा विधिक स्वयंसेवक हमारे सारे जागरूकता अभियान के अगुवा हैं। उनको नालसा की नीति, नियम, सिद्धांत तथा गतिविधि की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। कुछ मुलभूत बातें हैं, जिनकी समझ और जानकारी होना पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए आवश्यक है। विधिक सेवाओं की पहुंच महिलाओं, बच्चों, विशिष्ट योग्यता रखने वालों, बंदियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों तथा हाशिए पर के व्यक्ति और समुदाय तक सुनिश्चित करने में हमारे पारा विधिक स्वयंसेवकों का योगदान अप्रतिम रहा है। ये विधिक सेवा संस्थानों द्वारा स्थापित पंचायत स्तरीय विधिक सेवा केन्द्र, पुलिस थाना, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, वृद्धाश्रम, वैसे अस्पताल जहां तेजाबी हमले से पीड़ित को विशेषज्ञ चिकित्सा दी जाती है, सामुदायिक केन्द्र, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति तथा विधिक सेवा संस्थान के फ्रंट ऑफिस पर तैनात होते हैं। इनके माध्यम से विधिक सेवाओं की पहुंच वंचित तथा शोषित तबकों तक अद्‌भुत रूप से बढ़ा है, अतः एक सक्षम कार्यबल होने के नाते पारा विधिक स्वयंसेवकों को सुयोग्य तथा सक्षम होना ही चाहिए।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस नियमावली को तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। एक ही जगह पर पारा विधिकों को नालसा के नीति नियम तथा किए जा सकने योग्य तथा न किए जाने योग्य बातों की जानकारी देना ही इस नियमावली का उद्देश्य है। बड़े ही सरल शब्दों में सारी बातों को इसमें लिखा गया है। हिन्दी में अनुवाद करते समय भावार्थ पर ध्यान दिया गया है। यह सर्वदा ही संभव है कि इस नियमावली में और भी सुधार की संभावना हो सकती है। वैसे सभी सुझाव का हम बेहद आदर करेंगे और आगे निकलने वाले प्रकाशन में उस सुधारों को अमल में लाएंगे।

यह सत्य ही कहा गया है कि :

बड़े-बड़े काम
दल भावना से ही होते हैं
एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता
दल में शामिल व्यक्तियों द्वारा
छोटे-से छोटा काम भी
काफी महत्व का होता है
बड़ी-बड़ी इमारतों में
एक-एक ईंट का महत्व होता है।

पारा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा नालसा की दस योजनाओं के कार्यान्वयन में अद्‌भुत योगदान दिया जा रहा है।

यहां मैं कुछ पारा विधिक स्वयंसेवकों के उत्कृष्ट कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूँ।

गुमला जिले के पारा विधिक भिखारी उरांव अपने जनजागरण अभियान के दौरान तीन बच्चों (उम्र 4 वर्ष, 6 वर्ष तथा 9 वर्ष) से मिले जिनके माता-पिता की हत्या कर दी

गई थी और उनका सौतेला भाई एक रिक्शा चालक था जिसके खुद के चार बच्चे थे तथा वह इन बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ था। भिखारी उरांव ने इन बच्चों के पुनर्वास के लिए आवेदन तैयार किया तथा विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उन्हें आवासीय विद्यालय में दाखिल कराया। उन्हें दो लाख रूपया पीड़ित मुआवजा के रूप में दिलवाया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उन बच्चों का विधिक अभिभावक बनाया गया है।

चतरा जिले की पारा विधिक श्रीमती बिंदुल बाला अपने अभियान के तहत आरती देवी से मिलीं जिनके दोनों पैर उसके पति ने तोड़ दिए थे तथा इसके बच्चे की हत्या कर दी थी। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से

आरती देवी टूट चुकी थी। उन्हें अपना और अपने दूसरे बच्चे का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बिंदुल बाला ने विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से आरती देवी के लिए आवेदन तैयार किया तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़कर उन्हें इंदिरा आवास दिलाया तथा पेंशन दिलाया। पीड़ित मुआवजा के रूप में उसे दो लाख रूपया भी मिला। ऐसे लोग सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पारा विधिक के रूप में काम कर रहे हैं इन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए गौरवान्वित करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

हमारे पारा विधिक स्वयंसेवक साइकिल यात्रा तथा पदयात्रा के द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में घर-घर जाकर विधिक जागरूकता अभियान चलाते हैं तथा विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु दिए गए आवेदन को विधिक सेवा संस्थान तक पहुंचाते हैं।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पारा विधिक स्वयंसेवकों के संबंध में संक्षिप्त परिदृश्य :

कुल प्रशिक्षित पारा विधिक स्वयंसेवक	:	1839
पैनल में शामिल पारा विधिक स्वयंसेवक	:	1199
पुरूष पारा विधिक स्वयंसेवक	:	787
महिला पारा विधिक स्वयंसेवक	:	412
पंचायत स्तरीय विधिक सेवा केन्द्र में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक	:	355
थाना में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक	:	118
फ्रंट ऑफिस में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक	:	43
जेल में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक	:	92
किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति में तैनात	:	46
वृद्धाश्रम में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक	:	06
सामुदायिक केन्द्रों में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक	:	42

झारखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था है जिसे गुजरकर पारा विधिक के कार्यों का मूल्यांकन तथा मानदेय का भुगतान होता है, जिसे नीचे दर्शाया गया है :

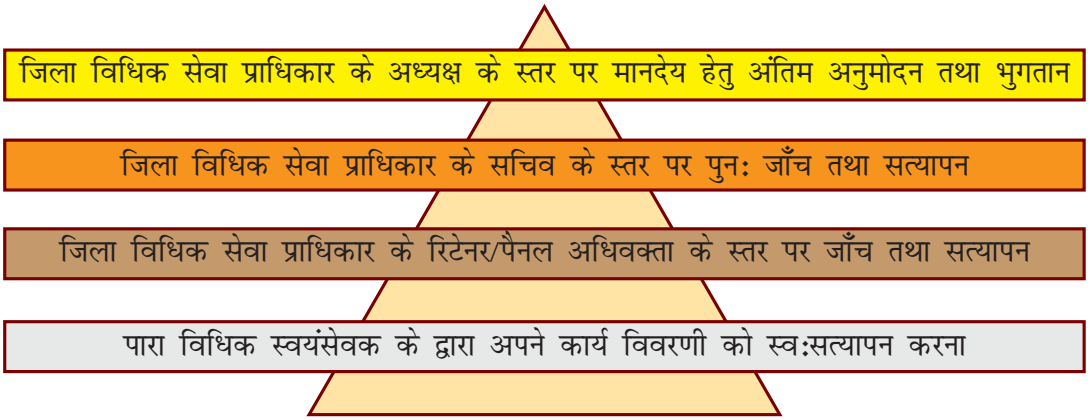

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के योग्य नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में हमारे देश में विधिक सेवाओं की दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि हुई है। राष्ट्र का समस्त विधिक सेवा कार्यबल, जिसमें पारा विधिक स्वयंसेवक भी शामिल हैं, नालसा के उद्देश्यों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए तथा उन्हें अमल में लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। नालसा के सक्षम कार्यबल में शामिल पारा विधिक स्वयंसेवक के दो मूलमंत्र है :

1. **कभी हार नहीं मानो।**
2. **हमेशा पहले मूलमंत्र को याद रखो।**

(न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल)
कार्यपालक अध्यक्ष
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

तिथि : 24 अप्रैल, 2017

अनुक्रमणिका

1. विधिक सेवा को जन सेवा केन्द्र के द्वारा मुख्य धारा में शामिल करना.....1
2. पारा विधिक स्वयंसेवकों का स्त्रोत.....8
3. पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन.....9
4. पारा विधिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण.....11
5. पारा विधिक स्वयंसेवक का डाटाबेस.....15
6. पारा विधिक स्वयंसेवक के कार्य.....16
7. पारा विधिक स्वयंसेवक के द्वारा पंजी का रख-रखाव.....18
8. पारा विधिक स्वयंसेवक के किए कार्यों की निगरानी व्यवस्था.....20
9. पारा विधिक स्वयंसेवक के मानदेय.....21
10. पारा विधिक स्वयंसेवक का पंचायत विधिक सेवा केन्द्र भ्रमण संबंधी दिशानिर्देश.....23
11. कारा में पारा विधिक स्वयंसेवक एवं उनके कर्तव्य.....24
12. पारा विधिक स्वयंसेवक की थाने में तैनाती तथा उनके कर्तव्य.....26
13. पारा विधिक स्वयंसेवक की मानसिक आरोग्यशाला में नियुक्ति तथा उनके कर्त्तव्य.....27
14. पारा विधिक स्वयंसेवक की अयोग्यता एवं उन्हें हटाने की प्रक्रिया.....29
15. पारा विधिक स्वयंसेवक पर नालसा के परिपत्र.....30
16. पारा विधिक स्वयंसेवी से संबंधित सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न.....39

परिशिष्ट

1. पारा विधिक स्वयंसेवकों का परिचय पत्र.....53
2. पारा विधिक स्वयंसेवकों का पोशाक.....53
3. कानूनी सहायता रजिस्टर.....54
4. पैरा लीगल स्वयंसेवकों का डाटाबेस.....55
5. झारखण्ड राज्य के पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए ओरिएन्टेशन तथा इंडक्शन ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम (पाँच दिवसीय) के लिए पाठ्यक्रम.....56
6. पारा विधिक स्वयंसेवक योजना (संशोधित).....59

पारा विधिक स्वयंसेवको को जानने योग्य वैसे निर्णय जो मील का पत्थर हैं

1. Voluntary Health Association of Punjab Versus Union of India and Others.....75
2. BACHPAN BACHAO ANDOLAN VERSUS UNION OF INDIA & ORS.....90
3. Apne Aap Women Worldwide Trust ... Versus The State Of Bihar & Ors.....94
4. Initiative For Transportation ... Versus Mcd And Ors. 114
5. Baisil Attipety @ Basil.A.G Versus The State Of Kerala.....121
6. Court On Its Own Motion Versus The State Of Jharkhand And Others.....125
7. The Court On Its Own Motion Versus The Union Of India Through Its ... .128

8. Dr Bhim Prabhakar Versus Human Resource Development 135
9. Lussa Pahan Versus The State Of Jharkhand 138
10. National Domestic Workers Welfare Versus State Of Jharkhand & Ors 144
11. Court On Its Own Motion Versus State Of Jharkhand & Ors 149
12. National Domestic Workers Welfare Versus State Of Jharkhand & Ors 154

अधिनियम, नियम, विनियम तथा योजना

1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 167
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 182
3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 194
4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011 205
5. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 . 214
6. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 215
7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015 216
8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015 217
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों के लिए बाल-सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015 218
10. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं नि:शक्त व्यक्ति) योजना, 2015 219
11. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की योजनाएँ) योजना, 2015 220
12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन) योजना, 2015 221
13. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशे के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं नशे के कलंक का निवारण) योजना, 2015 222
14. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाओं की योजना 223
15. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश 224
16. नामित किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देश 227
17. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण शिकायत/जनअभियोग निवारण हेतु सामान्य व्यवहार प्रक्रिया 234
18. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 239

1. विधिक सेवा को जन सेवा केन्द्र के द्वारा मुख्य धारा में शामिल करना

हाशिए पर रह रहे व्यक्तियों तक न्याय पहुँचाने की योजना - एक अवधारणा नोट

1. पृष्ठभूमि

हाशिए पर रह रहे लोगों को न्याय का लाभ देना एवं न्याय पहुंचाने की योजना का क्रियान्यवयन विधि विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विधिक जागरूकता, विधिक सहायता, हाशिए पर रह रहे समुदायों का सशक्तिकरण तथा न्याय व्यवस्था एवं न्यायिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन को अमल में लाने में सहयोग करना है।

इसके तहत विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में शामिल करने के कई कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भविष्य का एक मुख्य प्रयास इन सफल पहलुओं को बढ़ाना एवं मजबूत करना है। एक ऐसी पहल विधिक सहायता संबंधित सेवाओं का जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से सशक्तिकरण करना है। यह विशेषत: हाशिए पर रह रहे समुदायों को न्याय का लाभ देने के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा तथा नालसा एवं झालसा को दृष्टि प्रदान करेगा।

2. विधिक साक्षरता का जन सेवा केन्द्रों के द्वारा मुख्यधारा में लाना

न्याय पहुंचाने की परियोजना झारखण्ड में जन सेवा केन्द्रों (तीन जिलों की दस जन सेवा केन्द्रों) तथा राजस्थान के 11 जिलों में फैले 500 जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से विधिक साक्षरता अभियान को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सी0एस0सी0 (जनसेवा केन्द्र) ई0 गर्वनेंस से साझीदारी किया है।

इस योजना के तहत राजस्थान में 500 ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को सामाजिक न्याय कानूनों जैसे मौलिक अधिकारों, सूचना का अधिकार, नागरिकों के अधिकार, लैंगिग कानूनों, बाल अधिकारों एवं श्रमिक कानूनों में प्रशिक्षित किया गया।

योजना के तहत विभिन्न कानूनों पर एक लघु पुस्तिका तथा एक लघु चलचित्र का

निर्माण किया गया तथा ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को वितरित किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को विभिन्न सामाजिक न्याय कानूनों की जानकारी देना एवं ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के द्वारा समुदायों को बुनियादी जानकारी देना है।

इसके अतिरिक्त प्रतिभागिता पांच उत्तर पूर्वी क्षेत्रें के राज्यों जैसे आसाम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के 467 ग्रामीण स्तर के उद्यमियों, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मणीपुर, नागालैंड तथा सिक्किम के 433 ग्रामीण स्तर के उद्यमियों एवं जम्मू कश्मीर के 500 ग्रामीण स्तर के उद्यमियों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है।

इस पहल के तहत सूचना, शिक्षा एवं संपर्क सामग्रियों, विभिन्न भाषाओं की डाक्यूमेंटरी फिल्मों का विकास, आवेदनों का ऑनलाईन निगरानी की विकास करना है।

3. जन सेवा केन्द्र : एक अवलोकन

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2006 में अनुमोदित जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) योजना में राष्ट्रीय ई0 गर्वनेंस योजना (एन0ई0जी0पी0) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10000 इंटरनेट सुविधायुक्त केन्द्र खोलना सार्वजनिक निजी भागीदारी (वी0पी0पी0) के तौर पर पूरा किया गया। सी0 एस0 सी0 सरकारी, निजी एवं सामाजिक सेवा क्षेत्रों का ग्रामीण जनता को उनके द्वार तक पहुंचने का केन्द्र बिंदू है। सी0एस0सी0 योजना सेवाओं, सूचना एवं ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का एवं आधारभूत मॉडल (रूप रेखा) की संभावना है जो सामान्य विचारधारा के लोगों तथा सार्वजनिक एवं निजी व्यवसायियों को उनके लक्ष्यों को एकीकृत करने के लिए सहयोगी रूपरेखा के द्वारा ग्रामीण भारत के द्रूत सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए व्यवसायिक रूपरेखा तैयार कराने की अनुमति दे सकता है।

4. टी0एन0आई0 जन सेवा केन्द्र योजना 2.0 क्या है?

जन सेवा केन्द्र योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख जन सेवा केन्द्र की स्थापना करना है।

इसका उद्देश्य है:

- ग्रामीण जनता को बिना भेदभाव के ई0 सेवा पहुंचाना। इसके लिए सी0एस0सी0 को सेवा प्रदान करने का केन्द्र के रूप में विकसित करना।

- एकल तकनीकी प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाईन सेवाओं को सक्षम एवं समेकन बनाना जिससे सी0एस0सी केन्द्रों में सेवा प्रदानता/वितरण को उत्तरदायी, पारदर्शी एवं दक्ष बनाना।

- वी0एल0ई0 (ग्रामीण स्तर के उद्यमिओं) की क्षमता को बढ़ाते हुए व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। महिलाओं को वी0एल0ई0, सी0एस0सी0 के रूप में बढ़ावा देना उन्हें डिजिटल पोर्टल के माध्यम से तरह-तरह के सेवा प्रदान करना। इसमे निम्नलिखित शामिल हैं:-

- **डिजिटल साक्षरता**- ग्रामीण युवकों को आई0टी0 (सूचना तकनीकी) प्रवीणता प्रदान कराना।

- **आर्थिक साक्षरता**- ग्रामीण लोग विशेषत: महिलाओं को आर्थिक साक्षरता एवं निवेशक जानकारी के मूल पहलू के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

- **शैक्षणिक सुगमता सेवा**- आम आदमी के लिए अंग्रेजी में कम्प्यूटर का मौलिक ज्ञान प्रदान करना।

- **निर्वाचन साक्षरता**- मतदाताओं के मूल अधिकारों के लिए चुनाव आयोग के साथ दस्तावेज समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) करना।

- **टेली दवा**- सी0एस0सी0ई0 शासन का आजकल टेली दवा नामक योजना काफी सफल रहा है। टेली दवा ने संसार के किसी भी कोने में बैठे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सुदूर कोने में रह रहे रोगी को जोड़ना संभव किया है। टेली दवा उन रोगियों के लिए महान अवसर है जो डॉक्टरी सलाह के लिए क्लीनिकों या अस्पताओं की यात्रा करना कठिन पाते हैं। रोगियों एवं चिकित्सकों का टेली दवा की तकनीकियों जैसे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग से अस्पताओं या चिकित्सकों तक की यात्रा करने मे हुए खर्च को काफी कम किया जा सकता है। टेली दवा जीर्ण हालत वाले मरीजों की व्यवस्था करने एवं निवारक दवा देने में एक आदर्श राह सिद्ध हो रहा है। चिकित्सकों एवं मरीजों के संवाद/संचार सुगम करने से टेली दवा डिस्चार्ज (उन्मुक्त) रोगियों की निगरानी एवं रोगियों की पुर्नलाभ को पता लगाने को सरलता प्रदान किया है। ठीक इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म का विकास जन सेवा केन्द्र के माध्यम से विधिक सेवाओं को मुख्यध ारा में लाने के लिए किया जा सकता है।

5. विधिक सहायता को मुख्यधारा में लाना, जन सेवा केन्द्र के माध्यम से

टेली कानून वकीलों/विद्यालयों के विधिक शिविरों/जिला विधिक सेवा प्राधिकारों/जन सेवा प्रदान करने वालों/गैर सरकारी संस्थाएं को किसी भी जगह से कहीं से कभी भी सुदूर कोने से विधिक परामर्श पाने के इच्छुक व्यक्तियों से जोड़ सकेगा।

जन सेवा केन्द्रों (सी0एस0सी0) का उपयोग ग्रामीण जनता को विधिक परामर्श एवं जानकारी देने के लिए हो सकता है। टेली कानून का सीधा अर्थ संचार/संवाद एवं सूचना तकनीकी का उपयोग कर विधिक जानकारी एवं परामर्श देना है। वकीलों एवं जनता के बीच का यह ई-पारस्परिक आदान प्रदान जन सेवा केन्द्र में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए होगा। इसके अतिरिक्त विधि विद्यालयों में स्थित विधिक सहायता शिविरों/जन सेवा प्रदान करने वाले फर्म/विधिक सहायता एवं सशक्तीकरण पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को भी सी0एस0सी0 के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।

6. गतिविधियों को बढ़ाना

1. पायलट प्रशिक्षण एवं राज्यों का चुनाव:-

पहले कदम पर हमलोग दो राज्यों में 1000 जन सेवा केन्द्रों का चुनाव करेंगे। 500 जन सेवा केन्द्र उत्तर प्रदेश में तथा 500 जन सेवा केन्द्र बिहार में। उपरोक्त दोनों राज्य न्यायालयों में लंबित वादों का अधिकतम संख्या वालों में से हैं।

- आगे जन सेवा केन्द्र-एस0पी0भी0 उत्तर प्रदेश में जन सेवा केन्द्र के माध्यम से विधिक सहायता को मुख्यधारा में लाने का काम कर रही है।
- अत: दोनों राज्यों में योजना के सुचारू रूप से चलाने के लिए उन चुनौतियों को समझने में आसान होगा एवं सहभागिता बनाने में।

2. महिला पारा विधिक स्वयंसेविका का चुनाव एवं प्रशिक्षण

- जन सेवा केन्द्र के माध्यम से विधिक सहायता को मुख्यधारा में लाने के लिए 1000 महिला पारा विधिक स्वयंसेवक का चुनाव ग्रामीण स्तर के उद्यमी के साथ काम करने के लिए किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य महिला निवेशकों को बढ़ावा देना तथा उनके सशक्तिकरण से है।

- चयनित पारा विधिक स्वयंसेवक को उपयुक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपना उत्तरदायित्व का प्रभावकारी रूप से निर्वाह कर सके।
- प्रशिक्षण के रूप में तीन दिनों की विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सामाजिक कानूनों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित होगा।
- तत्पश्चात पुनः पारा विधिक स्वयंसेवक को जन सेवा केन्द्र में नियुक्त किया जाएगा।
- एक माह जन सेवा केन्द्र में काम करने के पश्चात पारा विधिक स्वयंसेवक का एक रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

3. ग्रामीण स्तर के उद्यमिओं का प्रशिक्षण

- 1000 जन सेवा केन्द्र चलाने वाले ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को जन सेवा केन्द्र–ई–शासन (ई–गर्वनेंस) समाज द्वारा एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने जन सेवा केन्द्र में टेली कानून सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सके।

4. पारा विधिक स्वयंसेवक की सेवा शर्तें

प्रत्येक जन सेवा केन्द्र में महीने के दस दिन एक प्रशिक्षित पारा विधिक स्वयंसेवक (महिला) उपस्थित रहेगी। उसे सालसा के द्वारा एकमुस्त रकम 2000 उसकी सेवा के लिए दिया जाएगा। जन सेवा केन्द्र के पारा विधिक स्वयंसेवक हाशिए पर रह रहे आवेदकों के लिए संपर्क के प्रथम बिन्दू पर रहेंगे। वे समस्या सुनेंगी तथा उपयुक्त सुझाव देंगी। वे जन सेवा केन्द्र में आवेदक को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए वकील से संपर्क करने में मदद करेंगी। वे आवेदकों के वादों/समस्याओं पर निगरानी रखेंगी तथा उसका एक अभिलेख रखेंगी। वे अपने द्वारा रख–रखाव किए जाने वाले अभिलेख को प्रत्येक सप्ताह जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सौपेंगी।

5. हाशिए पर के लोगों को कानूनी सलाह देने के लिए वकीलों का एक पैनल तैयार करना–

नालसा के द्वारा 5–10 वकीलों का पैनल तैयार किया जाएगा जो राज्यों की राजधानियों में बैठेंगे तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए जन सेवा केन्द्र में आवेदकों को कानूनी सलाह/मशवरा देंगे। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवेदक मामूली रकम 30 रूपया प्रति सलाह पर अपने वाद (केश) की वकील से सलाह ले सकते हैं जो कि ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को जन सेवा केन्द्र के उपयोग करने के लिए अदा की जाएगी। कानूनी

सलाह के लिए उपलब्ध वकीलों को नालसा/विधि (न्याय) विभाग के द्वारा पारिश्रमिक दिया जाएगा। आवेदक को यह सुविधा लेने के लिए अपना आधार या अन्य उपयुक्त कागजात दिखलाना होगा। यहां यह जिक्र करना उपयुक्त होगा कि टेली विधिक सेवाओं को जन सेवा केन्द्र में उपलब्ध अन्य सेवाओं के समतुल्य बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि 30 रूपया का एक नाममात्र का शुल्क लिया जाए। यह ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को टेली कानूनी सेवा को जन सेवा केन्द्रों में अन्य सेवाओं के साथ-साथ प्रचार के लिए प्रोत्साहित करेगा।

6. टेली कानून का निगरानी एवं मूल्यांकनः-

उपरोक्त सेवाओं के उचित निगरानी एवं उनके दुरूपयोग की रोकथाम के लिए, ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को उन व्यक्तियों की सूची तैयार करनी होगी जो इस सेवा का लाभ उठा चुके, जन सेवा केन्द्र में प्रत्येक सत्र की विस्तृत जानकारी अपलोड करना, आवेदक के द्वारा की गई कार्यवाही/या आवेदक को प्रदान करने वाली सेवा का लाभ। इन जानकारियों को सत्र के एक दिन के अन्दर अपलोड किया जाएगा।

7. जन सेवा केन्द्र- ई0 शासन की भूमिका

जन सेवा केन्द्र में विधिक सहायता सेवाओं के लिए एक उपयुक्त/सुविधाजनक ध रातल की रचना का आरंभ किया जाएगा। जन सेवा केन्द्र दो राज्यों में पूरी योजना को तकनीकी आधार प्रदान करेगा। आगे, एक ऑनलाईन निगरानी तंत्र की रचना की जाएगी जो नालसा, सालसा, न्याय विभाग को योजना की निगरानी के लिए योग्य बनाए।

8. एल0एस0ए0 (विधिक सेवा गतिविधि) गतिविधियों का सी0एस0सी0 के जरीए विस्तार

डालसा/सालसा के द्वारा हाशिए पर के समुदायों को प्रदान करने वाली सेवाओं की प्राप्ति की सुगमता-विधिक साक्षरता शिविरों, लोक अदालतों, अदालती आदेशों की प्रति/निर्णय को जन सेवा केन्द्र के माध्यम से हाशिए पर के समुदायों को प्रदान की जाएगी। जन सेवा केन्द्र का उपयोग डालसा/सालसा के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे विधिक जागरूकता शिविरों एवं लोक अदालतों का वृहत प्रचार करने में हो सकता है।

9. टेली कॉलर की सुविधाः-

मुवक्किलों से टेली विधिक सेवा का प्रभाव जानने के लिए दो टेली कॉलर्स की सेवा

भाड़े पर ली जाएगी, जो मुवक्किलों को फोन करके सेवाओं/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछताछ करेंगे तथा उनकी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे।

10. नालसा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न्याय विभाग के बीच सामन्जस्य

इस परियोजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु नालसा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा न्याय विभाग के बीच निकट सामन्जस्य होना जरूरी है। इन संस्थाओं/निकायों के बीच एक समझौते का दस्तावेज (एम0ओ0यू0) होना चाहिए जिसमें उनके कार्य, आर्थिक उत्तरदायित्व, दूसरों के प्रति का, स्पष्ट भूमिका हो। एकबार उपरोक्त खर्च बंटवारा तथा मानदण्ड योजना का मतैक्य बन जाने पर, ए02जे0 परियोजना प्रबंधन दल, एम0ओ0यू0 के मसौदा तथा कार्यान्वयन की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलेगी।

11. राज्य स्तर पर एक दिन का आरंभ (योजना का) अवसर मनाया जाएगा जिसमें चुने हुए ग्रामीण स्तर के उद्यमी एवं पारा विधिक स्वयंसेवक आमंत्रित किए जाएगें। एम0यु0, नालसा, न्यायिक सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

❑❑❑

2.
पारा विधिक स्वयंसेवकों का स्त्रोत

नालसा की पारा विधिक स्वयंसेवकों की योजना (संशोधित) के अनुसार :

समूह जिनमें से पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन किया जा सकता है ?

- शिक्षकों (सेवानिवृत शिक्षकों समेत)
- सेवानिवृत सरकारी सेवक तथा वरिष्ठ नागरिक
- सामाजिक कार्य विषय के स्नातकोत्तर के छात्र एवं शिक्षक
- आँगनबाड़ी सेवक
- चिकित्सक
- छात्र एवं विधि छात्र (उनके अधिवक्ता के रूप में नामवाली होने तक)
- गैर-राजनैतिक सेवा उन्मुख एनजीओओ तथा क्लब
- महिला पड़ोस समूहों, मैत्री संगमों तथा अन्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्य हाशिए पर के/भेद्य समूहों सहित।
- कारा में सजा काट रहे शिक्षित एवं अच्छे व्यवहार वाले कैदी
- कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे विधिक सेवा प्राधिकार समिति पीएलभी के रूप में चिन्हित करें।

❑❑❑

3.
पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन

नालसा की पारा विधिक स्वयंसेवकों की योजना के अनुसार :

जिला स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन

पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति के द्वारा की जाएगी। सचिव समिति के एक सदस्य के तौर पर होंगे। समिति सभी तीन सदस्यों युक्त अध्यक्ष सहित होगी तथा सचिव समिति के एक सदस्य के तौर पर होंगे। तीसरे सदस्य की नियुक्ति डालसा अध्यक्ष की मरजी से होगी, जो उपयुक्त व्यक्ति की पहचान पीएलभी के रूप में प्रशिक्षण के लिए कर सके। चयन प्रक्रिया किसी दूसरे निकाय को नहीं दिया जाएगा।

पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन - तालुक स्तर पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें डालसा के अध्यक्ष, सचिव, तालसों (तालुक विधिक सेवा प्राधिकार) के अध्यक्ष तथा डालसा अध्यक्ष के मरजी से एक चौथा व्यक्ति होंगे। तालुक स्तर के पारा विधिक स्वयंसेवकों का साक्षात्कार का स्थल डालसा अध्यक्ष की मरजी पर होगा। डालसा के सचिव चयन प्रक्रिया का समन्वय करेंगे।

सूचीबद्ध की प्रक्रिया

स्थानीय निवासियों से उनके डालसाओं और तालसाओं या अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकारों द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर विज्ञापन भी दिया जा सकता है। आवेदन की मांग के विज्ञापन या सूचना की प्रति अधिवक्ता संघ, न्यायालय परिसर के सूचना पट, विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालयों तथा पंचायत कार्यालयों को भेजा जा सकता है। विज्ञापनों में पीएलभियों की चयन के लिए आवश्यक अहर्ताएं निहित होनी चाहिए डालसा कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि सहित। आवेदन पर एक ऐसा कॉलम होना चाहिए, जिसमें आवेदकों को जिला-स्तर, तालुक-स्तर या ग्राम-स्तर पर कार्य करने की इच्छा या वरीयता दर्शाना हो। विज्ञान पर यह स्पष्ट वर्णन होना चाहिए कि पीएलभियों के कार्य के लिए कोई वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा तय किए गए मानदेय के अलावे नहीं होता है।

चयन प्रक्रिया

चयन समिति को अपने विवेक के उपयोग का अधिकार होगा प्राप्त आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों की संख्या निर्धारित करने में पीएलवी के चयन में महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए। उपयुक्त आवेदकों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ी जातियों की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए।

❑❑❑

4.
पारा विधिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

पारा विधिक स्वयंसेवकों की नालसा की योजना के अनुसार :

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में सदस्य सचिव के पूर्ण नियंत्रण में पीएलभियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई सुविधाजनक स्थल पर आयोजित किया जाएगा, डालसा के अध्यक्ष के विवेक के अनुसार। पीएलभियों की प्रशिक्षण की संख्या एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी दिए गए समय में 50 से अधिक नहीं होगी। जहाँ राज्य के न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण की सुविधा है, उस का लाभ लिया जा सकता है। प्रशिक्षण के लिए खर्चों का वहन न्यायिक अकादमी के द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकार/डालसा सुविधा प्रदान करने के लिए करेगी।

प्रशिक्षक/संसाधान व्यक्ति

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से विमर्श कर डालसा अध्यक्ष पीएलभियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों एवं अन्य संसाधन व्यक्ति का चयन करेंगे।
- अधिवक्ता संघ के प्रशिक्षण में प्रवीण उपयुक्त सदस्यों को संसाधन व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
- अन्य को भी शामिल किया जा सकता है।
- विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े एनजीओ, जैसे, वैसे व्यक्ति जो विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य की प्रकृति से उजागर हो।
- मध्यस्था के उस्ताद प्रशिक्षक।
- विधि महाविद्यालयों के विधि शिक्षक।
- विधि स्नातकोत्तर के छात्र।
- सेवानिवृत्त विधि आचार्य।
- सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी।
- कर पदाधिकारी।
- सामाजिक कल्याण विभाग।
- पुलिस पदाधिकारी।

- मनचिकित्सक / मनोविज्ञानी / मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ।

प्रशिक्षण की प्रकृति

पीएलभियों को प्रशिक्षण नालसा के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान किया जाएगा तथा निम्नलिखित प्रारूप में होगा :

क) उन्मुखीकरण (ओरियनटेसन) कार्यक्रम

ख) मौलिक प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग)

ग) रिफ्रेशर (पुनश्चर्या) पाठ्यक्रम

पीएलभी के द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता के आकलन के लिए आवधिक रिफ्रेशर (पुनश्चर्या) प्रशिक्षण होगा। विधिक सेवा प्राधिकारों को पीएलभी के कार्यों का आकलन करना जरूरी होगा एवं उन्हें अपने क्षेत्रों के अनुभव के पश्चात् उनके खामियों को पहचानने एवं समस्याओं को सामना करने में सहयोग करना होगा। पीएलभी का एक वार्षिक समागम अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए होगा। पीएलभियों का पाठ्यक्रम के अनुसार जिलावार अर्द्धवार्षिक बैठक होनी चाहिए उनके शंकाओं के समाधान के लिए तथा उनके ज्ञान प्राप्ति तथा कौशल को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए। पीएलभियों के नागरिकों को लोक अदालत के माध्यम से लंबित वादों के समझौतों के लाभों के प्रति जागरूक बनाना होगा यह तथ्य सहित कि पक्षकार न्यायालय शुल्क वापसी का अधिकारी है तथा कि कोई अपील नहीं होगी।

प्रशिक्षण का विषय

नालसा के द्वारा पीएलभी के प्रशिक्षण के लिए एक सामान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार की जाएगी जो पूरे देश में लागू होगी तथा पाठ्यक्रम में पीएलभी के आचरण एवं व्यवहार पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस तरह से तैयार की गई पाठ्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

परिचय पत्र

..... STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Para-Legal volurteer registration number —— (
Name:
Father I Husband Name:
Village I Town:

Signature of
Para Legal Volunteer

Signature of Secreta
D.L.S.A.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रशिक्षण समाप्त हो जाने पर, पीएलभी के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने की घोषणा के पूर्व पीएलभियों को लिखित एवं मौखिक परीक्षा देनी होगी। सफल घोषित होने पर उन्हें परिचय पत्र दिया जाएगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार का चिन्ह होगा।

परिचय पत्र पर (1) क्रमांक संख्या, (2) पीएलभी का नाम तथा पता, (3) पीएलभी का संपर्क नम्बर, (4) पीएलभी का तस्वीर, (5) परिचय पत्र के जारी करने की तिथि तथा वैद्यता की अवधि होगी। परिचय पत्र के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट रूप से परिचय पत्र के खो जाने तथा पाए जाने की अवस्था में निकटतम पुलिस थाने में सूचित किए जाने का उल्लेख हो। परिचय पत्र का उपयोग बस तथा कोई भी परिवहन के साधनों में यात्रा रियायत लेने में नहीं किया जाएगा। परिचय पत्र धारक द्वारा किसी भी सरकारी लाभ या ऋण लेने में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

परिचय पत्र की वैद्यता

परिचय पत्र की वैद्यता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। पीएलभियों को नया परिचय पत्र जारी तभी किया जाएगा, जब जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष उसे पीएलभी के रूप में एक वर्ष से अधिक कार्य करना जारी रखने के योग्य समझते हों।

पीएलभी के लिए गुरू/मार्गदर्शक

डालसा एवं नालसा गुरूओं/मार्गदर्शकों की एक सूची रखेगी जिन्हें पीएलभी अपने पीएलभी के कर्तव्यों के निर्वाहन के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के समय संपर्क कर सकें। एक सलाहकार पर दस पीएलभी से अधिक नहीं होगा।

मासिक प्रतिवेदन

डालसा द्वारा सालसा को मौजूदा पीएलभियों, नए भर्ती किए गए पीएलभी तथा पीएलभियों को दिए गए प्रशिक्षण का मासिक प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। डालसा को प्रत्येक माह की प्रशिक्षित हुए पीएलभी की संख्या लगे संसाधन व्यक्तियों, हुए खर्चों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, अगर कोई किया गया हो, की संकलित प्रतिवेदन माह के 15वें दिन नालसा को समर्पित करना होगा। नालसा के द्वारा प्रतिवेदन की प्रति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित पारा विधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण एवं विधिक सहायता गतिविधियों की राष्ट्रीय समिति को भेजी जाएगी। सालसा – नालसा को जिलावार पीएलवी की गतिविधियों का विशेषत: भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, दिए गए सुझावों की प्रकृति तथा की गई कार्यवाही का संकलित प्रतिवेदन सौंपेगी।

पारा विधिक स्वयंसेवक की पोशाक

❑❑❑

5.
पारा विधिक स्वयंसेवक का डाटाबेस

पारा विधिक स्वयंसेवक की नालसा योजना के अनुसार :

जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिलों में पारा विधिक स्वयंसेवकों का डाटा आधार का रख-रखाव।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार पारा विधिक स्वयंसेवकों का एक डायरेक्टरी (विवरणी) का रखरखाव करेगी तथा उसका समय-समय पर सुधार करेगी। डायरेक्टरी (विवरणी) में जिलावार पारा विधिक स्वयंसेवकों का नाम, उनका पता, दूरभाष / मोबाईल फोन नम्बर, ई0 मेल आई.डी. नम्बर, जारी परिचय पत्र की समाप्ति की तिथि का विवरण होगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राज्य के सभी पारा विधिक स्वयंसेवकों डाटाबेस रखेगी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पारा विधिक स्वयंसेवकों का एक डायरेक्टरी (विवरणी) का रखरखाव करेगी तथा उसका समय-समय पर सुधार करेगी। डायरेक्टरी (विवरणी) में जिलावार पारा विधिक स्वयंसेवकों का नाम, उनका पता, दूरभाष / मोबाईल फोन नम्बर, ई0 मेल आई.डी. नम्बर, जारी परिचय पत्र की समाप्ति की तिथि का विवरण होगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पारा विधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण एवं विधिक सहायता गतिविधियों के भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय समिति के समन्वय के साथ कार्य करेगी।

राज्य, जिला एवं तालुक स्तर के विधिक सेवा प्राधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा स्थापित पारा विधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण एवं विधिक गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय समिति से समन्वय के साथ कार्य करेंगे। पारा विधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण एवं विधिक गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया निर्देश, यदि कोई, देश के सभी विधिक सेवा संस्थानों पर लागू होंगें।

सालसा की मासिक प्रतिवेदन

प्रत्येक डालसा / अनु.लसा. को पीएलभी का डाटा सालसा को निर्धारित प्रारूप में देना होगा।

❑❑❑

6.
पारा विधिक स्वयंसेवक के कार्य

नालसा का विनियमन-10 (विधिक सेवा केन्द्र) विनियमन 2011 के अनुसारः

पारा विधिक स्वयंसेवक के विधिक सेवा केन्द्र में कार्य :

1) विधिक सहायता केन्द्र में लगे पारा विधिक स्वयंसेवक, विधिक सहायता चाहने वालों को आरंभिक सलाह देंगे, उनकी मदद करेंगे, विशेषकर अशिक्षितों को, आवेदन, प्रतिनिधित्व आवेदन, नोटिस लिखने / तैयार करने में तथा सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों के लिए आवेदन फार्म भरने में।

2) पारा विधिक स्वयंसेवक, यदि जरूरी हो, विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों के साथ सरकारी कार्यालय जाएंगे पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए तथा ऐसे व्यक्तियों के समस्या का समाधान करने के लिए।

3) विधिक सहायता केन्द्र में यदि अधिवक्ता की आवश्यकता पड़े, तो पारा विधिक स्वयंसेवक, बिना विलंब किए, निकटतम विधिक सेवा संस्थान से संपर्क करेगा, अधिवक्ता की सेवा उपलब्ध करवाने के लिए।

4) पारा विधिक स्वयंसेवक विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों के विधिक शिक्षा एवं साक्षरता के लिए पर्चे तथा अन्य सामग्रियों का वितरण करेंगे।

5) पारा विधिक स्वयंसेवक विधिक सहायता केन्द्र के स्थानीय क्षेत्र में विधिक सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों में सक्रिय भाग लेंगे।

झालसा परिपत्र (पत्रांक संख्या 1932 दिनांक 17.3.15) के अनुसार :

1) जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना लोगों को उनके विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा विधिक सहायता पाने के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए।

2) गुमशुदा बच्चों या बाल तस्करी से पीड़ित परिवार की सहायता करना डालसा के माध्यम से बच्चे के प्राप्ति एवं पुर्नवास के लिए।

3) कार्यक्रम आयोजित करना लोगों को मध्यस्था, समझौता तथा स्थायी लोक अदालत के लाभ के बारे में जागरूक करने के लिए।

4) अपराध के पीड़ित को झारखण्ड राज्य मुआवजा योजना के तहत मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जाने में सहायता करना।

5) लोगों को सरकारी लाभदायी योजनाओं के लाभ लेने में सहायता करने में।

6) डालसा के कार्यक्रमों में भाग लेना।

7) विधिक सहायता के लिए लोगों की डालसा रेफर करना।

8) विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेना।

9) जेल, अस्पताल, संप्रेक्षण गृह, सुधार गृह, सरकारी कार्यालयों में विधिक सेवा गतिविधियों के संदर्भ में जाना।

10) इलाके में पारिवारिक विवाद एवं अन्य विवाद को सुलझाना।

11) दैनिक गतिविधियों का अभिलेख रखना।

12) गतिविधियों के अभिलेख को प्रत्येक माह डालसा में समर्पित करना।

13) विधिक सेवा, सरकारी लाभदायक योजनाओं सामग्रियों साथ ही नालसा एवं झालसा के द्वारा महत्वपूर्ण कानूनों पर प्रकाशित विधिक साक्षरता साहित्यों का वितरण करना।

14) डालसा को बाल अधिकारों के हनन, सांप्रदायिक सौहार्द्र तथा नक्सल हिंसा के बारे में जानकारी देना।

15) स्वयं की इलाके में पहचान बनाना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना ताकि लोगों को उनके पास विधिक सहायता के लिए जाने में स्वतंत्रता का अनुभव हो।

❑❑❑

7.
पारा विधिक स्वयंसेवक के द्वारा पंजी का रख–रखाव

नालसा की पारा विधिक स्वयंसेवकों की योजना के अनुसार :-

पारा विधिक स्वयंसेवक के द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के संदर्भ में दिशा-निर्देश :

1) आगन्तुक खाता (डालसा के द्वारा आपूर्ति किया गया तथा प्रत्येक विधिक सहायता केन्द्रों में रखा हुआ)।

2) पीएलभी पंजी (जिसमें विधिक सहायता केन्द्र में आए व्यक्तियों से संबंधित विवरण, पते एवं संपर्क नम्बर तथा परिवाद की प्रकृति संक्षिप्त तत्थों, दिए गए विधिक सहायता का प्रकार हो)।

3) शिकायत / सुझाव पेटी प्रत्येक विधिक सहायता केन्द्र में रखा जाएगा, जिसे प्रत्येक सप्ताह में एक दिन डालसा सचिव के द्वारा स्वयं खोला जाएगा तथा डालसा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा की गई कार्यवाही की प्रति झालसा को भी भेजी जाएगी।

4) प्रत्येक अभिलेख मूल रूप में डालसा में संरक्षित रखा जाएगा।

5) पारिश्रमिक के भुगतान संबंधित प्रत्येक अभिलेख लेखा परीक्षा होने तक संरक्षित रखा जाएगा।

नालसा विनियमन-20 (विधिक सेवा केन्द्र) विनियमन, 2011 के अनुसार :

अभिलेखों एवं पंजियों का रख रखाव :-

1) विधिक सहायता केन्द्र में सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ता एवं पारा-विधिक स्वयंसेवक अपनी हाजरी (उपस्थिति) विधिक सहायता केन्द्र में रखे खाते में दर्ज करना होगा।

2) प्रत्येक विधिक सहायता केन्द्र में एक खाता होगा जिसमें विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, अधिवक्ता या पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम जो विधिक सहायता केन्द्र में सेवा देते है, दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, अधिवक्ता या पारा विधिक स्वयंसेवक के टिप्पणियों, विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों का हस्ताक्षर सहित दर्ज होगा।

3) विधिक सहायता केन्द्रों के अभिलेखों पर नियंत्रण विधिक सेवा संस्थाओं के अध्यक्ष या सचिव जिनका उनपर क्षेत्राधिकार हो, का होगा।

4) जिला विधिक प्राधिकार जैसी आवश्यकता हो, विधिक सहायता केन्द्र में अन्य खाते भी रख सकता है।

5) विधिक सहायता केन्द्र के पारा विधिक स्वयंसेवक एवं अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वे खातों को विधिक सेवा संस्था जिनपर उनका क्षेत्राधिकार हो, को जैसे तथा जब देने को कहा जाए, सौंपेगा।

❑❑❑

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : भिखारी उराँव
(गुमला जिला विधिक सेवा प्राधिकार)

किए गए कार्य संक्षिप्त में : उसने अनाथ बच्चों जिनके माता-पिता की हत्या 2014 में हो गई थी, की पहचान की। उनके सौतेले भाई जिनके चार नाबालिग बच्चे देखभाल के लिए थे, रिक्शा चालक थे।

वह इन तीन अनाथ बच्चों के देखरेख में असमर्थ था। पारा विधिक स्वयंसेवक भिखारी उराँव इस मामले को गंभीरता से लिया। उसने औपचारिकता एवं कागजात पुरा कर जिला विधिक सेवा के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बच्चों का कानूनी अभिभावक बनाया गया। 23.01.2016 को बच्चों की माननीय न्यायूर्ति ए.आर.दवे के हाथों दो लाख रूपया क्षतिपूर्ति दी गई तथा बच्चों को गुमला में आवासीय विद्यालय में दाखिल किया गया।

नालसा की एक डॉक्युमेन्टरी इस कहानी पर आधारित है।

8. पारा विधिक स्वयंसेवक के किए कार्यों की निगरानी व्यवस्था

झालसा परिपत्र (पत्रांक सं0 1932 दिनांक 17.3.15) के अनुसार :

पारा विधिक स्वयंसेवक के लिए पर्यवेक्षण, पद्धति का डालसा द्वारा दिशा निर्देश, गुणात्मक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए :

1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक सहायता केन्द्र पंचायत स्तर / अनुमण्डलीय स्तर / पुलिस थानों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों तथा फ्रोंट (अग्रिम) कार्यालयों में तैनात पीएलभी रख-रखाव करें :
   - क) आगन्तुक खाता (जिसमें नाम, पता, मोबाईल नं0, अगर संभव हो आगन्तुक के हस्ताक्षर के साथ दर्ज हो)।
   - ख) एक पीएलभी खाता (जिसमें उपरोक्त विवरण के अलावे, संक्षेप में आने का उद्देश्य तथा आवश्यक सहायता का प्रकार) साथ ही दी गई सहायता दर्ज किया जाएगा।
2) पीएलभी के द्वारा प्रत्येक मास में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।
3) डालसा सचिव के स्तर पर निगरानी (प्रत्येक मास एक बार) तथा डालसा अध्यक्ष को प्रतिवेदन देना झालसा को प्रति के साथ।
4) सर्वोपरि डालसा अध्यक्ष के द्वारा निगरानी, रिटेनर अधिवक्ता, डालसा सचिव साथ ही साथ स्वतंत्र श्रोतों से आगत जानकारियों के माध्यम से।
5) विधिक रिटेनर स्तर एवं सचिव डालसा के स्तर से गुणात्मक सेवा के लिए लाभुकों से निरूद्देश्यता से प्रति जाँच की व्यवस्था।

पारा विधिक स्वयंसेवका के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जाँच तंत्र के संबंध में दिशा-निर्देश :

1) लाभुकों से निरूद्देश्यता से प्रति जाँच गुणात्मक कार्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
2) रिटेनर अधिवक्ता के द्वारा पीएलभी के द्वारा दर्शाए गए लाभुकों का निरूद्देश्यता से प्रति जाँच करना एवं उसका प्रतिवेदन डालसा को समर्पित करना।
3) पर्यवेक्षण तंत्र सर्वोपरि अध्यक्ष, डालसा के नियंत्रण में होगा।
4) प्रति-जाँच तंत्र पीएलभी के पारिश्रमिक साथ ही पीएलभी के कार्य की सराहना एवं पुरस्कार का आधार होगा।

❑❑❑

9. पारा विधिक स्वयंसेवक के मानदेय

नालसा के विनियमन 17 (विधिक सहायता केन्द्र) विनियमन, 2011 के अनुसार :

विधिक सेवा केन्द्रों में सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक

1) आर्थिक श्रोतों के उपलब्धता की दशा में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार से विचार कर विधिक सहायता केन्द्रों में लगे अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों का मानदेय तय करेगी।

   बशर्ते ऐसा मानदेय अधिवक्ता के लिए 500 रूपया प्रतिदिन तथा परा विधिक स्वयंसेवकों के लिए 250 रू0 प्रतिदिन से कम न हो।

2) विशेष ध्यान वैसे मामलों में दिया जाएगा जहाँ विधिक सहायता केन्द्र कठिन भूभागों तथा दूरस्थ स्थलों में स्थित हो जहाँ परिवहन सुविधा की कमी हो।

नालसा की पारा विधिक स्वयंसेवक योजना (संशोधित) के अनुसार :-

विधिक सेवा केन्द्रों एवं फ्रोंट कार्यालयों में सेवा प्रदान करने वाले पीएलभियों का मानदेय।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार से विचार कर विधिक सहायता केन्द्रों में लगे पीएलभियों का मानदेय तय करेगी। हालाँकि, ऐसा मानदेय उन सबों के लिए जो किसी एक दिन सेवा प्रदान किए हों, 250 रूपया प्रतिदिन से कम न होगा।

पीएलभी जो विधिक सहायता आवेदकों को सुदूर गाँवों से तालुक / जिला स्तर के विधिक सेवा संस्थानों में तथा जिला एडीआर (वैकल्पिक विवााद समाधान) केन्द्रों में लाते हैं, वे भी ऐसे दिन के लिए समान दर पर मानदेय पाने के हकदार होंगे

वे पीएलभी भी, प्रमाणित होने पर, मानदेय के हकदार होंगे जो किसी खास दिन व्यक्तियों को पीएलभी कार्य के सिलसिले में सहायता करता है वैसे व्यक्तियों के साथ विभिन्न कार्यालयों एवं न्यायालयों में जाकर।

झालसा परिपत्र (पत्रांक सं0 1932 दिनांक 17.3.15)

पारा विधिक स्वयंसेवकों के मानदेय के भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश :-

1) प्रत्येक डालसा का कर्तव्य होगा कि पीएलभी के मानदेय का समय पर भुगतान करें।

2) पीएलभी को मानदेय के भुगतान के लिए निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना होगा।

   क) पीएलभी के द्वारा लाभुकों का पूर्ण विवरण के साथ लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा जिसपर लाभुक तथा साथ ही रिटेनर अधिवक्ता का हस्ताक्षर हो।

   ख) पीएलभी के द्वारा किए गए कार्यों पर रिटेनर अधिवक्ता का प्रतिवेदन।

   ग) सचिव, डालसा स्तर पर प्रति जाँच, जिसमें वे पीएलभी के किए गए कार्यों की जाँच के लिए निरूद्देश्यता से कुछ लाभुकों का चयन करेंगे।

3) अध्यक्ष, डालसा के स्तर पर मानदेय के भुगतान का अंतिम आदेश पीएलभी के किए गए कार्य से संतुष्ट होने के पश्चात् दिया जाएगा।

4) वर्तमान में पीएलभी को मानदेय का भुगतान नालसा निधि से होता है।

❑❑❑

10.
पारा विधिक स्वयंसेवक का पंचायत विधिक सेवा केन्द्र भ्रमण–संबंधी दिशानिर्देश

राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों का 13वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के अनुसार :

सालसों का राँची में हुए 13वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि पीएलभी केन्द्रों (ग्राम या समुदाय) में कम से कम सप्ताह में दो बार जैसे बुधवार और रविवारों को जाएंगें। विधिक सेवाओं के पैनल (सूचीबद्ध) अधिवक्ता भी पीएलभी के साथ जाएंगें।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों का 13वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन में पारा विधिक स्वयंसेवकों के संदर्भ में संकल्प :

- पीएलभी केन्द्रों (ग्राम या समुदाय) में कम से कम दो बार जाएंगे जैसे बुधवारों तथा रविवारों को।
- विधिक सेवा के पैनल के अधिवक्ता भी पीएलभी के साथ जाएंगें।
- सालसा पीएलभियों के जाने का कैलेण्डर अग्रिम में तैयार करेगा ताकि सभी हितधारक विशेषकर लाभुक अग्रिम में पीएलभी के किसी खास क्षेत्र या केन्द्र में आने की खबर जान सकें।
- विधिक सेवा केन्द्रों को गतिविधि की निगरानी की महती आवश्यकता है तथा गैर उत्पादक केन्द्र बंद होना चाहिए या किसी दूसरी जगहों पर स्थानांतरित होना चाहिए।

❑❑❑

11.
कारा में पारा विधिक स्वयंसेवक एवं उनके कर्तव्य

नालसा की पारा विधिक स्वयंसेवकों की योजना (संशोधित) के अनुसार :

जेल में पारा विधिक स्वयंसेवक

केन्द्रीय कारा तथा जिला कारा में लंबी सजा काट रहे शिक्षित एवं अच्छे व्यवहार वाले कैदी का पारा विधिक स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा।

भुगतान

वे पीएलभी के रूप में सेवा देने के लिए अन्य पीएलभियों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक के दर पर भुगतान के हकदार होंगे।

कारा में पारा विधिक स्वयंसेवकों का कर्तव्य

1) चुंकि कारा में पीएलभी वे कैदी होते हैं जो लंबी सजा काट रहे हैं, इसलिए उन्हें दूसरे कैदियों के विधिक-आवश्यकता की जानकारी होती है तथा उन्हें विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सहायता/सेवा की आवश्यकता वाले कैदियों के बीच सेतु का कार्य करना होगा।

2) वे कैदियों को डालसा के द्वारा कैदियों को उपलब्ध मुफ्त विधिक सहायता के संदर्भ में लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में जागरूक करेंगे।

3) वे डालसा को सभी कैदियों को आवश्यक विधिक सहायता के बारे में डालसा के बचाव पैनल से अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी देंगे।

4) वे डालसा से विधिक सहायता चाहने वाले कैदियों की ओर से आवेदन लिखेंगे।

5) वे संबंधित कारा से कैदियों/विचाराधीन कैदियों के द्वारा कारा में बिताए अवधि तथा अपराध की प्रकृति का पता लगाएंगे तथा डालसा को, उन विचाराधीन कैदियों जो द0प्र0स0 की धारा 436ए के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हों, की जानकारी देंगे।

6) वे डालसा को कैदियों की ओर से अपील/रिविसन दायर करने के संदर्भ में सूचना देंगे।

7) वे डालसा को वैसे कैदी जिन्हें जमानत मिल चुकी है पर जमानतदारों की अनुपलब्धता के कारण कारा में ही संसमित हों, के बारे में सूचित करेंगे।

8) वे कारा के अन्दर कानून के उल्लंघन या अन्याय के कार्यों पर लगातार नजर रखेंगे तथा इसकी सूचना तुरंत डालसा को प्रभावी उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए करेंगे।

9) जब कोई नया कैदी कारा के अन्दर आता है, तो पीएलभी का यह कर्तव्य होता है कि उसके साथ बातचीत करे तथा यह अवगत हो ले कि क्या उसका कोई अधिवक्ता है या नहीं तथा इसकी सूचना डालसा को दें।

10) ऐसे मामलों में जब कोई कैदी उसकी तरफ से माननीय न्यायालय में अपील दायर करने को कहता है, पीएलभी का यह कर्तव्य है कि उसकी ओर से दायर किए गए अपील का नम्बर (संख्या) पता करे तथा अगर वैसे कैदी के द्वारा ऐसा कोई नम्बर नहीं दिया जाता है तो उन्हें ऐसे मामले को डालसा को सूचित करना होगा।

11) पीएलभियों कैदियों के बीच लोक अदालतों, मध्यस्थता, सुलह, विवाचन, परक्रामण तथा न्यायिक समझौता के द्वारा विवादों का निपटारा के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।

12) पीएलभी ऐसे विचाराधीन कैदी के बारे में सूचित करेंगे जो ऐसे अपराध के तहत कारा में संसमित हों जो सुलहनीय प्रकृति का हो, ताकि उनके मामलों का पैनल अधिवक्ता के सहायता से सुलह हो सके।

13) पीएलभी डालसा/अन.वि.से.प्रा. की तरफ से कारा में विधिक जागरूकता शिविर लगाने में कारा प्राधिकारी की सहायता करेंगे।

14) ऐसे पीएलभी अन्य कैदियों को उच्च अदालतों में जमानत याचिका दायर करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करेंगे अगर उनका जमानत याचिका एक न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया हो तथा यह कि इसके लिए वे निशुल्क विधिक सहायता के हकदार है।

15) ऐसे पीएलभी को अन्य कैदियों को उच्च अदालतों में अपील/रिविजन दायर करने के अधिकार के बारे में सूचित करना होगा अगर उसे निचली अदालत के द्वारा सजा किया गया हो तथा यह कि इसके लिए वह नि:शुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार है।

16) ऐसे पीएलभियों को उनके जेल कैदी के रूप में उनके मूल अधिकार के बारे में बतलाया जाएगा ताकि वे दूसरे कैदियों को इसके बारे में जागरूक कर सके।

❑❑❑

12.
पारा विधिक स्वयंसेवक की थाने में तैनाती तथा उनके कर्तव्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्लू.पी.(सी) संख्या 75/2012 (बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत गणराज्य) में 10.5.2013 को आदेश के तत्वावधान में थानों में पारा विधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है जिनके कर्तव्य है :

- पारा विधिक स्वयंसेवक तथा संबंधित थाना एक-दूसरे से सभी लापता बच्चों के बारे में जानकारी साझा करेंगे।
- पारा विधिक स्वयंसेवक एवं थाना आपसी सामन्जस्य से काम करेंगे तथा लापता बच्चों को ढूँढ़ निकालेंगे और उनके परिवार से बच्चों को मिला देंगे।
- पारा विधिक स्वयंसेवक जिले के जेजेबी, सीडब्लूसी, संप्रेक्षण गृह, आश्रयगृह, विशेषगृह आदि की पूरी जानकारी रखेंगे एवं उपयुक्त प्राधिकार को तत्काल सूचित करेंगे।
- पारा विधिक स्वयंसेवक थानों में तैनात बाल कल्याण पदाधिकारी तथा विशेष जुवेनाइल पुलिस यूनिट के मोबाइल नं0 को रखेंगे ताकि समय पर सूचना दी जा सके एवं मदद मांगी जा सके।
- पारा विधिक स्वयंसेवकों की एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तक निर्बाध पहुंच होगी ताकि सम्यक् समन्वय से काम हो।
- झारखण्ड में 47 थानों में पारा विधिक स्वयंसेवक तैनात है जो एक एस.ओ.पी. के तहत काम करते हैं।

❑❑❑

13.

पारा विधिक स्वयंसेवक की मानसिक आरोग्यशाला में नियुक्ति तथा उनके कर्त्तव्य

- विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के धारा-12 के अनुसार विकलांगता (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम के धारा-2 (i) के तहत जो दिव्यांग हैं अथवा मानसिक अस्पताल या मानसिक नर्सिंग होम में भर्ती हैं वे मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवा प्राप्त करने से सुपात्र है।

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को मानसिक आरोग्यशाला अथवा संस्थान में विधिक सेवा केन्द्र खोलना जरूरी है जिसमें उन पारा विधिक स्वयंसेवक तथा पैनल लॉयर की तैनाती की जानी चाहिए जो सम्यक् रूप से संवेदनशील हैं।

मानसिक आरोग्यशाला संस्थान में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक के कर्त्तव्य :

(i) पारा विधिक स्वयंसेवक स्थानीय पुलिस थाना के सहयोग से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों- जो परित्यक्त हैं अथवा बेघर हैं या समुचित देख-रेख विहीन है - को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती करायेंगे। ऐसे व्यक्तियों का इलाज तथा पुनर्वास नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी मेंटल रिटारडेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 के धारा-13 के तहत बने स्थानीय समिति के साथ सामंस्य से किया जाएगा।

(ii) पारा विधिक स्वयंसेवक जागरूकता कार्यक्रम करके देखरेख विहीन मानसिक रूप से बीमार लोगों की पहचान सुनिश्चित करेंगे। उनके मानवाधिकारों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनायेंगे।

- पारा विधिक स्वयंसेवक वैसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे तथा विधिक सेवा संस्थान को सौपेंगे जिन्हें न्यायालय के रिसेप्शन आदेश के बाद मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराया गया है। ये स्वयंसेवक उनके इलाज एवं प्रगति पर नजर रखेंगे तथा विधिक सेवा संस्थान को अवगत करावेंगे।

- पारा विधिक स्वयंसेवक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती वैसे मरीजों की विमुक्ति हेतु आवेदन दिलाने में पैनल अधिवक्ता। रिटेनर अधिवक्ता की मदद लेंगे। यह आवेदन

विमुक्ति के लिए इच्छुक मरीजों के वास्ते धारा-18 के तहत तथा अनिच्छुक मरीजों के लिए धारा-19 के तहत दिया जायेगा।

- डिस्चार्ज हो चुके मरीजों की खैरियत की जांच पारा विधिक स्वयंसेवक करेंगे। जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा संस्थान उन व्यक्तियों की हरमुमकिन मदद करेंगे।
- पारा विधिक स्वयंसेवक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा-45 तथा 46 के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों को अस्पताल से छुट्टी लेने में मदद करेंगे तथा इस वास्ते आवेदन देने में विधिक सेवा संस्थान की मदद लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर धारा-49 के तहत अपील करने में भी पारा विधिक स्वयंसेवक मरीज की सहायता करेंगे।
- पारा विधिक स्वयंसेवक मानसिक आरोग्य संस्थान में भर्ती मरीजों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर बारीक एवं पैनी नजर रखेंगे। वे हर मानवाधिकार हनन की घटना की रिपोर्ट विधिक सेवा संस्थान को करेंगे जो इसकी सूचना आवश्यक रूप से माननीय उच्च न्यायालय को देंगे।
- पारा विधिक स्वयंसेवक पैनल लायर्स की मदद से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति तथा उनके परिवार की पूरी मदद करेंगे जिससे की मरीज के विधिक अभिभावक की नियुक्ति हो सके।
- पारा विधिक स्वयंसेवक मरीज एवं उनके परिजनों को जागरूक करेंगे कि मानसिक अस्वस्थता इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाती है। मरीज के परिजनों को यह अवगत कराया जायेगा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के संपति पर अधिकार को लेकर काफी सख्त कानून है तथा उसकी हिफाजत कैसे करनी है।
- विधिक सेवा संस्थान व्यक्तिगत अथवा संस्थागत जो भी सही हो उस तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के इलाज तथा पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।

❑❑❑

14.
पारा विधिक स्वयंसेवक की अयोग्यता एवं उन्हें हटाने की प्रक्रिया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पारा विधिक स्वयंसेवक योजना (संशोधित) में यह प्रावधान है :

पारा विधिक स्वयंसेवक की अयोग्यताएँ एवं उन्हें हटाने की प्रक्रिया

- पारा विधिक स्वयंसेवक अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा तथा उसे पैनल से हटा दिया जायेगा अगर:

(i) वह योजना के अमलीकरण में रूचि नहीं प्रदर्शित करता है।

(ii) वह दीवालिया घोषित कर दिया जाता है।

(iii) वह आपराधिक घटना में अभियुक्त बनाया जाता है।

(iv) वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से पारा विधिक स्वयंसेवक के रूप में काम करने में अक्षम हो जाता है।

(v) वह अपने पद अथवा स्थान का दुरूपयोग करता है जिससे उसका पद पर रहना जनहित में नही रहता है।

(vi) वह किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहता है।

उपरोक्त परिस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष, किसी पारा शिक्षक स्वयंसेवक को पूर्व सूचना देते हुए सम्यक जांचोपरांत पद से हटा सकते है। इस बात की सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को देनी आवश्यक है।

❑❑❑

15. पारा विधिक स्वयंसेवक पर नालसा के परिपत्र

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

यू. शरतचन्द्रन
सदस्य सचिव
U. SARATHCHANDRAN
B.Sc., M.P.A, LL.M., LL.M. (London)
(District & Sessions Judge)
Member Secretary

12/11, जाम नगर हाऊस
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
12/11, Jam Nagar House,
Shahjahan Road, New Delhi-110011
e-mail : nalsa1987@gmail.com
कार्या./Offi. : 23385720 (Direct)
मोबाइल/Cell : 9958299347
फैक्स/Fax : 23382121

Cell: 9968699347

F.No.L/40/2009/NALSA | 336
Dated: 19th April, 2010

To

The Member Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
"NYAYA SADAN"
Near AG Office, Doranda, Ranchi – 834002.

Sub: Launching of 'Para Legal Training and Legal Aid Activities' and Consultation at Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, Chennai on 25th April, 2010 at 12.15 PM.

Dear Shri Navneet Kumar,

The National Committee for Para Legal Training and Legal Aid Activities constituted by the Hon'ble Chief Justice of India under the Chairmanship of Hon'ble Mr. Justice P.Sathasivam, Judge, Supreme Court of India is launching the programme of Para Legal Training and Consultation at the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) on 25th April, 2010 at 12.15 PM. Hon'ble the Chief Justice of India will launch the programme and the function will be presided over by Dr. Veefappa Moily, Hon'ble Union Law Minister.

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman of National Legal Services Authority (NALSA) has directed me to request your goodself to attend the above programme and the Consultation Meeting to be followed after the launching ceremony on 25th April, 2010 at 12.15 PM at RGNIYD, Sriperumbudur, Chennai.

Due to paucity of time, I am furnishing a brief of the proposed programme at RGNIYD, Sriperumbudur, Chennai. 12.20 – 12.25 PM– Welcome Address; 12.25-12.30 PM – Lighting of lamp; 12.30 –Address by Vice President RGNIYD; 12.35 PM – Address by Vice-Chancellor, IGNOU; 12.40 PM – Address by Hon'ble Executive Chairman, TN State Legal Services Authority; 12.45 PM- Special Address by Hon'ble Chief Justice of Madras High Court; 12.55 PM – Keynote Address by Hon'ble Mr Justice P.Sathasivam, Judge, Supreme Court of India; 13.05-13.20 PM – Presidential Address by Dr. M.Veerapa Moily, Hon'ble Union Law Minister; 13.20 – 13.35 PM – Inauguration of the Programme by Hon'ble Mr. Justice K.G.Balakrishnan, the Chief Justice of India; 13.35 – 13.40 PM – Vote of Thanks by Prof. S.Sivakumar; 13.40 – 14.30 PM – Lunch; 14.30 – 16.30 PM- National Consultation Meet at Seminar Hall, RGNIYD.

You are requested to make arrangements for your travel and inform your travel plan immediately to the Member Secretary, Tamil Nadu State Legal Services Authority (TNSLSA) who will make arrangements for your stay and transport from Airport / Railway Station to the place of stay / venue. The contact details of the Member Secretary, Tamil Nadu State Legal Services Authority is given below:

Shri B.Gokuldas, Member Secretary, TNSLSA,
High Court Building, Chennai-600104
Mobile: 09444070601
Office: 044-25343353 & 25342834
Fax: 044-25342268
e-mail: tnslsa@dataone.in

Yours faithfully,

[U.SARATHCHANDRAN]

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

यू. शरतचन्द्रन
सदस्य सचिव
U. SARATHCHANDRAN
B.Sc., M.P.A; LL.M., LL.M. (London)
(District & Sessions Judge)
Member Secretary

12/11, जाम नगर हाऊस
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
12/11, Jam Nagar House
Shahjahan Road, New Delhi-110011
Website : www.nalsa.gov.in
e-mail : nalsa1987@gmail.com
कार्या./offi.:23385720 (Direct)
मोबाइल/Cell : 9968699347
फैक्स/Fax :23382121

F.No.L/10/2011/NALSA 4772
Dated: 15th November, 2011

To

The Member Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
"NYAYA SADAN"
Near AG Office,
Doranda, Ranchi – 834002.

Sub: Decisions passed in the Meeting of the Central Authority of NALSA held on September, 24, 2011.

Dear Shri B.K.Goswami,

In the meeting of the Central Authority of NALSA held on September 24, 2011 the following important decisions were taken regarding the working of the Para-Legal Volunteers, the Legal Aid Clinics and setting up of law libraries in the Taluk Legal Services Committees (TLSC). The State Legal Services Authority is requested to implement the following directions decisions of NALSA by instructing the District Legal Services Authorities and the TLSCs to take necessary steps:

(I) Para-Legal Volunteers (PLVs) Schemes.

(i) The Para-Legal Volunteers (PLVs) Scheme of NALSA being a vehicle for reaching out to the poor and marginalised people, the Scheme should be implemented effectively by all Legal Services Authorities.

(ii) More women PLVs should be recruited and trained in areas where the male PLVs cannot effectively function e.g. while dealing with matters relating to women and domestic problems.

(iii) The State Legal Services Authorities shall prepare the State-wise directory of PLVs to whom identity cards have been issued in each district. The PLVs recruited by the Taluk Legal Services Committees also shall be included in this directory. The directory should contain the name, address, telephone numbers etc. of the PLVs.

S.No.	Name of District.	Name of Taluk / Mandal / Sub-divisional.	Name and address of the Para Legal Volunteers.	Mobile/Landline number, e-mail ID, if any, of Para Legal Volunteers.

A copy of the State-wise directory so prepared shall be sent to NALSA by e-mail and also as hard-copy. The Directory shall be renewed every year incorporating additions and deletions. [The validity of the identity cards issued to the PLVs shall be for one year and the same may be renewed if the Legal Services Authority / Committee desires to continue with the services of the PLVs concerned].

(i) Requests from the political parties to induct their nominees in the list of PLVs shall not be entertained. Only persons with genuine mindset for social service, having inclination for voluntary services to the persons in need of legal services alone shall be selected and selection process should be left exclusively to the Chairman / Chairperson of the District Legal Services Authority and Taluk Legal Services Committee.

(ii) The PLVs who have already been trained by the civil society organisations, NGOs and other educational institutions also should undergo the training process organised by the State / District Legal Services Authorities. Selection of such PLVs also shall be made in the same manner as done in the case of other PLVs.

(II) Implementation of the National Legal Services Authority (Legal Aid Clinics) Regulations, 2011.

(i) The State Legal Services Authority shall address the Law Universities and Law Colleges within their jurisdiction, requesting to establish legal services clinics envisaged in Section 4(k) of Legal Services Authorities Act, 1987.

(ii) Responses from the Law Colleges and Law Universities on the National Legal Services Authority (Legal Aid Clinics) Regulations, 2011 shall be collected in the questionnaire annexed to this communication alongwith a copy of the National Legal Services Authority (Legal Aid Clinics) Regulations, 2011 through the District Legal Services Authorities.

(iii) Responses collected shall be forwarded to the National Legal Services Authority so as to reach NALSA on or before 01.12.2011.

(iv) State Legal Services Authorities and the District Legal Services Authorities may request the local-self government bodies to provide the necessary furniture for the legal aid clinics.

(v) Each legal aid clinic shall be provided with a blackboard and chalk.

(vi) The total annual expenses for running a legal aid clinic may be limited to Rs. One lakh per clinic in village areas.

(vii) Initially the legal aid clinics may be established for a cluster of villages or at Taluk/Mandal/Block level.

(viii) After watching the progress of the functioning of legal aid clinics so established and ascertaining their requirements, NALSA may be approached for necessary financial assistance to establish more legal aid clinics, which will be done in a uniform manner.

(III) Setting up Law Libraries in TLSCs.

(i) NALSA had a corpus of Rs.52,43,614/- received as donation for the purpose of setting up of law libraries in the Taluk Legal Services Committees in view of the circumstance that most of the Taluk level legal services institutions are poorly equipped with law books.

(ii) It has been decided that the aforesaid corpus will be distributed to the State Legal Services authorities subject to the number of Taluk/Mandal/Sub-divisional Legal Services Committees existing under each State Legal Services Authority. The State Legal Services Authorities shall set up a law library consisting of books worth Rs.10,000/-, making the deficiency with the funds allotted by NALSA to the State Legal Services Authorities.

(iii) The State Legal Services Authority shall request the Chairman, District Legal Services Authority to buy the law books required for establishing such library of all Taluk/Mandal/Sub-divisional Legal Services Committees under them.

(iv) The amount of Rs.10,000/- so made available to set up law-library is only foundational in nature and that the State Legal Services Authorities shall make necessary annual provisions through the District Legal Services Authorities for expanding and updating such libraries.

A report of compliance may be sent at the earliest.

Kindly place this communication before Hon'ble Executive Chairman of the State Legal Services Authority for further directions.

Yours faithfully,

Member Secretary

Encl: As above.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

यू. शरतचन्द्रन
सदस्य सचिव
U. SARATHCHANDRAN
B.Sc., M.P.A; LL.M., LL.M. (London)
(District & Sessions Judge)
Member Secretary

12/11, जाम नगर हाऊस
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
12/11, Jam Nagar House
Shahjahan Road, New Delhi-110011
e-mail : nalsa1987@gmail.com
कार्या./offi.:23385720 (Direct)
मोबाइल/Cell : 9968699347
फैक्स/Fax :23382121

F.No.L/06/2011/NALSA | 1816
Dated: June 09, 2011

To

The Member Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
"NYAYA SADAN"
Near AG Office,
Doranda, Ranchi – 834002.

Sub: Amendments in the NALSA Scheme for implementing the project of Para-Legal Volunteers by the State Legal Services Authorities.

Dear Shri B.K.Goswami,

In the meeting of the Central Authority of NALSA held on 03.05.2011 at the Supreme Court of India the following amendments have been brought out in the NALSA's Scheme for Para-Legal Volunteers to be implemented by the State Legal Services Authorities:

1. **Number of Para-Legal Volunteers (PLVs) to be identified by the District Legal Services Authorities and Taluk Legal Services Committees:**

   (a) The Para-Legal Volunteers (PLVs) to be identified by the District Legal Services Authorities (DLSAs) shall be 100.
   (b) The number of PLVs to be identified by the Taluk Legal Services Committees(TLSCs) shall be 50.

2. **Monthly reports by Para-Legal Volunteers:**

   (a) The PLVs shall submit monthly reports to the TLSCs and DLSAs as the case may be. The DLSAs shall collect reports from the TLSCs/Sub-Divisional Legal Services Committees and shall send such reports along with the reports of PLVs of DLSAs to the SLSAs. The SLSAs may fix a date in every month as the last date for submitting such reports.

Contd...P/2

3. **Honorarium to the Para-Legal Volunteers.**

(a) An honorarium of Rs.250/- per day may be paid to all PLVs engaged for specific works like going to the remote villages, distribution of legal literacy materials, attending the legal aid clinics and 'front offices' of the Legal Services Institutions.
(b) In addition to the honorarium mentioned in Clause (a) above, where the PLVs have to undergo expenses for travel to places outside his / her base, the Legal Services Institutions would have to meet such expenses.
(c) The rate of daily honorarium payable to the PLVs for the aforementioned engagements in the metro cities may be as determined by the SLSAs.

4. **Identity cards for the PLVs.**

(a) The identify cards issued to the PLVs would be valid initially for a period of one year only.
(b) The identify cards of PLVs shall specify the date of its expiry in the card itself.

5. **Inclusion of Retired Judges to function as PLVs.**

(a) Persons like retired judges could also be considered to function as PLVs whenever their services are available.

The SLSA is requested to carry out amendments in the copies of the Scheme available with them and shall communicate these amendments to the DLSAs and TLSCs/Sub-divisional Legal Services Committees under them immediately on receipt of this communication. Acknowledgment of receipt of the communication may be called from the DLSAs and TLSCs/Sub-divisional Legal Services Committees.

Copies of this communication may be placed before Hon'ble Patron-in-Chief and Hon'ble Executive Chairman of that State Legal Services Authority.

Receipt of this communication may be acknowledged by the SLSAs by e-mail/fax without any delay.

With personal regards

Yours faithfully,

U.Sarathchandran

(U.Sarathchandran)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

आशा मेनन
सदस्य सचिव
ASHA MENON
(Delhi Higher Judicial Service)
Member Secretary

12/11, जाम नगर हाऊस
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
12/11, Jam Nagar House
Shahjahan Road, New Delhi-110011

6/6/13

No. L/39/2012-NALSA 1080
May 23, 2013

To

The Member Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
"NYAYA SADAN"
Near AG Office,
Doranda, Ranchi – 834002.

Sub:- Directions of Hon'ble Supreme Court of India in W.P. (C) No. 75/2012 titled Bachpan Bachao Andolan Vs. Union of India & Ors. – reg.

Dear Shri B.K.Goswami,

The Hon'ble Supreme Court of India, while dealing with the issue of missing and untraced children, has issued several directions to the Police, the JJBs & CWCs and the NALSA & SLSAs. The directions to the SLSAs are as below and require immediate and strict compliance.

(i) "The para-legal volunteers, who have been recruited by the Legal Services Authorities, should be utilised, so that there is, at least, one para-legal volunteer, in shifts, in the police station to keep a watch over the manner in which the complaints regarding missing children and other offences against children, are dealt with.

(ii) "The State Legal Services Authorities should also work out a network of NGOs whose services could also be availed of at all levels for the purpose of tracing and re-integrating missing children with their families which, in fact, should be the prime object, when a missing child is recovered".

(iii) "As part of the Standard Operating Procedure, a protocol should be established by the local police with the High Courts and also with the State Legal Services Authorities for monitoring the case of a missing child."

An action taken report must reach this office by 10.7.2013.

With regards,

Yours sincerely,

AshaMenon
(Asha Menon)

Website : www.nalsa.gov.in e-mail : nalsa-dla@nic.in दूरभा./offi.: 23385321 फैक्स/Fax : 23382121

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

आशा मेनन
सदस्य सचिव
ASHA MENON
(Delhi Higher Judicial Service)
Member Secretary

12/11, जाम नगर हाऊस
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
12/11, Jam Nagar House
Shahjahan Road, New Delhi-110011

No. L/39/2012-NALSA \011
May 23, 2013

To

The Member Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
"NYAYA SADAN"
Near AG Office,
Doranda, Ranchi – 834002.

Sub:- Directions of Hon'ble Supreme Court of India in W.P. (C) No. 75/2012 titled Bachpan Bachao Andolan Vs. Union of India & Ors. – reg.

Dear Shri B.K.Goswami,

The Hon'ble Supreme Court of India, while dealing with the issue of missing and untraced children, has issued several directions to the Police, the JJBs & CWCs and the NALSA & SLSAs. The directions are listed below.

1. "We make it clear that, in case of every missing child reported, there will be an initial presumption of either abduction or trafficking, unless, in the investigation, the same is provided otherwise. Accordingly whenever any complaint is filed before the police authorities regarding a missing child, the same must be entertained under Section 154 Cr.P.C. However, even in respect of complaints made otherwise with regard to a child, which may come within the scope of Section 155 Cr.P.C., upon making an entry in the Book to be maintained for the purposes of Section 155 Cr.P.C., and after referring the information to the Magistrate concerned, continue with the inquiry into the complaint. The Magistrate, upon receipt of the information recorded under Section 155 Cr.P.C., shall proceed, in the meantime, to take appropriate action under sub-section (2), especially, if the complaint relates to a child and, in particular, a girl child."

2. "Each police station should have, at least, one Police Officer, especially instructed and trained and designated as a Juvenile Welfare Officer in terms of Section 63 of the Juvenile Act."

3. "There should be, in shifts, a Special Juvenile Officer on duty in the police station to ensure that the directions contained in this Order are duly implemented."

Contd. 2

Website : www.nalsa.gov.in e-mail : naisa-dla@nic.in कार्या./offi.: 23385321 फैक्स/Fax : 23382121

4. "Every found/recovered child must be immediately photographed by the police for purposes of advertisement and to make people aware of the missing child. Photographs of the recovered child should be published on the website and through the newspapers and even on the T.V. so that the parents of the missing child could locate their missing child and recover him or her from the custody of the police."

5. "In case a missing child is not recovered within four months from the date of filing of the First Information Report, the matter may be forwarded to the Anti-Human Trafficking Unit in each State in order to enable the said Unit to take up more intensive investigation regarding the missing child. The Anti-Human Trafficking Unit shall file periodical status reports after every three months to keep the Legal Services Authorities updated."

6. "In cases where First Information Reports have not been lodged at all and the child is still missing, an F.I.R. should be lodged within a month from the date of communication of this Order and further investigation may proceed on that basis."

7. "Once a child is recovered, the police authorities shall carry out further investigation to see whether there is an involvement of any trafficking in the procedure by which the child went missing and if, on investigation, such links are found, the police shall take appropriate action thereupon."

8. "The State authorities shall arrange for adequate Shelter Homes to be provided for missing children, who are recovered and do not have any place to go. Such Shelter Homes or After-care Homes will have to be set up by the State Government concerned and funds to run the same will also have to be provided by the State Government together with proper infrastructure. Such Homes should be put in place within three months, at the latest."

9. "Any private Home, being run for the purpose of sheltering children, shall not be entitled to receive a child, unless forwarded by the Child Welfare Committee and unless they comply with all the provisions of the Juvenile Justice Act, including registration."

The SLSAs should keep a watch over the implementation of these directions by the Police, giving the necessary push wherever and whenever necessary.

Yours sincerely,

Asha Menon

(Asha Menon)

16.
पारा विधिक स्वयंसेवी से संबंधित सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र0 इसके क्या तौर तरीके हैं ?

उ0 सामान्यतः प्रत्येक तालुक्का विधिक सेवा समिति के पास पैरा विधिक स्वयंसेवी की सूचि होती है जो कि किसी भी समय ज्यादा से ज्यादा 25 (50) की सूचि होती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सूचि में 50(100) सक्रिय पैरा विधिक स्वयंसेवी होंगें।

- पैरा विधिक स्वयंसेवी शिक्षित, अच्छा हो कि मैट्रिकुलेट (matriculate) हों और उन्हें पूर्णतया समझने की क्षमता हो।
- अच्छा हो कि पैरा विधिक स्वयंसेवी का चयन जिन लोगों से किया जाए वे पैरा विधिक स्वयंसेवी की सेवा से प्राप्त आय की ओर ध्यान न दे परन्तु उनकी मनोदशा ऐसी हो कि वो समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और साथ में उनमें करूणा, सहानुभूति हो और समाज में हाशिए पर खड़े व्यक्ति और कमजोर लोगों के उत्थान का जज्बा उनमें हो। उनमें ध्येय (cause) के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता हो जो कि उनके उत्तरदायित्व को कार्य के रूप में प्रदर्शित (translate) करें।

प्र0 पैरा विधिक स्वयंसेवी के चयन की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर क्या हैं ?

- शिक्षकों (सेवा निवृत शिक्षकों समेत)
- सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों
- मास्टर ऑफ सोशन वर्क्श (MSW) के विद्यार्थीगण व शिक्षकगण
- आँगनवाड़ी सेविका
- डॉक्टर / फिजीशीयन
- विद्यार्थीगण और विधि के विद्यार्थीगण तब तक जबतक कि वे वकील के तौर पर सूचिबद्ध (enroll) न हो जाएँ
- अराजनैतिक, सेवा केन्द्रित और सरकारी संस्था और के सदस्यगण

- महिलाओं पड़ोस समूह, मंत्रिसंघम (Maithrisanghams) और स्व सहायता समूह अधिकारहीन / कमजोर समूह समेत, के सदस्यगण
- शिक्षित बंदी अच्छे आचरण वाले जो कि लंबी सजा बंदीगृह में काट रहे हों
- अन्य कोई व्यक्ति जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार या तालुक विधिक सेवा समिति पैरा विधिक स्वयंसेवी हेतु सही पाती हो

पैरा विधिक स्वयंसेवी का चयन - जिला स्तर पर

पैरा विधिक स्वयंसेवी का चयन एक कमिटी के द्वारा जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी। इस कमिटी के एक सदस्य सचिव होगें। यह कमिटी तीन सदस्यों की होगी जहाँ अध्यक्ष व सचिव क्रमशः सदस्य होंगे और तीसरा सदस्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के स्वविवेक पर नियुक्ति किया जाएगा, जो कि उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम होगा और जो पैरा विधिक स्वयंसेवी की तरह प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता रखता हो। इस चयन प्रक्रिया को किसी अन्य समूह को सौंपा नहीं जाएगा।

पैरा विधिक स्वयंसेवी का चयन - तालुका स्तर पर

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक कमिटी का गठन करेगें जिसमें अध्यक्ष व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा कमिटी और चौथा व्यक्ति अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के स्वविवेक पर होगा। साक्षात्कार का स्थान तालुका स्तरीय पैरा विधिक स्वयंसेवी हेतु, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधि कार के विवेक पर होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव चयन प्रक्रिया को समन्वित (co-ordinate) करेंगे।

सूचि में सम्मिलित करने की प्रक्रिया

संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार और तालुका विधिक सेवा समिति या अनुमण्डलीय विधिक सेवा समिति, मूल निवासियों से आवेदन आमंत्रित करेगी। अगर जरूरत हुई तो विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन या नोटीस की कॉपीयाँ (copies) जिससे आवेदन माँगा गया हो, उन्हें बार एशोसिएयसन (Bar Association) के दफ्तर, कोर्ट के प्रांगण (premises) के नोटीस बोर्ड पर, विधिक सेवा प्राधिकार के ऑफिस और जिला पंचायत कार्यालय भेजा जाएगा। यह विज्ञापन पैरा विधिक स्वयंसेवी के चयन हेतु आवश्यक योग्यता और आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में बताएगा। आवेदन में एक कॉलम (column) होगा जहाँ उम्मीदवार को कार्य स्थल के पसंद के बारे में इच्छा जाहिर करनी होगी कि वह जिला स्तर, तालुका स्तर या ग्राम स्तर होगी। विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि

पैरा विधिक स्वयंसेवी का कार्य किसी भी वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना को स्वीकृत नहीं करता सिवाय मानदेय के जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

प्र0 चयन का तरीका

उ0 चयन कमिटी का यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक का प्रयोग करे और साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की छँटनी प्राप्त आवेदनों के संख्या के आधार पर करे। पैरा विधिक स्वयंसेवी के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उपयुक्त आवेदक जो कि एस0सी0 (SC)/एस0टी0 (ST), अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के होगें उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।

प्र0 पैरा विधिक स्वयंसेवी को प्रशिक्षित कैसे किया जाएगा ?

उ0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पर्यवेक्षण में पैरा विधिक स्वयंसेवी को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दी जाएगी, पूर्णतः सदस्य सचिव के नियंत्रण में। प्रशिक्षण अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विवेक पर सुगम स्थान पर कराया जाएगा। किसी भी समय प्रशिक्षण प्रोग्राम में पैरा विधिक स्वयंसेवी की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। जब भी राज्य न्यायिक एकादमी के पास प्रशिक्षण की सुविधा होगी उसका लाभ लिया जाएगा। प्रशिक्षण का खर्चा राज्य न्यायिक एकादमी वहन करेगी और उसका पुर्नभुगतान राज्य सरकार/संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार करेगा।

प्र0 पैरा विधिक स्वयंसेवी के प्रशिक्षण हेतु कौन प्रशिक्षक/ज्ञान साधन व्यक्ति (resource person) हो सकते हैं ?

- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के साथ परामर्श करके प्रशिक्षक और अन्य ज्ञान साधन व्यक्ति (resource person) की पहचान पैरा विधिक स्वयंसेवी के प्रशिक्षण हेतु करेंगे।
- ज्ञान साधन व्यक्तियों (resource persons) की सूचि में बार (Bar) के उपयुक्त सदस्य जिन्हें प्रशिक्षण कौशल हो, शामिल किए जाएंगें।
- अन्य जो शामिल हो सकते हैं :-
  - गैर सरकारी संस्था जो विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकलापों से संबंधित हों जैसे-व्यक्ति जिनके कार्य की प्रकृति विधिक सेवा प्राधिकार के लिए सुगम्य (exposed) हो।
  - मध्यस्थता के मास्टर ट्रेनर (Master Trainer)
  - लॉ कॉलेज (Law College) के शिक्षक (Law Teacher)

- विधि (Law) के स्नातकोत्तर के छात्र
- सेवानिवृत्त विधि के प्राख्याता (Professors)
- राजस्व पदाधिकारी
- सामाजिक कल्याण विभाग के पदाधिकारी
- सार्वजनिक अभियोक्ता
- पुलिस पदाधिकारी
- मनोचिकित्सक/मनोविज्ञानी
- मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ

प्र0 प्रशिक्षण की प्रकृति क्या होगी ?

उ0 विधिक सवयंसेवी को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा और यह निम्नलिखित प्रारूप (format) में होगा :-

(क) ओरिएन्टेशन प्रोग्राम (Orientation Programme)

(ख) बेसिक प्रोग्राम (Basic Programme)

(ग) रिफ्रेशर प्रोग्राम (Refresher Programme)

विधिक स्वयंसेवी के कार्य की गुणवत्ता (quality) के आकलन हेतु नियतकालिक रिफ्रेशर प्रोग्राम कराया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकार विधिक स्वयंसेवी के कार्य के आकलन करेगी और उन्हें उनकी कमी (deficit) को चिन्हित (identify) करने और कार्यक्षेत्र के अनुभव के बाद कैसे परेशानियों को सामना किया जाए, सहायता किया जाएगा। विधिक स्वयंसेवियों का वार्षिक सभा होगी ताकि वे अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें। विधिक स्वयंसेवियों का जिला स्तर पर अर्द्धवार्षिक बैठक (meeting) होगी जहाँ वह अपने संदेह को निपटा सकें और ज्ञान हासिल कर सकें और उनके कौशल का उन्नतीकरण (upgradation) माड्यूल (module) के आधार पर हो सके। विधिक स्वयंसेवी जनता में जागरूकता लायेंगे कि कोर्ट लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करने के फायदे और उस दशा के पक्षकार कोर्ट फी को वापस पाने को हकदार होते हैं और इसके विरूद्ध कोई अपील भी नहीं होती है।

प्र0 प्रशिक्षण का विषय क्या होगा ?

उ0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा एकरूप प्रशिक्षण माड्यूल (module) तैयार किया

जाएगा जो कि पूरे देश में उपुयक्त होगा और उस माड्यूल (module) का विशेष जोर विधिक स्वयंसेवी के आचरण व व्यवहार पर होगा। वह तैयार किया गया मॉड्यूल (module) प्रान्तीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा।

प्र0 क्या विधिक स्वयंसेवी को पहचान पत्र वितरित होगा ?

उ0 जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के बाद, विधिक स्वयंसेवी को सफल प्रशिक्षण प्राप्ति की घोषणा के पूर्व उनका लिखित या मौलिक परीक्षा देनी पड़ सकती है। सफल होने की घोषणा पर उन्हें पहचान पत्र, जिसपर जिला विधिक सेवा प्राधिकार का प्रतीक (emblem) होगा, वितरित किया जा सकेगा। पहचान पत्र पर (1) क्रमांक (2) विधिक स्वयंसेवी का नाम व पता (3) विधिक स्वयंसेवी का संपर्क नंबर (4) विधिक स्वयंसेवी का फोटो (5) पहचान पत्र के जारी करने की तारीख व वैद्यता अवधि। पहचान पत्र के पिछले भाग पर यह स्पष्ट रूप से मुद्रित (printed) होगा कि गुम होने या पाने पर इसकी सूचना निकटतम थाना को देनी चाहिए।

पहचान पत्र का उपयोग बस या किसी दूसरे प्रकार के वाहन के यात्रा रियायत हेतु नहीं होगा।

कार्ड का उपयोग सरकारी लाभ या ऋण (loan) हेतु कार्डधारक द्वारा नहीं किया जाएगा। पहचान पत्र का उपयोग किसी अन्य सुविधा को लेने हेतु नहीं किया जाएगा, केवल विधिक स्वयंसेवी के पहचान के उद्देश्य से ही इसका उपयोग होगा।

पहचान पत्र की वैद्यता

पहचान पत्र की वैद्यता एक साल की होगी। अगर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विधिक स्वयंसेवी को एक साल से ज्यादा कार्य करने के योग्य पाते हैं तब विधिक स्वयंसेवी को नया पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।

प्र0 विधिक स्वयंसेवी के गुरू (mentor) कौन होंगे ?

उ0 जिला विधिक सेवा प्राधिकार और तालुका विधिक सेवा समिति गुरू/मार्गदर्शक (mentor/guide) का एक पैनल रखेगी विधिक स्वयंसेवी अपने पीएलभी के कर्तव्यों के निर्वाहन में अगर कोई स्पष्टीकरण या सहायता की जरूरत हो तो उनसे मिलकर लेंगे। दस से ज्यादा विधिक स्वयंसेवी एक गुरू (mentor) के अन्तर्गत नहीं होगें।

मासिक रिपोर्ट

मौजूदा विधिक स्वयंसेवी और नये चयनित विधिक स्वयंसेवी और विधिक स्वयंसेवी के प्रशिक्षण के बाबत मासिक रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दी जाएगी। प्रत्येक माह के 15 तारीख के पहले राज्य विधिक सेवा

प्राधिकार एक समाहित (consolidated) रिपोर्ट, कितने विधिक स्वयंसेवी ने प्रशिक्षण लिया, संसाधन व्यक्ति (resource person) जिन्हें नियुक्त किया गया, खर्च और रिफ्रेशर कोर्स अगर आयोजित की गई हो, प्रत्येक महीने के बाबत् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार को भेजी जाएगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार उन रिपोर्ट की प्रति (copy) राष्ट्रीय पारा लीगल ट्रेनिंग और कानूनी साक्षरता गतिविधियों की कमिटि जो कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा गठित की गई है, भेजेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार को, संगठित (consolidated) जिलावार रिपोर्ट, पारा विधिक स्वयंसेवक के गतिविधियों, विशेष रूप से कितने व्यक्तियों के साथ मिला, दिए गए परामर्श का स्वभाव और की गई कार्यवाई, देगा।

प्र0 प्रशिक्षित पैरा विधिक स्वयंसेवकों का कर्तव्य (duty) क्या है ?

उ0 पैरा विधिक स्वयंसेवी जनता को शिक्षित करेंगे विशेष रूप से जो समाज के कमजोर वर्ग से है, उन्हें यह जागरूक करने के लिए की मानव गरिमा के साथ जिन्दगी उनका अधिकार है, संविधानिक और वैधानिक अधिकार का आनन्द और कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वहन (discharge) कानून के अनुरूप किया जाए।

पैरा विधिक स्वयंसेवीगण जनता को उनके विवाद/मुद्रा/परेशानियों के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें यह सूचित करेंगे कि वे टी0एल0एस0सी0/डी0एल0एस0ए0/एच0सी0 एल0एस0सी0/एस0एल0एस0ए0/एस0सी0एल0एस0सी0 में जाकर अपनी विवाद/मुद्दा/ परेशानियों का निपटारा कर सकते हैं।

पैरा विधिक स्वयंसेवी कानून के उल्लंघन या अन्याय पूर्ण कृत की सतत् पहरेदारी अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे और तालुका विधिक सेवा कमिटी में इसकी जानकारी दूरभाष संवाद से या लिखित या स्वयं जाकर देगें और उपचारात्मक (remedial) कार्यवाई के लिए कमिटी को सक्षम करेंगे।

जब पैरा विधिक स्वयंसेवी को किसी व्यक्ति के ऐरेस्ट (arrest) हो की सूचना इलाके में मिलेगी तब पैरा विधिक स्वयंसेवी पुलिस स्टेशन (थाना) में जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐरेस्टेड व्यक्ति को कानूनी सहायता मिले, अगर संभव हो तो नजदीक के विधिक संस्था से।

पैरा विधिक स्वयंसेवी यह भी सुनिश्चित करेगा कि अपराध के पीड़ित का ध्यान व देखभाल हो सके। यह कोशिश भी उनके द्वारा की जाएगी कि पीड़ित को मुआवजा 357A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मिले।

पैरा विधिक स्वयंसेवी डी0एल0एस0ए0/टी0एल0एस0सी0 की उचित अनुमति से जेल,

हवालात (lock-ups), मानसिक रोगों का अस्पताल, बाल गृह/संप्रेक्षण गृह जाएगें और वहाँ रहने वालों के कानूनी सहायता के जरूरतों का पता करेंगे और संबंधित अधिकारियों को मूलभूत जरूरतों की विशेषत: स्वच्छता के बाबत् कमियों को बताएगें।

पैरा विधिक स्वयंसेवी बात अधिकारों के उल्लंघन, बालश्रम, गुमशुदा बच्चों और बच्चियों के तस्करी (trafficking) के बारे में नजदीकी विधिक सेवा संस्थानों या बाल कल्याण कमिटि (CWC) को सूचित करेंगे।

पैरा विधिक स्वयंसेवी अपने कार्यक्षेत्र में डी0एल0एस0ए0/टी0एल0एस0सी0 को विधिक जागरूकता कैम्प के आयोजन में सहायता करेंगे।

पैरा विधिक स्वयंसेवीगण अपने इलाके के लोगों को एस0एल0एस0ए0/डी0एल0एस0ए0/टी0एल0एस0सी0/एच0सी0एल0एस0सी0/ के कानूनी सहायता गतिविधियों के बारे में अवगत करायेंगे और इनका पता उन लोगों को देंगे जिससे कि वे इन संस्थाओं के द्वारा मुफ्त सेवाओं का उपयोग उपयुक्त (eligible) व्यक्ति कर सकें।

पैरा विधिक स्वयंसेवी जनता के बीच विवाद (पूर्व मुकदमेबाजी समेत) के समाधान लोक अदालत, समझौता, मध्यस्थता और आरबीट्रेशन के द्वारा करने के फायदे के बारे में जागरूकता भी उत्पन्न करेगें।

पैरा विधिक स्वयंसेवी स्थायी लोक अदालत के द्वारा जनोपयोगी सेवा उदाहरण के तौर पर डाक–तार, दूरभाष, बिजली, पानी आपूर्ति, बीमा और अस्पताल सेवाओं के विवाद के सस्ते समझौते से फायदे के बारे में जनता को जागरूक करेंगे।

पैरा विधिक स्वयंसेवी अपने कार्यकलापों के बारे में मासिक रिपोर्ट डी0एल0एस0ए0/टी0एल0एस0सी0 जिसके अन्तर्गत वे काम कर रहे हैं, निर्धारित प्रारूप में भेजेगें।

प्रत्येक पैरा विधिक स्वयंसेवी एक डायरी रखेंगे जिसमें प्रत्येक दिन के कार्यकलापों को अंकित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डायरी को प्रिंट करवाकर पैरा विधिक स्वयंसेवी को देंगे। उस डायरी को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार या चेयरमैन तालुका विधिक सेवा प्राधिकार सत्यापित व अनुमोदित (endorsement) करेंगे।

पैरा विधिक स्वयंसेवक यह देखेगें कि कानूनी सेवा गतिविधियों की प्रचार सामग्री गतिविधि क्षेत्र में मुख्य जगहों पर प्रदर्शित किए जाए।

प्र0 पैरा विधिक स्वयंसेवी द्वारा क्या खर्च किया जाएगा ?

उ0 पैरा विधिक स्वयंसेवी द्वारा उचित खर्च जैसे बस/ट्रेन का किराया, डाक व दूरभाष का खर्चा वगैरह, प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर टी0एल0एस0सी0/डी0एल0एस0ए0/एस0एल0

एस0ए0 द्वारा उन्हें पुर्नभुगतान किया जाएगा। चेयरमैन के स्वविवेक निम्नतम वर्ग का रोड/रेल/स्टीमर द्वारा यात्रा खर्चा का भुगतान कानूनी सहायता के लाभुकों जो कि पैरा विधिक स्वयंसेवी द्वारा लाए जाएगें, किया जाएगा।

पैरा विधिक स्वयंसेवकों के दैनिक मानदेय की दर उनके द्वारा काम किए गए दिनों की होगी वैसे तो मेट्रो शहरों में मानदेय एस0एल0एस0ए0 निर्धारित कर सकते हैं।

जब एस0एल0एस0ए0/डी0एल0एस0ए0/टी0एल0एस0ए0 वाहन मुहैया करवाएगा तब पैरा विधिक स्वयंसेवक को यात्रा व्यय नहीं मिलेगा।

प्र0 पैरा विधिक स्वयंसेवियों की प्रतिनियुक्ति कहाँ होगी ?

उ0 पैरा विधिक स्वयंसेवक डी0एल0एस0ए0/टी0एल0एस0सी0 फ्रंट ऑफिस में प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं। डी0एल0एस0ए0 या टी0एल0एस0सी0 के सचिव एक या अधिक पैरा विधिक स्वयंसेवी को फ्रंट ऑफिस संचालित करने हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। डी0एल0एस0ए0/टी0एल0एस0सी0 के कानूनी सहायता क्लिनीक में पैरा विधिक स्वयंसेवी काम करेंगे।

डी0एल0एस0ए0 या टी0एल0एस0सी0 के सचिव पैरा विधिक स्वयंसेवी की प्रतिनियुक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (कानूनी सहायता क्लिनीक) रेगुलेशन 2011 के तहत स्थापित कानूनी सहायता क्लिनीक में कर सकते हैं। पैरा विधिक स्वयंसेवी जो कि कानूनी सहायता क्लीनिक में नियुक्त किए गए हैं वे कानूनी सहायता क्लीनिक को उपरोक्त रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।

पैरा विधिक स्वयंसेवियों का मानदेय जो कि कानूनी सहायता क्लीनिक और फ्रंट ऑफिस में सेवा दे रहे हैं :-

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार से परामर्श कर कानूनी सहायता क्लीनिक में कार्यरत् पैरा विधिक स्वयंसेवी के मानदेय को निर्धारित करेगी।

परन्तु उनका मानदेय जिस दिन उन्होंने सेवा दी हो प्रतिदिन की दर से 250/- रू0 से कम नहीं होगा।

पैरा विधिक स्वयंसेवी जो कि दूर के गाँव से कानूनी सहायता हेतु आवेदन विधिक सेवा संस्था तालुका/जिला स्तरीय में और जिला ए0डी0आर0 (ADR) केन्द्र में देगें, वे उस दिन उसी दर से मानदेय के हकदार होंगे।

पैरा विधिक स्वयंसेवी उस दिन मानदेय के हकदार होंगे अगर वह यह प्रमाण देगें कि उस दिन पैरा विधिक स्वयंसेवक के कार्य से संबंधित कार्य हेतु सहायता करने किसी व्यक्ति के साथ विभिन्न दफ्तरों, कोर्ट में गए हैं।

पैरा विधिक स्वयंसेवक कैसे कानूनी साक्षरता क्लास और कैम्प में सहायता करेंगे

पैरा विधिक स्वयंसेवी अपने निकटतम विधिक सेवा संस्थान से परामर्श कर लघु विधिक जागरूकता शिविर अपने कार्यक्षेत्र में कानूनी साक्षरता कक्षा मजदूरों, औरतों, बच्चों और एस0सी0/एस0टी0 के लोगों वगैरह को लेकर आयोजित करेंगे। यह पैरा विधिक स्वयंसेवी का कर्तव्य होगा कि वह विधिक सेवा प्राधिकार की पुस्तिका और अन्य प्रकाशित पुस्तिका विधिक साक्षरता कक्षा में वितरित करेंगे।

प्र0 पैरा विधिक स्वयंसेवी कैसे स्थानीय विवाद को ए0डी0आर0 प्रक्रिया से समाधान करवाने में मददगार होंगे ?

उ0 पैरा विधिक स्वयंसेवी ऐसी कोशिश करेंगे कि स्थानीय पक्षकार जिनका विवाद है, जिला के ए0डी0आर0 सेंटर में लोक अदालत, मध्यस्थता या समाधान द्वारा समझौता करवा सकें। अगर जिला ए0डी0आर0 केन्द्र जिला में स्थापित नहीं हो तब विधिक सेवा संस्था पैरा विधिक स्वयंसेवी के साथ समन्वय कर गाँव में ही उपयुक्त ए0डी0आर0 प्रक्रिया जैसे लोक अदालत, मध्यस्थता, समाधान वगैरह प्रायोजित करने हेतु उपाय करेंगे। वे पैरा विधिक स्वयंसेवी जो वैसे करेंगे कि ए0डी0आर0 प्रक्रिया में लाते हैं वे निर्धारित मानदेय, जिस दिन वह प्रक्रिया हुई, के हकदार होंगे।

कारा में पारा विधिक स्वयंसेवक

केन्द्रीय कारा तथा जिला कारों में लंबी सजा भुगत रहे कुछ शिक्षित एवं अच्छे व्यवहार वाले कैदियों का पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण चयन किया जाएगा। उनकी सेवाएं कारा में अन्य कैदियों, विचाराधीन कैदियों सहित, के लिए उपलब्ध होगी। ऐसे पीएलभियों का प्रशिक्षण अन्य पीएलभियों के साथ होगी।

भुगतान

वे पीएलभी के रूप में सेवा देने के लिए अन्य पीएलभी के तय पारिश्रमिक के देय भुगतान की दर से भुगतान के हकदार होंगे।

पीएलभियों की अयोग्यताएँ तथा निष्कासन

पीएलभियों को पैनल से अयोग्य एवं निष्कासित किया जा सकेगा यदि वह :

- योजना में रूचि दर्शाने में विफल रहता है
- दिवालिया घोषित किया गया हो
- किसी अपराध का अभियुक्त हो

- पीएलभी के रूप में कार्य करने में शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो
- अपने पद का किसी मायने में दुरूपयोग किया हो या दुर्व्यवहार किया जो जिससे उसके बने रहना जनहित में हानिकारक हो गया हो।
- यदि वह किसी राजनैतिक दल का सक्रिय राजनीतिक उत्साही हो। ऐसे पीएलभी को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के द्वारा उपयुक्त जाँच के बाद हटाया जा सकेगा तथा इसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को भेजना होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवकों का सम्मेलन

राज्य विधिक प्राधिकार उपयुक्त पीएलभियों का चयन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (जैसा मामला हो) के द्वारा आयोजित पीएलभी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए करेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पीएलभी के विचार के लिए ऐसे पीएलभी के नाम प्रस्तावित करेगा जो विधिक सेवा में विशिष्ट कार्य किए हों।

प्र0 क्या डालसा/झालसा के द्वारा कोई डाटा आधार का रख रखाव किया जाता है ?

उ0 जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला के सभी पारा विधिक स्वयंसेवकों का एक डाटा आधार रखेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पारा विधिक स्वयंसेवकों का एक डायरेक्टरी का रखरखाव करेंगे जिसे समय-समय पर सुधारा जाएगा।

डायरेक्टरी में जिला प्राधिकार एवं तालुक/मंडल/अनुमंडल समितियों के पारा विधिक स्वयंसेवकों का विवरण, नाम, पता, दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ई.मेल (अगर कोई हो) तथा जारी परिचय पत्र के समाप्त होने की तारीख होगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राज्य के सभी पारा विधिक स्वयंसेवकों को डाटा आधार रखेगा जिसे समय-समय पर सुधारा जाएगा। डायरेक्टरी में जिलावार पारा विधिक स्वयंसेवकों का नाम का विवरण, उनका पता, दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ईमेल पता (अगर हो) तथा जारी परिचय पत्र की समाप्त होने की तारीख हो।

विधिक सेवा प्राधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित पारा विधिक प्रशिक्षण एवं विधिक सहायता गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय समिति में समन्वय से कार्य करेगा।

राज्य, जिला एवं तालुक स्तर के विधिक सेवा संस्थाएँ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित पारा विधिक प्रशिक्षण एवं विधिक गतिविधियों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति से समन्वय से कार्य करेगी।

पारा विधिक प्रशिक्षण एवं विधिक गतिविधियों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के माननीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देश, अगर कोई, देश के सभी विधिक सेवा संस्थाओं पर मान्य होगा।

❑❑❑

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : बसंती गोप
चाईबासा जिला विधिक सेवा प्राधिकार

किए गए कार्य संक्षिप्त में : 16.8.16 को उसे किरीबुरू जंगल में भटकती रोईबरी पुर्ती नाम की मानसिक रोगी मिली। वह उस महिला के रिश्तेदारों से संपर्क की पर वे उसकी देख-रेख करने में असमर्थता प्रदर्शित किए। तत्पश्चात्, पारा विधिक स्वयंसेवक बसंती देवी, महिला थाना, पुलिस जवानों, आम आदमियों के दान से कुछ रूपया जमा की तथा एक गाड़ी भाड़ा कर उसे रिनपास (मानसिक अस्पताल) राँची लाकर भर्ती की तथा उसकी कई महीनों तक देखभाल की। वर्तमान में पूर्ती भली चंगी है।

उसी तरह बसंती गोप ने कई अन्य मानसिक रोगियों, जैसे माया तिर्की, एक अज्ञात, बुधनी मचुएन को रिनपास (मानसिक अस्पताल) में भर्ती करवाकर उन्हें स्वस्थ किया। वह कोढ़ियों के देखरेख एवं पुनर्वास के लिए काम करती हैं।

परिशिष्ट

पारा विधिक स्वयंसेवकों का परिचय पत्र

..... STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Para-Legal volurteer registration number —— ( )
Name:
Father I Husband Name:
Village I Town:

Signature of
Para Legal Volunteer

Signature of Secretary,
D.L.S.A.

पारा विधिक स्वयंसेवकों का पोशाक

कानूनी सहायता रजिस्टर

(नालसा रेगुलेशन 20 के अन्तर्गत (लीगल एड क्लिनिक) रेगुलेशन, 2011)

कानूनी सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और पता	वकील या पीएलवी का नाम जो कानूनी सहायता क्लिनिक में सेवा प्रदान करता है	प्रदान की गई सेवा की प्रकृति	वकील या पीएलवी की टिप्पणी	कानूनी सेवा की मांग करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

पैरा लीगल स्वयंसेवकों का डाटाबेस

आज तक प्रशिक्षित पैरा वैधानिक स्वयंसेवकों की संख्या					कानूनी सहायता की स्थापना की संख्या					पैरा कानूनी स्वयंसेवकों की संख्या जिनकी सेवाओं का उपयोग कानूनी सहायता क्लिनिक और सामने के कार्यालयों में किया जा रहा है
महिलाएँ	शिक्षक	लंबी अवधि के कैदी	अन्य	कुल	लॉ/स्कूल कॉलेजों में	गाँव/पंचायत स्तर पर	जेलों में	अवलोकन गृह आदि में	कुल	

झारखण्ड राज्य के पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए ओरिएन्टेशन तथा इंकक्शन ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम (पाँच दिवसीय) के लिए पाठ्यक्रम

Day One : Orientation Course

Date	Time	Resource Person(s).	Topic(s) to be covered.
17.06.2015 (Orientation Course)	08:30 to 09:00 AM 09:00 to 09:30 AM		Arrival of PLVs Registration Process for PLVs.
	09:30 to 10:30 AM	• Mr. A.V. Singh, Pr. Judicial Commisioner, Ranchi	Introduction and Ice Breaking Session & Purpose & Role of PLVs.
10:30 to 11:00 AM Tea Break			
17.06.2015 (Orientation Course) continued..	11:00 AM to 01:00 PM	• Mr. Mohan Choubey • Mr. Santosh Kumar, Dy. Secretary, JHALSA, Ranchi • Mr. Rajni Kant Pathak, Secretary, DLSA, Ranchi	• Basic Structure of Constitution-Preamble etc. • Obligations of the State under the Constitution to the marginalized classes of society (Directive Principles of State Policy) • Fundamental Rights (including Articles 14, 15, 16, 19, 21 and 22) • Duties of a responsible citizen to the community (Fundamental Duties). • Article 39 A and Legal Services Authorities Act, 1987 and NALSA Regulations. • Do's and Don'ts for PLVs. • Dress Code and standards of behavior. • Materials. • Ethics.

Day Two : Induction Course

18.06.2015 (Induction Course)	08:30 to 09:30 AM	• Mr. M.S. Pathak, National President, Intl. Manav-adhikaar Sangathan • Mr. Vinod Kr. Sahu, Advocate	• Basic listening communication, observation skills and Drafting skills.
	09:30 to 10:30 AM		• Visit of DLSA office and Civil Courts
10:30 to 11:00 AM Tea Break			
18.06.2015 (Induction Course) continued..	11:00 to 01:00 PM	• Mr. A.V. Singh, Pr. Judicial Commisioner, Ranchi • Mr. Navneet Kumar, Member Secretary, JHALSA, Ranchi. • Mr. Rakesh Kr. Jha, Advocate	• Family Laws (Marriage Laws, Adoption, Maintenance, Custody and Guradianship, Judicial separation & Divorce

Day Three : Induction Course

19.06.2015 (Induction Course)	08:30 to 09:45 AM	• Mr. L.K. Giri, Mediator.	• Property Laws (Inheritance, Transfers of immovable property, Registration, Revenue Laws)
	09:30 to 10:30 AM	• Mr. Prof. Namai Das Guru, Central Law University	• Criminal Laws (IPC & Cr.P.C. {minimum required knowledge, especially, bail, arrest etc. S.357 A, Cr.P.C., Rights of Prisoners under Jail Manaul and Prisoner's Act etc.}).
10:30 to 11:00 AM Tea Break			
19.06.2015 (Induction Course) continued..	11:00 to 11:45 AM	• Mr. Shambhu Pd. Agrawal, President, RDBA	• Criminal Laws continued... (IPC & Cr.P.C. {minimum required knowledge, especially, bail, arrest etc. S.357 A, Cr.P.C., Rights of Prisoners under Jail Manaul and Prisoner's Act etc.}).
	11:45 to 01:00 PM	• Mr. Rajesh Prasad, Asst. Labour Commissioner, Ranchi • Ms. Jahan Ara, IEC	• Labour Laws (Minimum Wages act 1948, Workmen's Compensation Act, 1923, Unorganized Workers Welfare and Social Security Act 2008 The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of employment and conditions of Service) Act, 1979, The Industrial Disputes Act, 1947 (Briefly), legal assistance under the NALSA Scheme (Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2010.
	01:30 to 03:00 PM	• Mr. U.S. Chaurasiya, Advocate	• Visit of B.M.C. Jail, Hotwar.

Day Four : Induction Course

20.06.2015 (Induction Course)	08:30 to 09:45 AM	• Ms. Mamta Srivastava, Mediator • Mr. Pradeep Sarkar, Advocate	• Law relating to Children Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986, Missing Children, The Factories Act 1948, Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
	09:45 to 10:30 AM	• Ms. Neelam Shekhar, Mediator • Ms. Ansu Ekka, District Resource Person, Mahila Samakhya Society	• Gender Centric Laws/Women Laws - Equal Remuneration Act 1976, Maternity Benefit Act, 1961, Protection of Women from 'Domestic Violence Act, 2005, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, Sexual Harassment at workplace, Important provisions of IPC-Sections 509, 354, 376, 304B, 366, 498A, 494, Dowry Prohibition Act, 1961.
10:30 to 11:00 AM Tea Break			
20.06.2015 (Induction Course) continued..	11:45 to 01:00 PM	• Ms. Manisha Rani, Mediator	• Gender Centric Laws/Women Laws continued..
	11:45 AM to 01:00 PM	• Mr. B.N. Sharma, Public Prosecutor • Kumari Sheela, Mediator	• SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and The Protection of Civil Rights Act, 1955.
	01:30 to 03:00 PM	• Mrs. Babita Bharti • Mrs. Jahan Ara, President CWC	• Visit of Juvenile Justice Board/Observation Home, Dumardaga.

Day Five : Induction Course

21.06.2015 (Induction Course)	08:30 to 09:45 AM	• Mr. Yogeshwar Mani, AJC XII, Ranchi	• Government orders and schemes promoting social welfare, including MNREGA, Social Security Schemes (pensions, antodaya, Insurance etc), obtaining various certificates (such as caste, disability, birth, Income etc), obtaining ration card, Aadhar card, National Population Register, Voter ID-card, etc, obtaining Passport.
	09:45 to 10:30 AM	• Mr. A.V. Singh, Pr. Judicial Commissioner, Ranchi • Mr. R.K. Pathak, Secretary, DLSA, Ranchi	• Government orders and schemes continued..
10:30 to 11:00 AM Tea Break			
21.06.2015 (Induction Course) continued..	11:00 to 01:00 PM		• Valedictory Session

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : यदु महतो
बोकारो जिला विधिक सेवा प्राधिकार

वर्ष 2016 में इन्होंने 16 सुयोग्य लोगों की पहचान कर उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा इंदिरा आवास योजना शामिल हैं।

पारा विधिक स्वयंसेवक योजना (संशोधित)

परिचय

वर्ष 2009 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने एक नई योजना, जिसे पारा विधिक स्वयंसेवक योजना कहा गया, को लागू किया। इस योजना का मकसद था कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण द्वारा कानून की मूलभुत बातों की जानकारी दी जाये तथा उनके द्वारा समाज के हर तबके में अपनी पहुँच दर्ज की जाए। अंतिम मकसद था कि न्याय सबको मिले और इस रास्ते में कोई भी रूकावट न रहे। पारा विधिक स्वयंसेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आम नागरिक तथा विधिक सेवा संस्थान के बीच सेतु का काम करेंगे ताकि आम नागरिक की न्याय तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। न्याय सबको मिले इसके लिए विधिक सेवा संस्थान का प्रत्येक नागरिक के दरवाजे तक पहुंच होना चाहिए तथा यह अपेक्षा नहीं की जाने चाहिए आम नागरिक ही विधिक सेवा संस्थान तक आऐं।

पारा विधिक का पाश्चात्य संस्करण को पूर्णरूपेण भारतीय परिस्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में लोग अशिक्षित हैं। पारा विधिक प्रशिक्षण को भी सामान्य एकेडमिक पढ़ाई जैसी रूपरेखा नहीं दी जा सकती है। यह एक सेतु पाठ्यक्रम के अर्थ में है जो कि जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। पारा विधिक स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार के कानूनों की मुलभूत जानकारी दिया जाना आवश्यक है। वैसे कानून जिनका दिन-प्रतिदिन के कामों में उपयोग है तथा वैसे कानून और प्रक्रियाएं जिनसे देश की न्याय व्यवस्था संचालित होती है साथ ही साथ पुलिस, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग एवं सरकार के अन्य विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिया जाना जरूरी है। पारा विधिक को बाल न्याय अधिनियम तथा घरेलु हिंसा जैसे कानूनों की जानकारी भी दिया जाना आवश्यक है।

कानून की मुलभूत बातों तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होने से पारा विधिक स्वयंसेवक लोगों की मदद करने के लायक बनते हैं। एक आम नागरिक जिसे कानून की, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, वह भी पारा विधिक की मदद से अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होता है।

पारा विधिक से यह अपेक्षा नहीं की जाती की वह कानून एवं न्यायिक व्यवस्था में पारंगत हों, लेकिन उन्हें सामान्य समझ बनाने में मदद की जाती है ताकि वह घटना स्थल पर ही छोटे मोटे विवादों का समाधान कर सकें। विवाद की गंभीर प्रकृति के होने पर, पारा विधिक पक्षकारों को विधिक सेवा संस्थान अथवा मध्यस्थता केन्द्र लाने की पहल करते हैं जहाँ उन्हें विधिक सहायता दी जाती है तथा उनके विवादों का निपटारा लोक अदालत अथवा

मध्यस्थता द्वारा किए जाने का प्रयास किया जाता है। विवाद की प्रकृति से यह निर्णय लिया जाता है कि इसमें किस प्रकार की विधिक सहायता दी जाए।

प्रारंभ में अधिवक्तागण भी पारा विधिक प्रशिक्षण पाने के योग्य थे परन्तु बाद में यह अनुभव किया गया कि यह अव्यवहारिक है। दूरदराज में रहने वाले लोग के पास उन्हीं में से चुने हुए पारा विधिक के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है अतः नालसा ने अधिवक्ता को पारा विधिक प्रशिक्षण के लिए अनुकुल नहीं माना।

शुरू में पारा विधिक प्रशिक्षण 2–3 दिनों का रहता था चूंकि पारा विधिक का दायित्व काफी बड़ा था, इसलिए यह अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण की विषय वस्तु ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति पूर्णरूपेण अधिवक्ता बन जाए। पारा विधिक कानूनी विशेषज्ञ बने ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि पारा विधिक में मूलभुत मानवीय गुण जैसे करूणा, सहानुभूति तथा सेवा करने की भावना का विकास किया जाए। यह सब करने के लिए पारा विधिक के मन में धन कमाने की भावना नहीं आनी चाहिए, यह भी अपेक्षा की जाती है।

रूपरेखाएं

- आदर्श स्थिति में प्रत्येक तालुका स्तरीय विधिक सेवा समिति के पास 25 (50) पारा विधिक प्रत्येक समय होने चाहिए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार 50 (100) पारा विधिक होने चाहिए।
- पारा विधिक स्वयंसेवक को साक्षर, आदर्श रूप से मैट्रिक, होना चाहिए तथा उसके पास लोगों की बात समझने का सूझ–बूझ होनी चाहिए।
- वैसे लोगों को पारा विधिक के रूप में चयन किया जाना चाहिए जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहते। चयन किए जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों को सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और वंचित तबके के लिए करूणा, सहानुभूति तथा उनकी स्थिति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए।

समुदाय जिनमें से पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन किया जा सकता है

- शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक सहित)
- सेवानिवृत सरकारी सेवक तथा वरिष्ठ नागरिक
- समाज कल्याण में परास्नातक स्तर के छात्र तथा शिक्षक
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- चिकित्सक

- विद्यार्थी तथा कानून के विद्यार्थी (अधिवक्ता के रूप में नामांकन से पूर्व)
- गैर-राजनीतिक संस्था के सदस्य जो सेवा भावना से चलने वाले गैर सरकारी संस्था तथा क्लब के सदस्य।
- अस्थानीय महिला सदस्य मंडल के सदस्य तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
- अच्छा व्यवहार वाला लंबी सजायाफ्ता कैदी।
- कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार अथवा तालुका विधिक सेवा समिति पारा विधिक के रूप में कार्य के लिए उचित समझती है।

जिला स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन

जिला स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव इस समिति का एक सदस्य होता है। यह समिति तीन सदस्यों की होती है। तीसरे सदस्य का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह व्यक्ति समाज के विभिन्न वर्गों में से योग्य व्यक्ति का चयन करने में सक्षम होना चाहिए। चयन की जिम्मेदारी किसी और संस्था को नहीं दी जा सकती।

तालुका स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का अध्यक्ष तालुका स्तर के पारा विधिक के चयन के लिए एक समिति का गठन करते हैं जिसके चार सदस्य होते हैं - जिला सेवा प्राधिकार का अध्यक्ष एवं सचिव, तालुका विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष तथा चौथा व्यक्ति का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। चयन के लिए साक्षात्कार का स्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष तय करते हैं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव चयन प्रक्रिया में समन्वय का काम करते हैं।

सूचीकरण (Empanelment) प्रक्रिया

संबंधित जिला अथवा तालुक विधिक सेवा संस्थान स्थानीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करते हैं। यह विज्ञापन के द्वारा भी आमंत्रित किया जा सकता है। यह विज्ञापन जिला अधिवक्ता संघ के नोटिस बोर्ड, न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड, विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय तथा जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिया जा सकता है। विज्ञापन में उम्मीदवार के लिए अर्हता साफ शब्दों में लिखा जाता है आवेदन प्रपत्र में एक कॉलम अवश्य होना चाहिए जिससे पता चले कि उम्मीदवार की पसंद का स्थल जिला स्तर पर है या तालुका स्तर पर अथवा ग्राम स्तर पर। विज्ञापन में साफ-साफ उल्लेख किया जाना चाहिए कि पारा विधिक स्वयंसेवक के लिए कोई तनख्वाह, मासिक भुगतान अथवा मजदूरी नहीं

है उन्हें समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नियत मानदेय का भुगतान किया जाता है।

चयन की विधि

चयन समिति साक्षात्कार के द्वारा चयन करने के लिए अपने विवेकानुसार यह तय करती है कि कुल उम्मीदवारों में से किन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। चयन में महिलाओं को वरीयता दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

पारा विधिक स्वयंसेवक का प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के देखरेख में पारा विधिक स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एक प्रशिक्षण में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। जहाँ-जहाँ राज्य न्यायिक एकेडमी में प्रशिक्षण की सुविधा है वहाँ यह प्रशिक्षण न्यायिक एकेडमी में दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का खर्च न्यायिक एकेडमी वहन करती है जिसका पुर्नभुगतान राज्य सरकार/जिला विधिक सेवा प्राधिकार करते हैं।

प्रशिक्षक

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के परामर्श से, जिला विधिक से प्राधिकार के अध्यक्ष प्रशिक्षक तथा अन्य मार्गदर्शक का चयन करते हैं।
- अधिवक्ता संघ के सदस्य जिनके पास प्रशिक्षण कौशल है उन्हें भी प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाता है।
- इनमें से कोई प्रशिक्षक हो सकता है :
    - विधिक सेवा प्राधिकार के क्रियाकलापों से जुड़ा गैर सरकारी संस्थान।
    - मध्यस्थता का प्रधान प्रशिक्षक।
    - विधि महाविद्यालय के शिक्षक।
    - विधि के परास्नातक छात्र।
    - सेवानिवृत कानून के प्रोफेसर।
    - सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी।
    - राजस्व अधिकारी
    - समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी।

- लोक अभियोजक
- पुलिस अधिकारी
- मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ

प्रशिक्षण की प्रकृति

पारा विधिक स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नियत किए गए निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण दिया जाता है :

(क) ओरिएन्टेशन कार्यक्रम

(ख) मौलिक प्रशिक्षण

(ग) रिफ्रेशर पाठ्यक्रम

समय-समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिसमें पारा विधिक स्वयंसेवकों के योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकार के लिए यह आवश्यक है कि पारा विधिक का मूल्यांकन किया जाए तथा पाये जाने वाले कमियों को दूर किया जा सके। ऐसे रिफ्रेशर कार्यक्रम में पारा विधिक को उनके कार्य में आने वाले समस्याओं के पहचान तथा दूर करने का उपाय बताया जाता है। पारा विधिकों के लिए एक सालाना कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें वे आपस में अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर एक-दूसरे से सीखते हैं। जिला स्तर पर अर्द्धवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें उनकी शंकाओं का समाधान तथा क्षमताओं का विस्तरण का उपाय किया जाता है।

पारा विधिक आम लोगों में लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन से होने वाले लाभ के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि इस तरह से अपने वाद के निपटारे पर उन्हें दी गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है और कोई अपील भी नहीं होता।

प्रशिक्षण के विषय

यह नालसा का दायित्व है कि पूरे देश में समान रूप से लागू होने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करे जो पूरे देश में एक समान लागू हो। इस मॉड्यूल में खास जोर पारा विधिक के आचरण पर दिया जाता है। इस मॉड्यूल का अनुवाद सभी स्थानीय भाषा में किया जाता है।

पहचान पत्र

प्रशिक्षण अवधि के पश्चात पारा विधिक स्वयंसवकों को लिखित तथा मौखिक परीक्षा

उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके पश्चात् प्रत्येक पारा विधिक स्वयंसेवक को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चिन्ह से अंकित पहचान पत्र दिया जाता है। पहचान पत्र में (1) क्रमांक (2) पारा विधिक का नाम एवं पता (3) मोबाईल/टेलीफोन नम्बर (4) फोटो तथा (5) जारी किए जाने की तिथि अंकित रहती है। पहचान पत्र की वैद्यता अवधि भी इसमें अंकित रहती है। पहचान पत्र के पृष्ठ भाग में यह स्पष्ट रूप से अंकित रहता है कि खो जाने की स्थिति में इसकी सूचना अविलम्ब नजदीकी पुलिस थाने में दी जानी चाहिए।

पहचान पत्र का उपयोग बस अथवा किसी भी यातायात साधन से यात्रा करने में रियायत लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पहचान पत्र का उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ अथवा ऋण लेने के लिए पारा विधिक के द्वारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए।

पहचान पत्र का इस्तेमाल केवल पारा विधिक स्वयंसेवक के पहचान के लिए ही किया जा सकता है।

पहचान पत्र की वैद्यता अवधि

पहचान पत्र की वैद्यता अवधि जारी करने की तारीख से एक वर्ष की होती है। योग्य पाए जाने पर नया पहचान पत्र जारी किया जाता है।

पारा विधि स्वयंसेवक के गुरू/मार्गदर्शक

प्रत्येक अधिकतम दस पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान एक गुरू/मार्गदर्शक की नियुक्ति करती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह की सलाह अथवा सहायता के लिए पारा विधिक स्वयंसेवक अपने गुरू/मार्गदर्शक की मदद लेते हैं।

मासिक प्रतिवेदन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रत्येक माह राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को प्रतिवेदन समर्पित करता है जिसमें पारा विधिक स्वयंसेवक की वर्तमान संख्या, नवनियुक्त पारा विधिक की संख्या तथा दिए गए प्रशिक्षण का विवरण होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार प्रत्येक माह के 15 तारीख से पहले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिवेदन भेजता है जिसमें प्रशिक्षित पारा विधिक स्वयंसेवक की संख्या, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण में आए खर्च तथा पाठ्यक्रम का वर्णन होता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इस प्रतिवेदन की प्रति भारत के मुख्य न्यायाधिश के द्वारा नियुक्त पारा विधिक प्रशिक्षण तथा विधिक सहायता कार्यक्रम की राष्ट्रीय समिति को भेजती है।

पारा विधिक स्वयंसेवकों की गतिविधियों का जिलावार विवरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, नालसा को भेजती है जिसमें लाभुक व्यक्ति की संख्या तथा दिए गए सलाह की प्रकृति और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण होता है।

प्रशिक्षित पारा विधिक स्वयंसेवकों के कर्तव्य

पारा विधिक स्वयंसेवक लोगों, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोग को जागरूक करते हैं और उन्हें अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देगें।

पारा विधिक स्वयंसेवक लोगों को विवादों की प्रकृति की जानकारी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकार/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में से किनमें अपने विवाद का निपटारा हेतु जाना चाहिए।

पारा विधिक स्वयंसेवक सतत रूप से जागरूक रहते हैं और अपने क्षेत्र में हो रहे किसी भी तरह के दमन अथवा गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी टेलीफोन अथवा लिखित रूप से या स्वयं जाकर तालुका विधिक सेवा समिति को देगें।

ज्योंहि पारा विधिक स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिलती है, त्योंहि उसे पुलिस थाना जाना चाहिए तथा गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता सुनिश्चित करेंगे।

पारा विधिक का दायित्व है कि अपराध से पीड़ितों को उचित देखभाल तथा संरक्षण मिले। पारा विधिक स्वयंसेवक पीड़ित मुआवजा योजना (अन्तर्गत धारा 357क, अपराध प्रक्रिया संहिता) का लाभ भी पीड़ित को मिले, यह सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में प्राधिकृत होने पर, पारा विधिक जेल, बंदीगृह, मानसिक चिकित्सालय, बालाश्रय, संप्रेक्षण गृह जाएगें तथा इन गृहों में रहने वाले व्यक्तियों के विधिक सहायता जरूरतों का आकलन कर अधिकारियों को बताएगें तथा साफ सफाई और मूलभुत आवश्यकताओं की कमी को दूर करना सुनिश्चित करेंगे।

पारा विधिक स्वयंसेवक बाल अधिकार के किसी भी उल्लंघन, बाल श्रम, बच्चों के गायब होने अथवा बच्चियों के तस्करी की जानकारी अविलंब विधिक सेवा संस्थान अथवा बाल कल्याण समिति को आवश्यक रूप से देंगे।

पारा विधिक स्वयंसेवक जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान की सहायता विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में करेंगे।

पारा विधिक स्वयंसेवक स्थानीय लोगों को तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकार/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/सर्वोच्च

न्यायालय विधिक सेवा समिति की गतिविधियों की जानकारी देंगे। वे आम लोगों को इन संस्थानों का पता भी बताएंगे ताकि सुयोग्य व्यक्ति को इन संस्थानों से मदद मिल सके।

पारा विधिक स्वयंसेवक लोगों में विवादों के निपटारे के लिए मुफ्त अथवा कम खर्चीली माध्यमों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। वे लोगों को जनोपयोगी सेवाओं जैसे डाक एवं तार, टेलीफोन, पानी बिजली आपूर्ति, बीमा तथा अस्पताल सेवाओं से संबंधित विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के प्रति जागरूक करेंगे।

विहित प्रपत्र में पारा विधिक प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यों का विवरण जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान को देंगे।

प्रत्येक पारा विधिक स्वयंसेवक विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का विवरण दर्ज करेगा। इस डायरी को मुद्रित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पारा विधिक को प्रदान करेंगे। इस डायरी का पहचान तथा पृष्ठांकन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष करेंगे।

पारा विधिक स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक सेवा प्रचार साहित्य तथा विधिक सेवा गतिविधियों का प्रदर्शन उनके क्षेत्र में प्रमुख जगहों पर हो।

पारा विधिक स्वयंसेवकों के द्वारा किए गए व्यय

पारा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा बस/रेलगाड़ी भाड़ा, डाक भेजने में आये खर्च, टेलीफोन करने में आये खर्च का भुगतान उचित सबूत दिए जाने पर जिला अथवा तालुका अथवा राज्य विधिक सेवा संस्थान करेंगे। विधिक सहायतार्थी को लाने में जो खर्च लगा, वह भी पारा विधिक को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के विवेक पर पुर्नभुगतान किया जाएगा।

महानगरों में पारा विधिक स्वयंसेवकों के मानदेय की रकम का निर्धारण राज्य विधिक सेवा प्राधिकार करेंगे।

जिला, राज्य अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान द्वारा वाहन मुहैया कराए जाने पर पारा विधिक को कोई यात्रा खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा।

पारा विधिक स्वयंसेवक की जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान में नियुक्ति

जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान के सचिव विधिक सेवा संस्थानों के फ्रंट ऑफिस में एक अथवा एकाधिक पारा विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती करेंगे।

पारा विधिक स्वयंसेवकों की जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान के विधिक सेवा केन्द्र में नियुक्ति

जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान के सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा केन्द्र) विनियम, 2011 के अंतर्गत खोले गए विधिक सहायता केन्द्र में पारा विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती करेंगे। यहाँ तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक उक्त विनियम में वर्णित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

विधिक सहायता केन्द्र तथा फ्रंट ऑफिस में कार्यरत पारा विधिक स्वयंसेवक के लिए मानदेय

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से परामर्श कर पारा विधिक स्वयंसेवक के मानदेय का निर्धारण करेंगे।

यह मानदेय 250 रूपया प्रतिदिन से कम नहीं होगा।

पारा विधिक स्वयंसेवक, विधिक सहायतार्थी को दूरदराज के गांवों से जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान अथवा जिला न्याय सदन लाने पर उन्हें एक दिन के मानदेय के बराबर भुगतान किया जाएगा।

पारा विधिक स्वयंसेवक एक दिन के मानदेय के बराबर भुगतान के हकदार होंगे अगर वह किसी व्यक्ति को सहायता करने के लिए उनके साथ कार्यालय अथवा न्यायालय जाते हैं।

पारा विधिक स्वयंसेवक द्वारा विधिक साक्षरता कक्षा अथवा शिविर में सहायता

नजदीकी विधिक सहायता संस्थान से परामर्श करके पारा विधिक स्वयंसेवक लघु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन अपने क्षेत्र में करेंगे। इसके लिए वह श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के छोटे-छोटे समूह के लिए विधिक साक्षरता की कक्षाएं लगाएंगे। इन कक्षाओं में उपस्थित लोगों को कानूनी जन जागरण साहित्य का वितरण किया जाएगा।

स्थानीय स्तर के विवादों का वैकल्पिक विवाद निपटारा माध्यम से समाधान

पारा विधिक स्वयंसेवक विवाद के दोनों पक्षों को आपसी समझ-बूझ से समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें लोक अदालत, मध्यस्थता या परामर्श केन्द्र जाने की सलाह देंगे। अगर जिला न्याय सदन की स्थापना नहीं हुई है तो विधिक सेवा संस्थान लोक अदालत, मध्यस्थता अथवा परामर्श का आयोजन पारा विधिक की मदद से गांव में ही करेंगे। वैसे पारा विधिक जो विवादों को इस तरह से वैकल्पिक विवाद निपटारा माध्यम से निष्पादन हेतु लाते हैं उन्हें उक्त दिन के लिए एक दिन के बराबर मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

कारा गृह में पारा विधिक स्वयंसेवक

कुछ पढ़े लिखे अच्छे व्यवहार वाले बंदी जो लंबी सजायाफ्ता हैं और केन्द्रीय अथवा जिला कारागृह में हैं उनका पहचान किया जाएगा और उन्हें पारा विधिक स्वयंसेवक का

प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे अपने साथी बंदियों को अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे लघु विधिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण दूसरे पारा विधिकों के साथ भी दिया जा सकता है।

भुगतान

कारा गृह के ऐसे पारा विधिक स्वयंसेवकों को भी विहित दर पर मानदेय का भुगतान अन्य पारा विधिक स्वयंसेवकों जैसे ही किया जाएगा।

पारा विधिक स्वयंसेवकों की अयोग्यताएं तथा उन्हें हटाने की प्रक्रिया

वैसे पारा विधिक स्वयंसेवक अयोग्य घोषित किए जाएंगे तथा उन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा जो :

- पारा विधिक स्वयंसेवक योजना में रूचि नहीं रखते हैं।
- दिवालिया घोषित किए जा चुके हैं।
- अपराध में अभियुक्त बनाए गए हैं।
- शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में अयोग्य हो गए हैं।
- जिन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है और जिनका पारा विधिक स्वयंसेवक बने रहना जनहित में नहीं है।
- राजनैतिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।

ऐसे पारा विधिक स्वयंसेवकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के द्वारा उपयुक्त जांच के पश्चात हटाया जा सकता है तथा इसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया जाएगा।

पारा विधिक स्वयंसेवकों की राष्ट्रीय सभा

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उपयुक्त पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन कर उन्हें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भेजेगी जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। श्रेष्ठ काम करने वाले पारा विधिक स्वयंसेवकों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को करेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जिला के पारा विधिक स्वयंसेवकों के डाटाबेस का निर्माण

जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने जिले के पारा विधिक स्वयंसेवकों की निर्देशिका (Directory) तैयार करेगी तथा समय-समय पर उसमें अद्यतन जानकारी डालेगी। इस निर्देशिका (Directory) में जिला तथा तालुका विधिक सेवा समिति के पारा विधिक

स्वयंसेवकों के नाम, पता, मोबाईल/टेलीफोन नम्बर, मेल आईडी तथा उन्हें दिए गए पहचान पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने की तिथि अंकित रहेगी।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा राज्य के पारा विधिक स्वयंसेवकों के डाटाबेस का निर्माण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जिलावार पारा विधिक स्वयंसेवकों की निर्देशिका (Directory) तैयार करेगी तथा समय-समय पर उसमें अद्यतन जानकारी डालेगी। इस निर्देशिका (Directory) में जिला तथा तालुका विधिक सेवा समिति के पारा विधिक स्वयंसेवकों के नाम, पता, मोबाईल/टेलीफोन नम्बर, मेल आईडी तथा उन्हें दिए गए पहचान पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने की तिथि अंकित रहेगी।

विधिक सेवा प्राधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए गए पारा विधिक प्रशिक्षण एवं विधिक सहायता गतिविधि के राष्ट्रीय समिति के साथ समन्वय से काम करेगी।

उक्त समिति के माननीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन देश के सभी विधिक सेवा संस्थान द्वारा किया जाना बाध्यकारी है।

पारा विधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु ओरिएन्टेशन-इंडक्शन-रिफ्रेशर प्रशिक्षण मॉडयूल

1. ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम

   चयन किए जाने के पश्चात् पारा विधिक स्वयंसेवकों को एक दिन का ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

   ### पाठ्यक्रम के उद्देश्य

   ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पारा विधिक स्वयंसेवकों को उनके दायित्व और भूमिका से अवगत कराना है तथा उन्हें नैतिकता तथा कार्य के श्रेष्ठ मानदंड से परिचय कराना भी है।

   ओरिएन्टेशन कार्यक्रम में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित बातें होंगी :

   - परिचय तथा आइस ब्रेकिंग सत्र
   - उद्देश्य तथा पारा विधिक स्वयंसेवकों की भूमिका
   - संविधान की मूलभुत संरचना तथा प्रस्तावना
   - समाज के शोषित एवं वंचित लोगों के प्रति संविधान में वर्णित राज्य के उत्तरदायित्व (राज्य शासन के निर्देशक सिद्धांत)

- मुलभूत अधिकार (अन्य के अलावा अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 22)
- जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य (मौलिक कर्तव्य)
- अनुच्छेद 39ए और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं नालसा विनियमन
- पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए करने तथा नहीं करने योग्य बातें
- ड्रेस कोड एवं व्यवहार के मानदंड
- सामग्री
- नैतिकता

2. इंडक्शन पाठ्यक्रम

इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम चार दिनों का होगा जिनमें निम्नलिखित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा :

- सुनने, संवाद करने तथा अवलोकन करने संबंधी कौशल तथा कागज लिखने संबंधी कौशल का मौलिक जानकारी।
- कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित कानूनों (विवाह संबंधी कानून, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा तथा अभिभावकत्व, न्यायिक विवाह विच्छेद तथा तलाक)
- संपति संबंधी कानून (उत्तराधिकार, अचल संपति अंतरण, निबंधन, राजस्व संबंधी कानूनी)
- आपराधिक कानून (भारतीय दण्ड संहिता तथा अपराध प्रक्रिया संहिता (जमानत तथा गिरफ्तारी, पीड़ितों के लिए मुआवजा, बंदियों के लिए अधिकार जो जेल मैनुएल तथा बंदी अधिनियम में वर्णित हैं उनकी न्यूनतम मुलभूत बातों की जानकारी आवश्यक है))
- श्रम कानून (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, असंगठित कर्मकार कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियुक्ति तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1979, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप रूप से), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत मिलने वाली विधिक सहायता)
- लिंग केन्द्रित कानून/महिलाओं के लिए कानून- समान वेतन अधिनियम, 1976, मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961, घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा

अधिनियम, 2005, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, गर्भ पूर्व (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994, कार्य स्थल पर यौन हिंसा, भारतीय दण्ड संहिता के मुख्य प्रावधान–धारा 509, 354, 376, 304बी, 366, 498ए, 494, दहेज निषेध अधिनियम, 1961)

- बच्चों से संबंधित कानून– बाल न्याय अधिनियम, 2015, बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986, लापता बच्चों से संबंधित निर्णय तथा कानून, कारखाना अधिनियम, 1948, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006)
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955
- सरकारी आदेश तथा योजनाएं– समाज कल्याण योजना, जिसमें शामिल हैं (मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन, अन्तयोदय, बीमा इत्यादि), जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना, राशन कार्ड प्राप्त करना, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट इत्यादि।
- सरकारी कार्यालयों, न्यायालय, पुलिस थाना, बंदीगृह, राजस्व कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, तालुका विधिक सेवा समिति, इत्यादि में जाना तथा सुरक्षा पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति/बाल न्याय परिषद्, लिंग चयन निषेध अधि नियम, 1994 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के साथ कार्यकलाप।

3. उन्नत प्रशिक्षण

तीन महीने तक कार्य करने के अनुभव के पश्चात यह आवश्यक है कि पारा विधिक स्वयंसेवकों को तीन दिनों का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष को इस प्रशिक्षण में पारा विधिकों के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा करनी चाहिए, अनुभव की गई कमियों को पहचान कर उसे दूर करने का उपाय खोजना चाहिए। इस उन्नत प्रशिक्षण में गुरू/मार्गदर्शक को भी शामिल होना चाहिए और पारा विधिकों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं का समाधान का प्रयास करना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष को पारा विधिकों से फीडबैक लेना चाहिए ताकि प्रशासनिक स्तर पर आने वाली रूकावटों को दूर किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पारा विधिक स्वयंसेवकों को निम्नलिखित विशेष कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए :

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मनोरोगियों के लिए सहायता योजना, 2015
- माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- वैकल्पिक विवाद निष्पादन के प्रावधान (धारा 89 दीवानी प्रक्रिया संहिता)
- मध्यस्थता तथा परामर्श में मुलभूत कौशल
- लोक अदालत जिसमें मुकदमा पूर्व मामलों के लिए लोक अदालत भी शामिल है तथा इससे होने वाले लाभ
- प्ली बार्गेनिंग
- हाशिये पर के समुदाय के लोगों के अधिकार जैसे कि एचआईवी/एड्स रोगी, विशिष्ट रूप से योग्य व्यक्ति तथा उभयलिंगी आदि।
- अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 तथा यौन कर्मियों से संबंधित मुद्दे
- आपदा प्रबंधन तथा आपदा पीड़ित को नालसा की आपदा पीड़ित के लिए विधिक सहायता योजना के तहत विधिक सहायता
- पर्यावरण संबंधी मुद्दे
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012

आदर्श रूप से, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को खुद के स्तर पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकारों के द्वारा समय-समय पर नियमित रूप से कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। यह कार्यशाला एक या दो दिन की हो सकती है जिसमें विषय का चयन जरूरत के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें पारा विधिकों के कार्यों का मूल्यांकन भी एक विषय हो सकता है। पूर्व में बताये गये विषयों को फिर से बताया जा सकता है।

एकदिवसीय अंतर जिला कार्याशाला का भी आयोजन किया जाना चाहिए ताकि एक दूसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे के उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का परिचय पारा विधिक को हो सके। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पारा विधिक को इन कार्यशालाओं में सम्मानित भी किया जा सकता है।

❑❑❑

पारा विधिक स्वयंसेवको को जानने योग्य वैसे निर्णय जो मील का पत्थर हैं

Voluntary Health Association of Punjab Versus Union of India and Others

Supreme Court of India

Voluntary Health Ass. Of Punjab vs Union Of India & Ors

Decided on 8 November, 2016

Bench: **Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Hon'ble Mr. Justice Shiva Kirti Singh**

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 349 OF 2006

WITH

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 575 OF 2014

JUDGMENT

Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, J.

The two writ petitions being inter-connected in certain aspects were heard together and are disposed of by the singular order. We shall first deal with the grievance agitated in Writ Petition (Civil) No. 349 of 2006 and thereafter advert to what has been asserted in the other writ petition. Be it stated immediately that the issues raised in Writ Petition (Civil) No. 349 of 2006 are not agitated for the first time, for they had been raised on earlier occasions and dealt with serious concern and solemn sincerity. It is because they relate to the very core of existence of a civilized society, pertain to the progress of the human race, and expose the maladroit efforts to throttle the right of a life to feel the mother earth and smell its fragrance. And, if we allow ourselves to say, the issues have been highlighted with sincere rhetorics and balanced hyperboles and ring the alarm of destruction of humanity in the long run. It is not a group prophecy, but a significant collective predication. The involvement of all is obvious, and it has to be. The heart of the issue that is zealously projected by the petitioner is the increase of female foeticide, resultant imbalance of sex ratio and the indifference in the implementation of the stringent law that is in force. In essence, the fulcrum of the anguished grievance lays stress on the non-implementation of the provisions of The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (for brevity the Act) and The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996 (for short the Rules) framed under the Act by the competent authorities who are obliged to do so.

2. The grievance has a narrative, and it needs to be stated.

3. Realising the rise of pre-natal diagnostic centres in urban areas of the country using pre-natal diagnostic techniques for determination of sex of the foetus and that the said centres had become very popular and had tremendous growth, as the female child is not welcomed with open arms in many Indian families and the consequence that such centres became centres for female foeticide which affected the dignity and status of women, the Parliament brought in the legislation to regulate the use of such

techniques and to provide punishment for such inhuman act. The objects and reasons of the Act stated unequivocally that it was meant to prohibit the misuse of pre-natal diagnostic techniques for determination of sex of the foetus, leading to female foeticide; to prohibit advertisement of pre-natal diagnostic techniques for detection or determination of sex; to permit and regulate the use of pre-natal diagnostic techniques for the purpose of detection of specific genetic abnormalities or disorders; to permit the use of such techniques only under certain conditions by the registered institutions; and to punish for violation of the provisions of the proposed legislation. The Preamble of the Act provides for the prohibition of sex selection before or after conception, and for regulation of pre-natal diagnostic techniques for the purposes of detecting genetic abnormalities or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or certain congenital malformations or sex-linked disorders and for the prevention of their misuse for sex determination leading to female foeticide and for matters connected therewith or incidental thereto. Be it noted when the Act came into force, it was named as the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 and after the amendments in 2001 and 2003, in the present incarnation, it is called The Pre-conception and Pre- natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

4. As the violence and cruelty meted out to women gradually got revealed due to rights and protections prescribed under various legislations, the Court perceived the magnitude of the crime. Such a situation compelled this Court, in Ajit Savant Majagvai v. State of Karnataka, while dealing with the physical violence, torture, mental cruelty and murder of the female particularly the wife, to comment on the degeneration of relationship and the prevalent atmosphere by observing that:- 3. Social thinkers, philosophers, dramatists, poets and writers have eulogised the female species of the human race and have always used beautiful epithets to describe her temperament and personality and have not deviated from that path even while speaking of her odd behaviour, at times. Even in sarcasm, they have not crossed the literary limit and have adhered to a particular standard of nobility of language. Even when a member of her own species, Madame De Stael, remarked I am glad that I am not a man; for then I should have to marry a woman, there was wit in it. When Shakespeare wrote, Age cannot wither her; nor custom stale, her infinite variety, there again was wit. Notwithstanding that these writers have cried hoarse for respect for woman, notwithstanding that Schiller said Honour women! They entwine and weave heavenly roses in our earthly life and notwithstanding that the Mahabharata mentioned her as the source of salvation, crime against woman continues to rise and has, today undoubtedly, risen to alarming proportions.

4. It is unfortunate that in an age where people are described as civilised, crime against female is committed even when the child is in the womb as the female foetus is often destroyed to prevent the birth of a female child. If that child comes into existence, she starts her life as a daughter, then becomes a wife and in due course, a mother. She rocks the cradle to rear up her infant, bestows all her love on the child and as the child grows in age, she gives to the child all that she has in her own personality. She shapes the destiny and character of the child. To be cruel to such a creature is unthinkable. [Emphasis added]

5. We may repeat, the aforestated observation though made totally in a different context but nonetheless, it seemly stated the marrow of the problem. Needless to emphasise, the predicament with regard to female foeticide by misuse of modern science and technology has aggravated and enormously affected the sex ratio. To eradicate the malady, the Parliament, as stated earlier, had enacted the Act. In the first year of this

century, a petition under Article 32 was moved for issuing directions to implement the provisions of the said Act by (a) appointing appropriate authorities at State and district levels and the Advisory Committees; (b) issuing direction to the Central Government to ensure that the Central Supervisory Board meets every 6 months as provided under the PNDT Act; and for banning of all advertisements of prenatal sex selection including all other sex- determination techniques which can be abused to selectively produce only boys either before or during pregnancy. A two-Judge bench in Center for Enquiry into Health & Allied Themes (CEHAT) and others v. Union of India and others[2] and Center for Enquiry into Health & Allied Themes (CEHAT) and others v. Union of India and others[3] on 04.05.2001 issued certain directions. Apart from the directions contained in the said orders, the Court, while finally disposing of the writ petition, issued the following directions:-

(a) For effective implementation of the Act, information should be published by way of advertisements as well as on electronic media. This process should be continued till there is awareness in the public that there should not be any discrimination between male and female child.

(b) Quarterly reports by the appropriate authority, which are submitted to the Supervisory Board should be consolidated and published annually for information of the public at large.

(c) Appropriate authorities shall maintain the records of all the meetings of the Advisory Committees.

(d) The National Inspection and Monitoring Committee constituted by the Central Government for conducting periodic inspection shall continue to function till the Act is effectively implemented. The reports of this Committee be placed before the Central Supervisory Board and State Supervisory Boards for any further action.

(e) As provided under Rule 17(3), the public would have access to the records maintained by different bodies constituted under the Act.

(f) The Central Supervisory Board would ensure that the following States appoint the State Supervisory Boards as per the requirement of Section 16- A: 1. Delhi, 2. Himachal Pradesh, 3. Tamil Nadu, 4. Tripura, and 5. Uttar Pradesh.

(g) As per the requirement of Section 17(3)(a), the Central Supervisory Board would ensure that the following States appoint the multi-member appropriate authorities: 1. Jharkhand, 2. Maharashtra, 3. Tripura, 4. Tamil Nadu, and 5. Uttar Pradesh. It will be open to the parties to approach this Court in case of any difficulty in implementing the aforesaid directions.

6. Despite the directions issued by the Court, there had not been proper implementation and that compelled the present petitioner, namely, Voluntary Health Association of Punjab to file the present Writ Petition seeking various directions. The Court on 08.01.2013 took note of the fact that the provisions had not been adequately implemented by the various States and Union Territories and accordingly directed for personal appearance of the Health Secretaries of the States of Punjab, Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra, to examine what steps they had taken for the proper and effective implementation of the provisions of the Act as well as the various directions issued by this Court.

7. At a later stage, a reference was made to 2011 Census of India to highlight there had been a sharp decline in the female sex ratio in many States. It was also observed that

there had been no effective supervision or follow-up action so as to achieve the object and purpose of the Act. It was observed that mushrooming of various sonography centres, genetic clinics, genetic counselling centres, genetic laboratories, ultrasonic clinics, imaging centres in almost all parts of the country called for more vigil and attention by the authorities under the Act. The Court also found that their functioning was not being properly monitored or supervised by the authorities under the Act or to find out whether they are misusing the pre-natal diagnostic techniques for determination of sex of foetus leading to foeticide.

8. A reference was made to various facets of the Act and the Rules and ultimately the Court in Voluntary Health Association of Punjab v. Union of India and others[4] issued the following directions:-

9.1. The Central Supervisory Board and the State and Union Territories Supervisory Boards, constituted under Sections 7 and 16-A of PN & PNDT Act, would meet at least once in six months, so as to supervise and oversee how effective is the implementation of the PN & PNDT Act.

9.2. The State Advisory Committees and District Advisory Committees should gather information relating to the breach of the provisions of the PN & PNDT Act and the Rules and take steps to seize records, seal machines and institute legal proceedings, if they notice violation of the provisions of the PN & PNDT Act.

9.3. The committees mentioned above should report the details of the charges framed and the conviction of the persons who have committed the offence, to the State Medical Councils for proper action, including suspension of the registration of the unit and cancellation of licence to practice.

9.4. The authorities should ensure also that all genetic counselling centres, genetic laboratories and genetic clinics, infertility clinics, scan centres, etc. using pre-conception and pre-natal diagnostic techniques and procedures should maintain all records and all forms, required to be maintained under the Act and the Rules and the duplicate copies of the same be sent to the district authorities concerned, in accordance with Rule 9(8) of the Rules.

9.5. States and District Advisory Boards should ensure that all manufacturers and sellers of ultrasonography machines do not sell any machine to any unregistered centre, as provided under Rule 3-A and disclose, on a quarterly basis, to the State/Union Territory concerned and the Central Government, a list of persons to whom the machines have been sold, in accordance with Rule 3-A(2) of the Rules.

9.6. There will be a direction to all genetic counselling centres, genetic laboratories, clinics, etc. to maintain Forms A, E, H and other statutory forms provided under the Rules and if these forms are not properly maintained, appropriate action should be taken by the authorities concerned.

9.7. Steps should also be taken by the State Government and the authorities under the Act for mapping of all registered and unregistered ultrasonography clinics, in three months time.

9.8. Steps should be taken by the State Governments and the Union Territories to educate the people of the necessity of implementing the provisions of the Act by conducting workshops as well as awareness camps at the State and district levels.

9.9. Special cell be constituted by the State Governments and the Union Territories to monitor the progress of various cases pending in the courts under the Act and take steps for their early disposal.

9.10. The authorities concerned should take steps to seize the machines which have been used illegally and contrary to the provisions of the Act and the Rules thereunder and the seized machines can also be confiscated under the provisions of the Code of Criminal Procedure and be sold, in accordance with law.

9.11. The various courts in this country should take steps to dispose of all pending cases under the Act, within a period of six months. Communicate this order to the Registrars of various High Courts, who will take appropriate follow-up action with due intimation to the courts concerned. A further direction was given to file the Status Report within a period of three months. It is apt to note here that in the concurring opinion Dipak Misra, J. only highlighted certain aspects that pertained to direction contained in paragraph 9.8.

9. We may profitably reproduce certain passages from the concurring opinion:-

14. Female foeticide has its roots in the social thinking which is fundamentally based on certain erroneous notions, egocentric traditions, perverted perception of societal norms and obsession with ideas which are totally individualistic sans the collective good. All involved in female foeticide deliberately forget to realise that when the foetus of a girl child is destroyed, a woman of the future is crucified. To put it differently, the present generation invites the sufferings on its own and also sows the seeds of suffering for the future generation, as in the ultimate eventuate, the sex ratio gets affected and leads to manifold social problems. I may hasten to add that no awareness campaign can ever be complete unless there is real focus on the prowess of women and the need for women empowerment.

x x x x x

19. A woman has to be regarded as an equal partner in the life of a man. It has to be borne in mind that she has also the equal role in the society i.e. thinking, participating and leadership.

x x x x x

21. When a female foeticide takes place, every woman who mothers the child must remember that she is killing her own child despite being a mother. That is what abortion would mean in social terms. Abortion of a female child in its conceptual eventuality leads to killing of a woman. Law prohibits it; scriptures forbid it; philosophy condemns it; ethics deprecate it, morality decries it and social science abhors it. Henrik Ibsen emphasised on the individualism of woman. John Milton treated her to be the best of all Gods work. In this context, it will be appropriate to quote a few lines from Democracy in America by Alexis de Tocqueville: If I were asked to what the singular prosperity and growing strength of that people [Americans] ought mainly to be attributed, I should reply: To the superiority of their women.

x x x x x

32. A cosmetic awareness campaign would never subserve the purpose. The authorities of the Government, the non-governmental organisations and other volunteers are required to remember that there has to be awareness camps which are really effective. The people involved with the same must take it up as a service, a crusade. They must understand and accept that it is an art as well as a science and not simple arithmetic. It cannot take the colour of a routine speech. The awareness camps should not be founded on the theory of Euclidian geometry. It must engulf the concept of social vigilance with an analytical mind and radiate into the marrows of the society. If awareness campaigns are not appositely conducted, the needed guidance for the

people would be without meaning and things shall fall apart and everyone would try to take shelter in cynical escapism.

33. It is difficult to precisely state how an awareness camp is to be conducted. It will depend upon what kind and strata of people are being addressed to. The persons involved in such awareness campaign are required to equip themselves with constitutional concepts, culture, philosophy, religion, scriptural commands and injunctions, the mandate of the law as engrafted under the Act and above all the development of modern science. It needs no special emphasis to state that in awareness camps while the deterrent facets of law are required to be accentuated upon, simultaneously the desirability of law to be followed with spiritual obeisance, regard being had to the purpose of the Act, has to be stressed upon. The seemly synchronisation shall bring the required effect. That apart, documentary films can be shown to highlight the need; and instil the idea in the mind of the public at large, for when the mind becomes strong, mountains do melt.

34. The people involved in the awareness campaigns should have boldness and courage. There should not be any iota of confusion or perplexity in their thought or action. They should treat it as a problem and think that a problem has to be understood in a proper manner to afford a solution. They should bear in mind that they are required to change the mindset of the people, the grammar of the society and unacceptable beliefs inherent in the populace.

10. As directed in the judgment, the matter was listed and certain clarifications were sought for by the Union of India with regard to the directions vide direction Nos. 2, 3, 4 and 6 pointing out that the authorities mentioned in direction No. 2 should also include appropriate authority under Section 17 and Section 17A of the Act. With regard to direction No. 6, it was submitted that instead of Forms A, E and H, Forms A, D, F, G & H be substituted. The said prayers were allowed and the States were directed to file their respective status report.

11. On 16.9.2014 the Court took note of the directions already issued and proceeded to deal with I.A. No. 11 of 2013 and recorded the submission of Mr. Sanjay Parikh, learned counsel that the Union of India has to animate itself in an appropriate manner to see that the sex ratio is maintained and does not reduce further. It was also urged by him that the Central Supervision Committee which is required to meet to take stock of the situation and the National Monitoring Committee who is required to monitor the activities, had failed in their duties.

12. Mr. Parikh had also drawn the attention of the Court to the proviso to Section 4(3) of the Act which reads as follows:-

4. Regulation of pre-natal diagnostic techniques.-- On and from the commencement of this Act,-- (1) (2) (3) Provided that the person conducting ultrasonography on a pregnant woman shall keep complete record thereof in the clinic in such manner, as may be prescribed, and any deficiency or inaccuracy found therein shall amount to contravention of the provisions of section 5 and section 6 unless contrary is proved by the person conducting such ultrasonography.

13. It was propounded by him that the concerned authorities have not acted in accordance with the aforesaid provision in all seriousness as a result of which the nation has faced the disaster of female foeticide. On that day, Mr. Colin Gonsalves, learned senior counsel appearing for the writ petitioner had drawn our attention to the affidavit filed by the petitioner contending, inter alia, that the sex ratio in most of the States had decreased and in certain States, there had been a minor increase, but the same is not

likely to subserve the aims and objects of the Act. After referring to the history of this litigation which has been continuing in this Court since long, he had submitted that certain directions are required to be issued.

14. The Union of India was directed to file an affidavit of the Additional Secretary of Health and/or any other concerned Additional Secretary clearly stating what steps had been taken and on the basis of the steps taken, what results have been achieved. It was also directed that all the States shall file their responses through the concerned Health Secretaries. The direction further contained that the affidavits shall be comprehensive and must reflect sincerity and responsibility.

15. On 25.11.2014 the Court noted that affidavits by certain States had been filed and certain States, namely, Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Tripura, and UT of Daman and Nagar Haveli and Puducherry had not filed the affidavits. Two weeks time was granted to file the necessary affidavits. At that juncture, it was thought appropriate to advert to the States by dividing them into certain clusters. It was decided to deal with the situation pertaining to the States of Uttar Pradesh, Haryana and NCT of Delhi first. The affidavit filed by the State of Uttar Pradesh was considered and in that context it was observed that the census conducted in 2011 cannot be the guideline for the purposes of PC-PNDT Act. It was felt that a different methodology was required to be adopted by the State. Paragraph 28 of the affidavit, which is of significance, is extracted below:-

28. That it is pertinent to mention herein that according to ANNUAL HEALTH SURVEY (AHS) for the year 2010-11, 2011-12 and 2012-13, improvement has been revealed in the State in respect of Sex Ratio At Birth, Sex Ratio of Child (0 to 04 years age) and Sex Ratio in all age group, which is clear with the table given below:

Year of Annual Health	Sex Ratio (at birth)	Sex Ratio (0 to 4 years of ages)	Sex Ratio |(In all Survey)
2010-11	904	913	943
2011-12	908	914	944
2012-13	921	919	946

It is necessary to mention here that on a query being made by the Court, learned counsel for the State was not in a position to explain on what basis the said figures had been arrived at, for the same was not reflectible from the assertions made in the affidavit.

16. As far as the State of Haryana is concerned, the chart given in paragraph 15 of the affidavit indicated district-wise and month-wise sex ratio of births during the year 2014. It is as follows:-

|District wise and month wise Sex Ratio at Birth during year| |2014 in Haryana State as per CRS (Prov) | |Sr. |District |Up to |Up to |Up to|Up to|Up to|Up to | |No | |Jan.14 |Feb.14 |Mar |April|May |June | | | | |14 |14 |14 |14 | |1 |Ambala |1012 |993 |959 |939 |913 |910 | |2 |Bhiwani |824 |812 |843 |848 |846 |832 | |3 |Faridabad |929 |892 |889 |884 |890 |890 | |4 |Fatehabad |859 |898 |890 |888 |886 |874 | |5 |Gurgaon |829 |856 |851 |854 |855 |839 | |6 |Hissar |892 |872 |883 |878 |885 |880 | |7 |Jhajjar |797 |793 |793 |801 |800 |811 | |8 |Jind |886 |876 |878 |911 |915 |899 | |9 |Kaithal |953 |921 |920 |928 |927 |918 | |10 |Karnal |911 |899 |888 |881 |889 |894 | |11 |Kurukshetra |956 |904 |900 |892 |890 |888 | |12 |Mewat |920 |942 |932 |923 |920 |919 | |13 |Mohindergarh |777 |776 |797 |786 |782 |770 | |14 |Palwal |867 |871 |871 |871 |876 |875 | |15 |Panchkula |853 |837 |860 |914 |902 |914 | |16 |Panpat |924 |931 |915 |904

|903 |895 | |17 |Rewari |856 |850 |849 |822 |816 |806 | |18 |Rohtak |894 |884 |865 |863 |859 |889 | |19 |Sirsa |897 |872 |879 |885 |892 |886 | |20 |Sonepat |859 |884 |850 |838 |834 |835 | |21 |Yamuna naga |903 |940 |916 |897 |894 |869 | | |Haryana State |889 |884 |881 |878 |878 |874 | Nothing had been filed stating as to how the aforesaid figures had been reached except making a statement that the figures were arrived at on the basis of entry in certain registers.

17. On a perusal of the affidavit by the NCT of Delhi, it was noted that in paragraph 5, it had been stated, thus:-

5. It is submitted that Sex Ratio at Birth in Delhi, which is a reliable indicator of violations under the PC & PNDT Act, has improved by 9 points in 2013 over the previous year. The data available from Civil Registration System indicates that Sex Ratio at Birth was 809 females per 1000 males in the year 2001 and it is currently at 895 in 2013 Annexure R-I.

18. At that stage, the Court felt the need for verification of the documents that formed the basis on which these figures had been reached. It was also clarified that the figures that had been put forth did not show much indication of improvement but it was necessary to verify whether the figures that had been set forth was correct or not. The purpose was to find out whether there was degradation of sex ratio or stagnation or any steps had really been taken by the concerned States to improve/enhance the sex ratio or not; and accordingly it was directed that a meeting be held under the auspices of National Inspection and Monitoring Committee wherein the Additional Secretary who had filed the affidavit for the Union of India and two other Joint Secretaries of the Ministry of Health and Family Welfare shall remain present. The deponents who had filed the affidavits before this Court on behalf of the State of Uttar Pradesh and NCT of Delhi were directed to remain present.

The Director General, Health Services, State of Haryana and the Principal Secretary along with the Special Secretary, State of Uttar Pradesh were also directed to remain present in the meeting and to produce the relevant registers/records before the said Committee on the date fixed. Mr. Gonsalves, learned senior counsel for the petitioner and Mr. Parikh, learned counsel for the impleaded respondent(s) were allowed to be present. The report was required to be filed before this Court by 10.12.2014. It was further directed that apart from the sex-ratio, the aforesaid three States shall also bring records with regard to the prosecutions levied by the State yearwise and the stage of the prosecution.

19. Pursuant to order dated 25.11.2014, the Committee verified the data submitted by three States, namely, Uttar Pradesh, Haryana and Delhi. As far as the State of Uttar Pradesh was concerned, on a perusal of the report, it transpired that the figures that were submitted by the State of Uttar Pradesh had been verified by the Committee and found to be correct. On a perusal of the report along with the documents that had been annexed to, it was noticed that certain cases were pending for trial before the trial Court. Regard being had to the fact that they had been instituted long back, a direction was issued to the effect that the proceedings that were pending before for trial and where there was no stay order of the High Court or this Court, the same shall be taken up in quite promptitude and be disposed of within a period of three months commencing 20th January, 2015. Be it stated certain other directions were issued to be complied with by the State of Uttar Pradesh.

20. At a subsequent stage, the data furnished by the States, i.e., Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu were verified. On 15.4.2015 this Courts attention was drawn

to the sex ratio in Delhi which had been verified by the Monitoring Committee as per the population census. The said sex ratio relates to 2011 which reads as follows:- Sex Ratio as per Population Census The universal sex ratio of Delhi as per population census for all age groups taken together was 821 females per 1000 males in 2001 and it has become 866 females per 1000 males as per provisional data of census 2011. Children sex ratio (0-6) of Delhi went down marginally from 868 (as per census 2001) to 866 (as per census 2011). As can be seen from statement 1.3, at both points of the figures of Delhi were below than All India level. The district-wise scenario for the children of 0-6 years varies in different districts.

Statement 1.3: Sex ratio of Delhi/All India as per population Census Data |Sl. No |Item |Census Year | |A |District wise sex ratio |2001 |2011 | | |(Children of 0-6 years) | | | | |South |888 |878 | | |South West |846 |836 | | |North West |857 |863 | | |North |886 |872 | | |Central |903 |902 | | |New Delhi |898 |884 | | |East |865 |870 | | |North East |875 |875 | | |West |859 |867 | | |Delhi | | | | |Children of 0-6 years |868 |866 | | |All ages |821 |866 | | |All India | | | | |Children of 0 -6 years |927 |914 | | |All ages |933 |940 | Source: Population census 2011 21. Our attention was also drawn to the document which is 'Monthly monitoring of the sex ratio of institutional birth'. It stated thus:- The data is collected on monthly basis from 50 major hospitals which accounts for 50.87% of total registered births in the year 2013 in Delhi. This helps to review the sex ratio at the highest level in the shortest possible time without waiting for the yearly indicators. The sex ratio of institutional births on the basis of these 50 hospitals was also 895 in the year 2013. Efforts will be made to increase the coverage of health institutions under the monthly monitoring system to make this exercise meaningful and truly representative of the ground reality.

22. Learned counsel appearing for NCT of Delhi, had drawn our attention to the affidavit filed by the Union of India and especially to Annexure 'E'. Annexure 'E' is only report on registration of births and deaths in Delhi in 2013. At page 114, the profile of birth Registration had been mentioned under the caption 'The birth registration in civil registration system'. It is as follows:-

During 2013, a total of 370000 birth events were registered by all the local bodies taken together. Out of them, 1.95 lakhs (52.76%) were male and 1.75 lakhs (47.24%) were female. Statement 3.1: Total Number of Births registered under CRS sex-wise.

Year	Total Births	Male	Female	Sex Ratio
2001	296287	163816 (55.29)	132471 (44.71)	809
2002	300659	164184 (54.61)	136475 (45.39)	831
2003	301165	165173 (54.84)	135992 (45.16)	823
2004	305974	167849 (54.86)	138125 (45.11)	823
2005	324336	178031 (54.89)	146305 (45.11)	822
2006	322750	176242 (54.69)	146508 (45,39)	831
2007	322044	174289 (54.12)	147755 (45.88)	848
2008	333908	166583 (49.89)	167325 (50.11)	1004
2009	354482	185131 (52.22)	169351 (47.78)	915
2010	359463	189122 (52.61)	170341 (47.39)	901
2011	353759	186870 (52.82)	166889 (47.18)	893
2012	360473	191129 (53.02)	169344 (46.98)	886
2013	370000	195226 (52.76)	174774 (47.24)	895

23. The data furnished by the NCT of Delhi was contested on the ground that it was collected from 50 major hospitals. The Court noticed that there had really been no improvement with regard to the sex ratio. The Court took note of the submissions of Mr. Gonsalves, learned senior counsel for the petitioner and Mr. Parikh, learned counsel for the impleaded respondent(s) and observed that under Section 16(2)(f)(ii) and (iii) there should be eminent women activists from non-governmental oraganisations and eminent gynaecologists and obstetricians or experts of stri- roga or prasuti tantra to be the members and thought it apt to state that there can be eminent women activists from non-governmental organizations, eminent gynaecologists and obstetricians or experts of stri-roga or prasuti tantra and eminent radiologists or sonologists but care has to be taken that they do not have conflict of interest.

24. On 15.09.2015, the Court noted the submission of Ms. Anitha Shenoy, learned counsel appearing for Dr. Sabu Mathew George, the newly impleaded party, that the appropriate authorities are not following the mandate enshrined under Rule 18A of the Rules. Keeping in view the language employed in the said Rule, the Court directed that all the appropriate authorities including the State, districts and sub-districts notified under the Act shall submit quarterly progress report to the Government of India through the State Government and maintain Form H for keeping the information of all registrations readily available. The Court further directed that the States shall file the compliance report pertaining to sub- rule (6) of Rule 18A of the Rules and also directed counsel for the Union of India to apprise the Court about the information received from the various appropriate authorities.

25. On 17.11.2015 when the matter was taken up, the Court adverted to the fact that the State of Odisha, as directed, had provided the Committee relevant documents, especially the documents which are required for eradicating the deficiencies pointed out by the Committee. Be it noted, the Committee had earlier pointed out certain deficiencies. The State had filed the documents in pursuance of the order of the Court and the Committee had filed report pertaining to the State of Odisha. Paragraph 4 of the report reads as follows:-

4. The State of Odisha had cited the data on Sex Ratio at Birth from the Civil Registration of births of State. State Provided the relevant data and C.D. M.O, Odisha. There are 314 rural registration units & 100 urban registration units I 30 districts in Odisha State. All the data is based on the records of civil registration system. The Sex Ratio at Birth (SRB) data for the year 2013 submitted in the affidavit is 886 whereas as per the records submitted by the State data for the same period is 890. The representatives of the State clarified that in the affidavit, the figures were provisional.

26. Mr. Gonsalves, learned senior counsel had also filed a chart containing 'District-wise Sex Ratio at Birth of Odisha State' commencing from the year 2010 to 2014. The said chart is reproduced below:- District wise sex ratio at birth of Odisha State |Sl.No |Name of the |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | | |District | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |1 |Angul |894 |900 |879 |890 |904 | |2 |Balasore |923 |891 |912 |870 |870 | |3 |Argarh |923 |889 |913 |891 |913 | |4 |Bhadrak |923 |891 |876 |883 |875 | |5 |Bolangir |945 |930 |933 |950 |939 | |6 |Boudh |983 |957 |936 |934 |918 | |7 |Cuttack |860 |874 |860 |854 |843 | |8 |Deogarh |896 |954 |958 |954 |938 | |9 |Dhenkanal |856 |833 |850 |845 |849 | |10 |Gajapati |875 |930 |927 |890 |892 | |11 |Ganjam |902 |880 |867 |813 |794 | |12 |Jagatsinghpur |912 |905 |842 |777 |852 | |13 |Jajpur |863 |876 |828 |824 |823 | |14 |Jharsuguda |859 |902 |882 |908 |878 | |15 |Kalahandi |888 |935 |968 |989 |942 | |16 |Kandhamal |912 |943 |950 |962 |940 | |17 |Kendrapara |881 |836 |828 |734 |705 | |18 |Keonjhar |934 |923 |950 |965 |930 | |19 |Khurda |892 |876 |884 |885 |842 | |20

|Koraput |935 |943 |960 |945 |942 | |21 |Malkangiri |948 |947 |993 |942 |935 | |22 |Mayurbhanj |955 |934 |936 |931 |933 | |23 |Nawarangpur |962 |932 |936 |979 |965 | |24 |Nayagarh |874 |859 |774 |844 |811 | |25 |Nuapada |945 |956 |955 |909 |1055 | |26 |Puri |933 |888 |874 |873 |854 | |27 |Rayagada |955 |954 |939 |931 |945 | |28 |Sambalpur |906 |918 |908 |891 |903 | |29 |Subarnapur |940 |934 |946 | 39 |965 | |30 |Sundargarh |911 |892 |865 |897 |906 | | |Odisha |911 |902 |896 |886 |889 | Learned counsel submitted that when the sex ratio reduces below 900, there is a signal of a social disaster. He had pointed out that there were many districts where it had fallen below 900 and drawn the attention of the Court to two districts, namely, Kendrapara and Ganjam to highlight that the sex ratio had gone down to 705 and 794 in 2014. Be it stated, the two districts were only referred to highlight how the sex ratio had fallen in the year 2014 than what it was in 2010.

27. We have adumbrated the history of the litigation, the directions issued by this Court from time to time and adverted to how this Court has appreciated the impact of sex ratio on a civilized society having regard to the legislative intendment under the Act, the suggestions given by the learned counsel for the petitioner, the verification done by the Monitoring Committee, and the crisis the country is likely to face if the obtaining situation is allowed to prevail. As is manifest, this Court had issued directions from 2001 onwards in different writ petitions and in the instant writ petition, as noticed earlier, number of directions were issued and, thereafter, certain clarifications were made. The narration shows the concern.

28. It needs no special emphasis that a female child is entitled to enjoy equal right that a male child is allowed to have. The constitutional identity of a female child cannot be mortgaged to any kind of social or other concept that has developed or is thought of. It does not allow any room for any kind of compromise. It only permits affirmative steps that are constitutionally postulated. Be it clearly stated that when rights are conferred by the Constitution, it has to be understood that such rights are recognised regard being had to their naturalness and universalism. No one, let it be repeated, no one, endows any right to a female child or, for that matter, to a woman. The question of any kind of condescension or patronization does not arise.

29. When a female foetus is destroyed through artificial means which is legally impermissible, the dignity of life of a woman to be born is extinguished. It corrodes the human values. The Legislature has brought a complete code and it subserves the constitutional purpose. We may briefly refer to the scheme of the Act and the Rules framed thereunder. Section 2 of the Act is the dictionary clause and it defines foetus, Genetic Counselling Centre, Genetic Clinic, Genetic Laboratory, pre-natal diagnostic procedures, pre-natal diagnostic techniques, pre-natal diagnostic test, sex selection, sonologist or imaging specialist. Section 3 provides for Regulation of Genetic Counselling Centers, Genetic Laboratories and Genetic Clinics. Section 3A imposes prohibition of sex- selection. Section 3B prohibits the sale of ultrasound machine, etc., to persons, laboratories, clinics, etc., not registered under the Act. Section 4 regulates pre-natal diagnostic techniques. Section 5 stipulates written consent of pregnant woman and prohibition of communicating the sex of foetus. Section 6 prohibits determination of sex. Chapter IV of the Act deals with the Central Supervisory Board. Sections 7 16A deal with the constitution of the Board, meetings of the Board, functions of the Board, which includes reviewing and monitoring implementation of the Act and Rules made thereunder. Section 16A commands the States and Union Territories to have a Board to be known as the State Supervisory Board or the Union Territory Supervisory Board, as the case may be, to carry out the functions enumerated therein. Chapter V

provides for the Appropriate Authority and Advisory Committee. Sub-section (4) of Section 17 deals with the powers of the Appropriate Authority. The said provision being significant is extracted hereunder:- (4) the Appropriate Authority shall have the following functions, namely (a) to grant, suspend or cancel registration of a Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic;

(b) to enforce standards prescribed for the Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory and Genetic Clinic;

(c) to investigate complaints of breach of the provisions of this Act or the rules made thereunder and take immediate action;

(d) to seek and consider the advice of the Advisory Committee, constituted under sub-section (5), on application for registration and on complaints for suspension or cancellation of registration;

(e) to take appropriate legal action against the use of any sex selection technique by any person at any place, suo motu or brought to its notice and also to initiate independent investigations in such matter;

(f) to create public awareness against the practice of sex selection or pre- natal determination of sex;

(g) to supervise the implementation of the provisions of the Act and rules;

(h) to recommend to the Board and State Boards modifications required in the rules in accordance with changes in technology or social conditions;

(i) to take action on the recommendations of the Advisory Committee made after investigation of complaint for suspension or cancellation of registration.

30. Section 17A enumerates the powers of the Appropriate Authorities. The said provision reads as follows:-

17A. Powers of Appropriate Authorities.- The Appropriate Authority shall have the powers in respect of the following maters, namely:-

(a) summoning of any person who is in possession of any information relating to violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(b) production of any document or material object relating to clause (a);

(c) issuing search warrant for any place suspected to be indulging in sex selection techniques or pre-natal sex determination; and

(d) any other matter which may be prescribed.

31. Section 18 deals with the registration of Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories or Genetic Clinics. Sections 19 and 20 provide for certificate of registration and cancellation or suspension of registration. Chapter VII deals with offences and penalties. Section 22 stipulates prohibition of advertisement relating to pre- conception and pre-natal determination of sex and punishment for contravention and Section 23 deals with offences and penalties. Section 24 which has been brought into the Act by way of an amendment with effect from 14.02.2003 states with regard to presumption in the case of conduct of pre-natal diagnostic techniques. Section 26 provides for offences by companies. Section 28 provides that no court shall take cognizance of an offence under the Act except on a complaint made by the Appropriate Authority concerned, or any officer authorized in this behalf by the Central Government or State Government, as the case may be, or the Appropriate Authority; or a person who has given notice of not less than fifteen days in the manner prescribed. Section

29 occurring in Chapter VIII which deals with miscellaneous matters provides for maintenance of records. Section 30 empowers the appropriate authority in respect of search and seizure of records. The rule framed under Section 32 of the Act is not comprehensive. Various Forms have been provided to meet the requirement by the Rules. On a perusal of the Rules and the Forms, it is clear as crystal that attention has been given to every detail.

32. Having stated about the scheme of the Act and the purpose of the various provisions and also the Rules framed under the Act, the dropping of sex ratio still remains a social affliction and a disease.

33. Keeping in view the deliberations made from time to time and regard being had to the purpose of the Act and the far reaching impact of the problem, we think it appropriate to issue the following directions in addition to the directions issued in the earlier order:-

(a) All the States and the Union Territories in India shall maintain a centralized database of civil registration records from all registration units so that information can be made available from the website regarding the number of boys and girls being born.

(b) The information that shall be displayed on the website shall contain the birth information for each District, Municipality, Corporation or Gram Panchayat so that a visual comparison of boys and girls born can be immediately seen.

(c) The statutory authorities if not constituted as envisaged under the Act shall be constituted forthwith and the competent authorities shall take steps for the reconstitution of the statutory bodies so that they can become immediately functional after expiry of the term. That apart, they shall meet regularly so that the provisions of the Act can be implemented in reality and the effectiveness of the legislation is felt and realized in the society.

(d) The provisions contained in Sections 22 and 23 shall be strictly adhered to. Section 23(2) shall be duly complied with and it shall be reported by the authorities so that the State Medical Council takes necessary action after the intimation is given under the said provision. The Appropriate Authorities who have been appointed under Sections 17(1) and 17(2) shall be imparted periodical training to carry out the functions as required under various provisions of the Act.

(e) If there has been violation of any of the provisions of the Act or the Rules, proper action has to be taken by the authorities under the Act so that the legally inapposite acts are immediately curbed.

(f) The Courts which deal with the complaints under the Act shall be fast tracked and the concerned High Courts shall issue appropriate directions in that regard.

(g) The judicial officers who are to deal with these cases under the Act shall be periodically imparted training in the Judicial Academies or Training Institutes, as the case may be, so that they can be sensitive and develop the requisite sensitivity as projected in the objects and reasons of the Act and its various provisions and in view of the need of the society.

(h) The Director of Prosecution or, if the said post is not there, the Legal Remembrancer or the Law Secretary shall take stock of things with regard to the lodging of prosecution so that the purpose of the Act is subserved.

(i) The Courts that deal with the complaints under the Act shall deal with the matters in promptitude and submit the quarterly report to the High Courts through the concerned Sessions and District Judge.

(j) The learned Chief Justices of each of the High Courts in the country are requested to constitute a Committee of three Judges that can periodically oversee the progress of the cases.

(k) The awareness campaigns with regard to the provisions of the Act as well as the social awareness shall be undertaken as per the direction No 9.8 in the order dated March 4, 2013 passed in Voluntary Health Association of Punjab (supra).

(l) The State Legal Services Authorities of the States shall give emphasis on this campaign during the spread of legal aid and involve the **para-legal volunteers**.

(m) The Union of India and the States shall see to it that appropriate directions are issued to the authorities of All India Radio and Doordarshan functioning in various States to give wide publicity pertaining to the saving of the girl child and the grave dangers the society shall face because of female foeticide.

(n) All the appropriate authorities including the States and districts notified under the Act shall submit quarterly progress report to the Government of India through the State Government and maintain Form H for keeping the information of all registrations readily available as per sub- rule 6 of Rule 18A of the Rules.

(o) The States and Union Territories shall implement the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (Six Months Training) Rules, 2014 forthwith considering that the training provided therein is imperative for realising the objects and purpose of this Act.

(p) As the Union of India and some States framed incentive schemes for the girl child, the States that have not framed such schemes, may introduce such schemes.

34. Before parting with the case, let it be stated with certitude and without allowing any room for any kind of equivocation or ambiguity, the perception of any individual or group or organization or system treating a woman with inequity, indignity, inequality or any kind of discrimination is constitutionally impermissible. The historical perception has to be given a prompt burial. Female foeticide is conceived by the society that definitely includes the parents because of unethical perception of life and nonchalant attitude towards law. The society that treats man and woman with equal dignity shows the reflections of a progressive and civilized society. To think that a woman should think what a man or a society wants her to think is tantamounts to slaughtering her choice, and definitely a humiliating act. When freedom of free choice is allowed within constitutional and statutory parameters, others cannot determine the norms as that would amount to acting in derogation of law. Decrease in the sex ratio is a sign of colossal calamity and it cannot be allowed to happen. Concrete steps have to be taken to increase the same so that invited social disasters do not befall on the society. The present generation is expected to be responsible to the posterity and not to take such steps to sterilize the birth rate in violation of law. The societal perception has to be metamorphosed having respect to legal postulates.

35. Now, we shall advert to the prayers in Writ Petition (Civil) No. 575 of 2014. The writ petition has been filed by Indian Medical Association (IMA). It is contended that Sections 3-A, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 20, 23, 25, 27 and 30 of the Act and Rules 9(4), 10 & Form F (including foot-note), which being the subject matter of concern in the instant writ petition, are being misused and wrongly interpreted by the concerned

authorities thereby causing undue harassment to the medical professionals all over the country under the guise of the so-called implementation. It is also urged that, implementation of steps and scrutiny of records was started at large scale all over the country and lot of anomalies were found in records maintained by doctors throughout the country. It is however pertinent to mention here that the majority of the defaults were of technical nature as they were merely minor and clerical errors committed occasionally and inadvertently in the filing of Form F. It is also put forth that the Act does not classify the offences and owing to the liberal and vague terminology used in the Act, it is thrown open for misuse by the concerned implementing authorities and has resulted into taking of cognizance of non-bailable (punishable by three years) offences against doctors even in the cases of clerical errors, for instance non-mentioning of N.A. (Not Applicable) or leaving of any column in the concerned Form F as blank. It is further submitted that the said unfettered powers in the hands of implementing authority have resulted into turning of this welfare legislation into a draconian novel way of encouraging demands for bribery as well as there is no prior independent investigation as mandated under Section 17 of the Act by these Authorities. It is also set forth that the Act states merely that any contravention with any of the provisions of the Act would be an offence punishable under Section 23(1) of the said Act and further all offences under the Act have been made non-bailable and non-compoundable and the misuse of the same can only be taken care of by ensuring that the Appropriate Authority applies its mind to the fact of each case/ complaint and only on satisfaction of a prima facie case, a complaint be filed rather than launching prosecution mechanically in each case. With these averments, it has been prayed for framing appropriate guidelines and safeguard parameters, providing for classification of offences as well, so as to prohibit the misuse of the PCPNDT Act during implementation and to read down this Sections 6, 23, 27 of PCPNDT Act. That apart, it has been prayed to add certain provisos/exceptions to Sections 7, 17, 23 and Rule 9 of the Rules.

36. In our considered opinion, whenever there is an abuse of the process of the law, the individual can always avail the legal remedy. As we find, neither the validity of the Act nor the Rules has been specifically assailed in the writ petition. What has been prayed is to read out certain provisions and to add certain exceptions. We are of the convinced view that the averments of the present nature with such prayers cannot be entertained and, accordingly, we decline to interfere.

37. In the result, Writ Petition (Civil) No. 349 of 2006 stands disposed of in terms of the directions issued by us and Writ Petition (Civil) No. 575 of 2014 stands dismissed. In the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs.

Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, J.

Hon'ble Mr. Justice Shiva Kirti Singh, J.

New Delhi;

November 8, 2016

[1] (1997) 7 SCC 110
[2] (2001) 5 SCC 577
[3] (2003) 8 SCC 398
[4] (2013) 4 SCC 1

❑❑❑

BACHPAN BACHAO ANDOLAN VERSUS UNION OF INDIA & ORS.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (C) NO.75 OF 2012

Bachpan Bachao Andolan ...Petitioner(s)
Versus
Union of India & Ors. ...Respondent(s)

With Contempt Petition (C) No.186/2013 in Writ Petition (C) No.75/2012

ORDER

This matter has been listed pursuant to the directions given on 26th April, 2013, when the contempt petition filed in the writ petition by the petitioner, complaining of the manner in which a complaint made regarding a missing child was sought to be handled by the concerned police station, was being considered. It has also come up on account of the other directions which had been given for implementing the various provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, as amended in 2006 [`Juvenile Act', for short].

On 17th January, 2013, when this matter came up for consideration, we had given an interim direction that in case a complaint with regard to any missing children was made in a police station, the same should be reduced into a First Information Report and appropriate steps should be taken to see that follow up investigation was taken up immediately thereafter. An element of doubt has been raised on behalf of the State of Madhya Pradesh regarding the recording of First Information Report relating to a missing child, having regard to the provisions of Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 [`Cr.P.C.', for short], which relates to information in cognizable cases.

We do not, however, see any difficulty in the orders, which we have already passed. We make it clear that, in case of every missing child reported, there will be an initial presumption of either abduction or trafficking, unless, in the investigation, the same is proved otherwise. Accordingly, whenever any complaint is filed before the police authorities regarding a missing child, the same must be entertained under Section 154 Cr.P.C.

However, even in respect of complaints made otherwise with regard to a child, which may come within the scope of Section 155 Cr.P.C., upon making an entry in the Book to be maintained for the purposes of Section 155 Cr.P.C., and after referring the information to the Magistrate concerned, continue with the inquiry into the complaint. The Magistrate, upon receipt of the information recorded under Section 155 Cr.P.C., shall proceed, in the meantime, to take appropriate action under sub-section (2), especially, if the complaint relates to a child and, in particular, a girl child.

On the last occasion, when the matter was taken up, we were informed by some of the States that the directions, which we had given in our Order dated 17th January, 2013,

had been duly implemented and affidavits to that effect have also been filed. Some of the information given therein is seriously objected by Mr. H.S. Phoolka, learned counsel appearing for the petitioner. In any event, even if the figures shown are incorrect, in order to rectify the situation, we are inclined to accept the suggestion made by Ms. Shobha, learned advocate, appearing for the National Human Rights Commission, that each police station should have, at least, one Police Officer, especially instructed and trained and designated as a Juvenile Welfare Officer in terms of Section 63 of the Juvenile Act.

We are also inclined to accept the suggestion that there should be, in shifts, a Special Juvenile Officer on duty in the police station to ensure that the directions contained in this Order are duly implemented.

To add a further safeguard, we also direct the National Legal Services Authority, which is being represented by its Member Secretary through Ms. Anitha Shenoy, learned advocate, that **the para-legal volunteers, who have been recruited by the Legal Services Authorities, should be utilized, so that there is, at least, one paralegal volunteer, in shifts, in the police station to keep a watch over the manner in which the complaints regarding missing children and other offences against children, are dealt with**.

Ms. Shobha, learned counsel, has also made another useful suggestion regarding a computerized programme, which would create a network between the Central Child Protection Unit as the Head of the Organization and all State Child Protection Units, District Child Protection Units, City Child Protection Units, Block Level Child Protection Units, all Special Juvenile Police Units, all Police stations, all Juvenile Justice Boards and all Child Welfare Committees. The said suggestion should be seriously taken up and explored by the National Legal Services Authority with the Ministry of Women and Child Development. Once introduced, the website link should also be made known to the public at large.

The State Legal Services Authorities should also work out a network of NGOs, whose services could also be availed of at all levels for the purpose of tracing and re-integrating missing children with their families which, in fact, should be the prime object, when a missing child is recovered. Various other suggestions have been made by Ms. Shobha in her written submission, regarding installation of computerized cameras, which can also be considered by all the concerned authorities. A similar response has been made on behalf of the National Legal Services Authority, and similar suggestions have been made. The details, as indicated in the response, can always be worked out in phases by the Juvenile Justice Boards and the Child Welfare Committees in consultation with the National Legal Services Authority, since each have a responsible role to play in the welfare of children, which, if the statistics given are to be believed, are difficult to accept. In fact, as has been pointed out by Mr. Phoolka, out of more than 3,000 children missing in 2011, only 517 First Information Reports had been lodged. The remaining children remain untraced and are mere slips of paper in the police stations.

One of the submissions, which has been made in the response filed by the NALSA, is with regard to the role of the police and the directions given by this Court, from time to time, in the case of Sampurna Behura vs. Union of India & Ors. [Writ Petition (C) No.473 of 2005]. Accordingly, in addition to what has been recorded, as far as the suggestions made on behalf of the National Human Rights Commission is concerned, we add that, as suggested on behalf of the NALSA, every found/recovered child must be immediately photographed by the police for purposes of advertisement and to make people aware of the missing child. Photographs of the recovered child should be published on the website and through the newspapers and even on the T.V. so that the parents of the missing child could locate their missing child and recover him or her from the custody of the police. The Ministry of Home

Affairs shall provide whatever additional support by way of costs that may be necessary for the purpose of installing such photographic material and equipment in the police stations.

Apart from the above, all the parties involved shall have due regard to the various directions given in Sampurna Behura's case [supra] where also provision has been made for a child to be sent to a Home and for taking photographs and publishing the same so that recovery could be effected as early as possible.

The other suggestion of NALSA is that a Standard Operating Procedure must be developed to handle the cases of missing children and to invoke appropriate provisions of law where trafficking, child labour, abduction, exploitation and similar issues are disclosed during investigation or after the recovery of the child, when the information suggests the commission of such offences. As part of the Standard Operating Procedure, a protocol should be established by the local police with the High Courts and also with the State Legal Services Authorities for monitoring the case of a missing child. In Delhi, such a protocol could be established with the help of the All India Legal Aid Cell on Child Rights, set up by NALSA, in association with the Delhi State Legal Services Authority, and the petitioner herein, Bachpan Bachao Andolan. In fact, the same could be treated as a nodal agency of the All India Legal Aid Cell on Child Rights. We have given directions in regard to the utilization of the para-legal volunteers, which is one of the suggestions made on behalf of the NALSA.

As has been pointed out by Mr. Phoolka, learned counsel appearing on behalf of the petitioner, an Office Memorandum was issued on 31st January, 2012, by the Ministry of Home Affairs, Government of India, by way of an advisory on missing children and the measures needed to prevent trafficking and for tracing of such children. In the said Office Memorandum, a missing child has been defined as, "a person below eighteen years of age, whose whereabouts are not known to the parents, legal guardians and any other person, who may be legally entrusted with the custody of the child, whatever may be the circumstances/ causes of disappearance. The child will be considered missing and in need of care and protection within the meaning of the later part of the Juvenile Act, until located and/or his/ her safety/well being is established."

In case a missing child is not recovered within four months from the date of filing of the First Information Report, the matter may be forwarded to the Anti-Human Trafficking Unit in each State in order to enable the said Unit to take up more intensive investigation regarding the missing child. The Anti-Human Trafficking Unit shall file periodical status reports after every three months to keep the Legal Services Authorities updated.

It may also be noted that, in cases where First Information Reports have not been lodged at all and the child is still missing, an F.I.R.should be lodged within a month from the date of communication of this Order and further investigation may proceed on that basis.

Once a child is recovered, the police authorities shall carry out further investigation to see whether there is an involvement of any trafficking in the procedure by which the child went missing and if, on investigation, such links are found, the police shall take appropriate action thereupon.

The State authorities shall arrange for adequate Shelter Homes to be provided for missing children, who are recovered and do not have any place to go to. Such Shelter Homes or After-care Homes will have to be set up by the State Government concerned and funds to run the same will also have to be provided by the State Government together with proper infrastructure. Such Homes should be put in place within three months, at the latest.

Any private Home, being run for the purpose of sheltering children, shall not be entitled to receive a child, unless forwarded by the Child Welfare Committee and unless they comply with all the provisions of the Juvenile Justice Act, including registration.

Having regard to the order passed herein, the contempt proceedings, which have been initiated by the petitioner, are dropped. In the event, all the States have not yet filed their status reports, the time for filing the same is extended till the next date.

We appreciate the efforts of the petitioner- organisation, Mr. H.S. Phoolka, learned counsel appearing on behalf of the petitioner, all the other counsel, who have appeared in this matter on behalf of the different Authorities, including NALSA and the National Human Rights Commission, and we hope that such interest will continue to subsist hereafter. Let this matter be listed again after three months.

Hon'ble Mr. Justice ALTAMAS KABIR, CJI.

Hon'ble Mr. Justice VIKRAMAJIT SEN, J.

Hon'ble Mr. Justice S.A. BOBDE, J.

New Delhi, May 10, 2013.

❑❑❑

Apne Aap Women Worldwide Trust ... Versus The State Of Bihar & Ors

Patna High Court

Apne Aap Women Worldwide Trust ... vs The State Of Bihar & Ors

Decided on 20 November, 2014

Civil Writ Jurisdiction Case No.1882 of 2013

1. Apne Aap Women Worldwide Trust India through Ms. Tinku Khanna (W/O Indranil Roy) Technical Specialist- Survivor Leadership and Advocacy, Apne Women Worldwide (India) Trust. 2. Soumya Pratheek alias Soumya Suresh, Monitoring and Documentation Officer Apne Aap Women Worldwide, India Trust. Having its Bihar State Coordination Office at Jagdish Mills Compound, Ram Manohar Lohia Path Near Bus Stand Forbesganj, Dist.- Araria- 854138 and registered office at D-56, Anand Niketan Top Floor, New Delhi 110021 .... Petitioner/s Versus 1. The State of Bihar through the Secretary, Department of Home, Old Secretariat, Patna, Bihar, 2. The Secretary, Department of Social Welfare (Women and Child) Old Secretariat, Patna, Bihar, 3. The Principal Secretary, Human Resources Department, Patna, Bihar, 4. The State Project Director, Sarva Shiksha Abhiyan, Bihar Shiksha Parishad, Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad, Saidpur, Rajendra Nagar, Patna, 5. The Chairperson, State Commission for Protection of Child Rights 22 Hardinge Road, Patna, 6. The District Magistrate, Araria, 7. The Superintendent of Police, Araria, 8. The Chairperson, Child Welfare Committee, District- Araria .... Respondent/s

For the Petitioner/s : Mr. Alok Kumar Choudhary, Advocate Mr. Nagendra Kumar, Advocate

For the Respondent/s : Mr. P.N. Shahi AAG-10 Mr. Ritesh Kumar No.1, AC to AAG-10

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE V.N. SINHA And HONOURABLE MR. JUSTICE PRABHAT KUMAR JHA

C.A.V. JUDGMENT (Per: HONOURABLE MR. JUSTICE V.N. SINHA)

Petitioner-Trust, a Non-Government Organisation, has been established by well meaning public spirited citizens of India to provide for education, health care, legal protection and job skill to women and children found in the red light area by following the Gandhian principles of Antodaya (upliftment of the last woman), Ahimsa (non-violence). Sex trafficking and prostitution are the worst form of violence against women. Any attempt to end sex trafficking, prostitution requires internalization of the principles of non-violence. The mission of the trust is to end trafficking of women and children. Its objectives are to support community based initiatives, to mitigate the circumstances of those trapped/ caught by the sex industry/ prostitution. Develop leadership amongst the affected to end sex trafficking and prevent inter-generational prostitution. Build linkages between grass root activist and policy makers for ending sex trafficking. To create awareness in society on discrimination against women and girls, particularly issues relating to sex trafficking, prostitution, sexuality and violence against women and girls.

2. Present writ petition was initially filed with 10 prayers contained in Paragraphs 1A to 1K. By filing I.A. No. 1656 of 2013 prayer was made to delete the prayer contained in Paragraphs 1E, 1G, 1H and 1I, which was allowed under order no. 4 dated 07.03.2013. The prayer which still survives in the writ petition is to direct the respondents to carry out their constitutional obligation enshrined in Article 23 of the Constitution by strictly enforcing the provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (hereinafter referred to as the Act) and to conduct operations in red light area/ other areas in presence of women social worker, to direct the State respondents to appoint Special Police Officers not below the rank of Inspector for dealing with the offences under the Act and to maintain the victims rescued in shelter homes certified by the State Social Welfare Department as per IT(P) A norms. Further prayer made in the writ petition is to direct the respondents to enforce the directions of the Supreme Court issued in the case of Budhadev Karmaskar Vs. State of West Bengal AIR 2011 Supreme Court 2636.

3. In the light of the prayer made in the writ petition State respondent no. 1 filed counter affidavit duly affirmed by the Principal Secretary, Department of Home asserting that to combat social evil of human trafficking in Bihar the Department of Social Welfare has formulated State Plan of Action called ASTITVA providing for integrated approach by several Departments of the Government (Education, Rural Development, Social Welfare, Labour, Human Resources, Health, Police, District Administration etc.) vide resolution of the Government issued from Social Welfare Department bearing No. 595 dated 31.12.2008. The basic objectives of ASTITVA are as follows :

   i. To prevent, control and eradiate human trafficking, ensure qualitative action at source, transit and destination areas of trafficking.

   ii. Ensure and prioritize proper rescue, rehabilitation and sustainable repatriation with special emphasis on livelihood, socio-economic empowerment.

   iii. Human trafficking is an organized crime, therefore, ensuring legal action against pimps, traffickers etc. iv. Ensuring sensitization, mobilization and capacity building of Government/Non-Government bodies for minimizing the vulnerability of human trafficking in the State.

4. Perusal of resolution notifying ASTITVA-BIHAR indicates that there is State, District level Anti Human Trafficking Coordination Committee established under the Chairmanship of Chief Secretary of the State and District Magistrate of the district concerned. It also indicates that Anti Human Trafficking Task Force has been constituted at both State, District level under the Chairmanship of Director General of Police and Superintendent of Police concerned. Besides Anti Human Trafficking Prosecution Monitoring Committee has also been established both at the State, District level under the Chairmanship of Director General Prosecution and the District Magistrate concerned. Further perusal of resolution of the Government formulating ASTITVA indicates that Village Level Anti Human Trafficking Bodies, Cross-Border Anti Human Trafficking Prevention Bodies are also required to be constituted. The Director General of Police under his Memo No. 30 dated 17.06.2009 constituted Anti Human Trafficking Unit (AHTU) in the district situate on the borders of the State. Besides there are three other units under the control of Additional Director General of Police, C.I.D. working in C.I.D., Bihar, Patna, I.G., Muzaffarpur Zone and D.I.G., Magadh Range, Gaya. The Director General of Police, Bihar under Memo No. 185 dated 27.09.2011, 187 dated 24.10.2011 and 201 dated 23.11.2011 appointed all Zonal I.G., Range D.I.G. and Superintendent of Police including Rail as Nodal Officer in their respective jurisdiction to enforce the provisions of the Act. It has further been averred

in the counter affidavit that participation, coordination of activities by the different Departments of the Government is necessary to minimize the cases of trafficking, rescue and rehabilitation of victims and for ensuring such participation, coordination I.G. of Police (Weaker Section), C.I.D. requested the Principal Secretary, Home Department vide his letter no. 112 dated 10.06.2011 and letter no. 148 dated 10.07.2012 to direct the District Magistrate to include one officer from each concerned department in AHTUs constituted in districts to provide strength and make AHTUs more effective. The Home (Special) Department under letter no. 11159 dated 30.06.2011 directed all the District Magistrates of Bihar to include one officer from each concerned Department in AHTUs constituted in the district. It has further been averred in the affidavit that for the success of State Plan of Action to contain the menace of human trafficking training of the officers including police officer is necessary. Training of Trainers (TOTs) programme for the police officers and officers from other concerned department is being conducted in workshop at State level. The trainers are being used to impart training at district level workshop. I.G. (Weaker Section), C.I.D. issued instruction to all the Superintendent of Police of Bihar to organize workshop for training of the police officers in the district under his letter no. 210 dated 05.12.2011. He also issued letter no. 207 dated 29.11.2011 and 128 dated 27.06.2012 to persuade the police officers to take admission in human trafficking certificate course conducted by Indira Gandhi National Open University. It has also been stated in Paragraph 12 of the affidavit that Home (Special) Department informed the Social Welfare Department under letter no. 3740 dated 26.04.2011 that appointment and training of Special Police Officers under Section 13 of the Act is to be made by the Social welfare Department by adopting the procedure prescribed under Section 19 of the Bihar Police Act. In Paragraph 13 of the counter affidavit it has been stated that it is important to prepare a data base of missing children and women, rescued victims and human traffickers for effectively curbing the menace of human trafficking. In this regard Social Welfare Department of the Government had issued instruction contained in letter no. 1161 dated 18.05.2012, 1284 dated 20.06.2012, 1464 dated 12.07.2012. In turn I.G. (Weaker Section), C.I.D., Bihar has also issued instructions under letter no. 197 dated 21.11.2011, 162 dated 24.07.2012 to all the Superintendent of Police of Bihar directing them to submit monthly compliance report in the prescribed performa to Social Welfare Department.

5. A separate counter affidavit has also been filed on behalf of respondent nos. 2 to 6 stating that the Department of Social Welfare, Government of Bihar is serious in dealing with the anti human trafficking and has framed State Action Plan called ASTITVA to combat human trafficking which has been notified in Bihar gazette vide notification no. 595 dated 31.12.2013, which is perhaps mistake for 31.12.2008 whereunder different committees have been constituted at State, District level to deal with the issues related to human trafficking i.e. prevention, raid & rescue and rehabilitation of trafficked victims. It has also been averred in the said affidavit that in the light of the order passed by this Court dated 29.10.2013 reports have been sought from all the District Magistrates regarding cases registered against human trafficking as well as rehabilitation details of trafficked victims in format contained in letter no. 2787 dated 25.11.2013. In Paragraphs 6, 7 of the affidavit it has been averred that State has also formulated scheme/ created fund for providing rehabilitation support to the women victim of violence including victim of human trafficking, domestic violence and other violence which is known as social rehabilitation fund and Rs. 95.10 lakhs has been allocated for the 38 districts of the State for extending support to the women victim, out of which Rs. 21.13 lakhs was disbursed amongst 402 victims.

6. By filing supplementary counter affidavit on behalf of respondent no. 2 further statement has been made that the District Level Anti Human Trafficking Unit has been formed in all the districts of Bihar which meets on regular basis to deal with the issues relating to human trafficking, such as, prevention, raid & rescue and rehabilitation of trafficked victims. In the said affidavit it has further been stated that to build the capacity of different functionaries involved in the Anti Human Trafficking Programme steps are being taken in the light of the guidelines of the Government of India to sensitize, develop the capacity of the officers by imparting training to not only the officers but also to the trainers. In Paragraph 7 of the supplementary counter affidavit again statement has been made about the creation of the social rehabilitation fund for providing rehabilitation support to the victims in which Rs. 95.10 lakhs has been allocated for the 38 districts of the State. In Paragraph 8 of the supplementary affidavit statement has been made that constitution of Advisory Board in the light of the provisions contained in Section 13(3) of the Act for protection and rehabilitation of trafficked victims is under consideration of the Government.

7. By filing rejoinder affidavit petitioners in Paragraphs 3, 9 pleaded that the concept of trafficking, as understood in the Indian context, is required to be reviewed in the light of the definition of trafficking given in Palermo Protocol referred to in the report of J.S. Verma Committee on the amendments to the criminal law, as according to the petitioners, the provisions of the Act is not able to fulfil the objectives it is meant to achieve. In order to overcome the shortcomings, placing reliance on the observations made by National Human Rights Commission, Verma Committee recommended introduction of new Section 370 in the Penal Code expanding, clarifying the scope of trafficking with specific explanations introducing new Section 370-A dealing with exploitation of trafficked person as also making the same a punishable offence. It has also been stated in the rejoinder that victims of trafficking are required to be specially treated by specialized police, civil officers in the shelter/ Corrective Institutions as also by the Child Welfare Committee under the watchful eyes of independent bodies. In Paragraph 7 of the rejoinder petitioner asserted that the Anti Human Trafficking Units set up in the country have miserably failed to crack the network of national, international traffickers, thus, permitting their trade to flourish. In Paragraph 8 of the rejoinder it has been stated that Protective Homes are required to be modernized and psychologically revolutionalised and made useful homes for productivity. In Paragraphs 10, 11, 13 of the rejoinder petitioner stated that even after introduction of the State Plan of Action called ASTITVA in collaboration with the several departments of the Government, namely, Education, Rural Development, Social Welfare, I.C.D.S, Labour, Human Resources, Health, Police and District Administration, there is nothing on record to indicate the degree, extent to which the State Action Plan has succeeded in curbing the organized crime of trafficking as hardly any facts, figures are made available from 38 districts of the State in the counter affidavit. Counter affidavit does not refer to the number of cases registered/ tracked by the Anti Human Trafficking Units in past three years or since the date of its inception. It is also silent about the measures which were taken to rehabilitate the rescued women and children so as to prevent their return into the black holes of the prostitution. In Paragraph 12 of the rejoinder petitioner asserted that State, District level and other Committees are wholly non-functional and cannot eliminate the suffering of the victims of trafficking unless it is tackled at the grass-root level, which is being effectively done by the N.G.O. but crippled by the inaction of police. In Paragraphs 14, 15 of the rejoinder petitioner referred to the order of the Director General of Police bearing Memo No. 30 dated 17.06.2009, Annexure-B whereunder Anti Human Trafficking Units were constituted and submitted that no positive action was taken by the Units. The respective

Superintendent of Police failed to take swift action in a professional manner against the accused trafficker. The Superintendent of Police also did not care to maintain a list of the victims and the steps taken for their rehabilitation as has been envisaged in the State Plan of Action ASTITVA dated 31.12.2008, Annexure-A. Feed back from the Superior Nodal Officer of their respective jurisdiction has also not been received which is indicative of the lack-luster approach of the State in the matter of human trafficking. In the same paragraph petitioner further averred that in the district of Araria Anti Human Trafficking Unit is not handling the cases of trafficking as per the provisions of the Act. Thus, failing in their statutory duty in rescue of the victims of Uttari Rampur, as according to petitioner, Superintendent of Police, Araria did not involve AHTUs in rescue of victims which is indicative of the fact that the exercise of establishing the Unit is nothing but sham. In this connection, petitioner has also referred to the instruction issued by I.G., C.I.D. dated 24.10.2011 addressed to all the Superintendent of Police of Bihar enumerating the duties of AHTUs and chalking out the manner in which Superintendent of Police should associate AHTUs in anti trafficking operations. In Paragraph 18 of the rejoinder petitioner asserted that the police administration is still functioning in contravention of the provisions of Section 13 of the Act as no special police officer has yet been appointed for conducting the rescue operation under the Act. In Paragraph 20 of the rejoinder petitioner stated that steps taken to rehabilitate the victim has not at all been mentioned in the counter affidavit. Counter affidavit is also silent about the establishment, maintenance of shelter homes for rehabilitation of the victims and grant of legal advice, counselling, job training and health care facilities to them. In Paragraphs 23, 24, 25 of the rejoinder petitioner asserted about the apathetical attitude of Child Welfare Committee, Araria and that of State Commission for Protection of Child Rights and pointed out that there is hardly any implementation of the Act and the Juvenile Justice Act in the district of Araria.

8. By filing rejoinder to the supplementary counter affidavit petitioner asserted that the authorities of the State responsible for executing the State Plan of Action (ASTITVA) are lacking in sensitivity as in 27 out of 38 districts of the State District Level Committee, Anti Human Trafficking Units held its meeting after passing of order dated 01.08.2013 in the instant case. In five districts meetings were held in the preceding five months and no meeting at all has been held in other six districts and thereby the authorities failed to discharge their constitutional obligation as enshrined in Article 23 of the Constitution. In Paragraph 6 of the rejoinder petitioner asserted that the officers connected with the implementation of the action plan were provided training way back in the year 2011 when the Criminal Law Amendment Act providing for new definition of human trafficking had not been inserted in the Penal Code, as such, it is absolutely expedient in the interest of justice that elaborate training programme be organized to ingrain in the mind of the Special Police Officers as to how they are required to deal with the menace of trafficking in the light of Palermo concept of trafficking and the amended law for effectively tackling the menace of human trafficking in the State which has assumed horrific proportions. In Paragraph 7 of the rejoinder petitioner asserted that money allocated under the Social Rehabilitation Fund amounting to Rs. 95.10 lakhs is meager considering the extent and enormity of medical and financial requirement of the victims. It is also stated in the same paragraph that a sum of Rs. 12.82 lakhs was spent towards the welfare and rehabilitation of 276 victims. In the same paragraph further statement has been made that in most of the districts detailed by the State in their list there is neither any victim nor disbursement. In the same paragraph it is further stated that in the district of Araria there has been no efforts whatsoever to rescue and rehabilitate those suffering from inter-generational

prostitution and young girls of the age of 12 years are being thrown into the ugly trade which is well within the knowledge of the district authorities but no action has been taken by them despite fervent appeals by the petitioners necessitating the filing of present Public Interest Litigation. In the same paragraph it has further been averred that petitioners informed the District Magistrate and Superintendent of Police, Araria, the Nodal Officer of Anti Human Trafficking Unit at Araria that there was wide spread trafficking going on in Kali Mela in January, February, 2012 but no action was taken against the Mela contractor who remained unscathed right under the august nose of the public functionaries. In Paragraph 8 of the rejoinder to the supplementary counter affidavit petitioner averred that in spite of the direction of the High Court to file affidavit indicating the number of cases where the District Level Anti Human Trafficking Unit has taken action including steps for rehabilitation of the victim indicating the measure taken in the last six months with brief reports, no such report has been brought on record. In Paragraph 9 of the rejoinder petitioners asserted that Special Police Officers, as envisaged under Sections 13(1) (2) and (2A), has not been appointed, as such, there is no occasion to implement sub-section (3) of Section 13 of the Act. In the same paragraph petitioner further averred that in the earlier counter affidavit it was mentioned that Special Police Officers are to be appointed by the Social Welfare Department as per the procedure in Section 19 of the Bihar Police Act but it is not known whether any such appointment has been made till date. In Paragraph 10 of the rejoinder petitioner stated that Act provides for mechanism which ensures that trafficking police officer can undertake search of any premises with or without warrant as the situation may require but it is mandatory for the police officer in terms of sub-section (2) of Section 15 of the Act to call upon and ensure presence of two or more respectable inhabitants of the area to attend and witness the search in all cases. Out of two inhabitants of the area associated to witness the search one must be a woman. It is also incumbent on the Special Police Officer or the Trafficking Police Officer in terms of sub-section (4) of Section 15 of the Act to remove the person from within the premises found therein and forthwith produce him/ her before the Magistrate as per sub-section (5) of Section 15 of the Act. In this connection petitioner pointed out that in view of the new definition of trafficking given in Section 370 of the Penal Code, it is important for the State machinery to be aware about the procedure in which offence of trafficking is to be dealt with and until Special Police Officers are appointed under Section 13 of the Act and understand the mechanism provided under sub-sections (2)(4)(5) of Section 15 of the Act implementation of Sections 370, 370-A inserted by Criminal Law Amendment Act may not be secured. In the same paragraph it has further been averred that as per sub-section (6A) of Section 15 of the Act any woman or girl removed under sub-section (4) by the Special Police Officer must be removed in presence of at least two women police officers. In case, any woman or girl removed under sub-section (4) is required to be interrogated, the interrogation be done by woman police officer, if available, otherwise in presence of a lady member of a recognized welfare institution or organisation. In Paragraph 11 of the rejoinder to the supplementary counter affidavit petitioners asserted that in order to eliminate trafficking and effectively rehabilitate the trafficked victims the State must first endeavour to set up shelter homes duly certified by the Welfare Department so as to ensure that the rescued victims are provided healthy environment for reverting back to a dignified existence. It is further important that such shelter homes must be continuously monitored by the State authorities to ensure their proper maintenance and also granted adequate security and rehabilitation machinery so that such women may be brought back into the society with self confidence and dignity. In Paragraph 12 petitioners asserted that the State Action Plan ASTITVA originated with much

enthusiasm but failed to gather momentum and fulfil the goal it sought to achieve as the Home Department could not gear up the requisite machinery to tackle the flourishing trafficking trade and the AHTUs did not meet at necessary intervals to address itself to the purpose for which it was created and has remained an empty formality. Finally petitioners stated that in the interest of justice, it is expedient that the High Court should issue necessary direction calling upon the State as well as District Units to make it mandatory to file reports periodically which shall be reviewed by impartial bodies, Committees created for the purpose.

9. By filing supplementary counter affidavit on behalf of respondent no. 1 it was clarified that due to inadvertence Home (Police) Department requested the Social Welfare Department under Memo No. 3740 dated 26.04.2011 to appoint, impart training to special police officers under Section 13 of the Act with further information that the Home (Police) Department under Memo No. 8483 dated 04.08.1997 has already notified all the Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police, Inspector posted in Criminal Investigation Department (C.I.D) and the districts of the State as special police officers under the Act and requested Social Welfare Department under letter no. 11264 dated 16.09.2013 to arrange for imparting training to the notified special police officers in the light of the earlier letter dated 04.08.1997 and furnish the said information to this Court by filing affidavit in the present case.

10. By filing rejoinder to the supplementary counter affidavit filed by respondent no. 1 petitioners submitted that though special police officers have been duly notified under Memo No. 8483 dated 04.08.1997 the notified officers have not been effectively implementing the provisions of the Act and discharging their statutory duties and human trafficking seems to be on the rise. The concerned officers have perfunctorily addressed themselves to the issue on account of their failure to treat the victims rescued as per the provisions of the Act for non-availability of victim friendly rehabilitation shelter homes with adequate support mechanism. In this connection, it was also pointed out that the State Government has not taken any steps to provide adequate medical, counselling support to the victim and the treatment meted out to them after their recovery is causal inasmuch as they are left without any monitoring mechanism and the entire rescue operation becomes an exercise in futility defeating the provisions of the Act. In Paragraph 3 of the rejoinder petitioners referred to notification of the Government bearing Memo No. 8443 dated 04.08.1997 whereunder Special Police Officers were notified under Section 13 of the Act and submitted that bare perusal of the said notification would indicate that although the name of the Act has been substituted by Act No. 44 of 1986 and the word "Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls" substituted from the nomenclature of the Act with the word "Prevention" but the authorities of the State are not aware about the change in the nomenclature of the Act and thereby are also not aware about the purpose, large context which persuaded the Parliament to change the nomenclature of the Act to provide for Prevention of Trafficking and Rehabilitation of the victims by ensuring minimum standard for correctional treatment as also to make the Penal provisions more stringent. In Paragraph 6 of the rejoinder petitioners asserted that the training imparted to the special police officers has not produced any tangible result as they are not discharging their duties in terms of the provisions of the Act and continue to conduct raid without the presence of a women social worker.

11. Petitioners also filed rejoinder to the supplementary counter affidavit filed on behalf of respondent no. 1 asserting in Paragraph 5 that from the pleadings filed on behalf of the State respondents itself it will appear that AHTUs were constituted in the year 2008 but became active only after the present Public Interest Litigation was filed.

Even now nothing tangible has been done to prevent trafficking by conducting raid, rescue and above all to rehabilitation of a trafficked victim. In the same paragraph petitioners challenged the respondents to produce before the Hon'ble Court even a single case where a trafficked victim has been rescued, rehabilitated so as to free her from the clutches of trafficking or to prevent her from being further trafficked. In the same paragraph petitioners further stated that they have often seen that after a victim is rescued no sooner she is sent back to the same environment from where she was trafficked in the name of reintegration results in re- trafficking and negation of her fundamental rights.

12. By filing counter affidavit on behalf of respondent nos. 6, 7, 8 Collector, Araria informed this Court that District Level Anti Human Trafficking Committee has been functioning in Araria district and several steps have been taken by the Committee for prevention of trafficking and rehabilitation of the victim and thereby Committee is discharging its constitutional obligation. It has further been averred in the said affidavit with reference to proceedings of the Committee dated 26.08.2013 that petitioner-N.G.O. has also been included in Awareness sub-committee of District Level Anti Human Trafficking Committee, Araria so as to enable the petitioners to take active part in prevention of human trafficking. Perusal of resolution of the Committee dated 26.08.2013 further indicates that besides Awareness sub-committee Raid, Rescue, Prosecution Monitoring Committee were also formed to root out human trafficking. In Paragraphs 7, 8 of the aforesaid affidavit it has been asserted that in the district of Araria 39 cases under the Act have been registered at the instance of District Level Anti Human Trafficking Committee in which 41 victims have been rescued, out of whom 33 have received their cheque of Rs. 6,000/-, the amount of rehabilitation support and payment to the remaining eight shall be made after fund is received for the purpose. In the same paragraph further statement has been made that training workshop was organized on 20.11.2013 and next training workshop is proposed to be held in January, 2014.

13. In rejoinder to the supplementary counter affidavit filed on behalf of respondent nos. 6, 7, 8 petitioners stated that though Anti Human Trafficking Committee has been constituted in the district of Araria there is no tangible effect of its existence as rampant human trafficking still pervades in the area and the question of the State fulfilling its constitutional obligation is a far cry. In the same paragraph it has also been averred that disbursement of Rs. 6,000/- to a trafficked victim can hardly suffice towards her rehabilitation as rehabilitation of any woman, much less a woman under awkward circumstances, requires special care which can hardly be provided with Rs. 6,000/-. In Paragraph 5 of the said rejoinder petitioners stated that though Non-Government Organisation "Apne Aap" has been included in one of the sub- committees of the Anti Human Trafficking Unit, Araria but the petitioners are not able to perceive any sincere effort by the so called sub-committee inasmuch as rampant trafficking is still existing in the area which also extends across the border and persons known to be seasoned trafficker have been allowed to move freely and continue trafficking girls into the flesh trade. It has also been stated in the same paragraph that in a recent case registered in Araria Mahila Police Station vide Case No. 40/13 Md. Gainul a noted trafficker of the area trafficked one Raushni Khatoon, a minor girl, who after rescue was sent to her parents' house wherefrom she has been re-trafficked all over again within a week of the incident. It is further stated in the same paragraph that had the District Level Anti Human Trafficking Committee stepped into action and secured her proper rehabilitation by housing her in shelter home with vocational training facility occasion to enable her tormentor to re-traffic her into the black holes could have been

avoided. In Paragraphs 6, 8 of the said rejoinder petitioners asserted that in absence of Standard Operating Procedure to prevent human trafficking there is bound to be misapplication of the funds and no amount of funding will ensure rehabilitation of trafficked victims. In Paragraph 7 petitioners asserted that in the district of Araria few cases of trafficking have been reported but in many other districts not even a single case of human trafficking has been reported although this Court under orders dated 29.10.2013 directed to furnish figures of trafficking cases reported in all the districts.

14. Further counter affidavit has been filed on behalf of respondent no. 2. In Paragraph 3 whereof statement has been made that to combat human trafficking Government has established women police station in all the districts of Bihar and for smooth functioning of the said police station State Government has sanctioned 647 posts under letter no. 8750 dated 01.12.2011 and series of motivational-cum-capacity building training/ sensitization programme has been organized for Station House Officers of all the women police station. In Paragraph 4 of the said affidavit statement has been made that on pilot basis female counsellors have been deputed in 23 police station of Patna district to provide immediate service of trauma counselling to the victims. It has also been averred in the same paragraph that Child Welfare Committee has been constituted in all the districts of the State for proper rehabilitation, social integration of child victim. It has further been stated in the same paragraph that C.W.C. in every district has been asked to conduct home study (social investigation report) to assess, ensure safety of the rescued victim by providing necessary medical, psychological assistance to the victim during her stay in the institution. C.W.C. has also been directed to maintain a list of local N.G.Os. providing residential support, special services in their respective districts. In Paragraph 5 of the said affidavit statement has been made that Government has established short stay homes in 21 districts for social, economic rehabilitation of women who are victims of domestic violence. In the same paragraph it has further been averred that the Act and the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 mandate that at least one such home for women should be established in each district. It has further been stated in the same paragraph that principal thrust is to reintegrate the women with her family. The home provides a compassionate environment along with essential services to the women affected by domestic violence and trafficking. The services include nutritious food, medial, psychiatric services, legal aid and vocational training amongst others. It is also stated in the same paragraph that through Short Stay Homes total number of human trafficking cases registered are 52, out of which 29 have been properly rehabilitated between 01.04.2013 till 31.12.2013. In Paragraph 6 statement has been made that State Government has sanctioned establishment of protection homes and correctional homes for women, girl victim of trafficking under the provisions of the Act. In Paragraph 7 of the said counter affidavit it has been averred that till December 31, 2013 67 cases relating to human trafficking has been registered in concerned police station across the State, out of which three have been disposed of, remaining 64 are pending for disposal in the concerned Court. Out of three disposed of cases, in one case accused has been convicted but in two cases accused has been acquitted by the concerned Court. In Paragraph 8 of the aforesaid affidavit further statement has been made that the State Government in the Home Department has notified district-wise Nodal Police Officers to handle cases relating to exploitation of women/ crime against women. In Paragraphs 9, 10 of the said affidavit further statement has been made that a sum of Rs. 95.10 lakhs has been allocated for disbursement amongst the victims of trafficking, women help line has been established in 35 districts so as to enable the women in distress to seek assistance of crisis intervention centre where counselling as well as legal assistance is provided to the victim. In the same paragraph

further statement has been made that human trafficking cases registered so far are 43, out of which 28 victims have been properly rehabilitated between 01.04.2013 to 31.12.2013. In Paragraph 13 statement has been made that State Government has established Block Referral Unit in 66 blocks to work as relief point for women in distress for providing counselling services and also linking them to available referral services, such as, help line, Short Stay Homes, medical, legal aid as the case may be.

15. By filing further supplementary affidavit petitioners asserted that Raushni Khatoon, a trafficked victim after rescue was restored to her parents, who sent her to her in-laws house where trafficker Md. Gainul had easy access, as a result thereof Raushni once again landed in the clutches of Gainul. Raushni was again rescued by the petitioner-organization and the organization wanted to rehabilitate her but police again handed her to her in-laws, from where she is still being trafficked. In the same paragraph, it has further been asserted that petitioners reliably learnt that Gainul is a regular visitor to the house of the in-laws of Raushni. In Paragraph 6 of the said affidavit further statement has been made that Gainul is a renowned trafficker, he is named accused in several cases, every time he is arrested, is released on bail and he continues to indulge in the horrific trade of trafficking and has been moving scot-free in the area. In Paragraph 7 of the said affidavit petitioners prayed for rescue and rehabilitation of Raushni, a minor girl as she is still under constant threat of being trafficked and handed over to Gainul. In the same paragraph further prayer is made to arrest, prosecute Gainul, who is the kingpin of trafficking trade flourishing in Forbesganj area. In Paragraph 8 of the said affidavit petitioners stated that C.W.C. functions under the aegis of Social Welfare Department has proved itself to be a non-functional body as rescued girls who are sent to C.W.C. are not properly taken care of and more often victims of trafficking are not provided protective care of shelter home which result in their return to the same ugly environment of exploitation.

16. Respondent no. 2 also filed second supplementary counter affidavit. In Paragraph 3 whereof statement has been made that Department has sanctioned Short Stay Homes for women, girls in all the 38 districts under the Chief Minister's Women Empowerment Scheme with aim and object to provide temporary shelter, support to women, girls who has no support system to rely on and also to rehabilitate women, girls socially, economically by providing them training, counselling. In Paragraphs 4, 5 of the said affidavit it has been averred that Short Stay Homes have been established through N.G.Os. in 31 districts of the State. In 13 districts operation of Short Stay Home has been stopped for the time being as irregularities were found in the proper functioning of the N.G.O. concerned. In the same paragraph further statement has been made that proposal has been invited from interested N.G.Os. working in 18 districts to consider their case for permitting them to establish, run Short Stay Home in those districts. In Paragraphs 8, 9 of the said affidavit statement has been made that Department has organized three days' training of trainers workshop on anti human trafficking in the years 2011, 2012. Similar training was also organized in the year 2014 in which altogether 100 participants were present, out of whom 44 were police officers, 29 were prosecution officers and remaining were representatives of different N.G.Os.

17. Union of India, respondent no. 9 has also filed counter affidavit in the matter asserting that the Central Government is concerned with the issue of trafficking of women, children for sexual exploitation. The Ministry of Women and Child Development has issued advisory dated 09.09.2009, 31.01.2012 and 30.04.2012 advising the States for effective implementation of the Act to prevent trafficking of women, children. In Paragraph 5 of its counter affidavit respondent no. 9 has stated that as per sub-section (4) of Section 13 of the Act the Central Government appointed officers of Delhi Special

Police Establishment above the rank of Inspector of Police to serve as trafficking police officer for the purpose of investigating any offence under the Act. Special police officers so appointed shall exercise all the powers, functions in discharge of their duties as special police officer under the Act. In Paragraph 7 the affidavit states that the Ministry of Women and Child Development is implementing Ujjwala, a comprehensive scheme for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation, reintegration of victims of trafficking of sexual, commercial exploitation. One of the important components of the scheme is establishing, maintaining protection and rehabilitative homes for women and child victims of commercial, sexual exploitation. The inmates are provided vocational training for their economic rehabilitation. The homes are established/maintained by Non-Government Organisations. In Paragraphs 8, 9, 10, 11, 12 the affidavit states that Government of India is also implementing schemes concerning crèche, pre-school programme, day and night care centres, counselling centres as also their broad features. In Paragraphs 13, 14, 15, 16, 17 the affidavit states about the protocol for pre-rescue, rescue and post-rescue operation as also strategy, guidelines for such operation and rehabilitation.

18. In the light of the orders of this Court dated 21.07.2014, 22.08.2014 petitioners filed supplementary affidavit highlighting issues which needs to be addressed by the authorities for effective implementation of the Act. In Paragraph 3 of the said supplementary affidavit petitioners reiterated that they are actively engaged in fighting human trafficking and work in cooperation with all other stakeholders i.e. Government, Academia, Civil Society and the media to support each others' effort to create new partnership and develop effective tools to fight human trafficking. In the same paragraph petitioners stated that without the cooperation of the Government it may not be possible to combat the evil of trafficking and to grant protection to the victim (s) from the traffickers. In Paragraphs 4, 7 of the supplementary affidavit petitioners referred to Section 21 of the Act and submitted that it is the duty of the Government to establish Protective Homes, Corrective Institutions to protect the victims of trafficking in every districts of the State but the Government has not established adequate number of Protective Homes, Corrective Institutions to protect the victims in accordance with the Act. It is also stated in the same paragraph that rescue, rehabilitation of the trafficked victim must go together. Rescue of the trafficked victim without rehabilitation is meaningless. In the same paragraph it is further stated that the State Government with the cooperation of the Central Government should commit adequate financial support for execution of viable schemes to rehabilitate victims in gender sensitive manner. In Paragraph 6 of the supplementary affidavit petitioners stated that financial support of Rs. 6,000/- each for rehabilitation of the victim is wholly insufficient and victims are vulnerable to re-trafficking. In the same paragraph it is further stated that rehabilitation of the victim will not happen in absence of sufficient financial assistance. In Paragraph 8 of the supplementary affidavit petitioners referred to Section 13 of the Act casting statutory duty upon the respondent authorities to appoint Special Police Officers and Advisory Boards for specified area but the police officers appointed as Special Police Officer have neither been trained nor appointed in accordance with the gazette dated 31.12.2008 issued by the Social Welfare Department of the Government. In Paragraph 9 of the supplementary affidavit petitioners asserted that the police authorities are not taking action in the light of the newly substituted Sections 370, 370-A of the Penal Code to deter the traffickers from indulging in trafficking of human being, particularly women and children. In Paragraph 10 of the supplementary affidavit petitioners asserted that search of the premises by the Special Police Officers without warrant is being conducted ignoring the provisions of sub-section (2) of Section 15 of the Act which

provides for search of a premises in presence of two or more respectable inhabitants of the locality in which the premises is situate, one of whom shall be a woman, may be from an area other than the one in which premises is situate. In Paragraph 11 of the supplementary affidavit petitioners asserted with reference to Section 23 of the Act that the Government has not yet notified the Rules in official gazette for granting protection to the witness for effective prosecution of the case filed against a trafficker. In Paragraph 12 of the supplementary affidavit petitioners referred to sub-section (6A) of Section 15 of the Act which provides for interrogation of a woman in connection with a case filed under the Act by a woman police officer but in absence of woman police officer, in presence of a lady member of the recognized welfare institution only and submitted that while interrogating the women Special Police Officer or the trafficking police officer are generally ignoring the said provision of the Act and women are being interrogated by the male police officers in absence of lady member of a recognized welfare institution. In Paragraph 13 petitioners referred to Section 17 of the Act which deals with intermediate custody of the persons removed under Section 15 or rescued under Section 16 of the Act and asserted that without adequate training of police personnel compliance of Section 17 of the Act is virtually impossible. According to the petitioners, sensitization of the police personnel in this regard is necessary and there has been cases where production has been delayed and manipulations made in between. In Paragraph 14 petitioners referred to Section 17-A of the Act which provides conditions to be observed before placing the person rescued under Section 16 in the custody of parents/ guardians and submitted that Magistrate concerned are not observing the provision in letter and spirit and without taking adequate precaution and satisfying themselves about the capacity or genuineness of the parents/ guardians or husband to keep such person are handing over the person rescued under Section 16 to the parents/guardians or husband. In Paragraph 15 of the supplementary affidavit petitioners referred to Section 21 of the Act and submitted that Government has not taken adequate steps to establish Protective Homes. The homes which have already been established are not maintaining minimum standards as specified in the licence granted. No strict vigilance or control mechanism has yet been evolved by the State Government for ensuring minimum standard in the Protective Homes/ Corrective Institutions. Corrective Institutions are being mismanaged and rescued victims are not provided adequate care and protection for a sufficient period, result being that inmates fall prey to unsavory elements. In the same paragraph, it is further asserted that there is hardly any counselling, vocational training facility available in the Protective Homes. In Paragraph 16 of the said affidavit petitioners referred to Sections 22, 22-A of the Act, which require establishment of special Courts for trial of trafficking cases and with reference to the said provision it has been asserted that the Special Courts are not constituted for speedy trail of trafficking cases result being that such cases remained pending for indefinite period.

19. Respondent no. 2 also filed supplementary counter affidavit in the light of the aforesaid two orders reiterating the statements made earlier and further stated in Paragraph 6 thereof that the Government of Bihar has prepared Standard Operating Procedure (SOP) on conducting raid, rescue, care & protection and rehabilitation of trafficked victims in consultation with the representatives of Non-Government Organisation serving in the field, Chair-Person of Child Welfare Committees constituted under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and Assistant Director, District Child Protection Unit of all the districts. In the light of the feed back received in the consultation process from the stakeholders Standard Operating Procedure will be notified soon for its implementation. In Paragraph 7 of the supplementary counter affidavit statement has been made that under Section 22-A of the Act Government in

consultation with Patna High Court has notified special Courts for speedy trial of the cases filed under the Act. In Paragraph 8 of the affidavit further statement has been made that in terms of the provisions of the Act State Government is in the process of establishing protection, correctional homes through Non-Government Organisation with financial support from the Government and Non-Government Organisation also. Selection of Non-Government Organisation for setting up correctional home is under process and short-listing of eligible N.G.Os. has already been completed. In Paragraph 9 of the affidavit statement has been made that the State is in process of formulating scheme for vocational training (residential) and rehabilitation of trafficked victims so that they can be gainfully employed.

20. In the light of the pleadings filed by the parties and the order of this Court dated 09.09.2014 petitioners through Ms. Tinku Khanna and the State respondents through Director, Social Welfare, Bihar, Patna submitted their joint submission. Perusal of joint submission indicates that the submissions have been categorized in four headings : Prevention, Raid & Rescue, Rehabilitation and Prosecution.

(A) Prevention :

(i) Vulnerability mapping of children living in red light area and children at risk to be trafficked (Nomadic and Semi- Nomadic tribes mostly living in border areas of the State) and preparation of individual child care plan by the Child Welfare Committee in each district.

(ii) Linkage of vulnerable families with Government Schemes.

(iii) Ensuring enrolment and retention of vulnerable children in school.

(iv) Creating gender resource centre in the blocks where vulnerability of children is high.

(v) Imparting life skills and job ready skills to the youth living in red light area and linking the children from red light area to sustainable livelihood opportunities.

(vi) Monthly monitoring of vulnerable children by the notified officer, who should submit report, on the basis of which appropriate action shall be taken by the Social Welfare Department.

(vii) Police to work as watch dog against knowntraffickers.

(viii) Anganwari Sevika be held accountable for birth registration, especially in red light areas, N.G.Os. working at the grass-root level may also be consulted for verification.

(ix) Establishment and proper functioning of Day Care Centre, Anganwari Centre etc.

(x) Middle, High school be set up near red light area.

(xi) Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) to be recognized as safe space for the rescued minor survivors of trafficking.

(xii) KGBV be upgraded to Class-XII from Class-VIII, which is its present status in Bihar.

(xiii) Instructions be issued to the authorities not to grant licence for the travelling theatre, Nautanki as according to the petitioners travelling theaters are the recruiting grounds for the young girls in the name of

performing entertainer but girls are made to perform nude dance leading to their commercial, sexual exploitation.

(B) Raid & Rescue

(i) There should be raid in red light areas/ other areas where children, women are in distress following the Standard Operating Procedure. The raiding party must consists of women police officer and N.G.O. representative.

(ii) Rescued victims be placed in reception centre established at divisional level and subjected to counselling by trauma counsellor followed by medical examination after production of the victim before the concerned C.W.C.

(iii) Police personnel dealing with trafficking cases must be well-versed with the provisions of the Act and Sections 370, 370-A of the Penal Code to book the trafficker in connection with the offence of trafficking, exploitation of the trafficked person by imparting training so as to enable the police officer to effectively deal with the problem of trafficking.

(iv) Adequate number of Protective Homes, Corrective Institutions be established in every district of the State in order to protect the victim of trafficking. In order to protect the victim in accordance with the Act rescue of trafficked victim should go along with the effective rehabilitation. Each victim should be placed in the Protective Homes, Corrective Institutions for a considerable period of time so that she can get opportunity to equip herself with adequate skill that would prevent her getting re-trafficked. The shelter homes should effectively look into the needs of a victim regarding legal advice, counselling, job ready skill training and health care. The care givers working in homes should be trained for capacity building as well as enhancing motivation.

(v) When a child is recovered from a red light area the intents of the parents, guardians, husband should be checked, rechecked through P.R.I. representative and also from native police station before granting interim relief/ custody to the parent/ guardian. In this regard the Authority/ Court shall verify the character of the custody keeper.

(vi) Annual Social Audit must be made by independent agency and for the same Nodal Department should take all necessary steps.

(C) Rehabilitation

(i) Victim be given identity card like BPL, AADHAR though which she will link herself to number of social security schemes i.e. Indira Awas Yojna, MANREGA, RGRSB Yojna, Jan- Dhan Yojna etc. The victim be also allotted land as in many cases traffickers have gained control over the victim because they know that she does not have any safe place to go.

(ii) Victims should get trained into skills that would help her in becoming economically self sufficient. The residential vocational training be provided by the Department concerned to the victim in the trade of her choice and bank loan, if required, may also be sanctioned. During training period she be not handed over to any person like natural guardian, husband or others. To meet the emergencies in the family like demise, marriage etc. victim may be allowed to leave the place of her stay for a day or two with direction to come back on the date fixed.

(D) Prosecution

(i) Witness protection is vital for effective prosecution of the case. In absence of effective witness protection programme most of the witnesses turn hostile, result being cases instituted against the traffickers end in acquittal for want of evidence. It is expected from the Government that AHTUs in coordination with District Legal Services Authority ensure conducive atmosphere to make it safe for the victims to testify in favour of the prosecution. Family of the trafficked victim should be brought into the purview of social security system.

(ii) Trafficked victim should be compensated during the interim period.

(iii) The police and the prosecution should work in tandem for securing effective conclusion of the case in a time frame preferably within six months.

21. Director General of Police, Chief Secretary, Bihar having gone through the joint submission filed by the petitioners, Director, Social Welfare filed supplementary counter affidavit, counter affidavit respectively in the matter stating that the joint submission made by the petitioners, Director Social Welfare is appropriate as it covers overall the issues concerning protection of vulnerable children, women from human trafficking and provide for proper rehabilitation of trafficked victims. In Paragraph 5 of the supplementary counter affidavit filed on behalf of Director General of Police, Bihar, Patna it has been stated that since trafficking of person is an organized crime, source information is a major area of intelligence collection in detecting crime of trafficking and rescue of victim. Besides crime stoppers, help lines, police control room etc., Non-Government Organisation are also important source of information. The Non-Government Organisation working at local level may play a crucial role in providing information regarding scene of crime which includes brothel or places of exploitation, the source, transit, destination point, the vehicle used for transfer of victim at any place, the other places where women juvenile are exploited or are kept in distress etc. It is quite essential that list/ data of Non-Government Organisation recognized by the State Government at district and local level is prepared and provided to the district police/ AHTU as also duly publicized. The recognized N.G.O. should provide information to the police/ other stakeholders regarding the crime. In Paragraph 6 of the said affidavit it is further stated that police headquarter has sent a proposal to the Government of Bihar for creation of Anti Human Trafficking Police Stations in 14 districts of the State i.e. Patna, Gaya, Munger, Muzaffarpur, Katihar, Purnia, Madhubani, Begusarai, Sitamarhi, Motihari, Kishanganj, Araria, Bettiah and Saharsa as these districts have been found to be more prone and vulnerable to the crime of human trafficking. In this connection, reference is also made to the direction of the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 75/ 2012 for creation of Anti Human Trafficking Police Station. In Paragraph 7 of the affidavit it has also been averred that when information is received regarding victims/ activities relating to CAS and/or trafficking the police needs help, assistance of concerned Department in district while conducing raid and rescue operation. It is, therefore, necessary that the concerned Department, such as, Social Welfare, Labour, Public Health Engineering etc. may notify a Nodal Officer for Anti Human Trafficking Unit at State, District level so as to enable the Anti Human Trafficking Unit at the State, District level to take prompt action.

22. In Paragraph 7 of the counter affidavit filed on behalf of the Chief Secretary, Bihar, Patna it has been stated that it has been decided to formulate scheme through which trafficked victims may be imparted residential, vocational training for their economic

empowerment. The ultimate purpose of imparting training is to link the victim with income generating avenues to make the victim self reliant. In the same paragraph it has further been averred that there is no specific protocol that specifies roles and responsibilities of various stakeholders involved in preventing rescue, care & protection and rehabilitation of trafficked victim of commercial, sexual exploitation and child labour. Various Government Departments and other stakeholders play important role in the rescue, repatriation and rehabilitation of the victims. During raid as well as post-raid operation there is no clear laid out mechanism and supporting instructions which could be relied upon by the various stakeholders for taking necessary steps. Inter- departmental linkages, therefore, has to be formalized and mechanism for coordination is required to be clearly laid out which the Department concerned has developed as a set of guidelines (SOP) for safe rescue, care, protection and rehabilitation of the trafficked victims and contents thereof was brought to the notice of the State Level Anti Human Trafficking Coordination Committee in its meeting held on 10.10.2014 and the SOP shall be implemented after the same is notified. In Paragraph 8 of the affidavit it has been averred that trafficking of women, children for commercial, sexual exploitation is an organized crime that violates basic human rights. Appreciating such fact Ministry of Women and Child Development has also formulated a comprehensive scheme for prevention of trafficking for rescue, rehabilitation and reintegration of victim - Ujjwala. In the same paragraph, it has further been averred that in the meeting of State Level Anti Human Trafficking Coordination Committee it was decided to organize workshop in collaboration with UNICEF, Patna especially in border districts for proper implementation of integrated Scheme Ujjwala. In Paragraph 9 of the affidavit statement has been made that decision has been taken to map out all red light colonies in each block and prepare block-wise plan for identification of all children in the age group of 0-18 years in the areas. It has further been decided to strengthen KGBV where vulnerability is very high, especially in age group of 12-18 years so that trafficked victims could get residential education, vocational training for longer period of time.

23. Before proceeding to consider the prayer made in the writ petition in the light of the pleadings, submissions made by the parties, it is necessary to notice Article 23 of the Constitution which provides for prohibition of traffic in human beings and forced labour. Any contravention of Article 23 is an offence punishable in accordance with law. India having become signatory and ratified International Convention for the Suppression of Immoral Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others at New York on 09.05.1950 enacted Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 for punishing those who indulge in trafficking of women and girls for immoral purposes. Later, India became signatory and ratified the Convention for Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 1979 which provides for prohibition of discrimination against women in all its forms, amended the nomenclature of the aforesaid Act by enacting Amending Act no. 44 of 1986 providing for substitution of words "Suppression of Immoral Traffic of Women and Girls" from the nomenclature of the said Act with the word "Prevention" to provide for prevention of trafficking and rehabilitation of victims by ensuring minimum standard for correctional treatment as also to make the Penal provisions more stringent. India having ratified U.N. convention on the right of child in 1992 prescribing a set of standards to be adhered by all State functionaries in securing the best interests of the child and for giving effect to the relevant constitutional provisions of Articles 39, 45 and 47 imposing primal responsibility on the State and its functionaries to ensure due care and protection to every child so that his basic needs during childhood is fulfilled and his childhood is not only protected but he is able to grow realizing his full potentiality, enacted the Juvenile

Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000. Having enacted the aforesaid Act respondent no. 9 adopted National Charter for Children in February, 2004 underlining intent to secure for every child its inherent right to be a child and enjoy healthy, happy childhood to address the root causes that negate the healthy growth and development of children. Perusal of the National Charter for Children, 2003 indicates the commitment of the State to take affirmative measures by way of legislative, policy enactment to promote and safeguard the right of all children to live and grow with equity, dignity, security and freedom, especially those marginalized or disadvantaged so that all children have equal opportunities and that no custom, tradition, cultural or religious practice is allowed to violate or restrict or prevent children from enjoying their rights and childhood. Government of India, Ministry of Women and Child Development being conscious of its responsibilities to protect the childhood of every child, particularly vulnerable children of marginalized or disadvantaged groups rolled out Integrated Child Protection Scheme in the year 2009 for protecting the childhood of all the children including 40 % of India's vulnerable children whose parents on account of poverty are unable to protect their childhood. In 2013 Government of India once again reviewed the progress made in execution of Integrated Child Protection Scheme, 2009 drafted rights based National Policy for Children 2013 to address the continuing and emerging challenges in the situation of Children for filling up the gaps which were found in execution of the Scheme for providing due care and protection to children of the disadvantaged on the cardinal principle that unless rights, best interest of every child in difficult circumstances is protected their vulnerability reduced by undoing abuse in any form, neglect, exploitation, abandonment and separation from family, it may be difficult to protect the childhood of the vulnerable child.

24. In 2011 India ratified United Nations Palermo Protocol which provides for prevention, suppression and punishment of persons indulging in trafficking of human beings, especially women and children. Perusal of Protocol would indicate that the same widened the concept of trafficking of person by including all those who for the purpose of exploitation recruits, transports, harbours, transfers or receives a person or persons.

Aforesaid definition of trafficking of person was considered by Justice J.S. Verma Committee constituted for suggesting Amendment in the criminal law. In the light of the report of the Committee new Sections 370, 370-A was substituted in the Penal Code by Act 13 of 2013 whereunder trafficking of person or persons including minor for the purpose of exploitation by recruitment, transportation, harbouring, transfer, receipt is made punishable. Government of India taking note of the spate of high incidence of violence against women, under letter of the Executive Director, National Mission for Empowerment of Women, Ministry of Women and Child Development dated 05.06.2014, conceived establishment of One Stop Crisis Centre (OSCC)/ Nirbhaya Centre in every district of the country for providing medical, police, psycho-social support/ counselling, assistance, legal aid and shelter to the victims and asked the concerned authorities of the respective States to identify suitable land/ building for the purpose.

25. Having taken a bird's eye view of the context in which the present Public Interest Litigation has been filed and the prayer made, it is appropriate to consider the prayer made in the writ petition under four sub-headings, namely, Prevention, Raid & Rescue, Rehabilitation and finally Prosecution as it is well known that Prevention of the malady is always better than the cure.

A. Prevention

26. To prevent social evil of human trafficking in Bihar the State Government through its Department of Social Welfare has notified a State Plan of Action -ASTITVA providing for integrated approach by several of its line Departments, namely, Education, Rural Development, Social Welfare, Labour, Human Resources, Health, Police, District Administration etc. vide resolution bearing Memo No. 595 dated 31.12.2008, perusal whereof indicates that to combat the menace of human trafficking State, District, Village Level Anti Human Trafficking Body is to be constituted. From perusal of the pleadings filed by the parties, it appears that the State, District Level Anti Human Trafficking Body has already been constituted but till date no such body at the Village level has been constituted to prevent trafficking at grass root level. Accordingly, it is directed that in every village/ ward of Gram Panchayat/ Urban agglomeration including red light area where Anganwari Centre is already established Village/ Ward Level Anti Human Trafficking Body be constituted within a reasonable time not exceeding two months from the date of this judgment. Anti Human Trafficking Body so constituted may be the same Village/ Ward Level Child Protection Committee, which is required to be constituted at the village level in terms of the Integrated Child Protection Scheme, Chapter-2 Paragraph 3(i). Once Village/ Ward Level Anti Human Trafficking Body/Village/ Ward Level Child Protection Committee is constituted, it shall be the duty of the said Body/ Committee to collect all relevant data concerning the children aged between 0-18 years residing within its jurisdiction i.e. date of birth, gender, family's income, status of the child attending Anganwari/ school etc. and to draw the individual Child Care Plan for each child residing within its jurisdiction, as is required in terms of Integrated Child Protection Scheme Chapter 2 Paragraph 3(v) and to submit monthly report to the Block/ District Level Committee. The Block/ District Level Committee will analyze the report/data, take remedial action and submit report to the Social Welfare Directorate for further remedial action. The Directorate shall keep the report/data in public domain by placing the same on its website for annual social audit also by an independent agency. It shall also be the responsibility of the Body/ Committee to monitor that the child is regularly attending the Anganwari/ School. In case, child is not attending the Anganwari/ School for any reason, it shall be the duty of the Village/ Ward Level Committee through its Secretary to first ascertain the reason which persuaded the child not to attend Anganwari/ School and then to inform the same to the Block Level Child Protection Committee/ Child Welfare Committee and District Level Committee to take appropriate remedial measure. In case, acute poverty of the family is restraining the child from attending the School the Superior Committees i.e. Block Level Committee/ Child Welfare Committee through its Secretary and Chair Person will ensure linkage of the family with Social Security Schemes like MNREGA etc. and child is provided sponsorship, kinship care, foster care by linking the child to the Scheme like PARVARIS etc. The status of the child be reviewed by the Body/ Committee on regular basis. In case, child is to be given in adoption the same must be in accordance with law after obtaining due permission from the concerned Child Welfare Committee. In the event, data base including birth registration, vigil about the activities of every child is not maintained by the Village Level Committee, Child Welfare Committee concerned, Directorate and the Social Welfare Department shall take appropriate action and will ensure maintenance of data base and required vigil over the activities of every child and his guardian by not only the Village/ Ward Level Committee but also by the Child Welfare Committee as also the Directorate. Aforesaid arrangement in the opinion of this Court will go a long way to prevent trafficking of children, child marriage in the Village/ Gram Panchayat/ Urban Agglomeration. In order to provide better and longer educational facility to the girls Government should upgrade Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya from Class-VIII

to XII as early as possible, in any case, within a reasonable time so that girl child of those who are marginalized or disadvantaged may have longer period of time to learn, study in a residential school. The District Magistrate of each district may also not grant licence for travelling theatre or Nautanki. It shall be the responsibility of District Magistrate, Superintendent of Police of each revenue, police district to maintain the list of Non-Government Organisation, social workers engaged, serving in connection with rescue, rehabilitation of trafficked victim for the needful.

B. Raid & Rescue :

27. (i) To eliminate the menace of trafficking for sexual purposes there should be regular raid/ search and rescue from brothel(s) as defined under Section 2(a) of the Act as also in other premises wherever women, children are in distress by the Special Police Officers appointed under Section 13 of the Act and duly trained so that while conducting search they comply with the requirement of sub-section (2) of Section 15 of the Act and conduct search of the premises in presence of two or more respectable inhabitants of the area. One of whom should be a woman need not be a resident of the same area. During search Special Police Officer leading the search party should also observe the mandate of sub- section (6A) of Section 15 of the Act which require the raiding team to consist of at least two women police officers. In case, women or girl removed from the searched premises is required to be interrogated, interrogation must be made by a woman police officer. If no woman police officer is available, interrogation be done only in presence of a lady member of a recognized welfare institution/ organization. Special Police Officer leading the team to conduct search should also ensure production of the person removed under Section 15 or rescued under Section 16 within the time provided for production under Section 17 of the Act. Learned Magistrate/ Special Judge while conducting enquiry in terms of Section 17 of the Act before passing order for interim custody of the person rescued under Section 16 of the Act in favour of the parents, guardian, husband must satisfy himself to the hilt about the capacity or genuineness of the parents, guardian, husband to keep the rescued person by causing investigation to be made by a recognized welfare institution or organization or P.R.I. representatives.

(ii) The rescued victim shall be placed in Reception/ One Stop Crisis/ Nirbhaya Centre and attended to by the Trauma Counsellor followed by her medial examination after placing the victim before C.W.C. in case, the victim is a child.

(iii) The Government shall notify the Standard Operating Procedure (SOP) for safe rescue, care, protection and rehabilitation of trafficked victim within one month from the date of this judgment.

(iv) It shall be the responsibility of the Director General of Police, Bihar and I.G. Weaker Section to draw annual calendar for training of the Special Police Officers and other police officers dealing with the offences of human trafficking, as provided under amended Sections 370, 370-A of the Penal Code on regular basis for ensuring better handling, registration, investigation of the trafficking cases to deter the traffickers from indulging in trafficking of human being. It shall be the responsibility of the Director, Bihar Judicial Academy to provide a slot for training of Judicial Magistrate/ Special Judge dealing with trafficking cases in its Annual Calendar so as to acquaint them with the nuances of the provisions of Sections 15, 16, 17, 17-A of the Act for better handling, disposal of the cases relating to trafficking.

C. Rehabilitation

28. In order to protect, provide vocational training to the trafficked victims Social Welfare Department should establish adequate number of Protective Homes, Corrective Institutions in each district of the State. To begin with the Department must establish one Protective Home, Corrective Institution and One Stop Crisis/ Nirbhaya Centre in each district as early as possible, in any case within a reasonable time. The Protective Home, Corrective Institution, One Stop Crisis/ Nirbhaya Centre must be managed by a person or authority who is licensed under sub-section (3) of Section 21 of the Act with the help of trained staff. It shall be the responsibility of the Welfare Department/ Directorate and the Licensing Authority to ensure that the person managing the Protective Home, Corrective Institution does not violate any of the terms of the licence. Rescue of the trafficked victim is meaningless if the victim is not provided protective care, vocational training to enable her to stand on her own feet and become economically self reliant. In absence of adequate vocational training the rescued victim is again likely to go back in the same black hole from where she has been rescued. Reference in this connection is made to the case of Raushni Khatoon, daughter of Md. Luna Master and victim of Mahila Police Station (Araria) Case No. 40/13 dated 03.12.2013. It shall be the responsibility of the Directorate of Social Welfare to ensure regular training of the Assistant Director and other care givers working in Protective Homes, Corrective Institutions and One Stop Crisis/ Nirbhaya Centre. The trafficked victims be issued identity card like B.P.L., AADHAR etc. which will immediately link her to the various social security schemes of the Government including housing scheme.

D. Prosecution

29. For successful prosecution of the trafficker, it is necessary that the cases registered under the Act are investigated by the Special Police Officer and also prosecuted before the Special Court constituted under Section 22-A of the Act within a time frame so as to ensure that the prosecution witnesses do not become hostile. From Paragraph 7 of the supplementary counter affidavit filed on behalf of respondent no. 2, it appears that Special Courts for trial of cases instituted alleging offences under the Act have already been notified. It shall be the responsibility of the Special Court concerned to take up trial of the cases alleging offences under the Act on priority basis so as to conclude the same within shortest possible time. **During investigation, trial trafficked victim be allowed the services of Para-Legal Volunteer as also panel lawyer to avoid any harassment, legal expenses by her and for ensuing such services to the victim District Legal Services Authority concerned be alerted about registration of the case no sooner the same is registered by the Police Station as also by the Special Court after receipt of the First Information Report by it.**

30. The writ petition is, accordingly, disposed of in terms of the observations/ directions above.

31. Before parting with this judgment, this Court will like to observe that the petitioners, State respondents, Union of India, respondent no. 9 extended their full cooperation in disposal of the present matter.

I agree.

Hon'ble Mr. Justice V.N. Sinha, J

Hon'ble Mr. Justice Prabhat Kumar Jha, J

(Prabhat Kumar Jha, J)

❑❑❑

Initiative For Transportation ... Versus Mcd And Ors.

Delhi High Court

Initiative For Transportation ... vs Mcd And Ors.

Decided on 2 June, 2012

W.P. (C) 4572/2007

W.P. (C) 8580/2009 INITIATIVE FOR TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT PROGRAMMES .....Petitioner versus MCD AND ORS. .....Respondents CONT. CASE (C) 564/2010 MANUSHI SANGATHAN ..... Petitioner versus P.K. PANDA AND ORS.

.....Respondents Appearance: Ms. Indira Unninayar with Ms. Kirat Randhawa, Advocate for petitioners in WP (C) 4572/07 and Cont. Case (C) 564/2010.

Mr. Nazmi Waziri, Standing Counsel for GNCTD with Ms. Neha Kapoor, Advocate.

Ms. Madhu Tewatia, Advocate for MCD with Ms. Sidhi Arora, Advocate.

Ms. Geetanjali Mohan, Advocate for Railways with Ms. Mansi Gautam, Advocate.

W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 1 Mr. Sanjeev Ralli with Mr. Sandeep Anand, Advocates for respondents/Chandni Chowk Vyapar Mandal.

Ms. Pooja Bahuguna, for Ms. Sangeeta Chandra, Standing Counsel for DDA.

Ms. Reeta Kaul and Sh. Sandeep Khatri, Advocates, for Resp. Nos. 4 and 5 in W.P. (C) 4572/2007.

Mr. Shashi Bhushan, President, All Delhi Cycle Rickshaw Operator Union.

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT HON'BLE DR. JUSTICE S. MURALIDHAR HON'BLE MR. JUSTICE S.RAVINDRA BHAT (OPEN COURT) % C.M. APPL. 626/2012, 2724/2012, 2801/2012, 3663/2012 and 793/2012 Left Slip Road

1. At a special sitting today, the Court was shown several presentations. One of these included a presentation by M/s. Pradeep Sachdeva and Associates, the Architects commissioned by the MCD. This presentation was about the road segregation on the S.P. Mukherjee Marg for the purpose of pilot project for implementation of the directions contained in this Courts judgment dated 10.02.2010. The Court is informed that this presentation was also made before the UTTIPEC which has approved it in principle. According to the proposal, the free-left slip road turning on to the S.P. Mukherjee Marg would no longer exist. Instead a separate lane has been created in the main carriageway to cater to the left-turning motorized vehicle (MV) traffic. The proposal also envisions a multi-utility zone (MUZ) which is to act as a buffer between non-motorized vehicle (NMV, a term which W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 2 refers to cycle rickshaws, trolleys, thelas, etc. also variously called "cycle rickshaws") (NMV) lane and the main carriageway for motorized vehicles.

The MUZ would be used for parking of rickshaws, emergency vehicles, PCRs and also for the purpose of hawking.

2. Mr. Nazmi Waziri, learned counsel on behalf of the NCT of Delhi and the Delhi Police submitted on instructions from the DCP (Traffic) present in court that the above proposal was acceptable and that suitable steps to implement the same would be taken at the earliest. We also direct all concerned agencies to cooperate and ensure that the road segregation of the S.P.Mukherjee Marg with the additional MV lane as proposed by M/s. Pradeep Sachdeva and Associates is implemented within six weeks from today. Just after the above was dictated in Court, Mr.Waziri informed the Court that that there was a rethink by the DCP (Traffic) and that even though earlier the proposal to do away with the free left slip road had been agreed to by the Govt. of NCT of Delhi, they were now opposed to the idea and wished to have a free left slip road. The concerned DCP Traffic is of the opinion that such a free slip road is necessary and that the Delhi Police is not comfortable with the idea of a buffer zone.

3. We notice in this regard that the UTTIPEC formulated Street Design Guidelines adopted by it in November 2009, which is the guiding norm for town-planning and design of various streets in the Govt. of NCT of Delhi. These guidelines inter alia state:

"Slip roads on Delhi roads are meant for the "signal free" movement of traffic, and to spare the left turning traffic from having to wait at traffic lights for taking a turn.

W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 3 While such car-oriented design features has not really helped reduce congestion on city roads, this design feature make "crossing the street safely" for pedestrians, cyclists, aged and physically challenged people an impossible task.

Making street-crossing unsafe for these road users further discourages walking and use of public transport, and therefore induces people to use private vehicles.

Therefore, from a pedestrian and cyclist safety standpoint, Slip roads are undesirable."

4. We are of the considered opinion that the UTTIPEC guidelines having been shown and discussed, and accepted in principle previously, should be acted upon. We also notice that the Govt. of NCT of Delhi is committed to the UTTIPEC guidelines and has agreed to implement the same. No reservation of the kind being voiced now, is on record, in any of the previous UTTIPEC meetings, including those chaired by the Lieutenant Governor. We accordingly direct all the authorities and agencies, including the Delhi Police, to cooperate and ensure that the proposal suggested and shown in Court today by M/s. Pradeep Sachdeva and Associates are implemented within the shortest possible time and in any event within six weeks from today.

Entry of buses into the Old Delhi railway station

5. Pursuant to the notice issued by this Court, the Northern Railways is present and is represented by Ms. Geetanjali Mohan, learned counsel. She stated that according to the agreed plan, buses were permitted entry into the W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 4 Old Delhi railway Station on 26th May 2012 but that due to demonstrations and resistance by taxi pliers, however, implementation of the plan could not take place. During the hearing, Mr. Waziri, learned counsel for the Govt. of NCT of Delhi, Ms. Madhu Tewatia, learned counsel for the MCD and Ms. Indira Unninayar, learned counsel for the petitioner emphasized that there was considerable traffic congestion and chaos outside the Old Delhi railway station on account of the buses having to wait and being denied entry and the passengers who alight and walk along the street which in turn clogs the streets. It was submitted that the bus

passengers are left in the lurch because they would have to travel a considerable distance from the alighting point to the station with heavy loads of luggage. Other passengers who travel in private vehicles, taxis or other private modes of transport do not face a similar hardship. Mr.Waziri submitted that if buses are allowed entry as they were earlier, a far greater number of passengers would be able to reach the station easily and thus avoid the traffic chaos which prevails in the area. Ms. Mohan, on the other hand, submitted that the situation which existed 22 years ago does not prevail now since there has been a 10-fold increase in the footfalls in the railway station. It was submitted that the taxi pliers, auto rickshaw and cycle rickshaw pliers have serious reservations to such proposal.

6. We are of the opinion that the experiment of allowing entry of buses into the Old Delhi railway station should be viewed as an essential component of the pilot project and tried on an experimental basis for 15 days to begin with. This is vital for gathering data. Also it is important to ensure equitable access to the railway station to all passengers whether approaching in a bus or other forms of transport. A few who travel through private modes W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 5 of transport cannot be privileged over the rest. The Court accordingly directs the Govt. of NCT of Delhi, the Delhi Police and the Northern Railways to coordinate and ensure smooth functioning of the plan whereby DTC and other buses in the cluster system that are permitted to operate on DTC routes are allowed entry into the Old Delhi railway station. While collecting data, the concerned agency may take into consideration all the relevant parameters, including the average time spent by each bus, the number of passengers alighting from the buses or going into buses, after leaving the Railway Station and such like information which would be necessary for an assessment of the pilot project. While working out the plan, it is open to the Delhi Police and the other concerned agencies including the DTC to suggest a waiting period for the buses. Temporary sites for passengers to board the buses at the station may also be earmarked. Ms. Tewatia, learned counsel for the MCD stated that the Dangal Maidan, i.e. the ground opposite the station, has been vacated and has by an Office Order been earmarked for the exclusive use by buses with effect from 3rd May 2012. In view of this development, the Delhi Police and other concerned agencies tasked with the duty of implementing the UTTIPEC proposals and the directions of the Court shall make optimal use of the said open space in the Dangal Maidan for bus parking and to facilitate use of the vehicles by the passengers, who have to cross the road or who alight in order to get into the station from the opposite end of the road.

7. DRM (Railways), Delhi Division will for the above purpose, convene a meeting of the concerned officials of the Govt. of NCT of Delhi, the MCD, the DTC and the Delhi Police in the first instance on 6 th June, 2012 and ensure that steps are taken to implement the plan within the time frame W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 6 indicated hereinabove.

Registration of cycle rickshaws

8. After hearing all the parties, the Court is of the opinion that the MCD should with utmost expedition start registering cycle rickshaws plying in the city. For this purpose, the form proposed by the MCD on the record (at page 1184 of the paperbook shall be utilized with certain modifications, suggested hereafter. The form which will be titled "Application for Registration of NMV" will be made available free of charge and also placed on the internet so that it can be downloaded and printed. Also, sufficient number of copies shall be made available by the MCD at its Citizen Service Bureau (CSB) counters registration counters. The MCD should make adequate arrangements

for the digital photographs and the recording of index fingerprint of the applicants as is done in the case of applicants for MV licences. Proof of residence should not be insisted upon, having regard to the economic strata of the applicants and also the fact that most of them may not possess any proof of residence. The MCD shall also not insist upon the proof of purchase of cycle rickshaw, having regard to the fact that in many cases, these are assembled and receipts would be hard to come by. Insistence on document is irrelevant. Ms. Tewatia, learned counsel for the MCD has assured that the registration certificate in respect of the cycle rickshaw would be issued within two days of the duly filled form being submitted.

Licence for cycle rickshaw pliers

9. So far as the application by the cycle rickshaw plier for licence, the form suggested by the MCD at page 1182 of the pleadings shall form the W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 7 basis. However, as in the case of the application for registration of NMVs, furnishing of proof of residence shall not be insisted upon and the form shall be provided free of charge. Information regarding experience of driving a cycle rickshaw, knowledge of the traffic rules and about any disease that the applicant is suffering from are irrelevant and should not be insisted upon. Here too, the MCD assures the Court that license would be issued within two days of the application being launched. As far as the insistence by the MCD of the disclosure as to whether an applicant has been convicted for any offence is concerned, the Court notices that this is based on a previous understanding of the Bye-laws which were framed in 1960. The Court is of the opinion that there is some inherent bias against those who apply for cycle rickshaw registration or licence. The information that is sought from those who apply for MV licences in terms of Rule 14 of the Motor Vehicles Rules is about previous conviction under the Motor Vehicles Act 1988 but not generally about all convictions. In these circumstances, calling for these particulars from an applicant for a cycle rickshaw licence is not relevant and should not be insisted upon.

Fees and Parking charges

10. MCD shall take a decision for fixing one-time registration fee for registration of the NMV. The registration shall remain valid for a period of five years. As regards the fee for licence, it shall be collected on three-yearly basis or for longer duration as may be decided by the MCD. However, it shall be ensured that the licence fee is commensurate with the nature of the vehicle and the economic strata of the applicants.

11. One major area of concern for cycle rickshaw owners and pliers is W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 8 complete absence of parking areas. Ms.Tewatia stated on instructions that certain areas for this purpose have been earmarked in each zone. However, these are to be formally notified and permitted to be used for parking of NMVs. The MCD is directed to take immediate and expeditious steps to designate the NMV parking areas and announce the rules for their use.

12. Apart from the above, the Court is further of the opinion that the MCD may collect one-time parking charges at the time of grant of NMV registration so as to or reduce the scope of harassment of the NMV owners and/or pliers.

Redrawing of the forms

13. The form of the application for registration of NMVs as well as the form for application for licence shall be redrawn on the above basis and placed before the court by the MCD on the next date. The inputs provided and the forms suggested by the Petitioner may also be taken into consideration by the MCD for this purpose. The forms will

indicate what the fees to be collected for registration, licence and parking. They will contain instructions to the applicants to facilitate quick processing of the applications. The forms will be rolled out after approval by the Court.

CONT. CASE (C) 564/2010

14. This Court has considered the submissions on behalf of the petitioners and the MCD. The petitioners have also filed two reports dated 2nd May and 24th May 2012. Ms. Tewatia referred to a Circular dated 25th April 2012 and submitted that instructions have been issued by the MCD to ensure that no W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 9 cycle rickshaw owner or plier is harassed in any manner and that after 1st May 2012 no NMV has been seized or impounded as is being alleged.

15. On the other hand Ms. Unninayar, learned counsel for the writ petitioners, highlighted the systematic harassment of the cycle rickshaw owners and pliers. The video clippings produced by the Petitioners and played in the Court prima facie reveal that there is a prevalent practice of illegal seizures by MCD officials of NMVs/rickshaws, their storage in illegal yards, extraction of money from the pliers as passing fee etc. 16. Video clips pertaining to an incident which occurred on 28th April 2012 involving one Mr. Dhanik Lal were also played in the Court. Mr. Dhanik Lal is stated to have lost 90 of his 120 rickshaws to illegal seizures/confiscations by the MCD officials. The allegation pertaining to the incident was that one of the cycle rickshaws of Mr. Dhanik Lal was illegally confiscated by two MCD employees, Arvind and Devender and in relation to that incident Mr.Dhanik Lal had initially filed a complaint with Police Station (P.S.) Rohini South, alleging harassment by the said two MCD employees. Later the MCD is alleged to have filed a complaint with P.S. Keshavpuram alleging that Mr. Dhanik Lal and two of the members of the Petitioner organisation had stolen a rickshaw from MCDs yard. This led to their being picked up by the police. A video clip was played in Court which showed the intervention by Ms.Madhu Kishwar with the SHO at P.S. Keshavpuram to get them released. Ms.Kishwar informed the Court that a few days later policemen from P.S. Keshavpuram prevailed upon Mr. Dhanik Lal and that on 4th May 2012 he withdrew his complaint. She alleged that Mr. Dhanik Lal had gone missing ever since.

17. This Court directed Mr. Pawan Varma the learned Standing Counsel W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 10 for the Govt. of NCT of Delhi to make enquiries. He obtained the relevant file from the concerned P.S. SHO, PS Rohini South - Sh. Jai Prakash - who is also present. It was submitted that Mr. Dhanik Lal is indeed in Delhi. Mr.Varma assured that on the basis of the facts revealed in Court, an FIR would be registered as it prima facie appeared to disclose a cognizable offence. In these circumstances, the Govt. of NCT of Delhi is directed to take suitable action immediately and investigate the matter. During the course of investigation, the statements of all necessary witnesses, including Mr. Dhanik Lal and members of the petitioner organisation, who was present at that time, shall be recorded. The video clips shown in the Court shall also be handed-over to the Delhi Police for investigation. After completion of investigation, the police shall take necessary action and file the report before the concerned Magistrate in accordance with law.

Inquiry into complaints of NMV pliers

18. As far as the allegations of widespread and systematic illegal activities of some sections of the MCD is concerned, this Court is of the opinion that the same cannot be left at that and that some enquiry is necessary. Since these complaints have arisen in the

course of contempt proceedings filed by the writ petitioners seeking implementation of the judgment which had declared illegal the confiscation and impounding of cycle rickshaws, they assumes seriousness.

19. To enquire into these allegations by NMV owners and/or pliers, the Court appoints Mr. Bharat Bhushan, a retired Additional District Judge as Enquiry Officer (EO). The District Judge-in- charge, Saket Courts is hereby requested to make available to the EO any appropriate space in the Saket W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 11 District Courts Complex to facilitate the enquiry. The scope of the enquiry will be to examine the veracity of the complaints made by the NMV owner/ pliers of harassment and violation of the Courts judgment and orders, identify and fix responsibility on the concerned officials of the MCD, the Delhi Police and any other agency involved, and to suggest measures to bring about effective enforcement of the Courts directions issued from time to time.

20. It is clarified that the incident involving Mr.Dhanik Lal, including the complaint made by him to the P.S.Rohini South and the complaint against him and the members of the Petitioner organisation in the Keshavpuram P.S. will not form part of the enquiry by the EO as that would be investigated separately by the police.

21. A complete set of the contempt petition paperbook including the pleadings shall be provided to the EO by the Registry within two weeks. The EO shall examine the complaints by the other NMV owners/pliers some of whom have already filed affidavits in these proceedings. The EO shall have public notices issued, at the cost of the MCD, about the enquiry proceedings and grant two weeks time for the filing of further complaints/ affidavits by NMV owners/pliers and a further period of two weeks for replies thereto by the concerned agencies. The EO shall be free to record the statements of all the relevant witnesses and take on record the necessary documents. The MCD, Delhi Police and other agencies and the Petitioner organisations shall extend their full cooperation to the EO in the enquiry. The EO shall be free to inspect any sites, take photographs and record videos of places and depositions of persons on oath as deemed necessary.

22. The remuneration payable to the Enquiry Officer shall be W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 12 Rs.2,00,000/- to be shared equally by the Govt. of NCT of Delhi, the MCD and the Delhi Police. 50% of the fee shall be paid to the EO within four weeks and the balance on the conclusion of the enquiry. The MCD and the Delhi Police shall arrange for the transport for the EO. While minimal infrastructural support in terms of staff and facilities shall be provided by the District Judge, Saket, the Delhi Police and the MCD will share equally the expense of the secretarial and other staff as may be engaged by the EO. In case any clarification is required in this regard, the EO and the parties are at liberty to apply to the Court. The EO shall devise his own procedure and furnish a report within a period of four months from today.

Directions to the DLSA

23. This Court is further of the opinion that there is a need to put in place an effective legal redressal mechanism for the NMV owners/pliers who may face harassment. The Court has had the benefit of the suggestions of Ms.Asha Menon, Secretary Delhi Legal Services Authority (DLSA) to whom notice was issued on the previous date. She informs the Curt that the **DLSA has trained para legal volunteers whose services could be utilized in conjunction with the panel lawyers of the DLSA. The para legals can be contacted through the Samajik Suvidha Kendras (SSK) - a community**

based programme of the Govt. of NCT of Delhi - which has a wide network of centres in the NCT of Delhi. The DLSA will issue suitable instructions to the para legal volunteers at the SSK centres to extend assistance to an NMV owner/ plier who has a complaint to register with the police. The para legal attached to an SSK will contact the panel lawyer of the DLSA or the nearest District Legal Services Committee and assist in the owner/plier lodging his W.P. (C)4572/07, W.P.(C)8580/09 & CONT. CASE (C) 564/10 Page 13 complaint with the police and help him follow up the complaint. If there is inaction by the police, or it is otherwise felt necessary, legal assistance will be provided to the NMV owner/plier to institute proceedings under Sections 156(3) or 200 Cr.PC. The Petitioner organisations will coordinate with the DLSA in giving adequate publicity to the above scheme of legal assistance among the NMV owners/pliers.

24. List on 27th July 2012 at 3 pm.

25. Order dasti to the parties under the signatures of the Court Master. A certified copy of this order be delivered forthwith to Mr. Bharat Bhushan, retired ADJ, the District Judge-in-charge, Saket Courts Complex.

Hon'ble Mr. Justice S. RAVINDRA BHAT (JUDGE)

Hon'ble Mr. Justice S. MURALIDHAR (JUDGE)

JUNE 2, 2012

❑❑❑

Baisil Attipety @ Basil.A.G
Versus
The State Of Kerala

Kerala High Court

Baisil Attipety @ Basil.A.G vs The State Of Kerala

Decided on 20 October, 2011

PRESENT: THE HON'BLE ACTING CHIEF JUSTICE MRS.MANJULA CHELLUR & THE HONOURABLE MR.JUSTICE A.M.SHAFFIQUE

WP(C).No. 29711 of 2011 (S)

PETITIONER(S):

BAISIL ATTIPETY @ BASIL.A.G, ATTIPETY HOUSE,NARAYAMBALAM.P.O,COCHIN:ERNAKULAM DISTRICT,KERALA:682509. BY ADV. SRI.A.G.BASIL

RESPONDENT(S):

1. THE STATE OF KERALA,REPRESENTED BY CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,GOVERNMENT OF KERALA GOVERNMENT SECRETARIAT, THIRUVANANTHAPURAM PIN:695001.
2. UNION OF INDIA REPRESENTED BY SECRETARY TO GOVERNMENT OF INDIA,MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT,NORTH BLOCK,NEW DELHI-110 001.
3. DEPARTMENT OF LOCAL SELF GOVERNMENT, REPRESENTED BY ITS SECRETARY TO GOVERNMENT GOVERNMENT OF KERALA,THIRUVANANTHAPURAM.
4. DEPARTMNT OF FINANCE,REPRESENTED BY ITS SECRETARY TO GOVERNMENT,GOVERNMENT OF KERALA THIRUVANANTHAPURAM.
5. DEPARTMENT OF LAW,REPRESENTED BY ITS SECRETARY TO GOVERNMENT,GOVERNMENT OF KERALA THIRUVANANTHAPURAM.
6. BAR COUNCIL OF KERALA,REPRESENTED BY ITS SECRETARY,HIGH COURT CAMPUS,COCHIN:682031.
7. KERALA LEGAL SERVICE AUTHORITY (KELSA), REPRESENTED BY ITS SECRETARY,NIYAMA SAHAYA BHAVAN HIGH COURT COMPOUND,COCHIN:682039.
8. THE SECRETARY,KERALA HIGH COURT LEGAL SERVICE COMMITTEE,HIGH COURT BUILDING COCHIN:682031.
9. KERALA WOMEN'S COMMISSION,REPRESENTED BY ITS SECRETARY,PATTOM PALACE,THIRUVANANTHAPURAM PIN-695004.
10. KERALA HUMAN RIGHTS COMMISSION, REPRESENTED BY ITS SECRETARY, THIRUVANANTHAPURAM PIN-695001.

BY SRI.P.PARAMESWARAN NAIR,ASG OF INDIA

BY GOVERNMENT PLEADER

THIS WRIT PETITION (CIVIL) HAVING COME UP FOR ADMISSION ON 22-08-2012, THE COURT ON THE SAME DAY DELIVERED THE FOLLOWING:

WP(C).No. 29711 of 2011 (S)

APPENDIX

PETITIONERS' EXHIBITS

EXT-P1: TRUE COPY OF THE LEGAL SERVICE AUTHORITY ACT 1987.

EXT-P2: GOVERNMENTTRUE COPY OF RELEVANT PAGE SHOWN IN KERALA DIARY.

EXT-P3: THE MAP OF KERALA SHOWN IN THE GOVERNMENT OF KERALA DAIRY.

EXT-P4: TRUE COPY OF THE DETAILS OF 978 GRAMA PANCHAYATH.

EXT-P5: TRUE COPY OF THE DETAILS OF THE 14 DEPUTY DIRECTORS OF PANCHAYATH AND 14 ASSISTANT DIRECTORS.

EXT-P6: TRUE COPY OF THE DETAILS OF THE DISTRICT LEGAL AUTHORITIES AND TALUK LEGAL AUTHORITIES SHOWN IN KERALA LEGAL SERVICE AUTHORITIES (KELSA)ANNUAL BULLETIN 2009.

EXT-P7: TRUE COPY OFBEFORE PREFERRED THE REPRESENTATION DATED 20.10.2011THE THE IST RESPONDENT BY PETITIONER.

EXT-P8: TRUE COPY OF THE DETAILS OF NUMBER OF ADVOCATES ENROLLED SHOWN IN PAGE NO.493 OF THE BOOK SUPPLIED BY THE BAR COUNCIL OF KERALA ON THE ADVOCATE ACT.

EXT-P9: TRUE COPY OF THE FRONT PAGES OF THE BOOK STHREEYUM NIYAMAVUM AND NIYAMA PADOM.

EXT-P10: TRUE COPY OF THE NOTIFICATION PUBLISHED BY THE LEGAL SERVICE COMMITTEE OF HIGH COURT.

RESPONDENTS' EXHIBITS

Manjula Chellur,Ag. CJ., & A.M. Shaffique, J.

.....

W.P. (C) No. 29711 of 2011 (S)

.....

Dated: 22-08-2012

JUDGMENT

Manjula Chellur,Ag. CJ., Heard learned counsel for petitioner regarding admission.

2. The present petition is filed in the nature of public interest litigation seeking the following reliefs:-

i) to issue a writ of mandamus or any other appropriate writ, order or direction directing the Ist respondent to take immediate steps to constitute a Legal Service Authority Committee in the Grama Panchayath level also under the provisions of Legal Service Authority Act.

ii) to issue a writ of mandamus or any other appropriate writ, order or direction directing he Ist respondent to provide financial assistance to the Legal Service

Aid Committee to be constituted in the Grama Panchayath level in 978 Grama Panchayaths in Kerala.

iii) to issue a writ of mandamus or any other appropriate writ, order or direction directing the 2nd respondent Union of India to provide all financial assistance and other infrastructural facilities for the functioning of Legal Service Aid Committee to be constituted in all the Grama Panchayaths in the entire State of Kerala of 978 Grama Panchayaths.

iv) to issue a writ of mandamus or any other appropriate writ, order or direction directing the respondents 3 to 6 to provide all aids and assistance to the panchayath Level Legal Service Committee in the entire state of Kerala in 978 Grama Panchayaths.

v) to declare the service of Legal Service Authority's service to a good and simple name to be attracted by the people of Kerala for the access of accepting service from the Legal Service Authority.

vi) to issue a writ of mandamus or any other appropriate writ, order or direction directing the Ist and 2nd respondent to complete the constitution of the Legal Service Aid Committee in the Grama Panchayath in 978 Panchayaths in a time bound manner as may be fixed by this Hon'ble Court.

vii) Issue such any other or direction/relief that this Hon'ble Court may deem fit and proper in the interest of justice and the mandate of the Constitution of India.

3. The actual relief sought in the above Writ Petition as stated above are formation of Legal Service Aid Committee at grama Panchayath level and give financial assistance to them so as to make the people at the grass- route level to get the benefit of the schemes available under Legal Services Authorities Act.

4. The Legal Services Authority has its committee members at every level i.e. State Level District Level and Taluk Level. Each of these Committees is headed by the senior most judicial officer of respective place. All the activities of Legal Services Authority, right from taluk level to national level are done under the supervision of judicial officer. The execution of day-today activities is also done by a member from the judiciary who is known as Member Secretary. The patron-in- chief of Legal Services Authority at the national level is the senior most Judge of the Apex Court who has his committee members from different parts of the country including two senior Judges of High Court apart from academicians and social workers. Similarly, at the State Level such committees are formed by the Executive Chairman of the Legal Service Authority under the guidance and leadership of Chief Patron of the particular State. The entire system works as provided in the Act. It is open to any NGO or any organisation as such for that matter to seek assistance from the legal Service Authority provided such project come within the parameters either awareness or legal aid as such.

5. As one of the action plans of National Legal Services Authority is constitution of legal aid clinics which are established at different places **with the assistance of para legal volunteers, every Legal Service Authority of the State has trained para legal volunteers who would be manning these legal aid clinics and they would attend to simple matters when public approach them. If it needs legal assistance, they would refer them to the Taluk Legal Service Authority or the District Legal Service Authority depending upon the nature of legal assistance sought by the applicant.**

6. This is how the system works catering to the needs of the general public. If any Panchayath is interested to have such assistance, they can always request the Legal

Service Authority to have a legal aid clinic sitting at the Panchayath Office twice or thrice in a week and **they will be manned by para legal volunteers. This is uniformally adopted in every State of the Country. In that view of the matter, there is no necessity to create a parallel machinery to do the same work as already done by the Legal Service Authority.**

7. Therefore, we are of the opinion, none of the reliefs sought could be granted including the financial assistance to committees at the Panchayath level. Panchayath members already have their respective duties and functions as envisaged under Panchayath Act. They can seek the assistance of legal services authority to enlighten them on their duties and function and how best they could efficiently discharge their duties and functions. As a matter of fact, such awareness programmes are conducted for the newly elected Panchayath Members in every State. Therefore, we are of the opinion, none of the relief sought in the above Writ Petition could be granted in favour of the petitioner. Accordingly, petition is dismissed.

Sd/-Manjula Chellur, Acting Chief Justice.
Sd/-A.M. Shaffique, Judge.

❑❑❑

Court On Its Own Motion Versus The State Of Jharkhand And Others

Jharkhand High Court

Court On Its Own Motion vs The State Of Jharkhand And Others

Decided on 13 September, 2016

CORAM:- HON'BLE MR. JUSTICE APARESH KUMAR SINGH

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P.(P.I.L) NO.5256 of 2016

The National Daily " The Hindu" in its Kolkata edition on Monday 12.9.2016 has published a report with a caption " Dalit woman gives birth near highway" , "Doctors in nearby hospital allegedly refused to treat her".This incidence as reported has happened in Latehar District of the State near National Highway No.33. A Scheduled Caste woman is reported to have given birth to a child by the side of the road barely 500 meters from the District Hospital where allegedly the Doctors on duty refused to go to the spot and treat her. The incidence took place on Thursday night when Sona Mani Devi (25) along with her three minor children walked 18 Km from Heshla village to the district Headquarters in Latehar town to get Aadhaar cards for her children. By the time she reached Latehar, it was too late to complete the process. She was told to come on Friday. Since she had no money to avail any transport to return home, she took shelter in a nearby tea stall. The owner of the stall allowed her to stay there for the night and was not aware that she was pregnant. The lady went into labour in the early hours of Friday urging locals to take her to a hospital. The local people informed about the woman's condition to the Latehar Sadar Hospital but the Doctors on duty refused to go to the spot. Soon after, Ms. Devi gave birth to a baby. It is reported that Superintendent of Police, Latehar, Mr. Anup Birthare after being informed by the locals about the incidence, has instructed the local police station to send an ambulance and admit Ms.Devi to the hospital. It is also reported that the District administration has taken the matter very seriously and the Deputy Commissioner has issued show cause to the concerned doctors and the Chief Medical Officer of the Hospital. The photograph of the woman along with her minor children lying by the side of the road is also published. (the copy of the newspaper report is being kept as a part of the record.) The incidence as reported can be said to be a gross case of human right violation apart from a serious case of infringement of the right to life and proper medical care guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. (See Pt. Parmanand Katara Vrs. Union of India reported in 1989 (4) SCC 286) The state has under the National Rural Health Mission also framed a scheme to extend maternity and child care benefits to such expecting woman and their newly born child. Under the Legal Services Authority Act, 1987, National Legal Services Authority (N.A.L.S.A.) has also launched Flagship scheme which also tends to provide for protection and enforcement of Tribal right through NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015. Its aim is access to justice to the Tribal people in all its connotation, access to right, benefit, legal aid and other services etc. so that assurance of the Constitution of India towards justice, socio-economic and political is meaningfully experienced by the Tribal population in the

country. NALSA has taken serious note of the lack of health care, human resources in tribal areas and the fact that despite infrastructure and health care institutions created in the form of Health Sub-Centers, Primary Health Centers, they often remain dysfunctional. It is further compounded by inadequate monitoring, poor quality of reporting and accountability. The barriers of language, poor transport, low literacy and unfriendly behavior of the staffs often lead to a lower utilization of the health care centers. **The other flagship scheme i.e. NALSA(Effective Implementation of Poverty Alleviation) Scheme, 2015 also seeks to achieve the objectives to ensure access to basic right and benefits to socio-economically weaker sections of the Society by organizing awareness programmes and by providing assistance through Legal Services Officers and Para Legal Volunteers to ensure that the benefits of such poverty alleviation schemes are extended to the intended beneficiaries in collaboration with concerned district authorities.** It also intends to provide legal assistance to access such poverty alleviation scheme through legal aid clinics. There is a complaint redressal mechanism provided under the aforesaid scheme under which the designated authorities and the District authorities are under obligation to enquire into the matter and pursue the same with the concerned department or even take appropriate legal proceeding.

The nature of incidence reflects an indeed sad state of affairs where the fruits of progress and development still do not seem to have reached the most needy, under-privileged and downtrodden sections of the Society. It reflects a terrible sense of apathy at various levels. The photograph shows number of onlookers standing around the hapless woman lying with her minor children undergoing labour. One would have expected anyone of the onlookers to extend a helping hand with a sense of humanism and at least take her to the nearest hospital for emergency aid and care. Taking serious note of the incidence, I take suo motu cognizance of the matter in public interest in exercise of the powers conferred under Article 226 of the Constitution of India. Let the concerned Departments and its Officers submit a report on the incidence and also ascertain the accountability of the concerned persons. They should also indicate the steps taken to ameliorate the pain and suffering of the affected lady and her minor children including the newly born infant. Accordingly, let the following parties be impleaded as Respondents in the instant P.I.L.

1. The State of Jharkhand through its Chief Secretary
2. The Principal Secretary, Department of Social Welfare, Women and Child Development, Govt. of Jharkhand
3. The Principal Secretary, Health, Medical Education and Family Welfare, Govt. of Jharkhand
4. The Principal Secretary, Department of Welfare, Government of Jharkhand
5. The Deputy Commissioner, Latehar
6. The Superintendent of Police, Latehar
7. The Civil Surgeon cum Chief Medical Officere, Latehar. Let all possible medical , financial and other necessary assistance including fooding and lodging be also extended to the Lady and her minor children by the District authorities, Latehar, if not already done within the next 24 hours, as permissible in law. As an interim measure, let a compensation be paid to the affected lady, Ms. Sona Mani Devi of a sum of Rs.50,000/- within 24 hours. A report showing compliance of the same be also sent to the learned Registrar General of this Court by 4.30 in the afternoon on 14.9.2016. The District & Sessions Judge, Latehar cum Chairman, District Legal Services Authority, Latehar is also directed to furnish a report in the matter before the next date. Further the Deputy

Commissioner, Latehar shall also submits its report in this regard to the Court and as to the compliance of the directions issued by the next date.

Let the matter be placed before the appropriate Division Bench on 15th September, 2016 with permission of Hon'ble the Chief Justice. Learned Registrar General of this Court is directed to communicate the order to all concerned so that necessary compliances be furnished before the next date of hearing.

Let a copy of this order along with enclosed paper report be furnished to the Office of Advocate General tomorrow i.e. 14.9.2016 by the Registry. Let the name of learned Advocate General appear in the cause list also.

Hon'ble Mr. Justice Aparesh Kumar Singh, J.

❑❑❑

The Court On Its Own Motion Versus The Union Of India Through Its ...

Jharkhand High Court

The Court On Its Own Motion vs The Union Of India Through Its ...

Decided on 27 July, 2015

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P.(PIL) No. 3503 of 2014.

The Court On Its Own Motion .... Petitioner

-Versus-

Union of India & Others .... Respondents

With

W.P. (PIL) No.2470 of 2015

The Court On Its Own Motion ....Petitioner

Versus

The State of Jharkhand, through Chief Secretary & Ors....Respondents.

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE VIRENDER SINGH, CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE P.P. BHATT

For the Petitioners : Mr. Delip Jerath, Advocate For the State : Mr. Ajit Kumar, Addl. Advocate General For the Forest Deptt. : Mr. A. Allam, Sr. Advocate For the Intervenors : Mrs. Shobha Jha,

Advocate, Mr. Saurabh Shekhar, Advocate

18/ Dated: 27th July, 2015 Per Virender Singh, C.J.

Suo motu cognizance was taken vide order dated 14 th July, 2014 and vide order dated 9 th June, 2015 as it was noticed that thousands of trees are being cut fearlessly for road construction without proper application of mind in contravention of the Hon'ble Apex Court's Guidelines issued in this regard. The circulars issued by the Ministry of Environment, Government of India, were also not followed before undertaking the exercise of cutting/ removal of the trees while widening the roads.

2. Why the State is named and known as 'Jharkhand'? "Jhar' means Trees/Forest and 'Khand' means 'Land/Bhoomi', which contains plateau region also. Jharkhand means, a portion of land which is full of forest and trees. The State of Jharkhand is also known as "Vananchal". The State has been named as 'Jharkhand' considering its forest coverage. The State is known for its natural resources and forest is one of the important organs of the State, which cannot be allowed to be forgotten by the concerned State authorities as well as public at large.

3. The indispensable need to protect and conserve Trees/forest areas, by planting more and more trees on every nook and corner in the State, for healthier atmosphere and maintenance of ecological balance for sustainable development and growth also gets emphasized by the important extracts of quotations from the renowned Book naming 'ignited minds', in its chapter titling "Building A New State", written by our former President & eminent Scientist, Shri Dr. A.P.J. Abdul Kalam, are worthmentioning, with special respect to State of Jharkhand, which in turns to be one of the greatest bestower-States of the country, is quoted hereinbelow :

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow - in some parts a very paradise on earth- I should point to India"

F. Max Muller.

"To ease the tension I told the young gathering, 'Friends, when I was travelling from Ranchi to here, I admired God's great gift to the State. Under the ground and above it, you have minerals in abundance. The rich soil of the Jharkhand plains can give bountiful crops. When I was flying over the lovely forests and the valley and hills the thought of the wealth they hold in terms of forest and herbal products was very reassuring. On the ground I saw a fully operational steel plant. Now what I see in front of me and what the new state is famous for is its industrious people. So this state has all the wealth needed. It is a land waiting for a transformation to occur. I see in the future, villages that will be provided with urban facilities and are self -contained in respect of education, health and occupation. Today's incident will help define my remaining life's mission. I forgot my inconvenience during the landing after seeing the state's wealth. How can you use this core competence to become a developed state? For that you have to work in the mission mode.

At the time these children would be entering adult life and taking up careers, they could be part of a national endeavour to becoming a knowledge society. Their contribution to the state itself could be tremendous. That should be their goal; to make Jharkhand great.

On the flight back to Delhi, I wondered how Jharkhand could best be helped. What was needed were a few major missions to transform the state and a time-frame. The state and the Centre would need to make an integrated effort. Would it be possible?"

4. After formation of the State on 15th November, 2000, some steps have been taken for overall development of the State, but unfortunately in the last fourteen years, an average life of the government remained hardly one-and-a-half year or maximum upto two to three years and for want of stable government, neither proper policy was framed nor any systematic development, which was expected after the formation of the new State has been done.

The State cannot and should not be allowed to develop in a haphazard manner.

A quotation, given below, is worth-mentioning here, in the context:

You can't change the past but you can certainly change the future, It's Upon you what you Want !

5. For any development, first of all, a clear vision is required and accordingly development plan is required to be prepared. Development should take place in a planned manner. It should be sustainable development where the ecological balance is required to be maintained.

6. The city of Ranchi acquired the status of capital of the newly created State of Jharkhand in the year 2000. Ever since, there has been a significant increase in the population and correspondingly there is an increase in the vehicular traffic. This Court has also from time to time asked the State Government to take effective steps for streamlining the traffic system in the capital city of Ranchi. As a result, amongst the other steps, projects for widening of the roads are required to be undertaken. Ranchi, being capital city of Jharkhand State, is required to be developed in such a way that it can bear the load of a developed capital city. The basic infrastructure, such as, roads, underground drainage, sewerage treatment plant, water supply and consistent /continuous electric supply should have been made available to the citizens of the capital city of Ranchi as well as other towns of the State.

7. We have noticed that the present government is making its sincere endeavour with clear vision for overall development of the State in a planned manner with required pace.

   The master-plan of the capital city is coming very soon as it has been reported in the newspaper, and therefore, it is necessary to strike a balance between the environment and development. It is expected from the concerned State authorities that due care will be taken by urban planner for systematic development whereby ecological balance can be maintained in the capital city of Ranchi and other major and small towns of the State.

8. Good road-network is an essential component of any developed state, but while preparing plan for road-network, due care is also required to be taken to save the trees, which are likely to be affected on account of development of road network. The execution of these road widening projects, drainage projects and other developmental schemes has invariable necessitated felling of trees that were planted hundreds of years ago. Whenever these trees are felled, there is concern expressed by citizens about the likely adverse impact on the weather and environment of the city. Therefore, the concerned authorities shall take all necessary steps to minimize cutting of trees and endeavour should be made that instead of cutting the trees, effort should be made to remove and re-plant the said trees to some other places. The technological advancement has provided such machines and tools through which trees can be removed and re-planted to some other places.

9. We have been apprised by the learned Advocate General and Additional Advocate General appearing for the State government that the State of Jharkhand is going to undertake project of road development to the tune of more than Rupees One Thousand Crores. We appreciate the endeavour made by the state government to provide good road network in the State which is very essential for the development, but at the same point of time, the officials of the concerned department, i.e. forest department and road construction department and urban development department shall make their sincere efforts/endeavours to save the trees. The road-line/ network should be developed in such a manner that the removal of trees can be minimized. In a city area, where large number of trees are likely to be affected while widening of the road, sincere efforts should be made by the concerned authorities to find out other alternative such as to make such road either one-way or parallel road in nearby area should be developed if need be by acquiring some of the properties or by removing encroachment if any for smooth sailing of traffic. If such possibilities in some of the area are not possible, then in that case, bare minimum trees, which are essential to be removed, are required to be removed with the help of hi-tech machines so that it can be re-planted at a suitable place.

Therefore, we direct the state authorities to procure sufficient number of such machines while spending more than thousand crores for road development to save the trees. It is expected from the concerned State authorities that instead of cutting the trees, necessary steps will be taken with the help of such machines to remove and re-plant the said trees at an appropriate/suitable place.

10. The Hon'ble Apex Court, while considering a similar question in case of T.N.Godavarman Thirumulkpad vr Union of India and Ors, reported in (2013) 11 SCC 466 directed the National Highways Authority of India to plant twice number of trees for every tree cut by them and also directed to maintain those trees for five years or deposit amount for maintenance of those trees. After taking suo motu cognizance by this Court, counter affidavits have been filed by the concerned department to show that necessary steps have been taken for plantation of trees in view of the direction issued by the Hon'ble Supreme Court. But the ground realities are not satisfactory and the concerned State authorities are required to take further appropriate steps for plantation of sufficient number of trees in an area which has been affected on account of road development.

11. The concept ofshould be encouraged and implemented with great zeal. The state government shall take necessary steps to see that tree plantation programme is undertaken in a very extensive manner and for that purpose, plantation should be made in following manner:

i) Road-side plantation on all the national highways located/situated in the state;

ii) State Highways road-side plantation on all the state highways;

iii) Road-side plantation on city/town roads;

iv) Road-side plantation on village roads;

v) Tree plantation should be made in all government office premises;

vi) Tree plantation should be made in all school premises of the state;

vii) Tree plantation should be made in all public/ charitable institutions with the following logo:

viii) Tree plantation should be made in the campus of Non-Governmental Organizations;

ix) Tree plantation should be made in all the court complexes of the state;

x) Green belts are required to be developed in each and every town/city;

xi) Parks and gardens are also required to be developed in all the cities /towns of the state with the following logo :

xii) Extensive tree plantation should be done at the site of new High Court Complex, New site of Vidhansabha and at the proposed site of New Sachivalaya Complex;

xiii) More number of trees should be planted in and around the complex of Government Hospitals, Primary Health Centres (PHCs) etc.;

xiv) Tree plantation should be made in the Recreation Centres in the City/town;

xv) Tree plantation should be made extensively in Army Cantonment area;

xvi) Tree plantation should also be made in and around village/gram panchayats as well as community centres (samudayik bhawan), Anganwadi, Pragya Kendra, etc.;

xvii) Tree plantation should be made in all government /semi government institutions at block level also;

xviii) Likewise tree plantation should also be made at the district headquarters;

xix) Extensive plantation should be made in mining areas;

xx) For the purpose of developing and maintaining saplings, the Nurseries be developed in all the districts of State of Jharkhand; and xxi) Bio-diversity Park/ Botanical Park, as it has been developed at the ring road Ranchi, be also developed in the other parts of the State.

xxii) As a part of Awareness Campaign for saving and protecting the trees, the concerned department may also place some Hordings containing SLOGANS with Pictures, some of which are as depicted in the order itself, at the conspicuous places in the city of Ranchi and other towns of the State.

12. For the purpose of taking extensive tree plantation programme, the concerned department of the State Government shall organize appropriate programmes to sensitize their officers and organize awareness campaign /programme to make public aware. The corporate sector be also involved and given certain responsibilities for such programmes as a part of corporate - social responsibilities.

The concerned department may also involve non- governmental organizations (NGOs) for the purpose of tree plantation programmes and for development of nature-park, such as N.C.C. Cadets & N.S.S. Volunteers, Rama Krishna Mission and such other reputed non- governmental organizations working in the field of environmental protection. The school teachers, students and **para-legal volunteers of the Jharkhand State Legal Services Authorities (JHALSA) may also be involved in such campaigns.**

13. As a part of awareness campaign, hoarding containing Pictures and Slogans for environment protection should be installed and displayed. The authorities concerned shall visit the cantonment area at Dipatoli and shall take ideas for installation of such Sign- Boards containing SLOGANS with Pictures to make the people aware regarding importance of trees and environment protection, which may turn out to be useful in Awareness Drive. Few Samples of the SLOGANS, which may be useful in Awareness Drive, are displayed hereinbelow :

14. The places be identified in Municipal Corporation towns area, Municipality area, Nagar Panchayat area, Taluka/Block Panchayat area, Village Panchayat area and at certain Notified Areas in the State of Jharkhand for the purpose of carrying out plantation in a systematic manner as well as for creating awareness and sensitization of officials working with the concerned department and also for identification of places for putting Sign -Boards as indicated above. The necessary Committees be formed at State level, District level, Block level and Village level for effective implementation of the directions/observations made by this Court as also the Guidelines issued by the Hon'ble Apex Court in the case of T.N.Godavarman Thirumulkpad vr Union of India and Ors. (Supra) and the Resolution /Circular issued by Government of India from time to time in this regard.

15. The respondent -State authorities are directed to take necessary steps for plantation of the trees in the afore-narrated manner and procurement of required machines for re-plantation of the trees. It is also expected from the state government that the judgment delivered by the Hon'ble Apex Court and the guidelines issued by the Ministry of Forest and Environment from time to time in this regard are also followed strictly. The State Government is directed to resolve that henceforth all proposals for

cutting /removal of trees received in the office of the D.F.O., Ranchi, and other D.F.O.'s of the State shall not be sanctioned in a mechanical manner. All such proposals before being approved by the competent authority, shall be referred to and scrutinized by the High Powered Committee, consisting of -i) Chief Conservator of Forests, Ranchi; ii) Superintendent Engineer, RCD, Ranchi; iii) CEO, RMC, Ranchi; iv) Vice Chairman, RRDA; v) Representative of the Requisitioning Dept., and vi) D.F.O., Ranchi, East.

The terms of the reference of this committee shall be as follows:

i) To scrutinize the project in detail and see if it is indispensable to execute the project or not.

ii) To scrutinize and examine whether an alternative site or alignment is feasible that can minimize the number of trees that are proposed to be felled.

iii) Suggests the site and number of compensatory trees that must be planted by the requisitioning department.

The committee must hold its meeting within a week of the receipt of the proposal. As far as feasible, the site must be inspected by the committee before formulating its opinion on the issue. The competent authority i.e. DFO, Ranchi East, shall act on the recommendations of the said committee. The permission granted by the DFO shall be reviewed by the High Powered Committee as mentioned hereinabove.

16. In addition to the environmental issue as discussed hereinabove, learned amicus curiae, Mr. Delip Jerath, also submits that for the purpose of road development, the encroachment made on the side of the existing roads are also required to be removed, so that roads can be widened in a proper way. The service lane/ sub lane is also required to be developed in parallel to the road so that passerby and small vehicle can make use of such service lane. While making such development, a road development plan can be prepared in such a way that trees can be maintained/saved in between the main road and the service lane/sub lane so that the natural beauty of the said road can also be maintained at the same point of time. It can also provide shadow to passerby. It is also pointed out by the learned amicus curiae that in the city of Ranchi on certain roads side by side the drainage/ footpath are created by the road construction department on both sides of the roads, and it has been covered by putting a slab on it and thereby footpath is being created, but necessary provisions for periodical cleaning of such 'nalas' have not been made. Moreover, the 'jalis' are also required to be placed at a certain distance of such raised footpath so that there may not be any water-logging during monsoon on the road. Mr. Jerath, learned Amicus Curiae further contended that even the foothpaths are required to be made strictly in accordance with the specifications of Indian Road Congress.

17. The State authorities shall also take necessary steps so as to avoid water logging where such footpaths are also required to be constructed in consonance with the specifications of Indian Road Congress wherever it is feasible.

18. Before parting with the order, we, hereby, make it very clear that there is no stay against construction/widening of roads, but due care be taken to save the trees and while developing/widening the road, if any tree is required to be removed then in that case it shall be removed through the hi-tech machines in such a manner that the same can be re-planted at a suitable /appropriate place.

19. The concerned State authorities shall submit the Progress Report/steps taken, as per the aforesaid directions and observations made, on or before the next date.

20. We appreciate the assistance rendered by learned counsel Mr. Delip Jerath, appearing on behalf of the petitioner, Mr. Ajit Kumar, learned Addl. Advocate General, appearing for the State, Mr. A. Allam, Sr. Advocate appearing on behalf of the Forest Department, Mrs. Shobha Jha, and Mr. Saurabh Shekhar, learned counsels appearing on behalf of the intervenors as well as the learned members of the committee constituted for better appreciation in the matter concerning public interest at large.

21. List again on 4th September, 2015.

22. Copy of the order shall be provided to the learned counsel for both the sides under the signature and seal of the Court Master.

23. A copy of the order shall also be provided to the Member- Secretary of Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) for placing it before the Hon'ble Executive Chairperson for His Lordship's perusal and necessary action as recorded in paragraph-12 hereinabove.

(Hon'ble Mr. Justice Virender Singh, C.J.)

(Hon'ble Mr. Justice P.P. Bhatt, J.)

❑❑❑

Dr Bhim Prabhakar
Versus
Human Resource Development

Jharkhand High Court

Dr Bhim Prabhakar vs Human Resource Development

Decided on 28 April, 2015

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P.(PIL) No. 6103 of 2013

Dr. Bhim Prabhakar, son of Sri Tapeshwar Singh, Resident of New Madhukam, P.O.-Hehal, P.S.-Sukhdeonagar,District- Ranchi. --- --- --- Petitioner
Versus
1. The State of Jharkhand, 2. Secretary, Department of Human Resources Development Department, Govt. of Jharkhand, at Project Building, Dhurwa, P.O.-Dhurwa,P.S.-Jagarnathpur, Ranchi, 3. Director, Primary School Education, Govt. of Jharkhand, at Project Building, Dhurwa, P.O.-Dhurwa, P.S.-Jagarnathpur, Ranchi --- --- Respondents

with

W.P.(C) No. 3638 of 2011

Sushil Kumar Tiwari, son of Surendra Tiwari, resident of village-Karua Kalan, P.O.-Dumaria, P.S. & District-Garhwa, Jharkhand --- --- --- --- petitioner
Versus
1. The State of Jharkhand through the Secretary, Secondary Education, Human Resources Development Department, Govt. of Jharkhand, Project Building, Dhurwa, P.O.-Dhurwa, P.S.-Jagarnathpur, Ranchi, 2. Director, Secondary Education, Human Resources Development Department Govt. of Jharkhand, Project Building, Dhurwa, P.O.-Dhurwa, P.S.-Jagarnathpur, Ranchi, 3. Jharkhand Academic Council through its Chairman / Secretary, Bargawan, P.O.& P.S.-Namkum, Ranchi --- --- Respondents

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE VIRENDER SINGH, CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE P.P. BHATT

For the Petitioner : Mr. Binod Singh, Advocate in WP(PIL)6103/13 & Mr. Shree Krishna Pandey, Advocate in W.P.(C) 3638/11

For the Resp-State : Mr. Rajesh Kumar, GA & Mr. Vikash Kumar, JC to A.A.G.

07/Dated : 28th April, 2015

Per Virender Singh, C.J.:

1. So far as the distribution of text books to the students from Class-I to VIII studying in Government schools is concerned, Mr. Rajesh Kumar, learned Government Advocate has drawn the attention of the Court to supplementary counter affidavit filed by the Secretary, Human Resource Development Department (Government of Jharkhand) wherein it is stated that not only the State is distributing the text books to all the

students from Class-I to VIII standard, who are studying in Government schools, the Government has also launched a drive namely 'Vidyalaya Chale, Chalayen Abhiyan', so that more and more children are brought to the school. According to the affidavit, the Government schools have kept text books in the book bank also, so that the children can avail the books from those banks. This process of distribution of the text books is likely to be complete within a month's time.

2. We appreciate the initiative taken by the State of Jharkhand in this regard, especially with regard to launching of the drive namely 'Vidyalaya Chale, Chalayen Abhiyan'. However, on a specific query put to Mr. Rajesh Kumar as to whether any N.G.O. or for that matter any other Government/Semi-Government Agency has been involved in the aforesaid drive, he stated that certain contractual employments have been made for the purpose of motivating the parents as well as the children, more particularly in tribal areas to come to the schools. He states that these contractual employees are known as "Shiksha Mitra".

3. We are of the view that **Jharkhand State Legal Services Authority can also play a very important role in it and services of paralegal volunteers, appointed in various village legal and supports centers, can be utilized for that purpose.**

4. So far as appointment of teachers is concerned, Mr. Rajesh Kumar has drawn the attention of the Court to para-X and XI of the affidavit filed by the Secretary, HRD Department (Government of Jharkhand) wherein it is stated that against the advertised 12999 vacant posts of teachers, 6807 candidates were selected by the appointing authorities. However, in all only 4552 selected persons have joined till 28.02.2015

   It is further stated that against the advertised 4353 vacant posts of Urdu teachers, in all 893 candidates were selected by the appointing authorities, out of which only 487 selected candidates have joined till 28.02.2015. The number of TET passed candidates for the post of Urdu teachers is only 813. Mr. Rajesh Kumar wants to state that the situation is not like that the State is not showing any sincerity in filling up the posts of teachers and it is non-availability of the teachers, which is creating lot of problems. However, the State is going for the second phase of the appointment of teachers very shortly.

5. Mr. Rajesh Kumar states that one fact, which has not been incorporated in the affidavit filed by the Secretary, HRD Department (Government of Jharkhand) is with regard to the appointment of teachers in upgraded middle schools, for which the merit list has already been prepared and the counseling process will be over very shortly.

6. Mr. Rajesh Kumar further states that so far as the total 7926 posts of Graduate Trained Teachers in middle schools are concerned, the earlier procedure was that 50% of the Graduate Trained Teachers posts are to be filled up by direct appointment and 50% by promotion amongst the working teachers in the primary school, but very recently another dimension has been given to the procedure by reserving 50% seats for female. This reservation would be horizontally for the women. Out of that 50% horizontally reserved seats, 5% seats are reserved for women teachers, who are divorcee/widow ones and in this regard, a notification No. 2102 dated 22.10.2014 has already been released.

7. This certainly appears to be a good step taken by the State with regard to women empowerment and we appreciate it, but at the same time, expect that this process should be complete without any waste of time.

8. Mr. Rajesh Kumar states that so far as secondary and higher secondary schools (Classes VIII-X and XI-XII) are concerned, Common Draft Appointment and Service Rules for all the categories of Government High Schools are under process and are likely to be finalized very shortly and after the said Rules are notified, the entire selection process will be complete without any waste of time and all the vacancies will be sent to Jharkhand Staff Selection Commission for completing the process of selection which would include physical teachers vacancy also.

9. After taking note of all, what has stated herein above, we defer consideration of the instant petition for at least two months.

10. List again on 07.07.2015.

11. Copy of the order shall not only be provided to learned counsel for both the sides under the seal and signature of the Court Master, it shall also be communicated to the Member Secretary, JHALSA for placing it before Hon'ble the Executive Chairperson of JHALSA for his lordship's perusal and any further action, if required at the end of JHALSA.

(Hon'ble Mr. Justice Virender Singh, C.J.)

(Hon'ble Mr. Justice P.P. Bhatt, J.)

❑❑❑

Lussa Pahan
Versus
The State Of Jharkhand

Jharkhand High Court

Lussa Pahan vs The State Of Jharkhand

Decided on 27 November, 2014

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

I.A. No. 3544 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 482 of 2014
With
I.A. No. 3632 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 487 of 2014
With
I.A. No. 4049 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 490 of 2014
With
I.A. No. 3679 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 496 of 2014
With
I.A. No. 3904 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 499 of 2014
With
I.A. No. 3684 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 504 of 2014
With
I.A. No. 3905 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 505 of 2014
With
I.A. No. 5892 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 536 of 2014
With
I.A. No. 3929 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 544 of 2014
With

I.A. No. 4039 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 554 of 2014
With
I.A. No. 4041 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 556 of 2014
With
I.A. No. 4108 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 562 of 2014
With
I.A. No. 5464 of 2014
In
Cr. Appeal (DB) No. 728 of 2014

Rajan Bouri .....Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 482/2014 Dilip Soren Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 487/2014 Ahmad Ansari @ Lala .....Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 490/2014 Sufal Hembrom @ Matal Hembrom .....Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 496/2014 Prakash Bhuiyan ....Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 499/2014 Bandhan Tirky @ Baudhna Tirky &Anr ..... Appellants in Cr. Appeal (DB) No. 504/2014 Lussa Pahan .... Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 505/2014 Soren Murmu @ Saran Murmu .... Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 536/2014 Mahadeo Yadav .... Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 544/2014 Ahmad Ansari @ Lala .... Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 554/2014 Shankar Rai .....Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 556/2014 Md. Shakil & Anr. .....Appellants in Cr. Appeal (DB) No. 562/2014 Togo Samad ..... Appellant in Cr. Appeal (DB) No. 728/2014 Versus The State of Jharkhand .Respondents in all the cases

---

Coram: HON'BLE MR. JUSTICE D.N. PATEL
HON'BLE MR JUSTICE RONGON MUKHOPADHYAY

For the Appellants : M/s. Bhola Nath Rajak, Durga C Mishra, Ajit Kumar, Rajiv Anand, Amresh Kumar, Anjani Kumar, C. Prabha, Arun Kumar, Bhola Nath Rajak, Rajesh Kumar Mahtha, Rajiv Anand, Sanjay Kumar Pandey, Jai Shankar Tripathy, Advocates in seriatum

For the State : APPs.

02/Dated: 27th November, 2014

Per D.N. Patel, J

1. In the aforesaid interlocutory applications preferred in criminal appeals, it appears that there is a long delay in preferring the criminal appeals. In some cases, it is more than 5 years, 6 years or 7 years. This cannot be tolerated at any cost.

2. It appears that the State Authorities are turning a deaf ear to the orders passed by this Hon'ble Court giving enough adequate and sufficient guidance and they are as under:-

   (a) Order dated 6th March, 2013 in I.A. No. 1105 of 2013 in Cr. Appeal (DB) No. 1088 of 2012, especially paragraphs 3, 4, 5 & 6 thereof

(b) Order dated 10th February, 2014 in Cr. Appeal (DB) No. 465 of 2013 especially Paragraph Nos. 8, 9, 10 and 11 thereof, still there are several other orders, in which we have given directions to the Superintendents of Jail in the State of Jharkhand that they are in Loco Parentis to the position. After reasonable time of the limitation period to prefer an appeal after conviction, it is the duty of the Superintendent of concerned Jail to inform either the District Legal Services Authority or Jharkhand State Legal Services Authority or at least Legal Aid Clinic, which are opened in each and every districts of State of Jharkhand. More than one dozen orders have been passed reiterating this aspect of the matter but it appears that lethargic approach of the Superintendents as yet remained as it was and in the aforesaid applications, the following is the delay:-

SL No.	I.A. No.	Delay	Jail
	In Cr. Appeal (DB) No. 490 of 2014		
	In Cr. Appeal (DB) No. 496 of 2014		
	In Cr. Appeal (DB) No. 544 of 2014		
	in Cr. Appeal (DB) No. 554 of 2014		
	In Cr. Appeal (DB) No. 487 of 2014		
	in Cr. Appeal No. 482 of 2014		
	in Cr. Appeal (DB) No. 499 of 2014		
	in Cr. Appeal (DB) No.504 of 2014		
	in Cr. Appeal (DB) No. 505 of 2014		
	in Cr. Appeal (DB) No. 536 of 2014		
	in Cr. Appeal (DB) No. 556 of 2014		

in
Cr. Appeal (DB)
No. 562 of 2014

in
Cr. Appeal (DB)
No. 728 of 2014

3. We have also passed several orders in which we have given Email addresses of the District Legal Services Authority of all 22 districts of the State so that from jail at least Email can be sent, after reasonable period from completion of the limitation, to prefer an appeal to the District Legal Services Authority and immediately the appeal can be preferred by providing legal aid. This direction has not been followed by the Superintendent of aforesaid jails.

4. The Superintendent of the concerned Jails should never wait for

   (a) Certified copy of the judgment of the trial court in Sessions Trial.

   (b) Copies of the evidences led before the Sessions Court or before the trial court.

   (c) Any application to be preferred by the convict to the Superintendent.

5. The only thing to be done by the Superintendent of Jail in the State of Jharkhand is to waive the limitation period to prefer an appeal after conviction and once that reasonable period after the limitation to prefer appeal is over, it shall be the duty of the Superintendent of Jail in the State of Jharkhand to inform either

   (a) Jharkhand State Legal Services Authority 'or'

   (b) District Legal Services Authority 'or'

   (c) Legal Aid Clinic, which is opened in each and every Jails of the State of Jharkhand or Registrar General of the High Court of Jharkhand.

6. This direction has also been given in our previous order but it appears that the Superintendents of Jail are not performing their duties, which we have pointed out in our earlier order and therefore there is a delay of several months and years as stated herein above. Therefore, it is now high time to initiate departmental actions against them.

7. We, therefore, direct

   (a) the Secretary (Home)

   (b) I.G. (Prison)

   (c) or such other high ranking authority of the State to initiate departmental actions against the erring Superintendents of Jails because of whose lethargic approach, the aforesaid delay has been caused.

8. In our order dated 4th July, 2013 in I.A. No. 974 of 2013 in Criminal Appeal (DB) No. 104 of 2013, we have given enough guidance to the Superintendents of Central Jails and para 4 thereof reads as under:-

   "4. To avoid this delay, we hereby direct :

   (a) All the Superintendents of the Central Jails as well as Heads of other Jails of the State of Jharkhand shall intimate to the Jharkhand State Legal Service Authorities for the demand of legal aid of any convict/under-trial prisoner by

email address of Jharkhand State Legal Services Authority. The email address of Jharkhand State Legal Services Authority is as jhalsaranchi@gmail.com

(b) We also direct all the Superintendents of Central Jail as well Heads of other Jails of the State of Jharkhand that no sooner did they receive any demand from the convict/under-trial prisoner for getting legal aid for preferring any bail application, Writ petition, criminal appeal, Criminal Miscellaneous Petition or such other proceedings to be filed in any competent Court of State of Jharkhand, they shall immediately intimate to the Jharkhand High Court Legal Services Committee whose email address is hclsc_ranchi@yahoo.com

(c) We also direct all the Superintendents of Central Jails and Heads of other Jails of the State of Jharkhand to intimate the demand of legal aid by any convict/ under-trial prisoner to the District Legal Services Authorities, whose email addresses are :

Sl.No.	District	Email Address
1	Bokaro	dlsabokaro@gmail.com
2	Chaibasa	dlsachaibasa@gmail.com
3	Chatra	dlsachatra@gmail.com
4	Deoghar	deoghardlsa@gmail.com
5	Dhanbad	dlsa.dhanbad@gmail.com
6	Dumka	dlsadumka@gmail.com
7	Garhwa	dlsagarhwa@gmail.com
8	Giridih	dlsagiridih@gmail.com
9	Godda	dlsagodda@gmail.com
10	Gumla	dlsagml38@gmail.com
11	Hazaribagh	dlsahazaribagh@gmail.com
12	Jamshedpur	jamshedpurdlsa@gmail.com
13	Jamtara	dlsajamtara@gmail.com
14	Koderma	dlsakoderma@gmail.com
15	Latehar	dlsalatehar@gmail.com
16	Lohardagga	dlsalohardaga@gmail.com
17	Pakur	pakurdlsa@gmail.com
18	Palamau	dlsapalamu123@gmail.com
19	Ranchi	dlsaranchi@gmail.com
20	Sahibganj	dlsasahibganj@gmail.com
21	Saraikella	dlsasaraikellakharswan@gmail.com
22	Simdega	dlsasimdega@gmail.com

(d) Secretaries of District Legal Services Authorities shall get their email verified on day to day basis either by themselves or through legal retainer or through **para-legal volunteers** appointed at Legal Services Authorities.

(e) It shall be duty of the Secretaries, District Legal Services Authorities as well as Jharkhand State Legal Services Authorities at Ranchi to bring to the notice of the concerned authority to provide legal aid either through lawyer or otherwise to the convict or under trial-prisoner so that they may institute proper proceedings

before the proper forum and quickly justice may be done to the convict or under trial prisoner.

(f) Registry is directed to intimate this order to the Secretary, Jharkhand State Legal Services Authority as well as to all the Superintendents of Central Jails and Heads of other Jails of the State of Jharkhand as well as to the Secretaries of the District Legal Services Authorities within the State of Jharkhand as well as to the Secretary of the Home Department, State of Jharkhand and I.G. (Prison), State of Jharkhand.

9. Copy of this order will be sent to :

(i) Secretary, Department of Home, Govt. of Jharkhand, Ranchi

(ii) Inspector General (Prison), Govt. of Jharkhand, Ranchi

(iii) Registrar General, High Court of Jharkhand, Ranchi

(iv) Judicial Commissioner, Ranchi

(v) Principal District Judges of all the Districts

(vi) Secretary, Jharkhand Legal Services Authority, Ranchi

(vii) Secretary, High Court Legal Services Committee, Ranchi

(viii) Secretaries of all the District Legal Services Authorities

(ix) Superintendents of all the Jails of the State of Jharkhand

10. We also direct the Registrar General of this Court to supply a copy of this order as well as the copy of the order dated 4th July, 2013, passed in I.A. No. 974 of 2013 in Cr. Appeal (DB) No. 104 of 2013, order dated 6th March, 2013, passed in I.A. No. 1105 of 2013 in Cr. Appeal (DB) No. 1088 of 2012 and order dated 10th February, 2014 passed in Cr. Appeal (DB) No. 465 of 2013, to the Chief Secretary, Government of Jharkhand, Ranchi and Director General of Police, Government of Jharkhand, Ranchi.

11. Counsel for the State is seeking time to file reply of the Superintendents of the aforesaid Jails and also the affidavit of either Secretary of Home Department or of I.G. Prison that what action they are contemplating to be initiated against Superintendents of the Jails, at whose behest this delay has been occurred.

12. These matters are adjourned to be listed on 17th December, 2014.

13. Let two copies of the order be given to learned APP.

(Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, J.)

(Hon'ble Mr. Justice Rongon Mukhopadhyay, J)

❑❑❑

National Domestic Workers Welfare Versus State Of Jharkhand & Ors

Jharkhand High Court

National Domestic Workers Welf vs State Of Jharkhand & Ors

Decided on 20 November, 2014

W.P. (PIL) No. 7032 of 2012

All India Progressive Women Association, Jharkhand Chapter ... ... Petitioner
Versus
The Union of India and others ... ... Respondents

WITH
W.P. (PIL) No. 2810 of 2012

National Domestic Workers Welfare Trust ... ... Petitioner
Versus
The State of Jharkhand and others ... ... Respondents

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE D. N. PATEL
HON'BLE MR. JUSTICE RONGON MUKHOPADHYAY

For the Petitioners: M/s. Anup Kumar Agrawal, Ahmed Raza, Jawed Rabbani, Md. Asghar

For the Respondents: M/s. R.S. Mazumdar (AG), Rajiv Sinha (ASGI), Rohit Sinha, Rajesh Kumar (GP-V), Suchita Pandey

07/Dated: 20th November, 2014

Per D.N. Patel, J

1) These Public Interest Litigations have been preferred with the following prayers: -

W.P. (PIL) No.7032 of 2012

a) For a writ or mandamus or any other writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to strict implement the guarantees under the National Rural Health Mission (NRHIM), Janani Surakshan Yojna (JSY), National Maternity Benefit Scheme (NMBS), Integrated Child Development Scheme (ICDS) Schemes, specially, to ensure adequate facilities are set up in order to deliver NRHM service guarantees, including but limited to emergency obstetrical care, access to safe abortion services,m timely and adequate referral system, and access to a functioning blood bank.

AND

b) For an order mandating development and implementation of a time bound Plan of Action for implementation of NRHM services as established under the MoUs.

AND

c) For an order directing an audit and quality control review of all health facilities be done in Godda District by a third party commission including representatives from civil society appointed by the Court. Further to make publicity available the findings of the Audit and the Action Taken on these findings.

AND

d) For an order directing the establishment of an efficient and transparent mechanism to review and monitor the implementation and delivery of NRHM services, in particular the expenditure of Government. Data collected during the process of review must take into consideration factors such as, inter alia, conditions of health infrastructure, quality of care provided, and use of ambulance service.

AND

e) Issue a writ of mandamus or any other writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to establish a system of free transportation between facilities.

AND

f) For an order directing Respondent to immediately ensure the appointment of a sufficient number of Doctors, health professionals and support staff that are available 24 hours and 7 days at each level - Primary Health Centres (PHC), Community Health Centers (CHC), Sub Health Centre (SHC) and District Hospitals (DH) - of health institutions in Godda District.

AND

g) For a writ of mandamus or any other writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to establish a qualified committee to conduct and publish maternal death audits.

AND

h) For a writ of mandamus or any other writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to collect data and implement nationally and internationally recognized policies regarding malaria and pregnancy.

AND

i) For an order directing Respondents develop and implement training modules for health professionals & community members on the risk associated with contracting malaria during pregnancy and the types of preventive and treatable measures available.

AND

j) For a writ of mandamus or any other writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to implement a centralized, accountable referral system which must provide patient with the minimum information at time of referral: (1) name of referral facility, (2) contract information of referral facility including staff member name, address, and phone number, (3) reason for referral, (4) diagnosis and treatment to be sought at referral facility, (5) contact information of referring hospital in case of questions or concerns, (6) copies of all medical records and discharge slip(s), and (7) free transport of BPL patients.

AND

k) For a writ or mandamus or any other writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to develop and implement a Grievance Redressal Mechanism to enable persons to report and if necessary, file health complaints with an Independent Commission/State Health Minister charged with overseeing the NRHM. Grievance mechanism must include a 24-hour emergency hotline, be accessible to persons living in rural areas, and compel the state agency to respond within a specified, time-sensitive period.

AND

l) For a writ of mandamus or any other writ,m order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to provide compensation to the victims and/or their families.

W.P. (PIL) No.2810 of 2012

(a) For issuance of an appropriate writ(s)/ order(s)/ direction(s) directing and commanding upon the respondents authority for the strict implementation and enforcement of "The Unorganised Workers Social Security Act, 2008" in the State of Jharkhand.

(b) For issuance of an appropriate writ(s)/ order(s)/ direction(s) directing and commanding upon the respondents authority to frame the mandatory rules under the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008.

AND

(c) For issuance of an appropriate writ(s)/ order(s)/ direction(s) directing and commanding upon the respondent authorities for the constitution of State Social Security Board in the State of Jharkhand.

2) We have heard Mr. Anup Kumar Agrawal, learned counsel, and we appreciate the services rendered by him. Nicely the matter has been argued out by this counsel and he has brought to our notice several aspects of the matter. As for example, the Labour Laws which are enacted by the Parliament and the State Legislature, namely, the Industrial Disputes Act, the Workmen's Compensation Act, the Factories Act, etc are applicable to very limited number of workers/employees as defined under the Acts and as per one survey report, only 3% of the labourers are covered under those enacted legislatives. 97% of the workers are beyond the purview of these Labour Laws and, therefore, the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 has been enacted by the Parliament which covers most of the left-out workers. It has also been pointed out by the counsel for the petitioners that under the said Act, especially under Section 3 thereof, various schemes have to be formulated and under Section 6 thereof as well as Rules under Section 14 of the Act have also been enacted after filing of these Public Interest Litigations and, therefore, all these credit goes to these petitioners. No Board was constituted in the State of Jharkhand before these writ petitions were filed.

3) We have passed several orders in both these Public Interest Litigations. We have also given directions to the Board as envisaged under Section 6 of the Act. Now, the Board has been constituted.

4) Further, we have passed detailed orders on 7th August, 2013, 27th August, 2013, 11th September, 2013, 12th November, 2013 and 29th April, 2014 in W.P. (PIL) No.2810 of 2012. By virtue of these orders, several schemes which have been floated by the Central Government like Indira Gandhi National Old Aged Pension Schemes, National

Family Benefit Schemes, Aam Admi Bima Yojna Schemes, Rashtriya Swasthya Bima Yojna Scheme, etc, which have now been implemented by the State of Jharkhand very effectively. The concerned Departments connected with those schemes are;

(a) The Labour, Employment and Training Department;

(b) Industries Department,

(c) The Health, Medical Education & Family Welfare Department;

(d) Animal Husbandry and Fisheries Department.

5) There is also one scheme, namely, Janshree Bima Yojna, which is to be implemented by the Life Insurance Corporation of India Limited. In our detailed order dated 12th November, 2013, we have narrated all the schemes and the eligibility for getting the benefits under the schemes, etc.

6) All the aforesaid Departments are now implementing these schemes very effectively. The rank & file of the State of Jharkhand are in dire need of accurate implementation of the schemes under the Act, 2008. Money is being given by the Central Government on reimbursement basis upon proper presentation of "utilization certificate".

7) Time & again, this Court **has given enough guidelines for the implementation of these schemes through the Para Legal Volunteers (PLVs) and Jharkhand State Legal Services Authority.** The officers of Labour Employment and Training Department were extremely helpful to this Court for better understanding of these schemes. Jharkhand State Legal Services Authority have been provided enough and adequate materials by these Departments and necessary pamphlets have also been prepared by the Jharkhand State Legal Services Authority with the help of officers of Labour, Employment & Training Department. As enough directions have been given, we see no reason to monitor implementation of the Act by these two Public Interest Litigations. The petitioners, namely, All India Progressive Women Association, Jharkhand Chapter, through Secretary of Jharkhand Chapter and National Domestic Workers Welfare Trust, have painstaking assisted Court in these Public Interest Litigation because the schemes which are meant for workers are now reaching to "the last man in the queue".

8) One Interlocutory Application has been preferred for modification of the order dated 29th April, 2014 passed in W.P. (PIL) No.2810 of 2012, especially paragraph 9 thereof. We have heard the counsel for both sides and now we are satisfied that very effectively the Labour, Employment and Training Department is executing the schemes floated under the Act, 2008 and, therefore, we delete paragraph 9 from our order dated 29th April, 2014 passed in W.P. (PIL) No. 2810 of 2012. The observations made in paragraph 9 of the order dated 29th April, 2014 passed in W.P. (PIL) No. 2810 of 2012 are hereby deleted. This order will be treated as part & parcel of the order passed on 29th April, 2014 in W.P. (PIL) No. 2810 of 2012.

9) We, therefore, direct;

(a) The State and especially the officers of four departments and the Life Insurance Corporation to implement the schemes envisaged under the Act, 2008 especially under Section 3 thereof.

(b) **We also direct the State of Jharkhand to utilize the services of Para Legal Volunteers available in the State of Jharkhand through Jharkhand State Legal Services Authority to create awareness amongst the public at large of the State of Jharkhand, to get benefits under the aforesaid schemes.**

(c) We also direct the State to assist the Jharkhand State Legal Services Authority in publishing in adequate number of necessary pamphlets/booklets for the schemes so that through the District Legal Services Authorities, these pamphlets/booklets may be distributed in the Jharkhand so as to make public at large, aware about their rights.

(d) We also direct the State to put necessary hoardings, signboards with lights/ without lights to give necessary advertisements through print and electronic media and also through LED Electronics Boards. The State will also use community radio for the aforesaid purpose.

(e) We also direct the Jharkhand State Legal Services Authority to prepare the necessary summary, pamphlets, hoardings, signboards, LED Electronics Display Boards at conspicuous places like,

(i) Railways Station;

(ii) Bus Stands;

(iii) Public places of the offices like offices of Deputy Commissioners, etc;

(iv) Civil Courts premises in the districts;

(v) All public hospitals;

(vi) At different block offices of the State of Jharkhand;

(vii) Offices at Panchayet levels;

(viii) Primary Health Centres;

(ix) Community Health Centres.

(f) We further direct the State that necessary Utilization Certificate shall be sent to the concerned Department of the Central Government for reimbursement of the money, of which the expenditure will be made by the State for the effective implementation of the schemes floated by the Central Government under Section 3 of the Act, 2008.

(g) We further direct the Central Government that upon receipt of the necessary papers from the State of Jharkhand including Utilization Certificate, etc, the money will be reimbursed to the State of Jharkhand at the earliest.

10) In view of the aforesaid directions and also keeping in mind the earlier directions and orders passed by this Court in both these Public Interest Litigations, we see no reason to further monitor these Public Interest Litigations for effective implementation of the schemes floated under the Act, 2008 and hence, these Public Interest Litigations are hereby disposed of. In view of the disposal of these Public Interest Litigations, any other pending interlocutory application is/are also disposed of.

11) Copy of this order will be given to the counsel for both sides.

(Hon'ble Mr. Justice D. N. Patel, J)

(Hon'ble Mr. Justice Rongon Mukhopadhyay, J)

❑❑❑

Court On Its Own Motion Versus State Of Jharkhand & Ors

Jharkhand High Court

Court On Its Own Motion vs State Of Jharkhand & Ors

Decided on 6 January, 2014

W.P.(PIL) No. 5497 of 2011

CORAM: HON'BLE THE CHIEF JUSTICE.
HON'BLE MR. JUSTICE APARESH KUMAR SINGH.

For the Petitioner: Mr. Delip Jerath, A.C For the State: Mr. R. Mukhopadhyay, S.C. II

Taking notice of several news items in the Newspapers indicating that in the city of Ranchi there is a steep rise in the girls teasing in the Schools, Colleges and Universities, by order dated 14.9.2011 this Court directed the Registry to register this matter as "Public Interest Litigation.

2. By order dated 14.09.2011 and subsequent orders passed by this Court on 22.09.2011 and 17.7.2013, this Court has issued various directions to ensure safety and security measures for the young girls and women in general.

3. Learned Amicus Curiae submitted that in spite of the various directions issued by this Court, the menace of eve teasing has not been reduced and are increasing and prayed for issuance of appropriate directions.

4. We have heard learned Amicus Curiae and also learned counsel appearing for the State.

5. In this context, learned Counsel for the State has drawn our attention to a judgment rendered by Hon'ble Supreme Court in the case of Deputy Inspector General of Police & Another Vs. S. Samuthiram reported in (2013) 1 SCC 598. Expressing concern over the pernicious practice of eve-teasing and after referring to the Tamil Nadu Prohibition of Eve-Teasing Act, 1998, the Hon'ble Supreme Court in paragraph 34 issued various directions to curb eveteasing. The relevant paragraphs of judgment of the Hon'ble Supreme Court, which are paragraphs 29 to 34 reads as under:

29. We may, in the facts and circumstances of this case, wish to add some aspects which are also of considerable public importance. We notice that there is no uniform law in this country to curb eve-teasing effectively in or within the precinct of educational institutions, places of worships, bus-stands, metro stations, railway stations, cinema theaters, parks beaches, places of festival, public service vehicles or any other similar place. Eve-teasing generally occurs in public places which, with a little effort, can be effectively curbed. Consequences of not curbing such a menace are, needless to say, at times disastrous. There are many instances where girls of young age are being harassed, which sometimes may lead to serious psychological problems and even committing suicide. Every citizen in this country has the right to live with dignity and honour which is a fundamental right guaranteed under Article 21 of the Constitution

of India. Sexual harassment like eve-teasing of women amounts to violation of rights guaranteed under Articles 14,15 as well. We notice that in the absence of effective legislation to contain eve-teasing, normally, complaints are registered under Section 295 or Section 509 IPC.

30. Section 294 IPC says that:

"294. Obscene acts and songs.- Whoever, to the annoyance of others-

(a) does any obscene act in any public, or

(b) sings, recites or utters any obscene song, ballad or words, in or near any public place, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both."

It is for the prosecution to prove that the accused committed any obscene act or the accused sang, recited or uttered any obscene song; ballad or words and this was done in or near a public place, it was of obscene nature and that it this was done in or near a public place, it was of obscene nature and that it had accused annoyance to others. Normally, it is very difficult to establish those facts and, seldom, complaints are being filed and criminal cases will take years and years and often people get away with no punishment and filing complaint and to undergo a criminal trial itself is an agony for the complainant, over and above the extreme physical or mental agony already suffered.

31. Section 509 IPC say:

"509. word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. -- Whoever, intending to insult the modesty of any woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen, by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both." The burden is on the prosecution to prove that the accused had uttered the words or made the sound or gesture and that such word, sound or gesture was intended by the accused to be heard or seen by some woman.

Normally, it is difficult to establish this and, seldom, a woman files a complaints and often the wrongdoers and left unpunished even if the complaint is filed since there is no effective mechanism to monitor and follow up such acts. The necessity of a proper legislation to curb eve-teasing is of extreme importance, even the Tamil Nadu legislation has no teeth.

32. Eve-teasing today has become a pernicious, horrid and disgusting practice. The Indian Journal of Criminology and Criminalistics (January-June 1995 Edn.) has categorised eve- teasing into five heads viz.:

(1) verbal eve-teasing;

(2) physical eve-teasing;

(3) psychological harassment;

(4) sexual harassment; and (5) harassment through some objects.

33. In Vishaka v. State of Rajasthan this Court has laid down certain guidelines on sexual harassment. In Rupan deol Bajaj v. Kanwar Pal Singh Gill this Court had explained the meaning of "modesty" in relation to women. More and more girl students, women, etc. Go to educational institutions, work places, etc. and their protection is of extreme importance to a civilised and cultured society. The experience of women and girl

children in overcrowded buses, metros, trains, etc. are horrendous and a painful ordeal.

34. Parliament is currently considering the Protection of Woman against Sexual Harassment at Workplace Bill, 2010, which is intended to protect female workers in most workplaces. Provisions of that Bill are not sufficient to curb eve-teasing. Before undertaking suitable legislation to curb eve-teasing, it is necessary to take at least some urgent measures so that it can be curtailed to some extent. In public interest, we are therefore inclined to give the following directions:

34.1. All the State Governments and Union Territories are directed to depute plain clothed female police officers in the precincts of bus- stands and stops, railway stations, metro stations, cinema theaters, shopping malls, parks, beaches, public service vehicles, places of worship, etc. so as to monitor and supervise incidents of eve- teasing.

34.2. There will be a further direction to the State Government and Union Territories to install CCTV cameras in strategic positions which itself would be a deterrent and if detected, the offender could be caught.

34.3. Persons in charge of the educations institutions, places of worship, cinema theaters, railway stations, bus-stands have to take steps as they deem fit to prevent eve-teasing, within their precincts and, on a complaint being made, they must pass on the information to the nearest police station or the Women's Help Center. 34.4. Where any incident of eve-teasing is committed in a public service vehicle either by the passengers or the persons in charge of the vehicle, the crew of such vehicle shall, on a complaint made by the aggrieved person, take such vehicle to the nearest police station and give information to the police. Failure to do so should lead to cancellation of the permit to ply.

34.5. The State Governments and Union Territories are directed to establish Women Helpline in various cities and towns, so as to curb eve-teasing within three months.

34.6. Suitable boards cautioning such act of eve- teasing be exhibited in all public places including precincts of educational institutions, bus-stands, railway stations, cinema theaters, parks, benches, public service vehicles, places of worship, etc. 34.7. Responsibility is also on the passers-by and on noticing such incident, they should also report the same to the nearest police station or to Women Helpline to save the victims from such crimes.

34.8.The State Governments and Union Territories of India would take adequate and effecting measures by issuing suitable instructions to the authorities concerned including the District Collectors and the District Superintendent of Police so as to take effective and proper measures to curb such incidents of eve-teasing.

6. Since the Hon'ble Supreme Court has already issued the directions, we direct the State of Jharkhand to strictly enforce the directions as enumerated by the Hon'ble Supreme Court, in the above case in its letter and spirit.

7. Pursuant to the discussions and the observations made by this Court from time to time during the pendency of this case, the following instructions are finally recorded for its implementation by all concerned in its letter and spirit:

   (a) The Chief Secretary of State of Jharkhand is directed to circulate the directions as contained in the orders passed by this Court and in particular order dated 22.09.2011 and 17.07.2013 to all concerned including the Home Secretary of

the State and all the Deputy Commissioners of the District in order to effectively control the incident of eve-teasing in maintaining Law and Order.

(b) In the light of ever increasing incidents of Eve-teasing and other offences against women, there is a need of stringent measures and strict laws for speedy disposal of reported cases. It would be in order if the State of Jharkhand enacts a legislation in tune with the Tamil Nadu Prohibition of Eve-teasing Act, 1998 and Delhi Prohibition of Eve-teasing Act, 1998.

(c) The Director General of police of the State of Jharkhand shall take effective measures to alert all the Superintendents of Police of the District to address the menace of Eve-teasing by taking suitable measures such as by deploying women constable particularly near educational institutions, girls hostel, working women hostel, market or places, bus stand, railway station, cinema theater, public service vehicles, trains, places of worship etc.

(d) The Registrar General of High court of Jharkhand is directed to issue instructions to the Member Secretary of Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) to communicate order of this Court in hand to all the Chairman, Vice Chairmen, Secretaries, Members of the District Legal Services Authority/Sub Divisional Legal Services Committee to take effective ways and means to decimate the menace of Eve-teasing by adopting appropriate and befitting measures, inter alia, such as:

(i) **To create legal awareness among all the stake holders including Police officials, Para Legal Volunteers, women, general public** etc. with the latest amended provisions of the Indian Penal Code related to offences of voyeurism, stalking etc. by introducing new Sections 354A to 354D of the Indian Penal Code vide Criminal Law (Amendment) Act, 2013 w.e.f. 03.02.2013.

(ii) **To sensitize Para Legal Volunteers to help the victims by facilitating the victims to take legal actions against the culprit.**

(iii) To coordinate with the State Women Commission, State Human Right Commission and Department of Social Welfare, Women and Child Development of the **State of Jharkhand to open effective Women's Help Center involving Para Legal Volunteers for taking immediate legal action against the wrong doers/ culprits of Eve-teasing.**

(iv) To publish pamphlets, brochures, booklets, hoardings and other desired activities at all vulnerable places informing about the steps to be taken by the victim girls/women to save themselves from the torture of Eve-teasing such as contact number of the police by mobile/telephone, number of women's help center, **telephone/ contact number of Para Legal Volunteers of the area etc.**

(v) To use Electronic and Print Media and means for spreading awareness and accessibility among the general masses.

(e) The Registrar General of the High Court of Jharkhand is further directed to send the copy of this order to State Women Commission and the State Human Rights Commission of State of Jharkhand with a request to coordinate with the Jharkhand Legal Services Authority in order to curb the social evil of Eve-teasing and other offences against women effectively.

(f) The Department of Social Welfare, Women and Children of State of Jharkhand is also directed to take all effective measures in order to implement the directives of this court to check the menace of Eveteasing and other offences against women and to coordinate with the Jharkhand State Legal Services Authority for taking strong steps in this regard. In the light of the aforesaid pronouncement, the Registrar General of High Court of Jharkhand is directed to send the copy of this order to all concerned. Copy of this order be given to Amicus Curiae and also to the counsel for the State.

(Hon'ble Mrs. Justice R. Banumathi, C.J.)

(Hon'ble Mr. Justice Aparesh Kumar Singh, J)

❑❑❑

National Domestic Workers Welfare Versus State Of Jharkhand & Ors

Jharkhand High Court

National Domestic Workers Welf vs State Of Jharkhand & Ors

Decided on 12 November, 2013

W.P.(PIL) No. 2810 of 2012

CORAM: HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE AMITAV K. GUPTA

For the Petitioner : M/s. Anup Kumar Agrawal, Advocate Robit Thakur, Advocate

For the Respondents–State : Mr. Rajesh Kumar, G.P.–V

For the Union of India : Mr. Md. Mokhtar Khan, A.S.G.I.

12/Dated: 12 November, 2013

Per D.N. Patel, A.C.J.:

1. Learned counsel appearing for the petitioner has submitted that despite several schemes being floated by the Central Government and despite a sizable amount is being given by the Central Government and despite the readiness of the Central Government to provide substantial financial assistance for implementation of ten schemes under the Unorganized Workers Social Security Act, 2008 (for the sake of brevity, hereinafter referred to as 'the Act, 2008') the State Government of Jharkhand has not yet implemented the schemes fully. Even the Board to be constituted under the Act, 2008, was not constituted and now by the order of this Court in this Public Interest Litigation, the Board has been constituted, but, still not a single meeting has been convened by the said Board. The money or the budget allocated by the Union of India for the State of Jharkhand, is to be unutilized for those ten schemes. There are several schemes out of these ten, which are being hundred per cent financially assisted by the Central government whereas in other schemes, it is partially financed by the Central Government. The State is unable to exploit the benefits of the schemes to its fullest extent, which are meant for the welfare of the downtrodden classes of the State of Jharkhand and also for those who are financially poor.

2. This Court has passed various orders in this writ petition and upon the direction of this Court, vide order dated 7.8.2013, 27.8.2013 and vide order dated 11.9.2013, now, the Board has been constituted as envisaged under Section 6 of Act, 2008, and now the Rules have also been drafted by the State of Jharkhand under The Act, 2008. These Rules have also been approved by the State Government. Thus, this is a Public Interest Litigation in its true sense and in its true spirit.

3. Yesterday, this matter was taken up for hearing and was adjourned for today. We have called Shir Vishnu Kumar, S/o Dr. R.S. Gupta, Principal Secretary, Labour, Employment and Training Department, government of Jharkhand, who is present in the Court today.

He has pointed out that there are ten schemes floated by the Central Government under the Act, 2008. Out of these ten schemes, the State has taken steps for implementation of nine schemes. He has narrated in details about the schemes and has submitted that there are various schemes in which substantial finance is being provided by the Central Government and in few schemes, hundred per cent finance is being provided by the Central Government, likeNational Family Benefit Schemes, etc. It is also submitted by the aforesaid officer to this Court that it is true that still more beneficiaries should take the advantage of these schemes, and perhaps, the beneficiaries, who are within the State of Jharkhand, are not aware about these schemes. A sizable amount of fund has already been lapsed because these schemes have been floated from the year 2007 onwards and still even as per the aforesaid officer, they are unable to give the benefit to the beneficiaries of the State of Jharkhand to its fullest extent.

4. Having heard the counsel for both the sides and looking to the provisions of the Act, 2008, and the Rules, 2013 and the Schemes floated by the Central Government, it appears that :

i) The following are the Schemes being floated by the Central Government under the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008 (the Act, 2008). The name of the schemes, the eligibility criteria and the number of beneficiaries found out by the State of Jharkhand are referred as under :

Schemes for Unorganized Workers under Unorganized Workers Social Security Act, 2008, Eligibility Criterion and Number of Beneficiaries

No.	Name of Schemes	Eligibility Criteria	Number of Beneficiaries
		LABOUR EMPLOYMENT & TRAINING DEPARTMENT	
1.	Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme	The age of the applicant (male or female) shall be 60 year or higher (excluding BPL widows and BPL persons with severe and multiple disabilities in the age group of 60-79 yrs.	5.70 Lakhs
2.	National Family Benefit Scheme	1. The 'primary breadwinner' will be the member of the household -male or female – whose earning contribute substantially to the total household income. 2. The death of such a primary breadwinner should have accrued while he or she is in the age group of 18 to 59 years i.e. more than 18 years of age and less than 60 years of age. 3. The bereaved household qualifies as one below the poverty line according to the criterion prescribed by the government of India. 4. The central assistance under the scheme will be Rs.20,000/- in the case of death of the primary breadwinner.	1712

No.	Name of Schemes	Eligibility Criteria	Number of Beneficiaries
3.	Aam Admi Bima Yojna	1. The member should be aged between 18 years completed and 59 year nearer birthday. 2. The member should normally be the head of the family or an earning member of the below poverty line family (BPL) or marginally above the poverty line under the identified vocational group/ rural landless household.	67000
4.	Rashtriya Swasthya Bima Yojna	BPL Family /People • Rickshaw Driver/Puller • Rag Pickers • Mine Workers • Sanitation Workers • Auto Rickshaw Drivers and Taxi Drivers • Beedi Workers • Street Vendors • Building and Construction Workers • MGNREGA Beneficiaries • Domestic Workers	18.14 Lakhs

No.	Name of Schemes	Eligibility Criteria	Number of Beneficiaries
		INDUSTRIES DEPARTMENT	
5.	Handloom Weaver's Comprehensive Welfare Scheme Health Insurance Scheme Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana	• All Handloom weavers whether male or female are eligible to be covered under the health insurance scheme • The ancillary handloom workers i.e. those who are engaged in warping, winding, dyeing, printing, fishing, sizing, Jhala making and Jacquard cutting are also eligible to be covered • The handloom weavers/ ancillary handloom worker i.e. the beneficiary shall only be from the census list or from those already enrolled under HIS during the period Oct., 2009 to Oct., 2010. • The weaver should be earning at least 50 % of his income from handloom weaving • All weavers whether male or female between 18 to 59 years of age including minorities, women weavers and weavers belonging to NER. • Weavers belonging to the state handloom Development Corporations/ Apex/ Primary handloom weavers' cooperative society. Wherever outside the cooperative can also be covered under the scheme on a certificate from the state directorate of handlooms that they are fulfilling the eligibility criteria.	----
6.	Handloom Artisan's Comprehensive Welfare Scheme		

No.	Name of Schemes	Eligibility Criteria	Number of Beneficiaries
HEALTH, MEDICAL EDUCATION AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT			
7.	Janani Suraksha Yojana	• No Age Restriction • The Benefit of the Scheme are extended to all pregnant women in LPS status respective of the birth orders • No need for any marriage or BPL certification provided women delivers in government or accredited private health institutions. But for the benefit under home deliveries under yojna fallowing criterion were fixed in LPS and HPS states: • BPL Pregnant women • Aged 19 years and above, preferring to deliver at home is entitled to cash assistance of Rs.500/- per delivery • Assistance would be available only up to 2 live births.	----
ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES DEPARTMENT			
8.	National Scheme for Welfare of Fisherman and Training and Extension Development of Model Fishermen Villages Group Accident Insurance for Active Fishermen Grant-in-Aid to FISHCOPPED Saving Cum Relief Training and Extension	• Beneficiary should be an active fisher identified by state government • Preference should be given to fishers below poverty line and to landless fishers • Fishers owning land or Kutcha structure may also be considered for allotment of houses under the scheme.	----

No.	Name of Schemes	Eligibility Criteria	Number of Beneficiaries
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA			
9.	Janshree Beema Yojna	• Person between age 18 years and 59 years • The group will be identified and notified by LIC, at present 44 vocational occupational groups are identified • Minimum membership should be 25 under both rural poor and urban poor. • The member should normally be the Head of the family.	----

It is pertinent to mention here that the aforesaid schemes of Government of India for unorganized workers under the Unorganized Workers Social Security Act, 2008, are exclusively meant for the most disadvantaged sections of the society to ensure 'economic justice' and to translate the vision of "Justice" as set out in the preamble to the constitution of India into reality. But it appears that the case in hand is clear example of lack of sensitiveness of the concerned to reach out to the beneficiaries. The concerned persons must know, we live in a country where Rule of law is the foundation of our democratic system. The existence of common man are governed by statutory laws and social welfare schemes and executive orders, almost nothing is out side the purview of law. Entire human activities including health, food, education, registration of birth and death etc. are governed by various laws, schemes etc. In the backdrop, a denial of the rights conferred through different laws or any deprivation of beneficial schemes becomes integrally connected with the issues of "Legal Awareness" for which the concerned department of State Government and Legal Services Authority of State are under obligation to implement the schemes and to create the awareness about the schemes respectively. Indeed it is shocking that 5 years are lapsed since the commencement of the beneficial Act, namely, Unorganized Workers Social Security Act, 2008, enacted for the poor, ignorant and illiterate unorganized workers including sr. citizens, members of BPL, Rickshaw Pullers, Sanitation Workers, Auto rickshaw drivers, street vendors, Building and Construction workers, Rag Pickers, Domestic Workers etc. but the State is unable to utilize the benefit of schemes to its full extent. It is a matter of great concern that the very purpose of Act is defeated due to its nonimplementation, therefore, we direct the Chief Secretary of the State Government to look into the matter in person and ask the Principal Secretary of the Department of Labour, Employment and Training, Government of Jharkhand to take intensive measures as per the guidelines issued hereinafter:

ii) In fact, there are ten schemes floated by the Central Government under the Act, 2008. The State is taking steps in the nine aforesaid schemes. The name of the scheme no.10 is "Pension to Master Craft Persons". No details have been given by the State Government in their affidavits filed by the State. Not a single beneficiary has been found out by the State of Jharkhand for the scheme no.10. The officer, who is present in the Court, is saying that we have never tried to find out any beneficiary.

iii) From the argument of the counsels from both the sides including the arguments of the Assistant Solicitor General of India, the counsel for Union of India, it appears that there is no proper awareness in the public at large within the State of Jharkhand for availing the benefits of the aforesaid ten schemes. If the awareness is further analyzed, it appears that there is lack of proper attempt by the State of Jharkhand for proper advertisement in Print and Electronic Media.

This is inevitably required because the State is unable to exploit the schemes as referred hereinabove properly in an effective manner so that more number of beneficiaries can avail the benefits of these schemes. Even as per the opinion given by the aforesaid high ranking officer of the State, who is present in the Court, the help of the Print and Electronic Media may be taken by the aforesaid officers accordingly we direct the Chief Secretary of the State that properly these ten schemes with summary and with the criteria of the eligibility and the benefits under the Schemes may be highlighted in the Print media and Electronic media in more than one languages.

iv) It further appears that it is not possible every time to give advertisement, and therefore, there is one more option available with the State for distribution of the Pamphlets, which are to be printed by the State in the local languages. These pamphlets ought to have been distributed in the districts, at block level and village level. The governmental hierarchy and machineries should have been properly utilized by the administrators of the State so that the aforesaid ten schemes floated under the Act, 2008, may be made known to the public at large in the State of Jharkhand. When we asked to the lawyers, who are appearing on the side of the respondents that whether they are knowing about the schemes or not and their answer is that they are not aware about these schemes. Thus, even literate persons are not knowing about these schemes, and therefore, it is high time for the State Government to give proper and wide publication of these type of schemes.

v) Hoardings of these schemes may also be put at proper conspicuous places, likeRailway Station, Bus Depot, Hospitals, Government offices, Collectoriate, Block offices, Civil Courts etc. There may be some other Acts also under which there may be other schemes like Housing schemes, Supply of water, Sewerage (under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission) etc. These schemes may also be published properly as stated hereinabove in Print and Electronic media, by pamphlets by hoardings of proper size at proper places and in local languages.

vi) We also direct the Chief Secretary, Government of Jharkhand as well as Principal Secretary, Department of Labour, Employment and Training, Government of Jharkhand to take assistance of Jharkhand State Legal Services Authority (hereinafter referred to as the JHALSA) as well as the District Legal Services Authority and the infrastructure thereof. We hope that the concerned departments of Government of Jharkhand, namely, Department of Labour, Employment and Training, must be aware of the fact that District Legal Services Authority (hereinafter referred to as DLSA) are functioning in 22 districts (except Khunti and Ramgarh) of Jharkhand in a full fledged manner with a wholetime Secretary to the rank of Civil Judge (Sr.Division) and its Chairman and Vice Chairman are exofficio Principal District Judge and Deputy Commissioner of the respective district. **It's main objects are to create "awareness" and to ensure "access" in lawful and legal manner. In the State of Jharkhand, JHALSA have trained so far more than 3300 para legal volunteers, who are being given training by this Court. As a matter of fact 'Para Legal Volunteers' (hereinafter referred to as PLVs) have been trained by JHALSA under the scheme of National Legal Services Authority, New Delhi,** with a view to transmit knowledge about the legal services schemes including new laws, statutes, social welfare schemes like Unorganized Workers Social Security

Act, 2008, amongst poor and downtrodden. **PLVs created by JHALSA are on the job at grass root level in Panchayats/ Villages/ Basti/ Tolas/ Mohallas** level under the guidance of District Legal Services Authorities in the State of Jharkhand. **The most important job of PLVs to spread consciousness about the new welfare schemes of the Government to common citizens with special reference to the tribal and rural populations, women, children, disabled, handicapped and weaker sections of society. The scheme of the para legal volunteers is being properly implemented by the JHALSA** and there are several legal aid clinics in every district, in every jail and at several police stations, at which, these **para legal volunteers are regularly visiting, the duty as with which, the para legal volunteers are wedded with, is to impart the primary knowledge about the laws, the rights of the public at large including of senior citizens, widows, children and convicts or under trial prisoners.** This huge man power can be directly utilized by the State, who are available in every district of the State and working under JHALSA/ DLSAs. **There are more than one hundred para legal volunteers per district. With their help, if the pamphlets are to be distributed, they can perform these duties in an effective manner. If these para legal volunteers are to be sent to the villages, they are ready to go because they are working with concerned DLSA under JHALSA. The State may take assistance of these PLVs. They will assist the State officers in finding out the beneficiaries within the State of Jharkhand.** The JHALSA and the District Legal Services Authorities and Taluka (Subdivisional) Legal Services Committees are ready to cooperate the State Government officers. It is a dream project floated by the Central Government under the Unorganized workers Social Security Act, 2008, that justice must go at the door steps of the beneficiaries under the principle of **"access to justice for all". The para legal volunteers working with good infrastructure, are available in every district.** We, therefore, direct the Chief Secretary, Government of Jharkhand as well as Principal Secretary, Department of Labour, Employment and Training, Government of Jharkhand and other Secretaries, who are also connected with these type of implementation of Welfare schemes to have joint meeting with the Executive Chairman of JHALSA assisted by Member Secretary, JHALSA, 'Nyay Sadan', Doranda, Ranchi immediately so that if any pamphlets are to be printed out, full assistance shall be provided by the JHALSA to the concerned department of State and that too in a different variety of languages. **The JHALSA will also provide proper man power of 3300 persons who are known as para legal volunteers and fully trained for these purposes.**

vii) The JHALSA will also provide proper vehicles for the distribution in 'Mela' or at 'Festival Places' and at 'Haat Bazar' and also provide assistance of the legal retainers, who are available in every district at village level.

viii) The JHALSA can also provide the places at which these beneficiaries can be brought (normally at building of District Legal Services Authority) and their applications may be drafted in a proper format and it will be given to the proper governmental officers so that the governmental officers may not have to go or may not have to move from village to village and similarly, the beneficiaries also may not have to move from one office to another. The District Legal Services Authorities buildings are available in every district where other activities under the aegis of Hon'ble Supreme Court is already going on such as 'legal awareness camps, Lok Adalat, Mediation, Conciliation Activities' etc.

ix) We also direct the Chief Secretary, Government of Jharkhand as well as Principal Secretary, Department of Labour, Employment and Training, Government of Jharkhand and other Secretaries, who are also concerned and under obligation with the implementation of these type of schemes to make available JHALSA and the District Legal Services Authorities about the schemes, and their criteria and benefits so that in all types of welfare schemes so that the pamphlets can be prepared by JHALSA in the different languages and distributed properly among general masses to create awareness.

x) We also direct the Chief Secretary, Government of Jharkhand as well as Principal Secretary, Department of Labour, Employment and Training, Government of Jharkhand and other Secretaries, who are also connected with these type of implementation of the schemes that a Board which has been constituted under Section 6 of the Act of 2008, the constitution of which may also be advertised properly so that the weaker sections of the society may know the constitution of the Board and about their members and the office address with proper communication telephone numbers so that they may apply for taking the benefits under the Schemes, if they are eligible.

xi) We also direct the Chief Secretary, Government of Jharkhand as well as Principal Secretary, Department of Labour, Employment and Training, Government of Jharkhand and other Secretaries, who are also connected with these type of implementation of the schemes that some high ranking officers may be appointed for them and they shall hold periodical meetings atleast once in a month with the Chairman of District Legal Services Authority, Dy. Commissioner of the concerned district, Superintendent of Police of the concerned district and such other officers so that the aforesaid schemes and the other schemes which are referred hereinabove can be implemented in its true spirit and letter.

xii) We also direct the Chief Secretary, Government of Jharkhand as well as Principal Secretary, Department of Labour, Employment and Training, Government of Jharkhand and other Secretaries, who are also connected with these type of implementation of the schemes to inform the JHALSA and District Legal Services Authorities, if any new scheme is being introduced of either the Central Government or of the State Government so that these two authorities namely JHALSA and the District Legal Services Authorities **can also assist through the para legal volunteers for the publicity, awareness and implementation of the schemes.**

xiii) Looking to the several activities being conducted by the JHALSA as well as by the District Legal Services Authorities across the entire State and also looking to the burden of work and keeping in mind the efficiency of young advocate of the petitioner, we, hereby, request the counsel Shri Anup Kumar Agarwal who is appearing for the petitioner to assist the JHALSA for preparing the pamphlets in any one language either in Hindi or in English as per his choice so that it can be translated in local languages immediately by the JHALSA and it can be distributed at the earliest. We appreciate the assistance rendered by the counsel for the petitioner. The expenditure incurred by the counsel for the petitioner for preparing these pamphlets will be reimbursed by the JHALSA.

xiv) We also request the Board constituted under Section 6 of the Act, 2008, to take effective steps for implementation of the aforesaid schemes in the light of the aforesaid observations.

5. Registry is directed to send the copy of this order to -:

   a) The Chief Secretary of the State of Jharkhand;

   b) Member Secretary, Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA), "Nyay Sadan", Doranda, Ranchi,

   c) Chairmen and Member Secretaries, District Legal Services Authorities of all the districts of State of Jharkhand,

   d) Secretary of the Board constituted under Section 6 of the Act, 2008

   e) Principal Secretary, Department of Labour, Employment & Training, Government of Jharkhand.

6. The matter is adjourned on 16 th December, 2013 , and the State is hereby directed to file on affidavit through Principal Secretary, Labour, Employment & Training, Government of Jharkhand, as to what steps have been taken by the State for proper and effective implementation of the aforesaid schemes for the welfare of the public at large in view of aforesaid directives.

(Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, A.C.J.)

(Hon'ble Mr. Justice Amitav K. Gupta, J.)

❑❑❑

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : रितु सिंह
धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार

रिंकी साव एक विधवा है तथा उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इस पारा विधिक स्वयंसेवक ने उनकी मदद की तथा बीमा की रकम दावा करके प्राप्त कराया तथा परामर्श एवं समझा-बुझा कर रिंकी साव को ससुराल में रहने के लिए अनुमति दिलाया। पारा विधिक रितु सिंह ने रिंकी साव को समझा-बुझा कर फिर से शादी करने के लिए मनाया और इस तरह अभी रिंकी साव खुशहाल जिंदगी बिता रही है।

संध्या कुमारी (परिवर्तित नाम) के साथ एक सूरज साव नामक व्यक्ति ने यौन हिंसा किया और उसे धनबाद लाकर छोड़ दिया। इस पारा विधिक स्वयंसेवक ने उसको जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुकदमा करने और लड़ने में विधिक सेवा उपलब्ध कराया तथा परामर्श और समझा-बुझा कर संध्या को शादी करने के लिए मनाया।

सरस्वती कहारिन एक विधवा है, जो बीसीसीएल में कार्यरत थी। उसके बेटे ने संयंत्र किया और गलत दवाइयां देकर अपनी माँ को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया। अपनी माँ के स्थान पर नौकरी पाने के लिए उसने यह सब किया। नौकरी मिलने के बाद उसने सरस्वती कहारिन को घर से निकाल दिया। इस पारा विधिक स्वयंसेवक को सरस्वती रेलवे पटरी के पास अस्त-व्यस्त हालत में मिली। इसने उसे वृद्धाश्रम पहुँचाया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पुत्र से भरण-पोषण भी दिलवाया।

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : हेमराज चौहान
धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार

गौरी देवी, उम्र 35 वर्ष पर तेजाबी हमला उसके पति ने ही किया था। इस पारा विधिक स्वयंसेवक ने न्यायालय में मुकदमा एवं पीड़ित मुआवजा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार से गौरी देवी को विधिक सेवा दिलाई। अंतरिम मुआवजा के रूप में गौरी देवी को दो लाख रूपये मिल चुके हैं तथा शेष 1 लाख रूपयो देने की कार्यवाही चल रही है।

झारखण्ड ऑब्जर्वर — बिहार ऑब्जर्वर, धनबाद 18 अप्रैल, 2016 सोमवार

एसिड अटैक की पीड़िता को दो लाख का भुगतान

डालसा के निर्देश पर उपायुक्त ने दिया चेक

धनबाद : एसिड अटैक की पीड़ित एक महिला को विक्टिम कम्पेशेसन स्कीम के तहत दो लाख रूपये का भुगतान किया गया। सुदामडीह निवासी गौरी देवी के उपर उसके पति ने २२ मार्च १३ को तेजाब डाल दिया था। तेजाब से गौरी देवी का चेहरा झुलस गया था।

गौरी देवी के शिकायत पर पुटकी थाना कांड संख्या ३९/१३ दर्ज हुई थी। पीड़िता ने एक जुलाई १४ को विक्टिम कम्पेशेसन स्कीम के तहत उपायुक्त को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की थी। परंतु पीड़िता का आवेदन एक वर्ष फाइलों में दबा रहा। कई बार चक्कर लगाकर भी थक गई। तक उपायुक्त कार्यालय के वह उपायुक्त कार्यालय के अंततः उसकी मुलाकात विधिक सहारा डालसा है

जागरूकता शिविर के दौरान वि विधिक सेवा प्राधिकार के पीएल हेमराज चौहान एवं अजय यादव हुई। जिनके सहयोग से गौरी प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश अं नाथ को आवेदन देकर मुआव दिलवाने की प्रार्थना व न्यायाधीश श्री अंबुज नाथ निर्देश पर प्राधिकार के सचिव अवर न्यायाधीश राजीव रंजन त्वरित कार्यवाई करते हुए मा की जांच की और जिला प्रशा को २ लाख रूपया पीड़ित अविलंब भुगतान करने का नि दिया। प्राधिकार के निर्देश आलोक में उपायुक्त कृपानंद झा पीड़ित गौरी देवी को २ लाख रू का चेक प्रदान किया। प्राधिकार अपने इस काम से फिर एक ब साबित कर दिया कि हारे

रीता देवी की उम्र 40 वर्ष है। संपति विवाद में उसके पति की हत्या कर दी गई थी। इस पारा विधिक ने आवेदन तैयार कर विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया तथा पीड़ित मुआवजा के रूप में दो लाख रूपये की राशि रीता देवी को 4 मार्च, 2017 को मिल चुके हैं।

आरती कुमारी (परिवर्तित नाम) एक अव्यस्क बच्ची है जो इस पारा विधिक को धनबाद रेलवे स्टेशन पर भटकती हुई मिली। इस पारा विधिक स्वयंसेवक ने उस बच्ची को बाल कल्याण समिति के पास सुपुर्द किया एवं उसके माता-पिता का पता लगाया। वह बच्ची अपने माता-पिता से मिला दी गई है।

अधिनियम, नियम विनियम तथा योजना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्यांक 39)

[11 अक्तूबर, 1987]

समाज के दुर्बल वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विधिक पद्धति के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन हो, लोक अदालतें संगठित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख* को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश है ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

[1][(क) "मामला" के अंतर्गत किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कोई कार्यवाही है ;

(कक) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ककक) "न्यायालय" से कोई सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत न्यायिक या न्यायिककल्प कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण है ;]

(ख) "जिला प्राधिकरण" से धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

[2][(खख) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 8क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है ;]

(ग) "विधिक सेवा" के अंतर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा करना और किसी विधिक विषय के संबंध में सलाह देना भी है ;

(घ) "लोक अदालत" से अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

[2][(चच) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;]

(छ) "स्कीम" से केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबंध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

---

* 9-11-1995 से प्रवृत्त ।

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ज) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(झ) "राज्य सरकार" के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है ;

[1][(ञ) "उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 3क के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है ;

(ट) "तालुक विधिक सेवा समिति" से धारा 11क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है ।]

(2) इस अधिनियम में किसी अन्य अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति निर्देश का, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबंध के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

[2][**3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय गठित करेगी जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा ।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, —

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा ;

(ख) राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, नामनिर्दिष्ट उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं या जो उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

(5) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित किए जाएं ।

(6) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

(7) केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे ।

(8) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव द्वारा या किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(9) केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि केन्द्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

3क. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति—(1) केन्द्रीय प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा ।

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, जिनका नामनिर्देशन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा—

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उच्चतम न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश, जो अध्यक्ष होगा ; और

(ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इस समिति के सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं ।

(5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित किए जाएं ।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।]

4. केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य—केन्द्रीय प्राधिकरण, [1]* * * निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत अधिकथित करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अति प्रभावी और कम-खर्च वाली स्कीमें बनाना ;

(ग) उसके व्ययनाधीन निधियों का उपयोग करना और राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को निधियों का उपयुक्त आबंटन करना ;

(घ) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण सरंक्षण या समाज के दुर्बल वर्गों के विशेष महत्व वाले किसी अन्य विषय के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमा के रूप में आवश्यक कदम उठाना और इस प्रयोजन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि संबंधी कौशल में प्रशिक्षण देना ;

(ङ) विधिक सहायता कैंप, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों या श्रमिक कालोनियों में समाज के दुर्बल वर्गों को उनके अधिकारों तथा साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करने को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षित करने के दोहरे प्रयोजन से आयोजित करना ;

(च) बातचीत, माध्यस्थम् और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना ;

(छ) विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, निर्धनों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में, अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना ;

(ज) संविधान के भाग क के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति वचनबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक बातें करना ;

(झ) कालिक अंतरालों पर विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानिटर करना और उसका मूल्यांकन करना तथा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित निधियों से पूर्णतः या भागतः क्रियान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था करना ;

[2][(ञ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवा संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उसके व्ययनाधीन रखी गई रकमों में से विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायता अनुदान देना ;]

(ट) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से नैदानिक विधि शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास करना और मार्गदर्शन का संवर्धन करना तथा विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में, विधिक सेवा क्लिनिकों की स्थापना तथा कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना ;

(ठ) लोगों के बीच विधि संबंधी साक्षरता और विधि संबंधी जागरुकता का प्रसार करने के लिए और विशिष्टतया समाज के दुर्बल वर्गों को समाज कल्याण संबंधी विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा गारन्टीकृत अधिकारों, फायदों और विशेषाधिकारों के बारे में और प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना ;

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) निचले स्तर पर, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के बीच कार्य करने वाली स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना ; और

(ढ) [1][राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों तथा स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं] और अन्य विधिक सेवा संगठनों को समन्वित और मानिटर तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना ।

5. केन्द्रीय प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना—केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्धन के कार्य में लगे हुए अन्य के समन्वय से, कार्य करेगा ।

अध्याय 3

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

[2][**6. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन**—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा ।

(2) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो मुख्य संरक्षक होगा ;

(ख) राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा ; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं या जो उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के एक ऐसे व्यक्ति को, जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो, राज्य प्राधिकरण का सदस्य-सचिव नियुक्त करेगी :

परंतु राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के ठीक पूर्व राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति उस प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह इस उपधारा के अधीन उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित न हो ।

(4) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

(5) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित किए जाएं ।

(6) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

(7) राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे ।

(8) राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय, राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव या किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(9) राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि राज्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।]

7. राज्य प्राधिकरण के कृत्य—(1) राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय प्राधिकरण की नीति और निदेशों को कार्यान्वित करे ।

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) राज्य प्राधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित मानदंडों की पूर्ति करते हैं ;

(ख) [1][लोक अदालतों का, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं,] संचालन करना ;

(ग) निवारक और अनुकूल विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण, [1][केन्द्रीय प्राधिकरण] के परामर्श से, विनियमों द्वारा, नियत करे ।

[2][**8. राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों, आदि के समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन होना**—राज्य प्राधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन में, अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्धन के कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के समन्वय से, समुचित रूप से कार्य करेगा और ऐसे निदेशों से भी मार्गदर्शित होगा जो उसे केन्द्रीय प्राधिकरण, लिखित रूप में दे ।

8क. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति—(1) राज्य प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा ।

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, जिसका नामनिर्देशन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा :—

(क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश, जो अध्यक्ष होगा ; और

(ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं ।

(3) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समिति का एक सचिव नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं ।

(5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित किए जाएं ।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण—(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस अधिनियम के अधीन जिला प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए, राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा ।

(2) जिला प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) जिला न्यायाधीश जो उसका अध्यक्ष होगा ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, नामनिर्दिष्ट उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) राज्य प्राधिकरण, उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो ऐसे अध्यक्ष द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो जिला न्यायपालिका के स्थान में कार्य कर रहे अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो, जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा ।

(4) जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं ।

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित किए जाएं ।

(6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं ।

(7) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे ।

(8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय, जिला प्राधिकरण के सचिव या किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(9) जिला प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि जिला प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।]

10. जिला प्राधिकरण के कृत्य—(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करे जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगा, अर्थात् :—

[1][(क) तालुक विधिक सेवा समितियों और जिले में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना ;]

(ख) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण, [2]* * * विनियमों द्वारा, नियत करे ।

11. जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण, आदि द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन होना—प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहां उपयुक्त हो, अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्धन कार्य में लगे हुए अन्य के समन्वय से, कार्य करेगा और ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा जो उसे केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण लिखित में दे ।

[3][**11क. तालुक विधिक सेवा समिति**—(1) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल के लिए या तालुकों या मंडलों के समूह के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा जिसे तालुक विधिक सेवा समिति कहा जाएगा ।

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला [4][ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी] जो पदेन अध्यक्ष होगा ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, नामनिर्दिष्ट उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो उस सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित किए जाएं ।

(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

(5) समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जाएंगे ।

11ख. तालुक विधिक सेवा समिति के कर्तव्य—तालुक विधिक सेवा समिति, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना ;

(ख) तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समनुदिष्ट करे ।]

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्याय 4

विधिक सेवाओं के लिए हकदारी

12. विधिक सेवा देने के लिए मानदंड—प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति,—

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार है ;

(ग) स्त्री या बालक है ;

[1][(घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में परिभाषित निःशक्त व्यक्ति है ;]

(ङ) अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति है, जैसे, बहुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट का शिकार है ; या

(च) औद्योगिक कर्मकार है ; या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में की अभिरक्षा भी है ; या

[2][(ज) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रुपए से या ऐसी उन्य उच्चतर रकम से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, कम और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रुपए से या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, कम वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है ।]

13. विधिक सेवाओं के लिए हकदारी—(1) वे व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं मानदंडों को पूरा करते हैं, विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार होंगे परन्तु यह तब जब कि संबंधित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला है ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया शपथ-पत्र इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं के लिए हकदार होने के लिए उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकरण के पास ऐसे शपथ-पत्र के प्रति अविश्वास करने का कारण न हो ।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

14. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, केन्द्रीय प्राधिकरण को, अनुदान के रूप में उतनी धनराशियां संदत्त करेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने के लिए ठीक समझे ।

15. राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि—(1) केन्द्रीय प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा जो राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि कहलाएगी और उस निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) धारा 14 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी गई सभी धनराशियां ;

(ख) कोई ऐसे अनुदान या संदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को दिए जाएं ;

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई रकम ।

(2) राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा :—

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित विधिक सेवाओं के खर्चे जिसके अंतर्गत राज्य प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान भी हैं ;

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 1 की धारा 74 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च ;

(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित है ।]

16. राज्य विधिक सहायता निधि—(1) राज्य प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा जो राज्य विधिक सहायता निधि कहलाएगी और इस निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उसको संदत्त सभी धनराशियां या दिए गए कोई अनुदान ;

(ख) कोई ऐसे अनुदान या संदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण को दिए जाएं ;

(ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई अन्य रकम ।

(2) राज्य विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा :—

(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे ;

[2][(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च ;

(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति राज्य प्राधिकरण द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित है ।]

17. जिला विधिक सहायता निधि—(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा जो जिला विधिक सहायता निधि कहलाएगी और इस निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को संदत्त सभी धनराशियां या दिए गए कोई अनुदान ;

[3][(ख) कोई ऐसे अनुदान या संदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, जिला प्राधिकरण को दिए जाएं ;]

(ग) जिला प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई अन्य रकम ।

(2) जिला विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा :—

(क) धारा 10 [4][और धारा 11ख] में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे ;

(ख) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति जिला प्राधिकरण से अपेक्षित है ।

18. लेखा और लेखा परीक्षा—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में प्राधिकरण कहा गया है) उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, विहित की जाए ।

(2) प्राधिकरणों के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय संबंधित प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया, उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने का और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरणों के लेखे, उनसे संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, प्राधिकरणों द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष भेजे जाएंगे ।

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समझ रखवाएगी ।]

अध्याय 6

लोक अदालतें

[2][**19. लोक अदालतों का आयोजन**—(1) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी ।

(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने—

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों ; और

(ख) अन्य व्यक्तियों,

से मिलकर बनेगी, जितने ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, विहित की जाएं ।

(5) किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है—

(i) समक्ष लम्बित किसी मामले की बाबत ; या

(ii) किसी ऐसे विषय की बाबत जो उसकी अधिकारिता के भीतर है किंतु वह उसके समक्ष नहीं लाया गया है,

किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी :

परन्तु लोक अदालत को, किसी ऐसे अपराध से संबंधित, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।

20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान—(1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में, उस मामले को परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए—

(i) (क) उसके पक्षकार सहमत हैं ; या

(ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथमदृष्ट्या समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाएं हैं ; या

(ii) न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान किए जाने के लिए समुचित मामला है,

वहां न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा :

परन्तु ऐसे न्यायालय द्वारा खंड (i) के उपखंड (ख) या खंड (ii) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को पक्षकारों की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसको निर्देश किया गया है वहां लोक अदालत ऐसे मामले या विषय के निपटाने की कार्यवाही करेगी और पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करेगी ।

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते समय, पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने में यथासाध्य शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्या, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी ।

(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि के अनुसार निपटाने के लिए लौटा दिया जाएगा ।

(6) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषय में कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय में उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी ।

(7) जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटाया जाता है वहां, ऐसा न्यायालय, ऐसे मामले पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस तक उपधारा (1) के अधीन ऐसा निर्देश करने के पूर्व कार्यवाही की गई थी ।]

21. लोक अदालत का अधिनिर्णय—[1][(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन उपबंधित रीति से लौटा दी जाएगी ।]

(2) लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा, तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

22. लोक अदालतों की शक्तियां—(1) [2][लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] को, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना ; और

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक [3][लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] को अपने समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होंगी ।

(3) [3][लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और प्रत्येक [3][लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझी जाएगी ।

[4][**अध्याय 6क**

मुकदमा-पूर्व सुलह और समझौता

22क. परिभाषाएं—इस अध्याय में और धारा 22 तथा धारा 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "स्थायी लोक अदालत" से धारा 22ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है ;

(ख) "लोक उपयोगी सेवा" से अभिप्रेत है कोई,—

(i) वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा ; या

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 37 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 37 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 37 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा ; या

(iii) किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय ; या

(iv) सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली ; या

(v) अस्पताल या औषधालय सेवा ; या

(vi) बीमा सेवा,

और इसके अंतर्गत ऐसी कोई सेवा भी है जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करे ।

22ख. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना—(1) धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर और एक या एक से अधिक लोक उपयोगी सेवाओं की बाबत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्थायी लोक अदालत स्थापित करते हुए नियुक्त किए गए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनेगी,—

(क) ऐसा व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश की पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का न्यायिक पद धारण किए हुए है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा ; और

(ख) दो अन्य ऐसे व्यक्ति, जिनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव है, और जो, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

और अध्यक्ष तथा खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

22ग. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान—(1) किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु स्थायी लोक अदालत को ऐसे अपराध से, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, संबंधित किसी विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में भी अधिकारिता नहीं होगी जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य दस लाख रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय प्राधिकरण से परामर्श करके दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट दस लाख रुपए की सीमा को बढ़ा सकेगी ।

(2) स्थायी लोक अदालत को उपधारा (1) के अधीन आवेदन किए जाने के पश्चात्, उस आवेदन का कोई पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब नहीं लेगा ।

(3) जहां किसी स्थायी लोक अदालत को उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां वह,—

(क) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को उसके समक्ष लिखित कथन फाइल करने का निदेश देगी जिसमें आवेदन के अधीन विवाद के तथ्यों और प्रकृति, ऐसे विवाद के मुद्दों या विवाद्यकों और, यथास्थिति, ऐसे मुद्दों या विवाद्यकों के समर्थन में या उसके विरोध में अवलंबित आधारों का कथन होगा और ऐसा पक्षकार ऐसे कथन की अनुपूर्ति में ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य दे सकेगा जिसे ऐसा पक्षकार ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत में समुचित समझता है और ऐसे कथन की एक प्रति ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को भेजेगी ;

(ख) आवेदन के किसी पक्षकार से सुलह कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर उसके समक्ष अतिरिक्त कथन फाइल करने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ग) आवेदन के किसी पक्षकार से, उसे प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन को, अन्य पक्षकार को, उसका उत्तर देने के लिए समर्थ बनाने हेतु संसूचित करेगी ।

(4) जब कोई कथन, अतिरिक्त कथन और उत्तर, यदि कोई हो, उपधारा (3) के अधीन स्थायी लोक अदालत के समाधानप्रद रूप में फाइल किया गया है तब वह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाहियां ऐसी रीति से करेगी जिसे वह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे ।

(5) स्थायी लोक अदालत उपधारा (4) के अधीन सुलह कार्यवाहियां करने के दौरान पक्षकारों को विवाद के स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए, उनके प्रयास में सहायता करेगी ।

(6) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद की सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत के, उसके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निदेश का अनुपालन करे ।

(7) जब स्थायी लोक अदालत की पूर्वोक्त सुलह कार्यवाहियों में यह राय है कि ऐसी कार्यवाहियों में समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे, तब वह विवाद के संभाव्य समझौते के निबंधन विरचित कर सकेगी और संबंधित पक्षकार को उनके संप्रेक्षण के लिए देगी और यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए सहमत हो जाते हैं तो वे समझौता करार पर हस्ताक्षर करेंगे तथा स्थायी लोक अदालत उसके निबंधनानुसार अधिनिर्णय पारित करेगी और उसकी एक-एक प्रति प्रत्येक संबद्ध पक्षकार को देगी ।

(8) जहां पक्षकार उपधारा (7) के अधीन किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं, वहां यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत, विवाद का विनिश्चय कर देगी ।

22घ. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया—स्थायी लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियां करते समय या विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, वस्तु-निष्ठता, निष्पक्षता, साम्या और न्याय के अन्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) से आबद्ध नहीं होगी ।

22ङ. स्थायी लोक अदालत के अधिनिर्णय का अंतिम होना—(1) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा, गुणागुण के आधार पर या समझौता करार के निबंधानानुसार दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और उसके सभी पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(5) स्थायी लोक अदालत, उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय अधिनिर्णय को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो यह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो ।]

अध्याय 7

प्रकीर्ण

[1][**23. प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना**—केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों के सदस्य, जिनके अंतर्गत, यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव भी है, और ऐसे प्राधिकरणों, समितियों के अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा [2][लोक अदालतों के सदस्य या स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले व्यक्ति] भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबंधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ;

(ख) केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्यों या सदस्य-सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों ;

(ग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों ;

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 37 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों ; या

(ङ) उपखंड (ख) से उपखंड (घ) में निर्दिष्ट किसी मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य, सदस्य-सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति,

के विरुद्ध नहीं होगी ।]

25. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

26. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

[1][**27. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव का अनुभव और अर्हताएं तथा उसकी शक्तियां और कृत्य ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधि तथा उनसे संबंधित अन्य शर्तें ;

(घ) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ;

(ङ) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते ;

(च) धारा 3क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं ;

(छ) धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं ;

(ज) धारा 3क की उपधारा (5) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन उनकी सेवा की शर्तें तथा उनको संदेय वेतन और भत्ते ;

(झ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उसकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा ;

(ञ) वह रीति जिससे धारा 18 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकण या जिला प्राधिकरण के लेखे रखे जाएंगे ;

(ट) धारा 19 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं ;

(ठ) धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन अन्य विषय ;

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 59 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(ठक) धारा 22ख की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अन्य निबंधन और शर्तें ;]

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए ।

28. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते ;

(च) धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं ;

(छ) धारा 8क की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन उनकी सेवा की शर्तें तथा उनको संदेय वेतन और भत्ते ;

(ज) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं ;

(झ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ;

(ञ) धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते ;

(ट) धारा 11क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं ;

(ठ) धारा 11क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ;

(ड) धारा 11क की उपधारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते ;

(ढ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उसकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा ;

(ण) धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं ;

(त) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए ।

29. विनियम बनाने की केन्द्रीय प्राधिकरण की शक्ति—(1) केन्द्रीय प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य ;

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 37 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ख) धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधि तथा उनसे संबंधित अन्य शर्तें ।

29क. विनियम बनाने की राज्य प्राधिकरण की शक्ति—(1) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्यतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(ख) धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य ;

(ग) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं ;

(घ) धारा 8क की उपधारा (4) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें ;

(च) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं ;

(छ) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(ज) धारा 11क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधि और उनसे संबंधित अन्य शर्तें ।]

30. नियमों और विनियमों का रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अन्यथा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2009

सं एल/28/09-नालसा.-केन्द्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा- 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) 'अधिनियम' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है;

   (ख) 'लोक अदालत' से अधिनियम की धारा- 19 के अधीन आयोजित की जाने वाली लोक अदालत अभिप्रेत है;

   (ग) सभी अन्य शब्दों और पदो के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण; नियम, 1995 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियमों में है ।

3. लोक अदालतें आयोजित करने की प्रक्रिया-(1) लोक अदालतें, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरणों या जिला प्राधिकरणों या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समितियों द्वारा नियमित अंतरालों पर आयोजित की जा सकेंगी और ऐसी लोक अदालतें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए, जो पूर्वोक्त प्राधिकरण या समितियां ठीक समझें, आयोजित की जाएंगी :

   परंतु विशेष लोक अदालतें सभी कुटुम्ब न्यायालयों के लिए नियमित अंतरालों पर आयाजित की जाएंगी ।

(2) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य-सचिव या सचिव या जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति का अधयक्ष विधिक वृत्ति के सदस्यों, महाविद्यालय के विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, पूर्व और परोपकारी संस्थाओं और अन्य वैसे ही संगठनों को लोक अदालतें आयोजित करने के लिए सहयोजित कर सकेगा ।

4. राज्य प्राधिकरण को सूचना-यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण को लोक अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में उस तारीख से बहुत पूर्व, जिसको लोक अदालत आयोजित करने का प्रस्ताव है, सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :--

(i) वह स्थान और तारीख, जिसको लोक अदालत आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ii) क्या ऊपर विनियम 3 के उपविनियम (2) में यथा निर्दिष्ट संगठनों में से किसी ने लोक अदालत के साथ स्वयं को सहयोजित करने के लिए अपनी सहमति दी है;

(iii) मामलों के प्रवर्ग और प्रकृति जैसे लंबित मामले या मुकद्मा-पूर्व विवाद, जिनका लोक अदालत के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव है;

(iv) प्रत्येक प्रवर्ग में लोक अदालत के समक्ष लाए जाने वाले प्रस्तावित मामलों की संख्या;

(v) कोई अन्य सूचना, जो लोक अदालत के संयोजन और आयोजन से सुसंगत हो।

5. संबद्ध पक्षकारों को सूचना-लोक अदालतों का संयोजन और आयोजन करने वाले यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, उस संबद्ध प्रत्येक पक्षकार को जिसका मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, समय पूर्व सूचित करेगा जिससे उसे लोक अदालत के समक्ष स्वयं को तैयार करने के लिए अवसर दिया जा सके:

परंतु ऐसी सूचना से अभिमुक्ति दी जाएगी यदि न्यायालय ने मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करते समय पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में लोक अदालत की तारीख और समय नियत किया है या उसकी सूचना दी है:

परंतु यह और कि यदि कोई पक्षकार लोक अदालत को अपना मामला निर्दिष्ट करने के लिए इच्छुक नहीं है तो संबद्ध न्यायालय द्वारा उस मामले पर उसके गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

6. लोक अदालत की संरचना-

(क) राज्य प्राधिकरण स्तर पर-लोक अदालत आयोजित करने वाला सदस्य-सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठें गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे:

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य; और

(ii) ऐसे ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जो व्यक्तियों के कमजोर वर्गों, जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्री, बालक, ग्रामीण और शहरी श्रमिक भी हैं, के उत्थान में लगे हैं और जिनकी विधिक सेवा स्कीमों या कार्यक्रमों की क्रियान्वयन में रूचि है ।

(ख) उच्च न्यायालय स्तर पर-लोक अदालत आयोजित करने वाला उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे;

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य; और

(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता ।

(ग) जिला स्तर पर-लोक अदालत आयोजित करने वाला जिला प्राधिकरण का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे;

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य; और

(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानत: कोई स्त्री।

(घ) तालुक स्तर पर-लोक अदालत आयोजित करने वाला तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे;

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य; और

(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानत: कोई स्त्री।

7. लोक अदालतों का मामलों का आबंटन-(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट मामले समनुदेशित करेंगे।

(2) यथास्थिति सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ के लिए एक मामला सूची तैयार कर सकेगा और लोक अदालत आयोजित करने की तारीख के कम से कम दो दिन पूर्व सभी संबद्ध व्यक्तियों को सूचित करेंगे ।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक मामले में किसी प्रकार के उत्पीड़न, धमकी, असम्यक् प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना सुलह समझौता कराने के गंभीर प्रयास करेगी ।

8. लोक अदालतों का आयोजन-लोक अदालतें ऐसे समय और स्थान तथा ऐसी तारीख को जिसके अंतर्गत छुट्टी का दिन भी है, जिसे लोक अदालत आयोजित करने वाला यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति उचित समझे, आयोजित की जा सकेगी ।

9. लोक अदालतों की अधिकारिता-लोक अदालतों को केवल पक्षकारों के बीच किसी विवाद का समझौता या परिनिर्धारण करने के लिए पक्षकारों की सहायता करने की शक्ति होगी और ऐसा करते समय पक्षकारों के बीच ऐसे विवादों की बाबत् वे कोई निदेश या आदेश जारी नहीं करेंगी।

10. लंबित मामलों के निर्देश-(1) लोक अदालत के पास लंबित मामले पर कार्रवाई करने की तभी अधिकारिता होगी जब सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय आदेश करता है कि मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 या अधिनियम की धारा 20 में विहित रीति के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए ।

(2) लोक अदालत को लंबित मामलों के तंत्र संबंधी निर्देश करने से बचा जाएगा और निर्देश करने वाला न्यायालय प्रथम दृष्ट्या अपना यह समाधान करेगा कि लोक अदालत के माध्यम से मामले के निपटारा होने का अवसर है और लोक अदालत में निर्दिष्ट किए जाने के लिए यह मामला समुचित है;

परंतु विवाह-विच्छेद और आपराधिक मामलों से संबंधित ऐसे विषय, जो दण्ड

प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शमनीय नहीं है, लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किए जाएंगे ।

(3) उस लंबित मामले में जहां पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार ने न्यायालय को लोक अदालत में मामले को निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन किया था या न्यायालय का स्वप्रेरणा से यह समाधान हो जाता है कि लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए मामला समुचित है, तो मामले को पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् के सिवाय लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ।

11. अभिलेखों को समन करना और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व-(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उन लंबित मामलों के न्यायिक अभिलेख, जिन्हें अधिनियम की धारा 20 के अधीन संबद्ध न्यायालयों से लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, मंगा सकेंगे ।

(2) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी न्यायालय से प्राप्त होने वाले अभिलेखों की उन्हें न्यायालय को वापस किए जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) न्यायिक अभिलेख लोक अदालत द्वारा समाप्त की गई कार्यवाही के दस दिन के भीतर कार्यवाहियों के परिणाम के बारे में पृष्ठांकन सहित वापस कर दिए जाएंगे चाहे लोक अदालत द्वारा मामले का निपटारा किया गया हो या नहीं :

परंतु जहां कहीं समुचित हो, वह संबद्ध न्यायालय, जहां से अभिलेख मंगाए गए थे, दस दिन से परे की अवधि के लिए अभिलेखों को प्रतिधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(4) प्रत्येक न्यायिक प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह न्यायिक अभिलेखों के पारेषण में सहयोग करे ।

12. मुकदमा-पूर्व मामला-(1) मुकदमा-पूर्व मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उस न्यायालय, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई है, को मामले को न्यायनिर्णीत करने की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता है ।

(2) लोक अदालत को मुकदमा-पूर्व मामले को निर्दिष्ट करने से पूर्व यथास्थिति, संबद्ध प्राधिकरण या समिति संबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देगी ।

परंतु प्रत्येक पक्षकार का बयान लोक अदालत के समक्ष इसे रखे जाने के लिए, यथास्थिति संबद्ध प्राधिकरण या समिति द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(2) पक्षकारों के बीच समझौता आधारित किसी पंचाट को केवल अधिनियम की धारा 20 में विहित प्रक्रिया के उल्लंघन पर संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका फाइल करके चुनौती दी जा सकती है ।

13. लोक अदालतों में प्रक्रिया-(1) लोक अदालत के सदस्यों की भूमिका केवल कानूनी सुलहकर्ता की है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं है और वे, यथावश्यक परिवर्तन सहित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 67 से 79 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन कर सकेंगे ।

(2) लोक अदालत के सदस्य प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: मामलों या विषयों का समझौता या परिनिर्धारण करने के लिए किसी भी पक्षकार पर दबाव नहीं डालेंगे या जबरदस्ती नहीं करेंगे ।

(3) लोक अदालत के सदस्य उचित परिनिर्धारण या समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों के साथ विषयवस्तु पर चर्चा करेंगे और लोक अदालत के ऐसे सदस्य पक्षकारों की उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण परिनिर्धारण पर पहुंचने के उनके प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से सहायता करेंगे :

परंतु यदि स्वतंत्र व्यक्ति या प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है तो लोक अदालत उसे भी प्राप्त कर सकेगी ।

(4) लोक अदालत के सदस्य, अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, विवाद की प्रतिवेशी रूढ़ियों और रीति रिवाजों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय, साम्या, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

(5) लोक अदालत ऐसी रीति से कार्यवाहियां कर सकेंगी जैसा यह मामले की परिस्थितियों, किसी पक्षकार द्वारा लोक अदालत से मौखिक कथन सुनने के किसी अनुरोध और विवाद के शीघ्र परिनिर्धारण की आवश्यकता सहित पक्षकारों की इच्छाओं पर विचार करते हुए उचित समझे ।

(6) लोक अदालत अपनी निजी इच्छा से किसी निर्देश का अवधारण नहीं करेगी बल्कि पक्षकारों के बीच समझौते या परिनिर्धारण के आधार पर ही समझौता या परिनिर्धारण के निबंधनानुसार अधिनिर्णय करके अवधारण करेगी;

परंतु किसी लोक अदालत को नियमित न्यायालय के रूप में उनके विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए पक्षकारों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है :

परंतु यह और कि लोक अदालत का अधिनिर्णय न तो अधिमत है और न ही किसी विनिश्चय करने वाली प्रक्रिया द्वारा विचारित राय है ।

14. प्रशासनिक सहायता–लोक अदालत कार्यवाहियों को सुकर बनाने के लिए प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था विधिक सेवा उपलब्ध कराने में लगी उपयुक्त संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा की जा सकेगी ।

15. समझौता या परिनिर्धारण की विरचना–लोक अदालत, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर विवाद के निर्धारण के लिए प्रस्ताव कर सकेगी और यह आवश्यक नहीं कि ऐसा प्रस्ताव उसके लिए कारणों के कथन से युक्त हो ।

16. लोक अदालत और पक्षकारों के बीच संसूचना–(1) लोक अदालत पक्षकारों को उससे मिलने के लिए आमंत्रित कर सकेगी या उसे मौखिक या लिखित रूप में संसूचित कर सकेगी और वह पक्षकारों के साथ एक साथ या उनसे पृथक–पृथक मिल सकेगी या संसूचित कर सकेगी । किसी पक्षकार से प्राप्त विवाद से संबंधित तथ्यात्मक सूचना इसलिए अन्य पक्षकार को प्रकट की जा सकेगी कि यदि अन्य पक्षकार को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके :

परंतु लोक अदालत कोई सूचना प्रकट नहीं करेगी यदि एक पक्षकार इसे गोपनीय रखना चाहता है ।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपनी निजी पहल या लोक अदालत के आमंत्रण पर विवाद के परिनिर्धारण के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) जब लोक अदालत को यह प्रतीत होता है कि परिनिर्धारण के लक्षण विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे तो संभव परिनिर्धारण के निबंधन लोक अदालत द्वारा विरचित किए जाएंगे और उनके विचारों और परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिए पक्षकारों को दिए जाएंगे और पक्षकारों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जा सकेगा तथा संभव परिनिर्धारण के निबंधनों को लोक अदालत द्वारा पुनः विरचित किया जा सकेगा ।

(4) यदि पक्षकार विवाद के समझौते या परिनिर्धारण पर पहुंचते हैं तो लोक अदालत रूपरेखा तैयार कर सकेगा या ऐसे समझौतों या परिनिर्धारण के निबंधनों की रूपरेखा तैयार करने में पक्षकारों की सहायता कर सकेगा ।

17. अधिनिर्णय–(1) अधिनिर्णय की रूपरेखा तैयार करना लोक अदालत के मार्गदर्शन और सहायता के अधीन पक्षकारों द्वारा सहमत परिनिर्धारण या समझौता के निबंधन सम्मिलित करते हुए मात्र एक प्रशासनिक कार्य है ।

(2) जब दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करते हैं या अपना अंगूठा निशान लगाते हैं और लोक

अदालत के सदस्य इस पर अधोहस्ताक्षर करते हैं तो यह अधिनिर्णय हो जाता है। (परिशिष्ट–1 पर नमूना देखिए) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय स्पष्ट और सरल होगा और स्थानीय न्यायालयों में प्रयुक्त प्रादेशिक भाषा या अंग्रेजी में होंगे । इसमें मामले की विशिष्टियां अर्थात् मामला संख्या, न्यायालय का नाम, पक्षकारों के नाम, प्राप्ति की तारीख, स्थायी रजिस्टर (विनियम 20 के अधीन यथाउपबंधित बनाए रखे गए) में मामले की रजिस्टर संख्या और परिनिर्धारण की तारीख भी अंतर्विष्ट होगी। जहां कहीं पक्षकारों का प्रतिनिधित्व काउंसेल द्वारा किया जाता है वहां उनसे भी लोक अदालत के सदस्यों के समक्ष परिनिर्धारण या अधिनिर्णय पर अपने हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होनी चाहिए ।

(3) न्यायालय से लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों के अधिनिर्णय में यह उल्लिखित होगा कि वादी या याची दी गई न्यायालय फीस के प्रतिदाय का हकदार है।

(4) जहां पक्षकारों के साथ काउंसेल नहीं है या काउंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, वहां लोक अदालत के सदस्य परिनिर्धारण अभिलिखित करने के पूर्व पक्षकारों की पहचान का भी सत्यापन करेंगे ।

(5) लोक अदालत के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्षकार निश्चित और अभिलिखित किए गए परिनिर्धारण के निबंधनों को पूरी तरह से समझने के पश्चात् ही अपने हस्ताक्षर करें। लोक अदालत के सदस्य अपने हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित के बारे में भी स्वयं का समाधान करेंगे :

(क) यह कि परिनिर्धारण के निबंधन अयुक्तियुक्त या अवैध या एकतरफा नहीं है; और

(ख) यह कि पक्षकारों ने स्वेच्छया न कि किसी धमकी, प्रपीड़न या असम्यक असर के कारण परिनिर्धारण किया है ।

(6) लोक अदालत के सदस्यों को अपने समक्ष निकाले गए परिनिर्धारण में ही अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का उपयोग बेईमान पक्षकारों द्वारा कपट, कूटरचना, आदि करने के लिए न किया जाए, किसी तीसरे पक्षकार की सहायता से लोक अदालत के बाहर पक्षकारों द्वारा निकाले गए परिनिर्धारण पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए ।

(7) लोक अदालत कोई जमानत या पारस्परिक सहमति द्वारा द्वारा विवाह–विच्छेद मंजूर नहीं करेगी ।

(8) मूल अधिनिर्णय न्यायिक अभिलेख (मुकदमेबाजी पूर्व मामले में मूल अधिनिर्णय विधिक सेवा प्राधिकरण या संबद्ध समिति के पास रखा जा सकेगा) का भाग

गठित करेगा और अधिनिर्णय की एक प्रति यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्षकार को सम्यक् रूप से उनका सही होना प्रमाणित करते हुए निःशुल्क दी जाएगी और संबद्ध प्राधिकरण या समिति की शासकीय मुद्रा सभी अधिनिर्णयों पर लगी होगी ।

18. गोपनीयता-(1) लोक अदालत के सदस्य और पक्षकार लोक अदालत में कार्यवाहियों से संबंधित सभी विषयों को गोपनीय रखेंगे और लोक अदालत के सदस्यों को उसके सिवाय, जहां अधिनिर्णय के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक न हों, किसी न्यायालय के समक्ष लोक अदालत कार्यवाहियों में ऐसे विषयों को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा ।

(2) लोक अदालत के सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव और विवाद के संभव परिनिर्धारण की बाबत लोक अदालत में कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त मत और की गई चर्चाओं या किसी पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति या लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही के अनुक्रम में पक्षकारों के आचरण को अन्य न्यायालय या मध्यस्थ कार्यवाहियों में साक्ष्य में नहीं लाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) लोक अदालत के सदस्य किसी अन्य कार्यवाही में ऐसी रीति में किसी पक्षकार के कथन अभिलिखित नहीं करेंगे या पक्षकारों के किसी आचरण या कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे जो न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष ऐसे पक्षकार के प्रतिकूल हो ।

(4) यदि लोक अदालत का कोई सदस्य किसी गोपनीयता या नैतिक विषयों का अतिक्रमण करता है जो किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही के सदृश है तो ऐसा सदस्य लोक अदालत के सदस्यों के पैनल से हटाया जाएगा ।

19. लोक अदालत कार्यवाहियों की असफलता-यदि मुकद्मा-पूर्व मामले का निपटान लोक अदालत में नहीं होता है तो पक्षकारों को अन्य आनुकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों का अवलंब लेने या न्यायालय में जाने की सलाह दी जा सकेगी और उचित मामलों में उन्हें विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में भी सलाह दी जा सकेगी ।

20. परिणामों का संकलन-लोक अदालत के सत्र की समाप्ति पर यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, परिशिष्ट-2 में दिए गए प्रोफार्मा में राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की उपलब्धता के बारे में भी सलाह दी जा सकेगी।

21. लोक अदालत के सदस्यों के नामों का पैनल बनाए रखना–यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों में काम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का पैनल बनाए रखेगा।

22. अधिनियम की धारा 20 के अधीन निर्दिष्ट मामलों के अभिलेख या अन्यथा बनाए रखने की प्रक्रिया–(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, एक स्थायी रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें लोक अदालत के निर्देश के माध्यम से उसे प्राप्त सभी मामले या मुकद्मे पूर्व विषयों की प्रविष्टि निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए की जाएंगी :

(i) प्राप्ति की तारीख;

(ii) मामले या मुकद्मा–पूर्व विषय की प्रकृति;

(iii) अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों;

(iv) समझौता या परिनिर्धारण की तारीख और ऐसी रीति जिसमें मामले या विषय का अंतिम रूप से निपटान किया गया था; और

(v) मामले की फाइल की वापसी की तारीख ।

(2) अधिनिर्णय की प्रति, यदि पारित किया गया है, विनियम 17 में कथित रीति में सम्यक रूप से प्रमाणित, स्थायी अभिलेख के रूप में यथास्थिति प्राधिकरण या समिति के कार्यालय में रखी जाएगी ।

(3) मुकद्मा–पूर्व लोक अदालतों के अधिनिर्णयों के मूल के अलावा अभिलेखों को लोक अदालत द्वारा मामले के निपटान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् नष्ट किए जा सकेंगे ।

23. अधिवक्ताओं की उपस्थिति और लोक अदालतों के समक्ष मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–लोक अदालतों में पक्षकारों की ओर से अधिवक्ताओं की उपस्थिति को वर्जित नहीं किया जाएगा और पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा । अधिवक्ताओं को लोक अदालत के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान अपनी पोशाक और बैंड पहनने से बचने की सलाह दी जा सकेगी ।

24. विनियमों का लागू होना–उपरोक्त विनियम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों को समुचित परिवर्तनों सहित उसी रीति में लागू होंगे ।

यू. शरत चन्द्रन
सदस्य–सचिव

परिशिष्ट–1

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम .....

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन ..... प्राधिकरण / ..... समिति द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी :

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी :

..... न्यायालय / प्राधिकरण / समिति की कार्यवाही संख्या :

उपस्थिति :–

न्यायिक अधिकारी/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम :

सदस्यों का नाम : (1)

(2)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :

.....

.....

.....

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी ।

याची/वादी/परिवादी प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

न्यायिक अधिकारी सदस्य सदस्य

तारीख :

(प्राधिकरण/समिति की मुद्रा)

परिशिष्ट–2

प्रोफार्मा
लोक अदालत में मामलों का निपटान

स्थान :			तारीख :		
			निपटाए गए मामले की प्रकृति		
क्रम सं0	मामला संख्या	पक्षकारों के नाम	सिविल	दावे	आपराधिक
कुल					

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010

सं.एल/61/10/रा.वि.से.प्रा. - केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 है।

   (2) ये भारत में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों को लागू होंगे।

   (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) ''अधिनियम'' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है,

   (ख) ''प्रारूप'' से इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है,

   (ग) ''प्रबंध कार्यालय'' से विधिक सेवा संस्था में वह कक्ष अभिप्रेत है, जहां विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है।

   (घ) ''विधि व्यवसायी'' का वही अर्थ होगा, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (झ) में है,

   (ड) ''विधिक सेवा संस्था'' से, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है,

(च) ''पैरा विधिक'' स्वयंसेवक से विधिक सेवा संस्था द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित ''पैरा विधिक'' स्वयंसेवक अभिप्रेत है।

(छ) ''सचिव'' से विधिक सेवा संस्था का सचिव अभिप्रेत है।

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(झ) ''राज्य विनियम'' से अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन - (1) विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में अधिमानतः प्रारूप-1 में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) कोई आवेदक अपनी शिकायत, जिसके लिए वह विधिक सेवाओं को चाहता है, संक्षिप्त रूप में एक पृथक प्रपत्र में आवेदन के साथ दे सकेगा।

(3) किसी आवेदन, यद्यपि प्रारूप-1 में नहीं है, को भी ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक ने विधिक सेवाएं चाहने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए तथ्यों को युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट कर दिया है।

(4) यदि आवेदक निरक्षर है या वह स्वयं आवेदन देने में असमर्थ है, विधिक सेवा संस्था आवेदक के आवेदन प्रारूप को भरने में और शिकायतों का एक टिप्पण तैयार करने में उसकी सहायता करने की व्यवस्था कर सकेगा।

(5) विधिक सेवा के लिए मौखिक अनुरोध को भी उसी रीति में ग्रहण किया जा सकेगा, जिस रीति में कोई आवेदन उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन ग्रहण किया जाता है।

(6) पैरा विधिक स्वयं सेवकों, विधिक सहायता क्लबों, विधिक सहायता क्लिनिक्स और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा परामर्श प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए भी विचार में लिया जा सकेगा।

(7) आवेदक की पहचान का सत्यापन के पश्चात् और यह सुनिश्चित होने पर कि आवेदक/आवेदिका द्वारा की गई शिकायत उसकी स्वयं की है, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए ई-मेल और ऑन-लाइन सुविधा से संपर्क द्वारा प्राप्त अनुरोध को भी विचार में लिया जा सकेगा।

4. विधिक सेवा संस्था में प्रबंध कार्यालय का होना - (1) सभी विधिक सेवा संस्थाओं में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध पैनल वकील और एक या अधिक पैरा विधिक स्वयंसेवक के साथ प्रबंध कार्यालय होगा।

(2) न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं के मामले में, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा वकील उसे विनियम 7 के अधीन गठित समिति को अग्रेषित करेगा और अन्य प्रकार की विधिक सेवाओं के लिए पैनल का वकील प्रबंध कार्यालय में ऐसी विधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(3) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील सूचनाओं का प्रारूपण, वकीलों की सूचनाओं का उत्तर भेजना, और आवेदनों, अर्जियों आदि का प्रारूपण जैसी सेवाएं देगा।

(4) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के कर्मचारीवृंद से सचिवीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(5) अतिआवश्यक विषयों के मामले में प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के सदस्य सचिव या सचिव के परामर्श से समुचित प्रकृति की विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा।

परन्तु विनियम 7 के अधीन गठित की गई समिति प्रबंध कार्यालय में पैनल के वकील द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार और अनुमोदन कर सकेगी।

5. नि:शुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत-(1) आवेदक का एक शपथपत्र कि वह धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है, प्रस्तुत करेगा जो कि साधारणतया पर्याप्त होगा।

(2) शपथ-पत्र को, यथास्थिति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, राजपत्रित अधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा।

(3) शपथ-पत्र को सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुद्रा होगी।

6. आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्या और असत्य ब्यौरों का परिणाम- आवेदक द्वारा, यदि गलत या मिथ्या सूचना या कपटपूर्ण रीति द्वारा नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त की गई है तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसकी विधिक सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाएगा और विधिक सेवा संस्था द्वारा उस पर उपगत व्यय उससे वसूली योग्य होगा।

7. निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन - (1) तालुक, जिला, राज्य और उससे ऊपर के स्तर पर विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए विधिक सेवा संस्था द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी।

(2) समिति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अधयक्ष या अधयक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे -

(i) अध्यक्ष के रूप में विधिक सेवा संस्था के सदस्य-सचिव या सचिव और दो सदस्य जिसमें से एक न्यायिक अधिकारी हो सकेगा, जिसे अधिमानतः विधिक सेवा संस्था में कार्य करने का अनुभव हो,

(ii) यथास्थिति, एक विधिक वृत्तिक या सरकारी प्लीडर या सहायक सरकारी प्लीडर अथवा लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, जिसे कम से कम 15 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो ।

(3) समिति के सदस्यों की अवधि साधारणतया दो वर्ष की होगी, जिसे अधिकतम एक वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा और विधिक सेवा संस्था का सदस्य-सचिव या सचिव, तथापि, समिति का पदेन अध्यक्ष बना रहेगा।

(4) समिति आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करेगी तथा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यह विनिश्चय करेगी क्या आवेदक विधिक सेवाएं पाने का हकदार है या नहीं।

(5) यदि, आवेदक धारा 12 में वर्णित प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है, तो उसे स्वेच्छया या किसी अन्य स्कीम के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने वाले किसी अन्य निकाय या व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने के लिए परामर्श दिया जाएगा।

(6) विधिक सेवा संस्था ऐसे अभिकरणों, संस्थाओं या व्यक्तियों की सूची रखेगा, जिन्होंने निःशुल्क विधिक सेवाएं देने में अपनी रजामंदी व्यक्त की है।

(7) समिति के विनिश्चय या आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को अपील कर सकेगा या कर सकेगी और अपील पर किया गया विनिश्चय या आदेश अंतिम होगा।

8. वकीलों के पैनल के रूप में विधि व्यवसायियों का चयन - (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यवसायियों के नाम पैनलित करने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे आवेदनों के साथ मामलों के प्रकार के विशेष संदर्भ के साथ वृत्तिक अनुभव का सबूत लगा होगा, जिसे आवेदक-विधि व्यवसायी को मामला सौंपे जाने में अधिमानता दी जा सकेगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी और विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला न्यायवादी या सरकारी अधिवक्ता (जिला और तालुक स्तर के लिए) और अपने-अपने बार संगम के अधयक्षों से परामर्श करके वकीलों के पैनल का चयन किया जाएगा।

(3) ऐसा विधि व्यवसायी, जिसके पास विधिज्ञ का तीन वर्ष से कम का अनुभव है, का नाम साधारणतया पैनलित नहीं किया जाएगा।

(4) वकीलों का पैनल तैयार करने में ऐसे वकीलों की सक्षमता, निष्ठा, योग्यता और अनुभव को धयान में रखा जाएगा।

(5) विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे सिविल, दांडिक, संविधानिक विधि, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधि, वैवाहिक विवाद आदि के लिए पृथक पैनल रख सकेंगे।

(6) विधिक सेवा संस्था का अध्यक्ष, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से पैनल वकीलों में से प्रतिधारक के रूप में किए जाने वाले विधि व्यवसायियों की एक सूची तैयार कर सकेगा।

(7) प्रतिधारक वकीलों का चयन कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधार पर या कार्यकारी अधयक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा किया जाएगा।

(8) प्रतिधारक वकीलों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :-

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में 20

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में 15

(ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 10

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति में 5 ।

(9) प्रतिधारक वकीलों को निम्नलिखित मानदेय संदेय होगा :-

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में 10,000/- रूपए प्रतिमास,

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में 7,500/- रूपए प्रतिमास,

(ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की दशा में 5,000/- रूपए प्रतिमास,

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति की दशा में 3,000/- रूपए प्रतिमास,

परंतु इस उपविनियम में विनिर्दिष्ट मानदेय विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रतिधारक वकीलों को सौंपे गए प्रत्येक मामले में संदेय मानदेय या फीस के अतिरिक्त है।

(10) प्रतिधारक के रूप में पदाविहित पैनल वकील अपना समय केवल विधिक सहायता कार्य के लिए लगाएंगे और विधिक सहायता मामलों से संबंधित के लिए क्रमशः विधिक सेवा संस्था के प्रबंध कार्यालय या परामर्श कार्यालय में सदैव उपलब्ध होंगे।

(11) उपविनियम (2) के अधीन तैयार किया पैनल, तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनः गठित किया जाएगा, किंतु किसी पैनल वकील को पहले से ही सौंपे गए मामलों को पैनल के पुनः गठित होने के कारण उससे वापस नहीं लिया जाएगा।

(12) विधिक सेवा संस्था कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान प्रतिधारक से कोई मामला वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

(13) यदि कोई पैनल वकील किसी मामले से हटना चाहता है तो वह सदस्य-सचिव या सचिव को कारणों का उल्लेख करेगा और उसके पश्चात् पैनल वकील को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(14) इन विनियमों के अधीन जिस व्यक्ति को विधिक सेवा दी जा रही हो, से पैनल वकील किसी भी रीति में कोई फीस, या पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल नहीं मांगेगा या प्राप्त करेगा।

(15) यदि नियुक्त पैनल वकील संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या उसने अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कार्य किया है, तो विधिक सेवा संस्था समुचित कदम उठाएगी, जिसके अंतर्गत ऐसे वकील को मामले से हटाना और उसे पैनल से हटाना भी सम्मिलित है।

9. विधिक सलाह, परामर्श, प्रारूपण और हस्तांतर-लेखन के द्वारा विधिक सेवाएं -

(1) विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विधिक सलाह और अन्य विधिक सेवाएं जैसे प्रारूपण और हस्तांतर लेखन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ वकीलों, विधि फर्मों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और विधि विश्वविद्यालयों या विधि महाविद्यालयों में विधि प्राध्यापकों का एक पृथक पैनल रखेगा।

(2) विधि सहायता क्लिनिक की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और विधि महाविद्यालयों तथा विधि विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रयोग में ली जाएगी।

10. मॉनीटरी समिति - (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था न्यायालय आधारित प्रदत्त विधिक सेवाओं और विधिक सहायता मामलों की प्रगति की निकट से मॉनीटरी के मामलों के लिए एक मॉनीटरिंग समिति की स्थापना करेगी।

(2) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय स्तर पर, मॉनीटरी समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -

(i) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष,

(ii) विधि सेवा संस्था का सदस्य सचिव या सचिव,

(iii) विधिक सेवा संस्था के प्रमुख आश्रयदाता द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

(3) जिला या तालुक विधिक सेवा संस्था के लिए मॉनीटरी समिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(i) संबंधित जिला में तैनात उच्च न्यायिक सेवा का ज्येष्ठतम सदस्य, इसका अध्यक्ष होगा,

(ii) विधिक सेवा संस्था का सदस्य-सचिव या सचिव,

(iii) स्थानीय विधिज्ञ संगम के अध्यक्ष से परामर्श करके नामनिर्दिष्ट होने वाला विधि व्यवसायी जिसे स्थानीय विधिज्ञ संगम का पंद्रह वर्ष से अधिक का अनुभव हो,

परंतु यह कि यदि कार्यकारी अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि इस उप-विनियम में वर्णित किन्हीं प्रवर्गों का कोई व्यक्ति नहीं है तो वह ऐसे अन्य व्यक्तियों से मॉनीटरी समिति का गठन कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

11. मॉनीटरी समिति के कृत्य- (1) जब कभी किसी आवेदक को विधिक सेवाएं प्रदत्त की जाती है, तो सदस्य-सचिव या सचिव यथाशीघ्र मॉनीटरी समिति को प्रारूप-2 में ब्यौरे भेजेगा।

(2) विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति के अभिलेख के रखने के लिये मॉनीटरी समिति को पर्याप्त कर्मचारीवृंद और अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

(3) विधिक सेवा संस्था न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मामलों की प्रगति

सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों का अवलोकन करने के लिये निवेदन कर सकेगी।

(4) मॉनीटरी समिति उन मामलों की बाबत, जिनके लिये विधिक सहायता अनुज्ञात की गई है, की दिन-प्रतिदिन की प्रविष्टियों, मामले की प्रगति और अंतिम परिणाम (सफलता या असफलता) का अभिलेख रखने के लिये, विधिक सहायता प्राप्त मामलों के लिये रजिस्टर रखेगी तथा उक्त रजिस्टर की संवीक्षा प्रत्येक मास समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(5) मॉनीटरी समिति ऐसे समय के भीतर जो समिति द्वारा अवधारित किया जाए, पैनल के वकीलों से रिपोर्ट मंगाकर न्यायालय की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाहियों पर निगरानी रखेगी।

(6) यदि मामले की प्रगति संतोषप्रद नहीं है तो समिति विधिक सेवा संस्था को समुचित कदम उठाने के लिये सलाह दे सकेगी।

12. मॉनीटरी समिति द्वारा द्वि-मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना-

(1) मॉनीटरी समिति प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले की प्रगति और पैनल वकील या प्रतिधारक वकील के कार्य निष्पादन पर उसका स्वतंत्र मूल्यांकन अंतर्विष्ट करने वाली द्वि-मासिक रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(2) समिति द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात् विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्यवाही विनिश्चित करेगा।

(3) विधिक सेवा संस्था के सदस्य-सचिव या सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह मॉनीटरी समिति की रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करे और आदेश प्राप्त करे।

13. वित्तीय सहायता - (1) यदि किसी मामले में, जिसके लिये विधिक सहायता अनुदत्त की गई है, अतिरिक्त व्यय जैसे न्यायालय फीस के संदाय, न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन को संदेय फीस, साक्षियों या दस्तावेजों के समन के लिये, प्रमाणित प्रतियां आदि प्राप्त करने के लिये व्यय की अपेक्षा है तो विधिक सेवा संस्था पैनल के वकील या मॉनीटरी समिति की सलाह पर अपेक्षित रकम के संवितरण के लिये अति आवश्यक उपाय करेगी।

(2) अपील या पुनरीक्षण के मामले में, विधिक सेवा संस्था निर्णय और मामले के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिये व्ययों का वहन कर सकेगी।

14. पैनल के वकीलों को फीस का संदाय – (1) पैनल के वकीलों को राज्य विनियमों के अधीन यथा अनुमोदित, फीस की अनुसूची के अनुसार फीस का संदाय किया जाएगा।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता के मामलों में पैनल के वकीलों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये संदाय किये जाने वाले मानदेय का कालिक रूप से पुनरीक्षण करेंगे।

(3) जैसे ही पैनल के वकील से कार्यवाही के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है, विधिक सेवा संस्था, बिना किसी विलंब के, पैनल के वकील को संदेय फीस और व्ययों का संदाय करेगी।

15. समुचित मामलों में ज्येष्ठ वकीलों की विशेष नियुक्ति– (1) यदि मॉनीटरी समिति या विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष की यह राय है कि ज्येष्ठ वकील की सेवा, यद्यपि वह वकीलों के अनुमोदित पैनल में सम्मिलित नहीं है, किसी विशिष्ट मामले में प्रदत्त की जानी है, तो विधिक सेवा संस्था ऐसे ज्येष्ठ वकील को नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष ऐसे ज्येष्ठ वकील के लिए मानदेय का विनिश्चय कर सकेगा,

परन्तु ज्येष्ठ वकीलों की विशेष नियुक्ति, केवल व्यापक लोक महत्व के मामलों और अत्यंत गंभीर प्रकृति के, आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में बचाव के लिए ही की जाएगी।

16. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता के मामलों का मूल्यांकन – (1) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की मानीटरी समिति की द्वि-मासिक रिपोर्टों की प्रतियां केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगी।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी मानीटरी समितियों की द्वि-मासिक रिपोर्टों की प्रतियां अपने प्रमुख आश्रयदाता को प्रस्तुत करेगी।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति अपनी मानीटरी समिति की द्वि-मासिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मानीटरी समिति की समेकित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को, प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले में सफलता या असफलता दर्शित करते हुए केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगा।

(5) समुचित मामलों में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष इन विनियमों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा संस्था को पर्यवेक्षित करने, मानीटर करने या सलाह देने के लिए अपने केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्यों को नामनिर्देशित और प्राधिकृत कर सकेगा।

यू. शरतचन्दन,
सदस्य-सचिव
(विज्ञापन III/4/123/10/असा)

प्रारूप-1

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010
(विनियम-3 देखें)

विधिक सेवा के लिए आवेदन का प्रारूप
(इसे क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया जाए)

रजिस्ट्रीकरण संख्या-

1. नाम :
2. स्थायी पता :
3. टेलीफोन संख्या सहित, संपर्क का पता यदि कोई, ई-मेल, आईडी, यदि कोई हो :
4. क्या आवेदक अधिनियम की धारा 12 में वर्णित व्यक्ति के प्रवर्ग की श्रेणी में आता है :
5. आवेदक की मासिक आय :
6. क्या अधिनियम की धारा-12 के अधीन आय/अर्हता के समर्थन में शपथपत्र/सबूत प्रस्तुत किया गया है :
7. विधिक सहायता की प्रकृति या सलाह अपेक्षित है :
8. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवाएं अपेक्षित है :

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख -

प्रारूप–2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010

(विनियम–11 देखें)

प्रदत्त विधिक सेवा के बारे में मानीटरी समिति को दी गई सूचना

(i) विधिक सेवा संस्था का नाम :

(ii) विधिक सहायता आवेदन संख्यांक और वह तारीख जिसको विधिक सहायता दी गई :

(iii) विधिक सहायता आवेदक का नाम :

(iv) मामले की प्रकृति (सिविल, दांडिक, संवैधानिक विधि आदि) :

(v) आवेदक को समनुदेशित वकील का नाम और अनुक्रमांक :

(vi) उस उच्च न्यायालय का नाम जिसमें मामला फाइल किया जाना है/प्रतिवाद किया जाना है :

(vii) पैनल के वकील को नियुक्त करने की तारीख :

(viii) क्या अग्रिम के तौर पर कोई धनीय सहायता जैसे न्यायालय फीस, अधिवक्ता कमीशन ीस, प्रतिलिपि शुल्क आदि दी गई है :

(ix) क्या मामले में किसी अंतरिम आदेश या कमीशन की नियुक्ति की अपेक्षा है ? :

(x) अभिलेख प्रस्तुत करने, साक्षियों का समन करने आदि के लिए अनुमानित व्यय :

(xi) न्यायालय में कार्यवाही की समाप्ति के लिए अपेक्षित व्यय :

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2011
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011

फा.सं.एल./08/11/नालसा–केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधि नियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) ''अधिनियम'' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है,

(ख) ''जिला अविस केंद्र'' से तेरहवें वित्त आयोग की निधि से स्थापित जिला अनुकल्पित विवाद समाधान केंद्र अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसी अन्य समान सुविधाएं जैसे जिला स्तर पर न्याय सेवा सदन भी है,

(ग) ''विधिक सहायता क्लिनिक'' से परिक्षेत्र में लोगों को आधारीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह पराविधिक स्वयंसेवक या वकीलों की सहायता से ग्रामीणों को आधारीय विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित सुविधाएं अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले विधिक सहायता क्लिनिक भी हैं,

(घ) ''विधिक सेवा संस्था'' से यथास्थिति, कोई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।

(ड.) ''पैनल वकील'' से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधि सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पैनल वकील अभिप्रेत है,

(च) ''पराविधिक स्वयंसेवक'' से किसी विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रशिक्षित कोई पराविधिक स्वयंसेवक अभिप्रेत है,

(छ) ''पक्षीय वकील'' से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधि सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पक्षीय वकील अभिप्रेत है,

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं।

3. विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना – वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी ग्रामों में या ऐसे ग्रामों के आकार पर आधारित, विशेषतया जहां लोग विधिक सेवा संस्थानों तक पहुंच के लिए भौगोलिक, सामाजिक या अन्य अवरोध कर सामना करते हैं, अन्य ग्रामों के किसी समूहों के लिए विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना करेगा।

4. विधिक सहायता क्लिनिकों में नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्रता मानदंड – प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, विधिक सहायता क्लिनिकों से नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का पात्र होगा।

5. विधिक सहायता क्लिनिक का प्रबंध कार्मिक – (1) विनियम 3 के अधीन स्थापित प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्य समय के दौरान कम से कम दो पराविधिक स्वयंसेवक उपलब्ध रहेंगे।

(2) क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान या जिला विधिक सेवा प्राधि करण, विधिक सहायता क्लिनिकों में प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवकों को तैयार कर सकेंगे।

(3) जब विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों को तैनात किया जाता है, ऐसे क्लिनिकों में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वकीलों को अर्जी, आवेदन, अभिवचन और अन्य विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण में सहायता करें।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पराविधिक स्वयंसेवकों को उनके लंबी अवधि के

भविष्य के उत्थान के लिए विधि में डिप्लोमा या डिग्री के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा।

6. विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों की तैनाती - (1) क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला निकटतम विधिक सेवा संस्थान, विधिक सेवा क्लिनिक में अपने पैनल वकीलों या पक्षीय वकीलों को तैनात कर सकेगा।

(2) यदि मामले को किसी ऐसे वकील को सौंपा जाता है, जिसमें लंबी अवधि के दौरान उसके अनुर्तन और निरंतर धयान देने की अपेक्षा है तो उसी वकील को जिसे मामला सौंपा गया था, विधिक सेवाएं जारी करने के लिए न्यस्त किया जाएगा।

7. विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों द्वारा मिलने की आवृत्ति - स्थानीय अपेक्षाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधि सेवा संस्था विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों के मिलने की आवृत्ति विनिश्चत कर सकेगा और यदि निरंतर विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थितियों की मांग है तो ऐसी विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों के बारंबार मिलने की व्यवस्था पर विचार कर सकेंगें।

8. विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रबंध के लिए वकीलों का चयन -(1) विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के कौशल वाले पैनल वकील या पक्षीय वकील विधिक सहायता क्लिनिक में तैनाती के लिए विचार किए जाएंगे।

परंतु कम से कम तीन वर्ष से व्यवसाय करने वाली महिला वकीलों को वरीयता दी जाएगी।

9. विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाएं - (1) विधिक सहायता क्लिनिकों में दी जाने वाली विधिक सेवाएं विस्तृत प्रकृति की होंगी।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक असुविधाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता हेतु जब कभी आवश्यक हो, उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, एकल खिड़की प्रसुविधा के समान कार्य करेंगी।

(3) विधिक सलाह के साथ-साथ अन्य सेवाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) स्कीम के अधीन रोजगार कार्ड, विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए परिचय पत्र के लिए आवेदन करना जैसी अन्य सेवाएं, सरकारी कार्यालयों और लोक प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना, सामान्य व्यक्तियों की सहायता करना जो सरकारी पदधारियों, प्राधिकारियों और अन्य संस्थानों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्लिनिक में आते हैं, विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाओं का भी भाग होगा:

परन्तु विधिक सहायता क्लिनिक किसी समस्या पर आरंभिक सलाह द्वारा सलाह देकर, अभ्यावेदन और नोटिसों प्रारूपण में सहायता, विभिन्न सरकारी योजनाओं, लोक वितरण प्रणाली और अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अधीन उपलब्ध विभिन्न अभिलाभों के लिए प्ररूप भरने में सहायता प्रदान करेंगे :

परन्तु यह और कि समुचित मामलों में विधिक सहायता क्लिनिक में आवेदक द्वारा विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए और कार्यवाही करने के लिए विधिक सेवा संस्थाओं को प्रतिनिर्देश किया जाएगा।

10. विधिक सहायता क्लिनिकों में पराविधिक स्वयंसेवकों के कृत्य- (1) विधिक सहायता क्लिनिकों में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवकों विधिक सलाह चाहने वाले व्यक्तियों को आरंभिक सलाह ऐसे व्यक्तियों को जो विशेषतया निरक्षर हैं अर्जी, अभ्यावेदन या सूचनाओं के प्रारूपण में, सरकारी स्कीम के अधीन उपलब्ध विभिन्न लाभों के लिए आवेदन प्रारूपों को भरने में सहायता देंगे।

(2) पराविधिक स्वयंसेवक, यदि आवश्यक हो, विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के साथ सरकारी कार्यालयों में पदधारियों के साथ संपर्क करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए जाएंगे।

(3) यदि विधिक सहायता क्लिनिक पर किसी वकील की सेवाओं की आवश्यता है तो पराविधिक स्वयंसेवक बिना किसी विलंब के निकटतम विधिक सेवा संस्थान से किसी वकील की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संपर्क करेंगे।

(4) आपात दशा में पराविधिक स्वयंसेवक विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्ति को निकटतम विधिक सेवा संस्था ले जाएंगे।

(5) पराविधिक स्वयंसेवक विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों को विधिक शिक्षा और साक्षरता की सहायता में पुस्तिका और अन्य सामग्री वितरित करेंगे।

(6) पराविधिक स्वयंसेवक विधिक सहायता क्लिनिकों के स्थानीय क्षेत्र में विधिक सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता कैंपों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

11. विधिक सहायता क्लिनिक की अवस्थिति - (1) विधिक सहायता क्लिनिक ऐसे स्थानों पर अवस्थित होंगे जहां परिक्षेत्र के व्यक्ति सहजता से पहुंच सकें।

(2) विधिक सेवा संस्था स्थानीय निकाय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत से अनुरोध कर सकेंगे कि वह विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए कोई कक्ष उपलब्ध कराएं :

परन्तु यदि ऐसा कोई कक्ष उपलब्ध नहीं होता है, तब तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुकल्पित अवस्थान उपलब्ध होने तक किराए पर कक्ष उपलब्ध कराएगा।

12. विधिक सहायता क्लिनिक के लिए सुविधाजनक कक्ष प्राप्त करने में स्थानीय निकाय संस्थाओं की सहायता :- (1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ग्राम पंचायत, मंडल या ब्लाक पंचायत, नगरपालिका और निगम आदि जैसी स्थानीय निकाय संस्थाओं से अपेक्षा करेगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक के कार्यकरण के लिए स्थान उपलब्ध कराए।

(2) चूंकि विधिक सहायता क्लिनिक परिक्षेत्र में लोगों की प्रसुविधा के लिए होता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस आवश्यकता पर जोर दे सकेगा कि स्थानीय निकाय संस्था और प्रशासक विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण में सहयोग करें।

13. विधिक सहायता क्लिनिक के नाम को प्रदर्शित करने वाला साईन बोर्ड :- (1) अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में, एक साईन बोर्ड होगा, जिसमें विधिक सहायता क्लिनिक के नाम, कार्य घंटे और दिनों, जिनको विधिक सहायता क्लिनिक खुला रहेगा, उल्लेख होगा।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक के कार्य, घंटे राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था द्वारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विनियमित किए जाएंगे।

परन्तु परिक्षेत्र में लोगों की स्थानीय शर्तों और अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, विधिक सहायता क्लिनिक सभी रविवारों और अवकाश के दिनों को कार्य करेंगे।

14. विधिक सहायता क्लिनिक में अवसंरचना - (1) प्रत्येक सहायता क्लिनिक में कम से कम मूलभूत और आवश्यक फर्नीचर जैसे एक पेज और 5 से 6 कुर्सियां होंगी।

(2) यदि विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना किसी स्थानीय निकाय संस्थाओं के भवन में की जाती है तो ऐसे स्थानीय निकायों से अनुरोध किया जाएगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक में उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराएं।

(3) यदि विधिक सहायता क्लिनिक किसी किराए पर लिए गए परिसर में स्थापित किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिक में अपेक्षित फर्नीचर उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करने के लिए अपना भवन है तो अवसंरचनात्मक सुविधाएं ऐसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

15. प्रचार :- (1) स्थानीय निकाय संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिक सहायता क्लिनिक का पर्याप्त प्रचार करें।

(2) स्थानीय निकाय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में लोगों तक विधिक सहायता क्लिनिक की उपयोगिता के संदेश का प्रसार करें।

16. विधिक सहायता क्लिनिक में पराविधिक स्वयंसेवी या वकील विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे :- (1) विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवी या वकील विधिक सहायता क्लिनिकों में लाए गए व्यक्तियों के पूर्व मुकदमा विवादों का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

(2) यदि पराविधिक स्वयंसेवी या वकील यह महसूस करते हैं कि ऐसा विवाद अनुकल्पित विवाद समाधान तंत्रों के माधयम से सुलझाया जा सकता है तो वे ऐसे विवादों को राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था या जिला अनुकल्पित विवाद समाधान केंद्र को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

17. विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाएं प्रदान करने वाले वकीलों और पराविधिक स्वयंसेवियों के मानदेय :-

(1) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अधीन रहते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए वकीलों और पराविधिक स्वयंसेवियों का मानदेय नियत कर सकेगा :

परन्तु ऐसा मानदेय वकीलों के लिए कम से कम 500/- रूपए प्रतिदिन और पराविधिक स्वयंसेवियों के लिए 250/- रूपए प्रतिदिन होगा।

(2) उन मामलों में जहां विधिक सहायता क्लिनिक उन कठिन भू-भागों में और सुदूर स्थानों में जहां परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त हैं, स्थित हैं, वहां विशेष महत्व दिया जाएगा।

18. निकटतम विधिक सेवा संस्थानों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिकों में या अपने परिसरों के निकट लोक अदालतें आयोजित करना :- (1) राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली निकटतम विधिक सेवा संस्था या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिक में या उसके आसपास के क्षेत्र में पूर्व मुकदमा विवादों के लिए अदालतें आयोजित कर सकेगा।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक से भेजे गए विवादों के पूर्व मुकदमा निपटारे के लिए आयोजित लोक अदालतें धारा 20 की उपधारा (2) में विहित प्रक्रिया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के उपबंधों का भी अनुसरण करेंगे।

19. विधिक सहायता क्लिनिक का प्रशासनिक नियंत्रण - (1) विधिक सहायता क्लिनिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के संबंध में निदेश या मार्गदर्शी सि)ांत जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी।

20. अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव - (1) विधिक सहायता क्लिनिक में सेवा प्रदान करने वाले वकील और पराविधिक स्वयंसेवी विधिक सहायता क्लिनिक में रखे गए रजिस्टर में अपनी उपस्थिति अभिलिखित करेंगे।

(2) विधिक सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, ऐसे वकील या पराविधिक स्वयंसेवी का नाम जो विधिक सहायता क्लिनिक सेवाएं प्रदान करता है, प्रदान की गई सेवा की प्रकृति वकील या पराविधिक स्वयंसेवी की टिप्पणियां और विधिक सेवाओं की मांग करने वाले हस्ताक्षर को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में एक रजिस्टर होगा।

(3) विधिक सहायता क्लिनिकों के अभिलेख विधिक सहायता सेवा के अध्यक्ष या सचिव के अधीन होंगे, जिनकी उसके ऊपर राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है।

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अन्य रजिस्टर, जिनकी अपेक्षा की जाए, भी रखें।

(5) विधिक सहायता क्लिनिक में पराविधिक स्वयंसेवियों और वकीलों का यह कर्तव्य होगा कि वे जब कभी अपेक्षा की जाए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था को रजिस्टर सौंपे।

21. चल लोक अदालत यान का उपयोग - (1) विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील या पराविधिक स्वयंसेवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेंगे कि वे उनके द्वारा पहचान किए गए विवादों के निपटारे के लिए विधिक सहायता क्लिनिक लोक अदालत न्यायपीठ के सदस्यों सहित चल लोक अदालत वेन भेजें। लोक अदालत की प्रक्रियाओं को आयोजित करने हेतु सुविधाओं से युक्त मोबाईल लोक अदालत वेन का प्रयोग विधिक सहायता क्लिनिक या उसके पास या गांवों में मेला एवं अन्य त्यौहारिक अवसरों पर लोक अदालत आयोजित करने हेतु प्रयोग की जा सकती है।

22. विधि छात्रों द्वारा लीगल एण्ड क्लीनिक (विधिक सहायता क्लीनिक) का संचालन :-

उपरोक्त विनियम विधि महाविद्यालयों और विधि विश्व विद्यालयों द्वारा स्थापित लीगल एण्ड क्लीनिक्स के छात्रों को यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

परन्तु यह कि उपरोक्त विनियम अंतर्गत स्थापित लीगल एड क्लीनिक विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुज्ञा से उपयोग किया जा सकता है।

23. विधिक सहायता शिविरों हेतु विधि के छात्र किसी ग्राम को चुन/अपना सकते हैं :-

(1) विधि महाविद्यालयों या विधि विश्वविद्यालयों के विधि छात्रगण एक ग्राम को एडाप्ट कर सकते हैं, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और उपरोक्त विनियम के अंतर्गत स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक के सहयोग से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन कर सकते हैं ।

(2) विधि छात्र, पैरालीगल वालेन्टियर जो लीगल एड क्लीनिक से सम्बद्ध है, के सहयोग से स्थानीय लोगों की विधिक समस्याओं को चिन्हित करने हेतु सर्वे आयोजित कर सकते हैं।

(3) उपविनियम 2 में संदर्भित सर्वे में ऐसी सूचनाएं संकलित की जा सकती है, जो वर्तमान वादों से संबंधित है और न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व के असंकल्पित विवादों से भी संबंधित है।

(4) उपविनियम 2 में संदर्भित सर्वे द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं पर ध्यान डाला जा सकता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 4 (डी) द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय याचिकाओं के माधयम से आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होगा।

(5) ऐसे सर्वेक्षण आयोजित करने वाले विधिक छात्र अपने प्रतिवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे और प्रतियां क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली संस्था को साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करेंगे।

24. विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से संबद्ध विधिक सहायता क्लीनिक्स -

(1) विधि महाविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं लीगल एड क्लीनिक की स्थापना क्लीनिकल विधिक शिक्षा के भाग के रूप में धारा 4 के खण्ड (के) में परिकल्पित अनुसार स्थापित कर सकते हैं ।

(2) ऐसी विधिक सहायता क्लीनिक को स्थापित करने वाले विधि महाविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाएं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसी स्थापना के संबंध में सूचित करेंगे।

(3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी विधिक सहायता क्लीनिक के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे और ऐसी विधिक सहायता क्लीनिक के कार्यकलापों को आगे बढ़ने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।

(4) अंतिम वर्ष की कक्षाओं के छात्र अपनी संस्था के संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सहायता प्रदान कर सकेंगे।

(5) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन लोगों की जो ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सहायता की मांग करते हैं, जिनकी समस्या का समाधान करने के लिए अनुकल्पित विवाद समाधान शिविर जिनके अंतर्गत लोक अदालतें भी हैं, आयोजित कर सकेंगी।

(6) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे छात्रों को प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा, जो ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में अपने समनुदेषन को पूरा करते हैं।

25. विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवियों की सेवाएं विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित विधिक सहायता क्लिनिकों में उपलब्ध कराई जाएं - प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवी नि:शुल्क विधिक सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने वाले और संकाय के सदस्यों और छात्रों के साथ अन्योनक्रिया करने के लिए नियम 24 के अधीन स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों में तैनात किए जाएं।

26. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के आवधिक पुनर्विलोकन संचालित करना - (1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, से उनकी अधिकारिता में कार्यरत विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण पर मासिक रिपोर्ट एकत्रित करेगा।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तीन मास में कम से कम एक बार या अधिक बारंबार ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन संचालित करेगा ।

(3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाओं का सुधार करने के लिए समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा कि समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को दक्ष रीति में विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी अधिकारिता के भीतर विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के बारे में त्रिमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा।

यू. शरतचंदन,
सदस्य सचिव

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं : राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति, 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या के लगभग 8 प्रतिशत लोग, जो संख्या में लगभग 104 मिलियन हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यह विश्व के वरिष्ठ नागरिकों की कुल जनसंख्या का 1/8वां हिस्सा है। वे असंख्य सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। समाज के कमाने वाले सदस्यों के प्रवास कर जाने के साथ ही बुजुर्ग लोग अपने खुद के भरोसे रहे जाते हैं। बुजुर्गों के सतत उत्पीड़न, अर्थात् परिवार के सदस्यों और समाज के सदस्यों द्वारा शारीरिक, भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने, का भी प्रमाण मौजूद है।

योजना के उद्देश्य : मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सहायता, सलाह, परामर्श को सुदृढ़ करना, उन्हें विभिन्न विधिक प्रावधानों के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, उनके लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित करना और पुलिस, स्वास्थ्य देखभाल प्राधिकरणों एवं जिला प्रशासन आदि के साथ सहयोग करके तुरंत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं एवं शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए तरीके खोजना है।?

कार्य योजना : इस योजना में विधिक सेवा क्लिनिकों और पैरा लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों तक पहुँच बनाने की परिकल्पना की गई है जो समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों एवं पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक एवं अन्य प्राधिकरणों के साथ-साथ विधिक सेवा संस्थाओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेंगे। विधिक सेवा संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों की सभी मौजूदा योजनाओं, नीतियों आदि का एक डाटाबेस बनाएंगी और उस जानकारी का बुकलेटों, पैम्फलेटों, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये प्रसार करेंगे। वे वृद्धाश्रमों का भी दौरा करेंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। वे वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों की स्थापना को बढ़ावा देंगे और सुसाध्य बनाएंगे ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सामुदायिक समर्थन मिल सके और उनकी दूसरों पर निर्भरता कम हो सके।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं : एसिड हमले हिंसा का सर्वाधिक घातक स्वरूप है और ये अधिकांशत: महिलाओं के ऊपर होते हैं। ये हमले प्राय: विवाह के प्रस्ताव अथवा यौन प्रस्तावों से इन्कार करने के परिणामस्वरूप होते हैं। दहेज, सम्पत्ति, जमीन और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों के परिणामस्वरूप भी एसिड हमले किए जा सकते हैं। समस्या के स्वरूप और इसकी बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, हाल ही में विभिन्न कानूनी एवं न्यायिक पहले की गई है। इनमें कठोर दंड, एसिड की बिक्री पर कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध और ऐसे हमलों के पीड़ितों को राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने हेतु प्रावधान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 326ए और 326बी जोड़ा जाना शामिल है।

योजना के उद्देश्य : इस योजना के मुख्य उद्देश्य है एसिड हमले के पीड़ितों की पात्रताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रसार करना तथा विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं सरकारी योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधाओं, पुनर्वास सेवाओं, पर्याप्त क्षतिपूर्ति एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान करना।

कार्य योजना : जले हुए के उपचार की सुविधा वाले अस्पतालों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये क्लिनिक पीड़ितों और उनके संबंधियों के साथ उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सर्वसंभव मदद सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से संपर्क करते रहेंगे। पीड़ितों एवं उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श, पुनर्वास सेवाएं और सक्रिय समर्थन एवं सहायता की व्यवस्था पैरा लीगल वॉलंटियर करेंगे। विधिक सेवा संस्थाएं पीड़ितों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रदान की जाने वाली तत्काल एवं पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करेगी। पीड़ितों को उनके आपराधिक मामलों पर कार्रवाई के लिए नि:शुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रायल के दौरान उनके साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015

तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं : व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी करना एक संगठित अपराध है और हथियारों तथा नशीले पदार्थों के बाद सर्वाधिक लाभप्रद व्यापार या व्यवसाय माना जाता है। अधिकांशतः मासूम महिलाएं और बच्चे, यहां तक कि नौ साल तक के, उनके परिचितों द्वारा, जिनमें उनके परिवार भी शामिल है, इस धंधे में धकेल दिए जाते हैं। एक बार इस व्यापार में आ जाने के बाद, पीड़ित के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और उसे हिंसा, दुरूपयोग और शोषण के माहौल में जीना पड़ता है।

उद्देश्य : इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य तस्करी और यौन शोषण के विरूद्ध विधिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना अपनी व्यापक परिधि में बच्चों, किशोरियों और हर उम्र की महिलाओं को शामिल करती है। इस योजना की मंशा तस्करी के पीड़ितों और स्वैच्छिक यौन-कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास सुनिश्चित करते हुए इन व्यक्तियों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक कार्य योजना बनाना है।

कार्य योजना : यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के सभी कानूनों, नीतियों और योजनाओं के लाभ शोषित व्यक्तियों तक पहुँचे और बुनियादी स्तर पर रोकथाम और पुनर्वास के प्रभावी उपाय किए जाएं, राज्य सरकार/गैर-सरकारी एजेंसियों और संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना। विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय समूहों को, अपने हकों की मांग करने और प्राप्त करने के मद्देनजर, उन्हें जागरूक बनाएंगे। प्राधिकरण सभी पणधारियों, जिनमें कानून लागू करने और उन्हें न्याय देने वाला तंत्र शामिल हैं, के क्षमता-निर्माण हेतु कार्य करेंगे ताकि तस्करी और यौन-शोषण की पीड़ित महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढग से कार्रवाई की जा सके।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विधिक सेवाएं : भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (2007 -08) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (2009-2010) के अनुसार, असंगठित क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है और भारत के कार्यबल का लगभग 95 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पारित किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संशोधित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवा योजना, 2015 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधि करणों और तालुका विधिक सेवा समितियों को यह दायित्व सौंपती है कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाएं और इस अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करें।

उद्देश्य और कार्य योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके लाभार्थ बनाए गए कानूनों और योजनाओं के अंतर्गत उनके हकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अनिवार्य विधिक सेवाओं को एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करके संस्थागत बनाना है। यह विशेष प्रकोष्ठ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच मौजूदा कानूनों एवं योजनाओं के तहत उनकी पात्रताओं के बारे में जानकारी देगा और कामगारों को कल्याण कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण करवाने तथा उनके लाभार्थ बनाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह योजना असंगठित क्षेत्र में नियोजित वंचित एवं असहाय कामगारों के लिए न्याय को सुलभ बनाएगी।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों के लिए बाल–सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015

बच्चों के लिए विधिक सेवाएं : भारत की जनसंख्या का लगभग 46 प्रतिशत बच्चे हैं। नाजुक उम्र और जीवन के फेरो से अनुभवहीन होने के कारण वे सर्वाधिक चपेट में आने वाले समूह हैं। इस कारण से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में बच्चों को नि:शुल्क विधिक सेवाओं के पात्र व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। बच्चों के साथ, यहां तक कि उनके मामले में कानून के साथ विवाद की स्थिति होने पर भी, अलग प्रकार का व्यवहार किया जाना होता है। बाल विवाह, बाल श्रम और उनके विरूद्ध अन्य अत्याचार जैसी सामाजिक सामाजिक बुराइयां अब भी मौजूद हैं। जब तक कि न्याय प्रदाताओं तक बच्चों की पहुँच नहीं हो जाती, बच्चों की न्याय संबंधी जरूरतें उपेक्षित और अधूरी रहेगी।

उद्देश्य : बच्चों के लिए बाल–सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण योजना, 2015 के माध्यम से, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों की न्याय तक पहुँच में सुधार करने का लक्ष्य बनाया है। इस योजना का मुख्य प्रयोजन बच्चों के पक्ष में मौजूद कानूनों और नीतियों के उचित कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाना और कानूनों के साथ विवाद की स्थिति में आने वाले और देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को प्रभावी विधिक सहायता सुनिश्चित करना है।

कार्य योजना : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार बनाया गया है।

बाल सुलभ न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उनके संरक्षण हेतु अधिनियमित कानून के तहत बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को विधिक प्रशिक्षण और प्रबोधन प्रदान किया जाना है। सभी किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाने हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रतिबद्ध वकीलों का अलग से एक पैनल बनाना है। सभी स्कूलों में विधिक सेवा क्लब स्थापित किए जाने हैं। अंत में, इस योजना के तहत, बच्चों के अधिकारों के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं निःशक्त व्यक्ति) योजना, 2015

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को कलंकित न समझा जाए और वे कानून द्वारा उनकी पात्रता और आश्वस्ति के सभी अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हो। जहां तक मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी एक्ट) की धारा 2 के तहत नि:शक्तजन के रूप में माना जाएगा। इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति भी इस अधिनियम के तहत लाभों को प्राप्त करें और ऐसा करने के लिए यथाअपेक्षित उपचारी कार्रवाई की जाए।

विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका : इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा पूर्ण और समान मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का संवर्धन, संरक्षण और सुनिश्चय करना होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के अंतर्निहित प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को सुविधा-केंद्र के भीतर ही उनके अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों और मनश्चिकित्सा गृहों में विधिक सेवा क्लिनिक खोलने की जरूरत है। विधिक सेवा क्लिनिकों को भर्ती होकर उपचार करा रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों के साथ बात करनी होगी ताकि वे यह समझ सकें कि कोई संपत्ति और भरण-पोषण संबंधी मुद्दे तो नहीं हैं और उचित राहत के लिए कोर्ट में जा सकें। विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने के राज्य अथवा जिले में मानसिक स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों का निरीक्षण करें कि भर्ती लोगों के लिए रहने की दशाएं सुरक्षित और रहने योग्य हों और कोई भी इलाज करा चुका मरीज सुविधा-केंद्र में रहे।

कार्य योजना : इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। वे चिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार करें। रोगियों और चिकित्सकों के साथ सतत रूप से बात करते रहने के लिए सभी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा -केंद्रों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे ताकि रोगी सम्मान के साथ ठहर सकें और उपचार करा सकें तथा आवश्यकता होने पर वे कोर्ट में उपस्थित हो सकें।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की योजनाएँ) योजना, 2015

पृष्ठभूमि : गरीबी एक बहु-आयामी अनुभव है जिसमें स्वास्थ्य, आवास, पोषण, रोजगार, मातृत्व देखभाल, बाल मृत्यु, जल, शिक्षा, सफाई और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच शामिल हैं। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के मुद्दे भी हैं। धन के मामले में आय इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं है। विभिन्न असहाय और वंचित वर्ग असंख्य और निराले तरीकों के गरीबी के अनुभवों से गुजरते हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आशयित लाभार्थी शिक्षा के अभाव, सामाजिक संरचनाआं, आर्थिक वंचन, शोषण, सांस्कृतिक मानदंडों एवं विभेदों आदि के कारण उनके लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

योजना के उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सभी स्तरों पर विधिक सहायता एवं समर्थन को सुदृढ़ कर सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत बुनियादी अधिकारों एवं लाभों तक पहुँच को सुनिश्चित करना है।

कार्य योजना : इस योजना में गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान करने तथा विधिक सेवा क्लिनिकों, जागरूकता कार्यक्रमों, पैनल वकीलों, पैरा लीगल वॉलंटियरों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार के जरिये उन तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कार्यतंत्र निर्धारित किया गया है।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन) योजना, 2015

जनजातियों के लिए विधिक सेवाएं : 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियां भारत की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है। भारत में जनजातीय जनसंख्या अपने परंपरागत रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार चलती है। वे अत्यधिक असहाय हैं क्योंकि वे अभी तक मुख्यधारा की संस्कृति में शामिल नहीं हुए हैं जबकि विकास की जरूरत और दबाव में उनकी बस्तियां लुप्त हो गई हैं और उनके अधिकारों का हनन हो गया है। हर बार जब किसी वन क्षेत्र को किसी विकास कार्यकलाप के लिए खाली किया गया, उन्हें वहां से हटाया गया, परंतु किसी अन्य सांस्कृतिक माहौल में उनके लिए समायोजित हो पाना अत्यधिक कठिन होता है। जनजातियों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं, जो उन तक नहीं पहुँच रही हैं, और उनके बीच भी सदैव एक गहरी खाई होती है। कई बार, जनजातियों का कानून के साथ विवाद होता है और वे बुरी तरह प्रभावित होते हैं क्योंकि न तो औपचारित न्याय व्यवस्था उन्हें समझती है और न ही वे न्याय व्यवस्था को समझते हैं।

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य भारत में जनजातीय लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना है जिसमें अधिकारों, लाभों, कानूनी सहायता और अन्य विधिक सेवाएं शामिल हैं, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय के संवैधानिक आश्वासन का सार्थक रूप से अनुभव कर सकें।

विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका और कार्य योजना : अनुसूचित जनजातियों का सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत विधिक सहायता के हकदार हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनजातियों तक पहुँचने की आवश्यकता है ताकि वे न्याय के समान अवसर प्राप्त कर सकें। इस योजना में उन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है जिनमें विधिक सेवा प्राधिकरण जनजातियों के लिए मददगार हो सकते हैं जैसे, उनके लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। विधिक सेवा प्राधिकरणों को पैरा-लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से उनकी भाषा बोलते हुए सक्रिय रूप से जनजातियों तक पहुँचना होगा। इससे जनजातियों को परेशान करने वाले मुद्दों और विधिक सेवाओं द्वारा अनिवार्यतः प्रदान किए जाने वाले उपचारों के स्वरूप को समझने में बेहतर मदद मिलेगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनजातियों के बीच उन्हें संविधान द्वारा आश्वस्त विभिन्न अधिकारों, विभिन्न कानूनों के तहत उनके लिए उपलब्ध अधिकारों, उनके अधिकारों के हनन के मामले में उनके लिए उपलब्ध राहतों, जब कभी ऐसे हनन हों तब विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सहायता और अंत में उनके लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं उन्हें प्राप्त करने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशे के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं नशे के कलंक का निवारण) योजना, 2015

पृष्ठभूमि : नशीले पदार्थों की तस्करी आज दुनिया में सर्वाधिक भयंकर अपराधों में से एक है। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच अपनी अवस्थिति के कारण भारत नशीले पदार्थों की तस्करी की चपेट में आने की उच्च संभावना वाला देश है। इसके प्रभाव कष्टकारक हैं। कहा जाता है कि लगभग 7 करोड़ लोग नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं। उनमें से 17 प्रतिशत इसके आदी हैं। नशीले पदार्थों का पहली बार सेवन करने की आयु 9 साल तक आ गई है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान, समाज की मजबूती और देश की अर्थव्यवस्था पर भयानक प्रभाव पड़ते हैं।

उद्देश्य : इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों और पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों, सरकारी योजनाओं, नीतियों आदि के संबंध में सभी पणधारियों के बीच जागरूकता फैलाना, सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर तस्करी को रोकने और प्रभावी नशा-मुक्ति एवं पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना।

कार्य योजना : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने प्रत्येक जिले में विशेष इकाइयां स्थापित की हैं जिनमें जिला सचिव नोडल अधिकारी हैं और जो पीड़ितों के नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और पुनर्वास के लिए सभी मौजूदा नीतियों, योजनाओं आदि का एक डाटाबेस बनाएंगे और उसे स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थाओं, बेघर बच्चों, जेलों, यौन कर्मियों, कैमिस्टों, खेती करने वालों, नशे के पीड़ितों और उनके परिवारों आदि जैसे सभी पणधारियों को उपलब्ध करायेंगे। वे यह सुनिश्चित करने के लिए नशा-मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे कि नशे के पीड़ितों के साथ उचित और सम्मानजनक बर्ताव किया जाए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नशे के सेवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता और विशेष रूप से छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाओं की योजना

आपदा के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं : आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव-जनित, प्राय: पीड़ितों को अचानक चपेट में लेती हैं और वे जान-माल, घर और सम्पत्ति के नुकसान की त्रासद स्थितियां झेलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों आपदा को कम करने के उपाय करते हैं परंतु कई बार विभिन्न कारणों से इनके लाभ पीड़ितों तक नहीं पहुँच पाते। आपदा के पीड़ित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12(ई) के तहत नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं।

योजना के उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकट की अवधियों को कम करने, शीघ्र सुधार और विकास हेतु प्रावधान करने एवं विधिक प्रावधानों और सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने में उन्हें नि:शुल्क विधिक सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना है।

कार्य योजना : इस योजना में सभी जिलों में एक कोर ग्रुप की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिसमें एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, एक युवा वकील, चिकित्सा कार्मिक और गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे जो जब भी और जहां भी कोई प्राकृतिक अथवा मानव-जनित आपदा आती है तब तुरंत कार्रवाई करेंगे। कोर ग्रुप राहत सामग्रियों के वितरण, अस्थायी शरणस्थलियों एवं पुनर्वास उपायों के पर्यवेक्षण हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ-साथ अलग-अलग सरकारी विभागों एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण बीमा दावों, बैंक ऋण आदि को प्राप्त करने हेतु, गुम हुए दस्तावेजों को पुन: बनवाने में पीड़ितों की सहायता करेंगे।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
सम्पूर्णा बेहरूआ बनाम भारत गणराज्य एवं अन्य
रीट पीटीशन नं0 (सी) 473/2005 में 19.8.2011
को पारित आदेश के अनुपालन हेतु किशोर न्याय बोर्ड में स्थापित
विधिक सहायता केन्द्र के संबंध में

1. जब पुलिस के द्वारा किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब बोर्ड को विधिक सहायता अधिवक्ता बुलाना चाहिए और उस किशोर/उसके माता–पिता का परिचय उक्त अधिवक्ता से कराना चाहिए। किशोर तथा उसके परिवार के सदस्य/माता–पिता को यह बताना चाहिए कि मुफ्त कानूनी सहायता के रूप में अधिवक्ता पाना उनका हक है और इस वास्ते उन्हें कोई भी फीस किसी को देने की जरूरत नहीं है।

2. किशोर न्याय बोर्ड को विधिक सहायता अधिवक्ता को किशोर के साथ/उसके माता–पिता के साथ बातचीत का समय देना चाहिए तथा उसके पश्चात सुनवाई करनी चाहिए।

3. किशोर न्याय बोर्ड को अपने आदेश में यह वर्णित करना चाहिए कि विधिक सहायता अधिवक्ता को दिया गया है तथा विधिक सहायता अधिवक्ता सुनवाई में उपस्थित रहे इसका भी वर्णन करना चाहिए।

4. बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालक तथा उसके माता–पिता को पर्याप्त समय मिले ताकि वह विधिक सहायता अधिवक्ता से घुलमिल सकें और केस के बारे में विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय मिले एवं इसके पश्चात ही सुनवाई करना चाहिए।

5. किशोर न्याय बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी किशोर बिना विधिक सहायता अधिवक्ता प्राप्त किए न रहे।

6. किशोर न्याय बोर्ड को प्रत्येक माह के अंत में विधिक सहायता अधिवक्ता को उपस्थिति का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए तथा उनके द्वारा कार्य निष्पादन प्रतिवेदन की जांच भी करनी चाहिए।

7. विधिक सहायता अधिवक्ता के द्वारा चूक अथवा गलत आचरण होने पर बोर्ड को तत्क्षण राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करना चाहिए तथा सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए।

8. किशोर न्याय बोर्ड तथा विधिक सहायता अधिवक्ता को आपसी समझ-बूझ की भावना से कार्य करना चाहिए तथा एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। इससे काफी परिवर्तन हो सकता है।

9. विधिक सहायता अधिवक्ता को किशोर न्याय संबंधी प्रावधानों की अच्छी जानकारी रखनी चाहिए तथा इस वास्ते आयोजित की जाने वाली कार्यशाला/प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना चाहिए।

10. विधिक सहायता अधिवक्ता को प्रत्येक केस की तिथि नियमित रूप से दर्ज करने के लिए केन्द्र पर एक डायरी रखनी चाहिए।

11. विधिक सहायता अधिवक्ता के छुट्टी पर जाने अथवा किसी दिन बोर्ड नहीं आने की स्थिति में, उक्त अधिवक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके जगह पर साथी विधिक सहायता अधिवक्ता उस केस को देखेंगे और समय पर उपस्थित होंगे।

12. विधिक सहायता अधिवक्ता को परोपकार की भावना से विधिक सहायता कार्य नहीं लेना चाहिए बल्कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए।

13. विधिक सहायता अधिवक्ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मासिक बैठक में अपनी चिंताओं, समस्याओं तथा मुद्दों को उठाना चाहिए।

14. विधिक सहायता अधिवक्ता को अपने पास के हर केस का अलग से फाइल मेंटेन करना चाहिए तथा प्रत्येक तिथि की प्रविष्टि करनी चाहिए।

15. विधिक सहायता अधिवक्ता को अपने केस के पुकार किए जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि उसे तत्परता से आगे बढ़कर केस को करना चाहिए और इस वास्ते बोर्ड आए किशोर के परिवार के सदस्यों के पास जाना चाहिए।

16. विधिक सहायता अधिवक्ता को बच्चों/उनके परिवार के सदस्यों के मन में विश्वास तथा भरोसा जगाना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ संभव विधिक सहायता उन्हें प्रदान की जा रही है तथा सर्वश्रेष्ठ संभव मदद दी जायेगी।

17. विधिक सहायता अधिवक्ता को विधिक सहायता पैनल में शामिल होने की शर्तों का हर हालत में पालन करना चाहिए।

18. विधिक सहायता अधिवक्ता को प्रत्येक माह में किए गए कार्यों का रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को अगले महीने के प्रथम सप्ताह में जांच के लिए प्रस्तुत करना चाहिए तथा उपस्थिति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित प्राधिकार के पास भुगतान हेतु प्रस्तुत करना चाहिए।

19. विधिक सहायता अधिवक्ता को निश्चित रूप से अपने मुवक्किल को यह बताना

चाहिए कि केस की अगली तारीख क्या है ? उसे अपना मोबाईल/फोन नम्बर भी उस मुवक्किल को देना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह संपर्क कर सके।

सदस्य सचिव
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

❑❑❑

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : बिंदुल बाला
चतरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार

चतरा जिले की पारा विधिक श्रीमती बिंदुल बाला अपने अभियान के तहत आरती देवी से मिलीं जिनके दोनों पैर उसके पति ने तोड़ दिए थे तथा इसके बच्चे की हत्या कर दी थी। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आरती देवी टूट चुकी थी। उन्हें अपना और अपने दूसरे बच्चे का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बिंदुल बाला ने विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से आरती देवी के लिए आवेदन तैयार किया तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़कर उन्हें इंदिरा आवास दिलाया तथा पेंशन दिलाया। पीड़ित मुआवजा के रूप में उसे दो लाख रूपया भी मिला। ऐसे लोग सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पारा विधिक के रूप में काम कर रहे हैं इन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए गौरवान्वित करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

नामित किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा–निर्देश

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सम्पूर्णा बेहरूआ बनाम भारत गणराज्य एवं अन्य रीट पीटीशन नं0 (सी) 473/2005 में पारित 12.10.2011 के आदेश के अनुरूप तैयार किया गया

1. यह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि नामित किशोर/ बाल कल्याण पदाधिकारी, जो पुलिस थाना से संबद्ध हैं तथा विशेष किशोर ईकाई के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सभी संभव सहायता/मार्गदर्शन तथा निर्देश देंगे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निगरानी तथा देखरेख करेंगे।

2. **राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका**

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकारों से वैसे दो/तीन अधिवक्ताओं के पहचान करने का आग्रह करेगी जिनकी रूचि बाल अधिकार संरक्षण में है इन अधिवक्ताओं का पहचान रिसोर्स पर्सन के रूप में किया जाएगा। इन्हें राज्य स्तरीय टीओटी (प्रशिक्षकों के वास्ते प्रशिक्षण) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकार करेगा।

(क) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करके यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष किशोर पुलिस ईकाई तथा किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी की भूमिका, जवाबदेही तथा कर्तव्यों के संबंध में स्थायी आदेश निर्गत किया जाए। यह स्थायी आदेश किशोर न्याय अधिनियम, 2000, किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2007 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शीला बरसे बनाम भारत गणराज्य (1986 SCALE (2) 230) : (1987) 3 SC 50 : AIR 1987 SC 656 के अनुरूप। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार इस स्थायी अनुदेश के ड्राफ्टिंग में मदद प्रदान करेंगे तथा इसका अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया जाना तथा सभी पुलिस थानाओं में इसे भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एक महीने के अन्दर सभी आवश्यक कदम उठायेंगे और किताबों तथा फिल्मों को उपलब्ध कर उसका वितरण करेंगे और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास करेंगे।

(ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समीक्षा तथा

मूल्यांकन करेंगे तथा जब ज्योंहि जरूरत पड़े तब प्रशिक्षण कार्यक्रम को संशोधित तथा समुन्नत करेंगे।

(घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को प्रत्येक छः महीने में एक बार पुलिस पदाधिकारी, किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी तथा विशेष किशोर पुलिस ईकाई के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश देंगे।

(ङ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार किशोर न्याय नियमावली में विहित सभी प्रारूपों के सेट का एक संग्रह बनायेंगे जो सीएनसीपी (बालक जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है) तथा सीसीएल (बालक जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन हुआ है) के मामलों को देखने वाली पुलिस की मदद के लिए होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार इस संग्रह को जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारियों में वितरण करने के लिए भेजेगी। इन प्रारूपों को स्थानीय भाषा में अनुवाद स्वागत योग्य है।

(च) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एक निर्देशिका तैयार करेगी जिसमें किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के सदस्यों, सम्प्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष किशोर पुलिस ईकाई तथा किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी के नाम, पता तथा टेलीफोन नम्बर होगा। इस निर्देशिका का समय-समय पर संशोधन किया जाएगा ताकि अद्यतन स्थिति बनी रहे। इस निर्देशिका को प्रत्येक पुलिस थाने में रखा जाएगा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल पदाधिकारियों को ही दिया जाएगा।

(छ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि पूरे राज्य में एकसमान पाठ्यक्रम का पालन किया जाए।

3. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका

(क) जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशोर न्याय संबंधी मामलों में अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं का पहचान करेगी तथा उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बाल मनोविज्ञान तथा बाल मनोचिकित्सा के विशेषज्ञों को भी रिसोर्स पर्सन के रूप में शामिल करेगी।

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष किसी भी तरह की कठिनाई में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षण के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उपरोक्त प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार उसका मुद्रण करायेगी।

(ङ) प्रमाण पत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मुहर के साथ इसके सचिव एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर भी होगा।

(च) जिला विधिक सेवा प्राधिकार नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एक दिन या इससे अधिक हो सकती है जो भी उचित या व्यवहारिक हो। रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया जा सकता है अगर नया कानून आता है या कानून में कोई परिवर्तन होता है तो।

4. **सामान्य दिशा-निर्देश**

(क) जिला परिवीक्षा पदाधिकारी को भी इन प्रशिक्षणों में बुलाया जाएगा ताकि प्रभावी समन्वय पुलिस और परिवीक्षा पदाधिकारी के बीच स्थापित किया जा सके।

(ख) प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री, निर्देशिका, जरूरत के प्रारूप तथा करने तथा न करने योग्य बातों की सूची दी जाएगी।

(ग) जिला के क्षेत्रफल के अनुसार, प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक सत्र में अधिकतम 20 प्रशिक्षु होंगे। उचित परिस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के विवेक पर इसमें छूट दी जा सकती है।

(घ) विशेष जरूरत पड़ने पर, कोई अतिरिक्त विषय भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से परामर्श कर प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा।

(ङ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों को प्राप्त कराये गये फिल्म ''एक था बचपन'' को सभी प्रशिक्षुओं को दिखाया जाएगा। यूनिसेफ तथा अन्य संगठनों द्वारा बाल अधिकार, बाल समस्या, बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों इत्यादि पर बने फिल्मों को भी प्रशिक्षण कक्षाओं में दिखाया जाएगा। कोई भी फिल्म अथवा दृश्य-श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से अनुमति लेकर ही प्रशिक्षण में किया जाएगा।

(च) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय सीमा वाले आदेश का अनुपालन करेंगे। ज्ञात रहे कि प्रशिक्षण तथा ओरिएन्टेशन फेज वाइज छः महीने से एक साल के अंदर सभी राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक है।

(छ) प्रशिक्षुओं को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि किन परिस्थितियों में बच्चे कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं तथा प्रशिक्षुओं को यह बात बताई जाएगी कि

कैसे बच्चों को उन परिस्थितियों से बचाया जा सकता है जिनमें पड़ कर बच्चे कानून तोड़ बैठते हैं या बच्चों पर मुसीबत आ जाती है।

(ज) प्रशिक्षु खासतौर पर पुलिस थाना प्रभारी तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी को बच्चों की पहचान नहीं बताने तथा इसके परिणाम के बारे में बताया जाएगा तथा उन्हें यह खासतौर पर बताया जाएगा कि कैसे हर हाल में बच्चों की पहचान छुपानी है तथा बच्चों के सर्वोच्च हित की सुरक्षा की जानी है।

(झ) प्रशिक्षुओं को निरोधात्मक रणनीतियों के बारे प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ञ) भूमिका निभाना (Role Play) प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंग होगा। भिन्न-भिन्न तरह की परिस्थितियाँ जिसमें बच्चे पड़कर कानून तोड़ बैठते हैं उनको रोल प्ले के द्वारा प्रशिक्षुओं को दिखाया जाएगा।

(ट) पकड़े जाने पर बच्चे जिनसे कानून का उल्लंघन हुआ है उन्हें जो तनाव होता है उसे एक समस्या के रूप में सामने लाया जाएगा तथा प्रशिक्षुओं को एक समाधान ढुंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसमें बाल मनोविज्ञान में अनुभवी रिसोर्स पर्सन मदद करेंगे।

(ठ) प्रशिक्षुओं को उचित दिशा निर्देश दिया जाएगा कि कैसे अपराध से पीड़ित किशोरों से पेश आया जाए तथा कैसे उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए तथा उनका देखभाल और सुरक्षा पुलिस थानों में कैसे की जाए। प्रशिक्षुओं के जहन में यह बात डाली जाएगी कि किशोर के साथ ''अपराधी'' की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें परिस्थितियों से पीड़ित समझा जाएगा तथा सभी संभव कदम उनके पुनर्वास और समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए उठाये जाएंगे।

(ड) प्रशिक्षुओं को भली प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा कि संगठित अपराधियों तथा अपराधिक संगठन जो बच्चों का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधि में करते हैं उनसे कैसे निपटा जाए।

(ढ) प्रशिक्षुओं को विशेष निर्देश दिया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में किशोर जिनसे कानून का उल्लंघन हुआ है वो दुबारा आपराधिक गतिविधि में न पड़ें और दुबारा से अपराधियों से संपर्क ना हो।

(ण) वैसे पुलिस पदाधिकारी जो प्रशिक्षण में शामिल हो चुके हैं उन्हें दुबारा प्रशिक्षण में शामिल होने से छूट दी जाएगी।

(त) प्रशिक्षुओं को वैसे शब्दावलियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा जिनका इस्तेमाल सीएनसीपी तथा सीसीएल बच्चे से संबंधित दस्तावेज तथा कार्यवाहियों में इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है।

(थ) प्रशिक्षुओं को खासतौर पर एफआईआर/जीडी इन्ट्री (General Diary Entry), गिरफ्तारी, उम्र निर्धारण जांच इत्यादि संबंधी मामलों जो बच्चों से संबंधित हैं के बारे में खासतौर पर कानूनी प्रावधान सहित बताया जाएगा।

(द) प्रशिक्षुओं को यह सूचित किया जाएगा कि बच्चे जिनसे कानून का उल्लंघन हुआ है उन्हें सर्वदा किशोर न्याय बोर्ड के सामने ही प्रस्तुत किया जाना है तथा किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। किशोर न्याय अधिनियम एक विशेष कल्याणकारी कानून है जो सभी दूसरे कानून पर वरीयता रखता है।

(ध) प्रशिक्षुओं को यह बताया जाएगा कि बच्चों के उम्र निर्धारण संबंधी मामले में जहां निष्कर्ष बॉर्डर लाइन पर है, वहां संदेह का लाभ हमेशा बच्चे को देना चाहिए तथा उसे किशोर माना जाना चाहिए।

(न) प्रशिक्षुओं को यह समझाया जाना चाहिए कि बच्चे को सम्प्रेक्षण गृह भेजना हमेशा अंतिम उपाय के रूप में व्यवहार में लाना चाहिए तथा हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चा पुलिस थाना से ही जमानत पर रिहा हो जाए।

(य) प्रशिक्षुओं को यह सूचित किया जाएगा कि पुलिस पदाधिकारी बच्चों के सामने पेश आते हुए कभी भी वर्दी नहीं पहनेंगे।

(र) प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारियों को यह सूचित किया जाना चाहिए कि बच्चे जेल या पुलिस हाजत में नहीं रखे जा सकते, उन्हें हथकड़ी या बेड़ी नहीं पहनाया जा सकता तथा उन्हें 24 घंटे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ल) प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी को यह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि ज्योंहि बच्चे की गिरफ्तारी की जाती है, त्योंहि पुलिस पदाधिकारी को चाहिए कि उस बच्चे को नामित किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी के सुपुर्द कर दे जो उस बच्चे के माता पिता तथा संबंधित परिवीक्षा पदाधिकारी को तत्काल सूचित करेंगे।

(व) प्रशिक्षु पदाधिकारी के जहन में यह बात डाली जानी चाहिए कि अगर किसी वजह से बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है तो उस बच्चे को पुलिस थाना में नहीं रखा जाएगा बल्कि बाल गृह या संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा जबतक कि उसे सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए।

(श) प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी को देश के अन्य भाग में पुलिस के द्वारा अनुपालन किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यप्रणाली (Best Practices) के बारे में बताया जाएगा।

❑❑❑

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : सुमन ठाकुर
राँची जिला विधिक सेवा प्राधिकार

1. अपराध से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता

अपराध की प्रकृति	विधिक सहायता	लाभुक की संख्या
यौन हिंसा	यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास में मदद किया तथा विधिक सहायता पैनल अधिवक्ता की मदद से बच्चियों को किशोरी निकेतन, बीजुपाड़ा, राँची में भर्ती कराया।	01
डायन हत्या	पांच महिलाओं को डायन होने के नाम पर मांडर जिला राँची में मार दिया गया। परिजनों को विधिक सहायता तथा पीड़ित मुआवजा दिलवाया।	05

2. विधिक जागरूकता शिविर/सहायता

शोषित/वंचित/ हाशिए पर के समुदाय	दिया गया सहायता	लाभुक की संख्या
मानव-तस्करी	परिवार से मिलाया	10
असंगठित कर्मकार	निबंधन कराया	500
किशोर तथा बालक	पुनर्वास किया तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिलाया	27
जनजातीय लोग	जमीन का पट्टा दिलाने में मदद किया	10
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समुदाय	सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाया	700
तेजाबी हमला से पीड़ित	मुआवजा में मदद	01

3. कानूनी साक्षरता क्लब तथा कक्षा

विधिक सेवा प्रदान करने का स्थान	विधिक सेवा का प्रकार	लाभुक की संख्या
विधिक साक्षरता कक्षाएं	कस्तूरबा समेत अन्य विद्यालयों में विधिक साक्षरता की कक्षाएं चलाई	2000

4. असंगठित कर्मकार		
विधिक सेवा की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
असंगठित कर्मकार	सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाया	100
5. कन्या साक्षरता		
विधिक सेवा की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
कन्या शिक्षा	कस्तूरबा समेत अन्य विद्यालयों में दाखिला कराया	05
6. गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ		
विधिक सेवा की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायता	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ पहुंचाना	10
7. महिला सशक्तिकरण		
कौशल विकास	रोजगार उन्मुख	135
8. वरिष्ठ नागरिकों की सहायता		
सेवा की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
वरिष्ठ नागरिकों की सहायता	वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन पाने में सहायता	10

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण शिकायत/जनअभियोग निवारण हेतु सामान्य व्यवहार प्रक्रिया

प्रत्येक प्राधिकार/समिति, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो या जिला अथवा तालुका स्तर का हो वह समय-समय पर शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त करता है। शिकायत आवेदन के द्वारा पीड़ित अपने दु:ख प्रकट करता है। ये शिकायत हमें हमारे कार्यक्रम तथा हमारे कमियों को बताते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शिकायतों पर तेजी से तथा असरकारी ढंग से कार्यवाही की जाए। स्थापित व्यवस्था के अभाव में इन शिकायतों पर हमारा रवैया काम चलाऊ तथा तदर्थ वादी होता है तथा कार्यवाही में देरी होती है। नालसा को कार्मिक जनशिकायत तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से पत्रांक ओ एम तिथि 7.4.2016 प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार माननीय प्रधानमंत्री ने यह इच्छा व्यक्त किया है कि शिकायत के निपटारे की अवधि वर्तमान दो महीना से घटाकर एक महीना कर दिया जाए। इस तरह से जरूरत महसूस हुई कि एक व्यवस्था की स्थापना की जाए ताकि व्यवस्थित ढंग से अभियोग तथा जनशिकायतों का निष्पादन किया जा सके।

शिकायत के स्त्रोत : शिकायत :

1) आम जनता से सीधे नालसा को प्राप्त हो सकते हैं।

2) नालसा को राष्ट्रपति कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से तथा न्याय विभाग, भारत सरकार से प्राप्त हो सकते हैं।

3) राज्य/जिला अथवा विधिक सेवा प्राधिकार को आम जनता से सीधे प्राप्त हो सकते हैं।

4) राज्य/जिला प्राधिकार अथवा तालुका समिति को विभिन्न प्राधिकार जिसमें राज्य के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी शामिल है से प्राप्त हो सकते हैं।

5) राज्य को नालसा से प्राप्त हो सकते हैं।

6) जिला प्राधिकार को राज्य प्राधिकार अथवा नालसा से प्राप्त हो सकते हैं।

7) तालुका विधिक समिति को राज्य प्राधिकार या नालसा या जिला प्राधिकार से प्राप्त हो सकता है।

शिकायत की प्रकृति : शिकायत :

1) विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्ध हो सकते हैं जो उसके कार्य अथवा व्यवहार से संबंधित हों।

2) विधिक सहायता नहीं प्रदान करने से हो सकती है जहां व्यक्ति सोचता है कि वह इसका हकदार है।

3) लोक सेवक के विरूद्ध हो सकती है जिनसे शिकायतकर्ता को उसका हक नहीं मिला।

4) कई मुद्दों पर हो सकती है।

5) एक व्यक्ति द्वारा अपने शिकायत को सामान्य तौर पर किया जा सकता है।

6) एक व्यक्ति विधिक सहायता पाने का इच्छुक हो सकता है।

7) एक व्यक्ति कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहता हो।

8) अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत।

प्राधिकार/समिति का शिकायत के प्रति रवैया :

जब प्राधिकार या समिति किसी भी स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त करता है तो उसका रवैया समस्या के समाधान वाला होना चाहिए न कि शिकायत के निष्पादन या शिकायतकर्ता को जवाब देने वाला। हमारा झुकाव किसी भी तरह से खुद को उस शिकायत से पल्ला झाड़ने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सक्रिय होकर उस शिकायत में की गई बातों का समाधान करना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट अनुभव करे तथा उसे पता होना चाहिए कि उसके लिए आगे क्या-क्या करने का अवसर है। हमारा उद्देश्य शिकायत दूर करने वाला होना चाहिए न कि आवेदन निष्पादन वाला। इस तरह से निम्नलिखित मैकेनिज्म को अपनाया जाना चाहिए :

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर

1) चूंकि नालसा खुद से न तो विधिक सहायता देता है न ही अधिवक्ताओं का पैनल रखता है तथा यथार्थ में राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से काम करता है, इसलिए जब कभी भी शिकायत किसी विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्ध प्राप्त होती है या विधिक सहायता आवेदन खारिज करने के संबंध में प्राप्त होती है या विधिक सहायता पाने के लिए प्राप्त होती है या किसी योजना के लाभ का हकदार बताने के लिए प्राप्त होती है तो उसे तत्काल ही संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को प्रेषित किया जाएगा तथा संभव होने पर सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार को प्राप्त कराया जाएगा। सभी प्रयास किए जाएंगे कि इसे जल्दी से जल्दी किया जाए।

   जबतक कि ऑनलाइन पोर्टल का विकास होता है, शिकायत को स्कैन करके मेल के द्वारा भेजा जाएगा तथा उसकी एक प्रति डाक के द्वारा भी भेजी जाएगी। राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मेल पर ही त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए तथा हार्डकॉपी की प्राप्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

नालसा निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कुछ शिकायत आवेदन को लक्षित कर सकती है।

2) राज्य/जिला प्राधिकार को शिकायत भेजे जाने के बाबत अग्रसारण पत्र उस विभाग को भी भेजा जाएगा जहां से शिकायत आया है।

3) वैसे शिकायत जिनमें कोई मेरिट नहीं है उसका भी जवाब आवेदक को दिया जाएगा।

4) अज्ञात के द्वारा शिकायत भी किया जा सकता है।

5) जब एक सामान्य शिकायत प्राप्त किया जाता है और अगर उसे आगे प्रेषित नहीं किया जाता है तो आवेदक को यह सूचित किया जाएगा कि उठाए गए मुद्दों को नोट किया गया है और आगे बढ़ने के लिए और कोई आधार नहीं है।

6) जहां आवेदक कुछ जानकारी चाहता है, वहां पर आवेदक को यह बताया जाएगा कि उसे यह जानकारी किस व्यक्ति या पदाधिकारी से मिल सकती है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के स्तर पर :

1) जब भी विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होता है या विधिक सहायता पाने हेतु आवेदन प्राप्त होता है या किसी योजना के लाभ पाने हेतु हक का दावा किया जाता है या कोई शिकायत नालसा के द्वारा प्रेषित किए जाने पर मिलता है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उसे जिला प्राधिकार/तालुका समिति को प्रेषित कर देगी सिवाय उस परिस्थिति के जबकि इसका आवेदन राज्य प्राधिकार स्तर पर ही किया जा सकता है। ऐसा शीघ्रता से किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में पांच कार्यदिवसों के अन्दर में ही किया जाना चाहिए।

2) शिकायत को जिला प्राधिकार/तालुका समिति को भेजते समय एक अग्रसारण वाला पत्र आवेदक अथवा विभाग जहां से वह शिकायत प्राप्त हुआ है उसे भी भेजना चाहिए।

3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमित रूप से शिकायत पर हुए प्रगति की जांच करेगा और नालसा को समय-समय पर सूचित करेगा। अगर वह शिकायत नालसा के द्वारा प्रेषित किया गया है तो।

4) जहां शिकायत विधिक सहायता आवेदन को खारिज करने के संबंध में मिलती है वहां मामले की जांच राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अपने ही स्तर से किया जाना चाहिए। एक प्रतिवेदन जिला/तालुका से मांगा जा सकता है। अगर राज्य प्राधिकार यह निर्णय करता है कि विधिक सहायता से इंकार करना उचित है तब आवेदक को इस बात की सूचना दे दी जाएगी तथा नालसा को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। अगर यह नालसा से आवेदन प्रेषित हुआ हो तो।

5) वैसे आवेदन जिनमें कोई मेरिट नहीं है उसका भी जवाब दिया जाएगा तथा उस जवाब की प्रति नालसा अथवा जिस भी विभाग से आया है वहां भी भेजी जाएगी।

6) अज्ञात के द्वारा भी शिकायत किया जा सकता है।

7) जब एक सामान्य शिकायत प्राप्त किया जाता है और अगर उसे आगे प्रेषित नहीं किया जाता है तो आवेदक को यह सूचित किया जाएगा कि उठाए गए मुद्दों को नोट किया गया है और आगे बढ़ने के लिए और कोई आधार नहीं है।

8) जहां आवेदक कुछ जानकारी चाहता है, वहां पर आवेदक को यह बताया जाएगा कि उसे यह जानकारी किस व्यक्ति या पदाधिकारी से मिल सकती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार/तालुका समिति के स्तर पर :

1) जब कभी भी विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होता है या विधिक सहायता की मांग की जाती है या किसी योजना के लिए हक का दावा किया जाता है या नालसा/राज्य प्राधिकार से शिकायत प्राप्त होता है तब जिला विधिक सेवा प्राधिकार/तालुका समिति बिना कोई समय गंवाये :

   क) अगर शिकायत विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्ध है तो उससे प्रतिवेदन की मांग करेगी और प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं रहने पर उचित कार्यवाही करेगी। इसके अलावा आवेदक से संपर्क कर तत्काल विधिक सहायता अधिवक्ता बदल दिया जायेगा।

   ख) विधिक सहायता मांगे जाने की स्थिति में तत्काल उचित कदम उठाया जाएगा।

   ग) अगर आवेदन में योजना के हक रखने का दावा किया गया है तब आवेदक को सूचित किया जाएगा कि उनके द्वारा क्या कदम उठाया जाना अपेक्षित है तथा मदद के लिए एक पारा विधिक स्वयंसेवक प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आवेदक से संपर्क रखने में सूचना तकनीक ईमेल/एसएमएस आदि का इस्तेमाल किया जाएगा।

2) जहां शिकायत विधिक सहायता आवेदन को खारिज करने से संबंधित है वहां आवेदन खारिज करने की कारणों को बताया जाएगा। साथ ही आवेदक को अपील करने के अधिकार तथा फोरम के बारे में बताया जाएगा।

3) वैसे शिकायत जिनमें कोई मेरिट नहीं है उसका भी जवाब आवेदक को दिया जाएगा।

4) अज्ञात के द्वारा शिकायत भी किया जा सकता है।

5) जब एक सामान्य शिकायत प्राप्त किया जाता है और अगर उसे आगे प्रेषित नहीं किया

जाता है तो आवेदक को यह सूचित किया जाएगा कि उठाए गए मुद्दों को नोट किया गया है और आगे बढ़ने के लिए और कोई आधार नहीं है।

6) जहां आवेदक कुछ जानकारी चाहता है, वहां पर आवेदक को यह बताया जाएगा कि उसे यह जानकारी किस व्यक्ति या पदाधिकारी से मिल सकती है।

सभी स्तर पर शिकायत के निवारण हेतु यह पुनः संकल्प किया जाता है कि –

- शिकायत जन अभियोग को शीघ्रता से लिया जाएगा।
- एक सक्रिय तथा संवेदनशील रवैया अपनाया जाएगा।
- शिकायत पर निरंतर फॉलो अप कार्यवाही किया जाएगा।
- जहां नालसा आवेदन को राज्य प्राधिकार को प्रेषित करती है या राज्य प्राधिकार जिला अथवा तालुका समिति को प्रेषित करती है वहां नालसा अथवा राज्य प्राधिकार को यह बताया जाना चाहिए कि आवेदन पर क्या हुआ।
- अंततोगत्वा यह उद्देश्य है कि आम जन को यह महसूस होना चाहिए कि उनके शिकायत पर असरकारी कार्यवाही बिना कोई समय गंवाये किया गया।

❑❑❑

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

विधिक सहायता प्रदान करना विधिक सेवा संस्थान का एक प्रमुख कर्तव्य है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के धारा 12 के अंतर्गत हिरासत में लिए गए सभी व्यक्ति मुफ्त विधिक सहायता पाने के हकदार हैं, परन्तु हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था पूरे देश में एकरूप नहीं है। जेल में जाकर बंदियों से पैनल अधिवक्ता द्वारा मिलना भी कहीं-कहीं महीने में एक बार है तो कहीं-कहीं हफ्ते में दो बार। जेल विजिट करने वाले अधिवक्ता भी प्राय: स्पष्ट समझ नहीं रखते कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। यह स्पष्ट है कि बंदियों के साथ बातचीत तथा उन्हें विधिक सहायता तथा कोर्ट में प्रतिनिधित्व आदि को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

देश के कई जिलों में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कई कई दिनों तक कोर्ट में नहीं प्रस्तुत किया जाता। ऐसा तब भी होता है जब आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सी परिस्थितियां हैं कि जब रिमांड किए जाने के बाद कई कई दिन तक उस बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। आमतौर पर ऐसा करने का कारण सुरक्षा इंतजाम नहीं होना अथवा वाहन नहीं होना बताया जाता है तथा कभी-कभी कारण यह बताया जाता है कि बंदी को अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था। यह सब अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध है तथा बंदी के मुलभूत अधिकार के विरूद्ध है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को समय-समय पर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने से न्यायालय यह जानने से वंचित रह सकती है कि उस व्यक्ति को हिरासत में कोई कठिनाई है कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा सकता।

हिरासत में लिया गया व्यक्ति जेल में सड़ता रहता है और उसके तरफ से जमानत आवेदन में दाखिल नहीं किया जाता है। अगर जमानत का आदेश हो भी जाता है तो भी वह व्यक्ति जेल में सड़ता है क्योंकि बंधपत्र दाखिल नहीं किया जाता है तथा न्यायालय उस बंदी से बातचीत भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता। ऐसे मामलों को न्यायालय के संज्ञान में लाने की जरूरत है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके केस की सही स्थिति के बारे में सही जानकारी भी नहीं हो पाती। अत: यह बहुत बड़ी जरूरत है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति तथा उसे मिलने वाली विधिक सेवाओं के बीच फासले को पाटा जाए।

कई सारे कदम उठाए जा चुके हैं जैसे कि सभी जेलों में विधिक सहायता केन्द्र खोलना

तथा बंदी में से ही पहचान कर पारा विधिक स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षण देना जो सह बंदियों से बातचीत कर उन्हें विधिक सहायता पहुंचा सके। इस उद्देश्य के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :

1) पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्येक दण्डाधिकारी के न्यायालय तथा सत्र न्यायालय में किया जाना चाहिए।

2) जेल विधिक सहायता केन्द्र के लिए एक सुस्पष्ट रूप से चिन्हित जगह होनी चाहिए तथा मुलभूत सुविधा भी उपलब्ध भी कराया जाना चाहिए।

3) पैनल लॉयर में से कुछ को जेल विजिट करने वाले अधिवक्ता के रूप में विजिट करने के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए तथा हफ्ते में न्यूनतम दो दिन जेल विजिट होना चाहिए।

4) सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी को जेल विजिटिंग अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करना चाहिए तथा उनका मानदेय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियत कर सकते हैं।

5) पर्याप्त संख्या में बंदीजन में से ही लंबी सजा प्राप्त को प्रशिक्षित कर पारा विधिक स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त करना चाहिए जो बंदी तथा विधिक सहायता के बीच में सेतु का काम करेंगे।

6) पारा विधिक स्वयंसेवक को इस बात का अभिलेख मेंटेन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति जेल में कब आया, अपराध क्या है, केस का स्टेज क्या है, कोर्ट का नाम क्या है तथा अगली तारीख क्या है।

7) जेल विजिट करने वाले अधिवक्ता नियमित रूप से बंदियों से मेलजोल करेंगे और बातचीत करेंगे तथा नये बंदी के पाये जाने पर इस बात की तहकीकात करेंगे कि उसने कोई वकील किया है कि नहीं तथा उसे बतायेंगे कि मुफ्त में विधिक सहायता अधिवक्ता पाना उसका हक है और यह उसे तत्काल मिल सकता है।

8) जेल विजिट करने वाले अधिवक्ता अपने हर बातचीत का संक्षेप में ब्यौरा दर्ज करेंगे और उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के पास बंदी का नाम, उसके परिवार का पता तथा टेलीफोन नंबर के साथ भेजेंगे ताकि पैनल लॉयर के समन्वय से सक्षम विधिक सहायता दिया जा सके।

9) जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपने संज्ञान में लाए जाने पर जिला जज अथवा जेल निरीक्षण करने वाले जज के संज्ञान में आवश्यक बात लाएंगे।

10) जेल अधीक्षक से प्रत्येक 15 दिन पर बंदियों की सूची मांगी जानी चाहिए तथा उस

सूची का समीक्षा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया जाना चाहिए ताकि उचित मामले में संबंधित अधिकारी के संज्ञान में बात लाई जाए।

11) पारा विधिक स्वयंसेवक तथा जेल विजिट करने वाले अधिवक्ता वैसे बंदी के बारे में सूचना रखेंगे जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अगली तिथि की सूचना सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देंगे।

12) जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के संज्ञान में यह बात आने पर कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किन्हीं खास कारण से किसी खास दिन प्रस्तुत नहीं किया गया तब वह इस बात की सूचना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अथवा मुख्य महानगर दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाएंगे जो इसमें उचित कदम उठायेंगे।

13) सुरक्षा वाहन तथा सुरक्षाकर्मी का मुद्दा सरकार के उचित अधिकारी के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

14) जेल विजिट करने वाले अधिवक्ता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करेंगे जब किसी बंदी के लिए जमानत का आवेदन दाखिल किया जाना है या कोई बंदी न्यायालय में अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। सचिव ऐसी स्थिति में अधिवक्ता मुहैया कराये जाने के बाबत उचित आदेश करेंगे। ऐसे मामले भी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संज्ञान में लाया जायेगा जहां बंधपत्र दाखिल नहीं किए जाने के कारण बंदी को जेल में रहना पड़ रहा है।

15) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत आने वाले बंदियों की सूची विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति के सामने तत्परता से पेश करेंगे।

16) हिरासत में लिए गए व्यक्ति के तरफ से न्यायालय में उपस्थित होने वाले पैनल अधि वक्ता को उस बंदी से बातचीत और मेलजोल करना चाहिए ताकि उसे केस की बेहतर समझ आए। पैनल लॉयर केस की अगली तिथि की सूचना तीन दिन के भीतर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देंगे।

17) जेल विधिक सहायता केन्द्र जेल अधीक्षक तथा पैनल लॉयर के साथ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से सामन्जस्य स्थापित करेगा तथा विधिक सहायता प्राप्त मामलों के बंदियों की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी रखेगा तथा मामले की अगली तिथि की जानकारी रखेगा। मामले की स्थिति की बात विधिक सहायता केन्द्र की रजिस्टर में दर्ज की जाएगी तथा बंदी और जेल अधीक्षक को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

18) नियमित रूप से जागरूकता शिविर का आयोजन जेल में किया जाना चाहिए जिसमें

बंदियों के अधिकार के बारे में खासतौर पर बताया जाना चाहिए।

19) सुझाव/शिकायत पेटी प्रत्येक विधिक सहायता केन्द्र में होना चाहिए जो जेल में स्थापित किए गए हैं। इस पेटी को सप्ताह में एक बार कारा अधीक्षक तथा पैनल लॉयर की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए तथा प्राप्त आवेदनों को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

20) जहां संभव हो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में संसीमित बंदियों से संवाद कायम करना चाहिए।

सदस्य-सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को प्रमुखता से उपरोक्त बातों में कार्रवाई करना चाहिए। सदस्य सचिव के यह उचित है कि जेलों का निरीक्षण किया जाए तथा वैसे बंदी का पहचान किया जाए जिन्हें कई तिथियों पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ऐसे मामलों में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को संबंधित न्यायालय में आवेदन देने का आदेश पारित करना चाहिए। इसी तरह के कदम वहां भी उठाया जाना चाहिए जहां जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया जाना है या जमानत के शर्तों में संसोधन के लिए आवेदन दिया जाना है। सदस्य सचिव को विधिक सहायता केन्द्र के कार्य प्रणाली का समीक्षा करना चाहिए हर नियमित अंतराल पर।

हरसंभव कदम उठाया जाना चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का कोर्ट में प्रतिनिधित्व असरकारी ढंग से हो और बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों तथा उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी दी जा सके।

❑❑❑

सफलता की कहानी

पारा विधिक स्वयंसेवक का नाम : बबली देवी
राँची जिला विधिक सेवा प्राधिकार

1. अपराध से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता		
अपराध की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
हत्या	पुनर्वास तथा मुआवजा में सहायता	04
यौन हिंसा	पुनर्वास तथा मुआवजा में सहायता	05

2. वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था से विवादों का समाधान		
विधिक सहायता की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
मध्यस्थता तथा परामर्श	पति-पत्नी को मिलाया	02

3. विशिष्ट रूप से योग्य व्यक्तियों को सहायता		
विधिक सहायता की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
विशिष्ट रूप से योग्य होने का प्रमाणपत्र दिलाना	विशिष्ट रूप से योग्य व्यक्तियों को प्रमाणपत्र पाने में सहायता	327
4. असंगठित कर्मकार		
विधिक सहायता की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
असंगठित कर्मकार	निबंधन कराने में तथा स्मार्ट कार्ड पाने में मदद	140
5. गरीबी उन्मूलन		
विधिक सहायता की प्रकृति	**विधिक सेवा**	**लाभुक की संख्या**
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को मदद	सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाया, राशन कार्ड पाने में मदद किया	50

>kj[k.M jkT; fof/kd lsok izkf/kdkj ds izf'kf{kr ikjk fof/kd Lo;alsodksa ds }kjk fd;k x;k fof/kd tkx:drk in;k=k dk fooj.k

Ø-la	dk;Øe@ftyk	frfFk	Cyksd@LFkku	ykHkqd dh la[;k
01.	विधिक जागरूकता पदयात्रा, जामताड़ा	19.08.2014	व्यवहार न्यायालय, जामताड़ा	40,500 लगभग कानूनी सलाह दिया गया, आवेदन प्राप्त किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार भेजा गया
02.	जामताड़ा	19.08.2014	करमाटांड	
03.	जामताड़ा	19.08.2014	नारायणपुर	
04.	जामताड़ा	20.08.2014	नाला	
05.	जामताड़ा	20.08.2014	कुन्ढित	
06.	जामताड़ा	20.08.2014	फतेहपुर	
07.	जामताड़ा	21.08.2014	जामताड़ा	
08.	विधिक जागरूकता पदयात्रा, गोड्डा	22.09.2014	व्यवहार न्यायालय गोड्डा	67,000 लगभग कानूनी सलाह दिया गया, आवेदन प्राप्त किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार भेजा गया
09.	गोड्डा	22.09.2014	सुन्दरपहाड़ी	
10.	गोड्डा	23.09.2014	सुन्दरगंगटी	
11.	गोड्डा	23.09.2014	ठाकुरगंगटी	
12.	गोड्डा	23.09.2014	मेहरमा	
13.	गोड्डा	24.09.2014	बुआरीजोर	
14.	गोड्डा	24.09.2014	महगामा	
15.	गोड्डा	25.09.2014	पथरगामा	
16.	गोड्डा	25.09.2014	पोड़ैयाहाट	
17.	विधिक जागरूकता पदयात्रा, साहेबगंज	12.01.2015	व्यवहार न्यायालय, साहेबगंज	76,000 लगभग कानूनी सलाह दिया गया, आवेदन प्राप्त किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार भेजा गया
18.	साहेबगंज	12.01.2015	मंडरो	
19.	साहेबगंज	13.01.2015	बोरेयो	
20.	साहेबगंज	13.01.2015	साहेबगंज	
21.	साहेबगंज	14.01.2015	राजमहल	
22.	साहेबगंज	14.01.2015	तालझाड़ी	
23.	साहेबगंज	15.01.2015	पटना	
24.	साहेबगंज	15.01.2015	बुरहरवा	
25.	साहेबगंज	16.01.2015	उधवा	
26.	साहेबगंज	16.01.2015	बरहेट	
27.	विधिक जागरूकता पदयात्रा, देवघर	09.02.2015	व्यवहार न्यायालय, देवघर	90,500 लगभग कानूनी सलाह दिया गया, आवेदन प्राप्त किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार भेजा गया
28.	देवघर	09.02.2015	देवीपुर	
29.	देवघर	10.02.2015	मोहनपुर	
30.	देवघर	10.02.2015	सोनाराईठडी	
31.	देवघर	11.02.2015	सरवन	
32.	देवघर	11.02.2015	सारथ	
33.	देवघर	12.02.2015	पालोजोड़ी	
34.	देवघर	12.02.2015	करोन	
35.	देवघर	13.02.2015	मार्गोमुण्डा	
36.	देवघर	13.02.2015	मधुपुर	

>kj[k.M jkT; fof/kd lsok izkf/kdkj ds izf'kf{kr ikjk fof/kd Lo;alsodksa ds }kjk fd;k x;k fof/kd tkx:drk lkbfdy;k=k dk fooj.k

क्र.सं.	कार्यक्रम	तिथि	स्थान
01.	साइकिल यात्रा को रवाना किया गया	12-02-2013	न्याय सदन, राँची, झारखण्ड
02.	कानूनी साक्षरता शिविर	15-02-2013	झुमरीतिलैया, झारखण्ड
03.	कानूनी साक्षरता शिविर	18-02-2013	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना, बिहार
04.	कानूनी साक्षरता शिविर	20-02-2013	आरा, बिहार
05.	कानूनी साक्षरता शिविर	21-02-2013	न्यायलय परिसर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
06.	कानूनी साक्षरता शिविर	28-02-2013	लोहिया पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
07.	कानूनी साक्षरता शिविर	04-03-2013	जसराना, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
08.	कानूनी साक्षरता शिविर	04-03-2013	व्यवहार न्यायालय, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
09.	कानूनी साक्षरता शिविर	06-03-2013	व्यवहार न्यायलय, कासगंज, उत्तर प्रदेश
10.	कानूनी साक्षरता शिविर	08-03-2013	बदायूँ, उत्तर प्रदेश
11.	कानूनी साक्षरता शिविर	08-03-2013	व्यवहार न्यायालय, एटा, उत्तर प्रदेश
12.	कानूनी साक्षरता शिविर	10-03-2013	बजराघाट, उत्तर प्रदेश
13.	कानूनी साक्षरता शिविर	10-03-2013	किद्धौर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
14.	कानूनी साक्षरता शिविर	11-03-2013	प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश
15.	कानूनी साक्षरता शिविर	13-03-2013	बदोत, उत्तर प्रदेश
16.	कानूनी साक्षरता शिविर	14-03-2013	व्यवहार न्यायलय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
17.	समापन समारोह	18-03-2013	जंतर-मंतर, नई दिल्ली

* 04.03.2017 से झालसा के पारा विधिक स्वयंसेवक विधिक जागरूकता पदयात्रा एवं साईकिल यात्रा खूंटी एवं राँची जिले में कर रहे हैं।

पारा विधिक स्वयंसेवक एवं विधिक सेवा केन्द्र

ikjk fof/kd Lo;alsod

izf'kf{kr ikjk fof/kd Lo;alsod vkt rd % 1839

पैनल में शामिल पारा विधिक स्वयंसेवक : 1199
पारा विधिक स्वयंसेवक (पुरूष) : 787
पारा विधिक स्वयंसेवक (महिला) : 412
विधिक सेवा केन्द्र में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 355
फ्रंट में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 43
जेलों में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 92
पुलिस थानों में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 118
वृद्धाश्रम में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 6
मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 2
सामुदायिक केन्द्र में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 42
जे0जे0बी0/सी0डब्ल्यू0सी0 में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक : 46

fof/kd lsok dsUnz

>kj[k.M jkT; esa fof/kd lsok dsUnz % 413

कानूनी विद्यालय/महाविद्यालयों में विधिक सेवा केन्द्र : 6
गाँव एवं उपविभाग में विधिक सेवा केन्द्र : 355
जेल में विधिक सेवा केन्द्र : 27
सामुदायिक केन्द्रों/जे0जे0बी0/रिनपास में विधिक सेवा केन्द्र : 25
रिमांड अधिवक्ताओं की कुल संख्या : 160
रिटेनर अधिवक्ताओं की कुल संख्या : 66
पैनल अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षक : 4
मध्यस्थ के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षक : 13
मध्यस्थ अधिवक्ता : 187
न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ : 112
विशेषज्ञ मध्यस्थ : 20

वर्तमान झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार भवन

प्रस्तावित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार भवन

द्वारा प्रकाशित
>kj[k.M jkT; fof/kd lsok ikf/kdkj
न्याय सदन, ए.जी. ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392, फैक्स : 0651–2482397
ईमेल : jhalsaranchi@gmail.com वेबसाइट : www.jhalsa.org
यह पुस्तक झालसा के वेबसाईट **www.jhalsa.org** पर भी उपलब्ध है।